खण्ड-282, अंक-5
सोमवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1892
(11 मई, 1970 ई0)

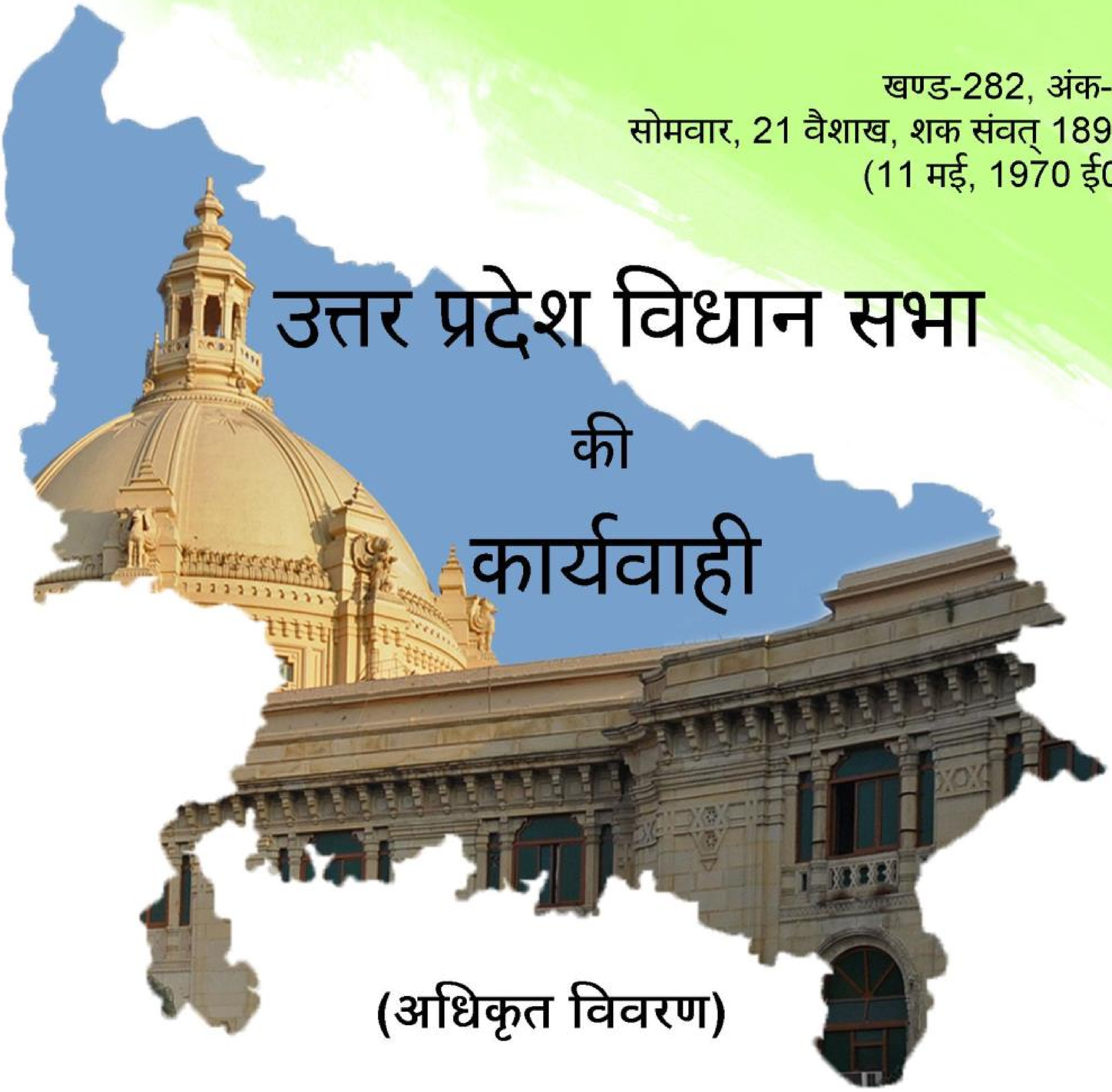

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	५०९–५१२
प्रश्नोत्तर	५१३–५४१
रायल होटल में जल कष्ट के संबंध में शिकायत	५४१–५४२
सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन १९६६–६७, १९६७–६८ व १९६८–६९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	५४२
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४२
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४२–५४३
मुख्य मंत्री द्वारा विधायकों को तथा कथित डांट-फटकार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	५४३–५४८
अपहरण एवं बलात्कार के अभियुक्त पुलिस दरोगा सुरेन्द्रपाल सिंह को मुकदमें के निर्णय से पूर्व बहाल करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५४८–५४९
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	५४९
१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	५४९–५८०
रामपुर में शुगर वर्क्स के जनरल सेक्रेटरी, श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर हमले के संबंध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत) ..	५८०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	५८०–५९४
प्रदेश में माह फरवरी तथा मार्च, १९७० में हुई उपलवृष्टि से क्षति के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५९४–६०४
इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में खोले जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	६०४–६२३
नत्थियां	६२४–६५७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ११ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३०

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ मैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री

चंद्रभान सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदास, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नेपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री

भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजवती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमार शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री

राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्वम्भरदास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह बानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह विष्ट, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ मई, १९७०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बस कण्डक्टरों के वेतन-क्रम में असमानता

*१—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में काम करने वाले बस कंडक्टर दो प्रकार का वेतन-क्रम पाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

जी हां । उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में बस कन्डक्टर दो प्रकार के वेतन क्रम में वेतन पा रहे हैं । प्रथम वेतन-क्रम ८०—३—१४० रु० का है जो कि हाई स्कूल पास बस कन्डक्टरों पर लागू है जिसको वेतन अभिनवीकरण समिति की संस्तुति पर दिनांक १—४—६५ से स्वीकृत किया है । दूसरा वेतन-क्रम ४०—३—७० रु० का है जो नान-मैट्रिक बस कन्डक्टरों पर लागू है जिन्हें शासनादेश संख्या ५५८५-ए—११-ए/३०—ए ४२० एन/५९, दिनांक २९—१२—६१ के अनुसार २० प्रतिशत स्थानों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपरोक्त प्रथम वेतन-क्रम में पदोन्नति की जा रही है ।

*२—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार 'समान कार्य के लिये समान वेतन' के सिद्धान्त के आधार पर उक्त असमानता को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इस असमानता को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६२ के आस-पास जितने बुकिंग क्लर्क थे जो नान-मट्रिक थे उनको इक्जेम्प्ट कर दिया गया और वे सब एक ही वेतन-क्रम में रख लिये गये किन्तु बस कन्डक्टर्स को अभी तक इक्जेम्प्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जैसे मैंने निवेदन किया उनके लिये इक्जेम्पशन का प्रश्न नहीं आता है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को वे मानते हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, यह सिद्धान्त माना गया है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, २० प्रतिशत स्थान ऐसे हैं जिन्हें नान मैट्रिक कंडक्टरों के लिये घोषित कर दिया गया है और उन पर दूसरे व्यक्ति नहीं लिये जा सकते। विभागीय परीक्षा के आधार पर उन्हें पहले लेने की कोशिश की जा रही है। माननीय सदस्य की सूचना के लिये यह कह दूं कि अब यह रीजन्स में रख दिया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि समान कार्य करने वाले जो कन्डक्टर्स हैं उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है तो किस वजह से उनके वेतन-क्रम में अन्तर रख दिया गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, ५८ से पूर्व कोई शैक्षिक योग्यता का सवाल नहीं था किन्तु उसके बाद शैक्षिक योग्यता लगा दी गई कि जो हाई स्कूल होगा उसको दूसरा वेतन-क्रम और जो नान-मट्रिक होगा उसको दूसरा वेतन-क्रम दिया जायेगा। इसे भी मिटाने के लिये विभाग कार्यवाही कर रहा है।

श्री बांकेलाल (जिला बेवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो कक्षा १० पास कन्डक्टर्स नहीं हैं कितने दिनों के बाद उनकी परीक्षा लेने का नियम है, उनकी परीक्षा लेने का नियम क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस अन्तर को मिटाने की क्या कोशिश की जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

विभाग की ओर से एक परीक्षा होती है उस में उत्तीर्ण होने के बाद उनकी पदोन्नति की जाती है।

श्री रामचरण—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि परिवहन विभाग में वाटरमनों को १० रुपया माहवार भी दिया जाता है और ६५-७० रुपया माहवार भी दिया जाता है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ऐसी सूचना शासन के पास नहीं है।

श्री ए० सी० फ्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मंत्री जी नाइट स्कूल खोल कर नान-मैट्रिक्स को मैट्रिक पास करने की सुविधा देंगे, जिस प्रकार कि हमने कानपुर में दे रखी है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

ऐसी किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार नान-मैट्रिक कन्डक्टरों को शिक्षा योग्यता से ऐक्जेम्प्ट करके मैट्रिकल कन्डक्टरों की भांति वेतन देने की सोच रही है। यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामजी लाल सहायक—

उत्तर दिया जा चुका है कि २० प्रतिशत स्थान नान-मैट्रिक कन्डक्टरों को सुरक्षित कर दिये गये हैं। विभागीय परीक्षा लेकर उनकी पदोन्नति की जाती है।

श्री रामधारी शास्त्री—

वेतन अभिनवीकरण समिति ने क्या मैट्रिक और नान-मैट्रिक का कोई भेद नहीं रखा और एक ही ग्रेड देने की सिफारिश की थी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, उन्होंने कोई भेद नहीं रखा, इसीलिये २० प्रतिशत स्थान उन लोगों के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। जल्दी से जल्दी उनको पदोन्नत करने की कोशिश की जा रही है। अब केवल ६८ ही बाकी रह गये हैं, बाकी खप गये हैं।

उन्नाव जिले में सई नदी पर भोगला गांव का पुल

*३—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत सई नदी, ग्राम भोगला, तहसील हसनगंज में बने हुये पुल की हालत चिन्ताजनक है और बीच पुल में बड़े-बड़े सूराख हो गये हैं जिससे आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो उसके बनने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

जी हां यह पुल बहुत पुराना नवाबी जमाने का बना हुआ बताया जाता है तथा ग्राम नेवलगंज से ग्राम भोगला होते हुए शेषपुर बुजुर्ग गांव को जाने वाले कच्चे मार्ग पर पड़ता है जिसका रखरखाव न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है और न जिला परिषद के ही। इस पुल के लगभग एक मील की दूरी पर लखनऊ मोहान अजगैन राजमार्ग पर मोहान के पास एक बड़ा पुल बना हुआ है जिसकी दशा संतोषजनक है तथा जिसका रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होता है और यातायात भी उसी पुल से हो रहा है।

ऐसी दशा में प्रश्नगत पुल को बनवाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

[दि० ११ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

ट्रान्सपोर्ट तथा रोडवेज कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का सुझाव

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि ट्रांसपोर्ट और रोडवेज के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रदेश के अन्य विभागों में स्थानान्तरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू की जावेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इस समय ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जुलाई-अगस्त में उस समय के परिवहन मंत्री ने यह एश्योरेंस दिया था कि इस किस्म की कार्यवाही भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये इन्टर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करके सरकार कर रही है ? क्या मंत्री जी इस मामले पर गौर करेंगे ?

डाक्टर राम जी लाल सहायक—

माननीय सदस्यों के सुझाव पर विचार करने के लिये सदैव सरकार तैयार रहती है । अगर वे लिख कर देंगे तो जरूर कुछ न कुछ विचार होगा ।

चित्रकूट–छत्तरपुर मार्ग पर बस सर्विस बन्द करना

*३—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनरल मैनेजर, यू०पी० गवर्नमेंट रोडवेज, कानपुर को चित्रकूट-छत्तरपुर, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच इंटर-स्टेट मार्ग है, उस पर पांच गाड़ियां चलाने के लिए परमिट मिले थे, १९६४ से १९६८ तक कोई भी गाड़ी नहीं चलाई गई और परमिट नं० १०(१) से(६) तक ३१ अगस्त, १९६८ को सरेंडर कर दिये गये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां, परमिट लिये गये थे । परन्तु यह सत्य नहीं है कि १९६४ से १९६८ तक मार्ग पर कोई भी गाड़ी नहीं चलाई गई । परमिट संख्या १० (१) से (६) तक ३१–८–६८ को नहीं, बल्कि ३१–७–६८ को सरेंडर किये गये ।

इस मार्ग को छोड़ देने तथा परमिट सरेंडर करने का कारण यह है कि इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों की मरम्मत तथा मेंटीनेंस करने के लिए रोडवेज की कोई भी वर्कशाप की व्यवस्था किसी स्थान पर नहीं हो सकी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन ६ परमिटों पर कितनी गाड़ियां कितने दिन चलायी गयीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

गाड़ियों की संख्या तो मेरे पास नहीं है लेकिन ८–७–६६ से नवम्बर तक गाड़ियां चलीं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इन ६ परमिटों को लेने के बाद सरकार ने केवल ३–४ महीने गाड़ियां चलायीं, तो और लोगों के हक को क्यों मारा गया जिससे जो सुविधा पैसेंजर्स को मिलती वह नहीं मिली ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

किसी के हक की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन ३–४ महीने तो कार्यवाही में लग जाते हैं । इंटर-स्टेट जो मार्ग हैं उनमें परमिटों पर दोनों तरफ से हस्ताक्षर किये जाते हैं । उसमें देर लग जाती हैं । तो हकतलफी की बात नहीं है बल्कि प्रोसीड्योरल मामला है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

चार वर्ष तक परमिट सरकार के पास रहे और इस बीच में सिर्फ दो, तीन गाड़ियां दो महीने चलायी गयीं इंटर-स्टेट मार्ग पर तो किस वजह से चार वर्ष लगे ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

केवल लिखा-पढ़ी की व्यवस्था की बात है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इस सड़क पर सरकारी बसें चलाने के सिलसिले में पहले से मरम्मत और मैन्टिनेंस के सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी थी जिसकी वजह से सरकार ने परमिट सरेंडर किया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

ख्याल यह था कि बांदा-पट्टी रूट जो राष्ट्रीयकृत है वहां गाड़ी चलाने की इजाजत मिल जायगी और वहां वर्कशाप है जहां मेंन्टिनेंस का काम हो जायगा लेकिन वह इजाजत मिल नहीं सकी इसलिये परमिट वापस करना पड़ा था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

वर्कशाप वगैरह बनने में सरकार को चार वर्ष में क्या कठिनाई हुई जो वह बनायी नहीं जा सकी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

श्रीमन्, बार-बार वही प्रश्न किया जा रहा है। जो इंटर-स्टेट मार्ग होते हैं उनमें दोनों तरफ से लिखा पढ़ी होती है। विभागीय कार्यवाही में समय लगता है। उसी में समय लगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, मैंने यह सवाल नहीं किया था। मैंने यह सवाल किया था कि चार साल में भी वर्कशाप नहीं लग सकी तो क्या वर्कशाप से लिखा-पढ़ी होती रही या जमीन से होती रही ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) आपने इसमें लिखा है कि मेंटिनेंस करने के लिए रोडवेज की कोई भी वर्कशाप की व्यवस्था नजदीक स्थान पर नहीं हो सकी। तो क्यों नहीं हो सकी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जिस मार्ग की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वह इंटर-स्टेट मार्ग है। वर्कशाप की जो बात है, बांदा में आलरेडी हमारा वर्कशाप है।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी के पास सूचना हो तो यह बताने की कृपा करें कि माननीय सदस्यों की कितनी गाड़ियां इस मार्ग पर या अन्य मार्गों पर चल रही हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

रोडवेज क्षेत्र देहरादून में भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले

*४—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० से जून, १९६९ तक रोडवेज देहरादून क्षेत्र में कितने केसेज चोरी, गबन व भ्रष्टाचार, बिना टिकट यात्रा करते हुए, यात्रियों के कारण हानि के पेंडिंग हैं, तथा उनके अब तक तय न होने का क्या कारण है तथा लम्बे समय से केस पड़े हुये हैं, उनके तय न होने का दोषी कौन है तथा उनके लिए क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुरादाबाद जिले में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सर्विस

*५---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कौन-कौन से रूट्स नेशनलाइज्ड हैं और जो रूट्स नेशनलाइज्ड नहीं हैं उन पर कितने लोगों की बसें चल रही हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मुरादाबाद जिले में निम्नलिखित मार्ग (रूट्स) राष्ट्रीयकृत हैं---

१---मुरादाबाद-कांठ
२---मुरादाबाद-हसनपुर
३---हसनपुर-गजरौली-बछरावां
४---मुरादाबाद-बछरावां
५---मुरादाबाद-सम्भल
६---मुरादाबाद-संदौरा
७---मुरादाबाद--अमरोहा
८---मुरादाबाद--बिलारी
९---शाहाबाद-बिलरी
१०---मुरादाबाद-चन्दौसी

जो रूट्स नेशनलाइज्ड नहीं है उन पर ९५ लोगों की बसें चल रही हैं।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि मुरादाबाद-रामनगर रूट पर गवर्नमेंट की एक बस रोजाना अप एंड डाउन चलती है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट को इस रूट के नेशनलाइज करने में क्या कठिनाई हो रही है?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, जब किसी रूट को नेशनलाइज किया जाता है तो बहुत सी बातें देखी जाती हैं। हमें देखना होता है कि उस रूट का राष्ट्रीयकरण करने में और विभाग की गाड़ियां चलाने में लाभ होगा या नहीं। इन सब को देख कर तब राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसके बारे में अभी इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिये इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार अपनी गाड़ियों को उस समय चलाती है या उन मार्गों पर चलाती है जिसमें फायदा हो और यह ख्याल नहीं करती कि पब्लिक को फायदा हो ? यह प्रश्न मैंने इसलिये किया कि रोडवेज का ऐक्ट बना हुआ है जिसमें लिखा है कि सरकार पब्लिक की कन्वीनियन्स के लिए गाड़ियां चलायेगी। यहां पर जवाब दिया गया कि बहुत सी चीजों को देखा जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उन देखी जाने वाली चीजों में कौन सी कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर गाड़ियां चलाई जाती हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, जो योजनायें होती हैं वे सब जनता के लिए ही होती हैं और परिवहन विभाग जनता की सेवा के लिए ही बना है और जनता की भलाई के लिए बराबर देखता रहता है कि उनके लिये क्या कर सकते हैं। लेकिन किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने के पहले यह देखना पड़ता है कि वह मार्ग कितना लम्बा है, उसपर कितने पुल हैं और कितने चौड़े हैं। अगर बिना इन सब चीजों की जांच किये हुए हम खर्च करते चले जायं तो माननीय सदस्य हम से सवाल कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुनाफे को देखते हुए किसी रूट को नेशनलाइज करने की बात होती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि मुरादाबाद-रामनगर रूट पर हर आधे घंटे की सर्विस है। अगर कोई एक परमिट बेंचना चाहे तो उसके लिये उसको ७५ या ८० हजार रुपये मिल सकते हैं। इस चीज को देखते हुए क्या सरकार इस रूट को जल्द से जल्द नेशनलाइज करने का प्रयत्न करेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मैं इस कार्य में माननीय सदस्य का सहयोग चाहूंगा। वह हमें लिख कर दे दें, हम जरूर इसकी व्यवस्था करेंगे।

*६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[७वें मंगलवार के प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन क्रशर्स लाइसेन्स

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री वह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस साल कुल कितने केन क्रशरों को लाइसेंस स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने ऐसे लाइसेंस हैं जो मिलों के रिजर्व एरिया में लगे हैं?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

पेराई सत्र १९६९-७० में प्रदेश में कुल १८२५ केन क्रशरों के हेतु नये लाइसेंस दिये गये. जिनमें से १४३१ लाइसेंस चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में दिये गये।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो १४३१ क्रशर रिजर्व एरिया में दिये गये, ऐसे हैं जो फैक्टरी गेट से ५ मील के अन्दर हैं और परचेजिंग सेंटर से दो मील के अन्दर हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

सूचना की आवश्यकता होगी।

नैनी औद्योगिक संस्थान में बिजली में कटौती

*८—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने इलाहाबाद के नैनी औद्योगिक संस्थान में १ नवम्बर, १९६९ से ३० जून, १९७० तक की अवधि के लिए बिजली देने में २५ प्रतिशत की कटौती कर दी है? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इससे उत्पादन में कितनी कमी आयेगी तथा नैनी क्षेत्र (जिला इलाहाबाद) से कितने मजदूर इस काल में मिल मालिकों ने बिजली कटौती के कारण निकाल दिये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

रेजीडेंट इंजीनियर, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार नैनी औद्योगिक संस्थान में नवम्बर, १९६९ से ३० जून १९७० तक बिजली में २५ प्रतिशत कटौती नहीं की गई। अतः उत्पादन में कमी या मजदूरों की छंटनी का इस कारणवश प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम गोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९६९ से ३० जून, १९७० तक के लिए बिजली काट दी गई थी और हमने यह प्रश्न नवम्बर में पूछा था और जब आन्दोलन हुआ और यह प्रश्न यहां आया उसके बाद रेजीडेंट इंजीनियर ने बिजली दी है? क्या मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

नैनी औद्योगिक संस्थान भारत सरकार का है। जो सूचना हमारे पास आई है हमने उसके आधार पर उत्तर दे दिया है। अगर माननीय सदस्य कोई और सूचना चाहते हैं तो लिखकर दे दें हम मंगवा लेंगे।

श्री राम गोपाल संड---

नैनी में भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कई संस्थान हैं जैसे स्वदेशी काटन मिल, जी०ई० सी० और दूसरे कई एक हैं। केंद्रीय संचालित जो संस्थान हैं उसको तो बिजली दी जा रही है लेकिन दूसरे जो प्राइवेट पचासों संस्थान हैं उनकी काट दी गई है। क्या आप इसकी जांच करावेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

आपका सवाल जो था वह नैनी औद्योगिक संस्थान के विषय में था और उसके बारे में हमने सूचना मांगी थी। आप और जिनके बारे में चाहते हों मुझे लिखकर दे दीजियेगा तो हम जांच करा लेंगे।

श्री रामगोपाल संड---

मेरा प्रश्न नैनी में जितने औद्योगिक संस्थान हैं सभी के लिए था मगर रेजीडेंट इंजीनियर ने गलत बयानी कर दी। वहां पर पचासों प्राइवेट उद्योग चल रहे हैं और उनकी बिजली काट दी गई है लिहाजा मेरे बयान को आप सही मानकर जांच करालें और २५ प्रतिशत बिजली जो काटी गई है उसको देने की कृपा करें।

श्री बेनी सिंह---

आप लिखकर भेज दीजियेगा हम इसको दिखवा लेंगे।

सरकारी कोटा से प्राइवेट व्यक्तियों को स्कूटर या लम्ब्रेटा

*९---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई, १९६९ से १ नवम्बर, १९६९ तक की अवधि में कितने ऐसे प्राइवेट व्यक्तियों को गवर्नमेंट कोटा से लेम्ब्रेटा या स्कूटर दिये गये हैं जो व्यक्ति न तो स्वयं सरकारी कर्मचारी थे और न किसी सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, उनको गवर्नमेंट कोटा से देने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

१५ जुलाई, १९६९ से १ नवम्बर, १९६९ तक ६० प्राइवेट व्यक्तियों को लम्ब्रेटा या अन्य स्कूटर दिये गये। यह राज्य सरकार का डिस्क्रीशनरी कोटा होता है, जिसे उचित समझा स्कूटर दे दिया गया।

*१०---श्री जगदीश गांधी---

क्या प्राइवेट व्यक्तियों को देने के पूर्व उन सभी सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी हो चुकी थी जिनके नाम उस समय वेटिंग लिस्ट में थे ? यदि नहीं, तो गवर्नमेंट कोटा में प्राइवेट व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी नहीं । जैसा कि प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में बताया जा चुका है, वह राज्य सरकार का डिस्क्रीशनरी कोटा होता है, शासन ने जिसे उचित समझा, उसे स्कूटर दे दिया गया ।

श्री जगदीश गांधी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई से पहले का किसी विधायक का भी प्रार्थना पत्र स्कूटर के लिए था और उसको अब तक स्कूटर नहीं दिया गया और उसके विपरीत किसी प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया । विधायक को नहीं मिला और सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला और दूसरे लोगों को दिया गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि वह शासन के डिस्क्रीशन के ऊपर होता है और वह जिसको चाहे दे दे । यह अवश्य है कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नियम बना दें ताकि इस तरह की चीजें न हों । इससे पहले जरूर ऐसा रहा ।

श्री राम बचन यादव---

आज तक कितने स्कूटर विधायकों को दिये गये ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्कूटरों को देने का उचित और अनुचित कौन सा आधार है और वह किस आधार पर दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये तो उन्होंने कह दिया है कि वह डिस्क्रीशन के आधार पर दिया जाता है ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

उस डिस्क्रीशन का आधार क्या है । आखीर उसका भी तो कोई आधार होगा ही ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मैंने निवेदन किया कि ३० अप्रैल तक तो डिस्क्रीशनरी पावर का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद १ मई से उसके लिए भी आधार बनाया गया है । उसका प्रतिशत भी निर्धारित हुआ है और उसके लिए फार्म भी दिये जाते हैं जिससे किसी के साथ पक्षपात न होने पावे ।

एक सदस्य---

अभी मंत्री जी ने बताया कि डिस्क्रीशनरी आधार पर बांटे गये हैं । उस पावर को इस्तेमाल करने का क्या आधार है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राम धारी शास्त्री---

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने परमिट स्कूटरों के लिए सरकारी आदेश से दिये गये थे व सब रद्द कर दिये गये जिसमें कुछ विधायकों क नाम भी थ ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मैंने निवेदन कर दिया कि इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है । मेरी सूचना है कि जो इधर आवेदन पत्र शेष रह गये हैं उन पर कमेटी विचार करेगी और आगे भी जो आवेदन-पत्र आयेंगे उन पर भी कमेटी विचार करेगी ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कोई भी क्यों न हो चाहे विधायक ही हों उनको जो परमिट्स दे दिये गये थे वे सब रद्द कर दिये गये हैं ? उसको रद्द करने का कारण क्या है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सरकार ने और इससे पहले वाली सरकार ने जून, १९७० तक का कोटा किस-किस को एलाट कर दिया है ?

डाक्टर राम जी लाल सहायक---

इसके लिए भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

हल्द्वानी सब-डिवीजन में फौजदारी के केस

*११---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

क्या न्याय मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल के सब-डिवीजन हल्द्वानी तथा तराई में, १ जनवरी, १९६७ ई० से ३१ दिसम्बर, १९६९ ई० तक प्रतिवर्ष प्रत्येक सब-डिवीजन में दायर किये गये क्रिमिनल केसों की संख्या क्या रही तथा उनमें कितनों के फैसले हुये?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२४ पर)

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तराई सब-डिवीजन में १९६७ के मुकाबिले १९६९ में क्रिमिनल केसेज की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई है । वहां पर इन क्रिमिनल केसेज को निबटाने के लिए सरकार कौन सा निर्णय करने जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

तराई सब-डिवीजन में ६९ में ६७३ मुकदमें दायर हुये थे, ४९९ तय हुये । तो स्थिति काफी अच्छी है । १७४ जो बाकी हैं वह सन् ७० में तय हो जायेंगे ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पिछले सत्र में यह सूचना शासन की ओर से दी गयी थी कि तराई सब-डिवीजन में ६७ के मुकाबले अब केसेज की संख्या कम है, और आज जो सूचना दी गयी है उसमें संख्या दुगने से भी अधिक है, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले जो सूचना दी गयी थी उसका आधार क्या था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

तराई सब-डिवीजन में ६७ में ३१३ मुकदमें दायर हुये थे और ६९ में ६७३ हुए। जो निर्णय हुए हैं वह भी काफी अच्छा नम्बर है। और इसका दूसरा कारण कोई हो नहीं सकता।

श्री इन्द्र लाल---

श्रीमन्, पिछले सदन में यह प्रश्न रखा गया था कि तराई सब-डिवीजन से जुडीशल-आफीसर को क्यों हटा लिया गया तो मंत्री जी ने यह सूचना दी थी कि पिछले वर्ष से अब केसेज की संख्या कम हो गयी है इसलिये हटा दिया गया है। जो अब सूचना दी जा रही है उसमें कैसेज की संख्या दूनी है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कैसेज की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये, जैसे कि एक वर्ष पहले वहां एक जुडीशल आफीसर था, इन केसेज को निपटाने के लिये और शीघ्र न्याय दिये जाने के लिये क्या और जुडीशल आफीसर की नियुक्ति करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पहले जो वहां से जुडीशियल आफीसर हटाया गया था वह किन कारणों से हटाया गया इस वक्त उसकी सूचना नहीं है। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। इसमें मेरे लायक दोस्त इस बात का स्पष्टीकरण करें कि फलां तारीख को सवाल था और इस बिना पर जुडीशियल आफीसर को हटाया गया था। वैसे केस वर्क को देखते हुये भी एक अफसर से ज्यादा का काम नहीं है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या न्याय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि तराई में जो दो सब-डिवीजन-किच्छा और खटीमा खुलने वाले थे, वह कब तक खुलेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की जमानत का धन

*१२---श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन से जमानत के रूप में काटे गये पैसों के बैंक में जमा करने का कोई हिसाब नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जमानत के रूप में काटा गया पैसा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के रूप में रखा जाता है और उसका पूरा हिसाब रखा जाता है।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जमानत का काटा हुआ रुपया अब तक खजाने में कितना जमा है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस माह तक काटा गया रुपया जमा है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

३०-४-७० तक जो रुपया मिला वह प्रायः जमा कर दिया गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार की नोटिस में यह बात आयी है कि गोरखपुर रीजन में जमानत का काटा रुपया जो जमा किया गया था वह गलत तरीके से गलत व्यक्तियों ने निकाल लिया था ? अगर हां, तो सरकार को उससे कितनी हानि हुई ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी हां, यह बात सही है कि उसमें गड़बड़ हुई, गबन हुआ, यह शिकायत सरकार के पास है और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर मामला चलाया जा रहा है, मामला न्यायालय के अधीन है । माननीय सदस्य कृपया इस पर और प्रश्न न करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह जमानत का जो रुपया है वह बिना जनरल मैनेजर के दस्तखत के नहीं निकाला जा सकता लेकिन गोरखपुर में लाखों रुपया निकाला गया है और उसके बदले में एक साधारण क्लर्क को मुअत्तल किया गया है और जनरल मैनेजर से जवाब नहीं मांगा गया कि वह रुपया कैसे निकाला गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

गबन तो विश्वास के उपर ही होता है, यह सही है कि उसके लिये बड़े अधिकारी जिम्मेवार हैं लेकिन अभी इन तमाम मसलों में छानबीन जारी है, इस मामले में कुछ मसले ऐसे हैं जो न्यायालय के सुपुर्द हैं इस वास्ते इस विषय में ज्यादा चर्चा करना उचित न होगा ।

गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए प्रधान मन्त्री से प्रतिनिधि मण्डल की भेंट

*१३---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के सिंचाई व विद्युत् मन्त्री के नेतृत्व में कोई प्रतिनिधि मंडल श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री व खाद्य मन्त्री, भारत सरकार से गन्ने के दाम १० रुपये प्रति क्विंटल दिलाने के लिये फरवरी, १९७० में मिला है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा और उक्त १ फरवरी, १९७० से २३ फरवरी, १९७० तक किसानों को प्रदेश की मिलों ने अधिक से अधिक क्या दाम गन्ने का दिया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

जी हां । अभी तक राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं प्राप्त हुआ है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य क्रमशः रु० ७.३७ से रु० ७.९१ प्रति क्विन्टल तक है ।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने यदि अभी कोई उत्तर नहीं दिया है तो क्या वह दोबारा कोई पत्र केन्द्रीय सरकार को इस मांग के सम्बन्ध में लिखेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद ही बातचीत की थी लेकिन अभी तक उनकी बातचीत का कोई फल नहीं निकला है और इस सम्बन्ध में कोशिश जारी है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

केन्द्रीय सरकार से बातचीत के सम्बन्ध म बताया गया है कि मुख्य मंत्री जी न लिखा है तो केन्द्रीय सरकार को कोई कठिनाई हो रही है या वह मुख्य मंत्री जी की बात से सहमत न ने, क्या स्थिति थी मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें ?

श्री राजमंगल पांडेय—

चूंकि गन्ने की कीमत सारे भारत में गन्ने की कीमत के साथ ही तय हो सकती है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी की बातचीत के संदर्भ में सारे देश की कीमत के मामले को देखकर ही कीमत तय की जायगी, अभी कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं लिया गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि मिलों ने इस सीजन में गन्ने के अधिक से अधिक कितने दाम दिये ?

श्री राजमंगल पांडेय—

कम से कम ७.३७ प्रति क्विंटल और अधिक से अधिक ७.९१ प्रति क्विंटल के दाम दिये गये ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को जो १० रुपया प्रति क्विंटल दाम किसानों को दिलाने का सुझाव दिया गया था उसके लिये वह कब तक इन्तजार करेंगे और अगर केन्द्र से जल्द उत्तर न आये तो क्या वह किसानों को दस रुपया प्रति क्विंटल गन्ने के दाम दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

चूंकि गन्ने की कीमत तय करना भारत सरकार का काम है, इसलिये बिना उनकी स्वीकृति के कोई कीमत तय करने में यह सरकार असमर्थ है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र क्या लिखा था और क्या वह उस पत्र को सदन के समक्ष पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

एक पत्र २७-२-७० को लिखा था और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने बातचीत भी की और अभी हम उत्तर की वहां के, प्रतीक्षा में हैं और कोई दूसरा पत्र अभी नहीं लिखा गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस बात को देखते हुये कि यह जो सीजन गन्ने की पेराई का चल रहा है उसमें गन्ना किसानों को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित कीमत मिल जाय मुख्य मंत्री जी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहल करके किसानों की पिछली बकाया और आगे के क्रशिंग की बढ़ी हुई गन्ने की कीमत दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है और जब तक उनका कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं होता हम कोई चीज कर सकने में असमर्थ हैं ।

*१४-१५—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

[७वें मंगलवार को प्रश्न ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों की मांगें

*१६—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क, मिर्जापुर में ११ दिसम्बर, १९६९ से २७ दिसम्बर, १९६९ तक हुई हड़ताल को समाप्त करने के सम्बन्ध में मजदूरों की मांगे पूरी करने के निमित्त कोई कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

जो मुख्य-मुख्य मांगे थीं और जिनको सरकार ने उचित और सम्भव समझा उनको मान लिया गया और शासनादेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर मजदूरों की क्या-क्या मांगें थीं ?

श्री बेनीसिंह—

बड़ी लम्बी लिस्ट है । मैं खास-खास बताता हूं एक है वेतन मंडल के सिफारिशों के पैराग्राफ ६-२६ में जो श्रमिकों को वेतन में अनिवार्य वृद्धि का प्राविधान है, उसके सम्बन्ध में प्रबन्धकगण ने श्रमिकों की संस्थान में पूर्ण सेवा की अवधि को मान्यता देने के बजाय केवल श्रमिकों के वर्तमान ग्रेड व कटेगरी को ही मान्यता दे रहे हैं और इससे श्रमिकों की काफी क्षति हो रही है । अतएव अनिवार्य वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में श्रमिकों की संस्थान में पूर्ण सेवा को मानना चाहिये और इसी के अनुसार वेतन वृद्धि होनी चाहिये । शासन ने यह मांग मान ली है और शासन द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

दूसरी उनकी मांग यह थी कि श्रमिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि उनकी नियुक्ति तिथि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के सेवा की पूर्ति के बाद ही दी जाती है किन्तु प्रबन्धकगण ने वार्षिक वृद्धि के लिये दिनांक १३ फरवरी, १९६८ ई० को आधार मानकर उसके बाद एक वर्ष की अवधि पूरी होने तक वृद्धि करने का जो निश्चय किया है उससे भी वेतन मण्डल की सिफारिशों की अवहेलना होती है और इससे श्रमिक अपने एक वर्ष की वृद्धि से वंचित हो जायेंगे । यह निश्चय ही अवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण है ।

समस्त श्रमिकों को उनके वेतन में साधारण वार्षिक वृद्धि उनकी एक वर्ष की सेवा पूर्ण होते ही मिलनी चाहिये । जैसा कि पहले मिलता रहा है ।

उन श्रमिकों तथा कर्मचारियों को जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि १ जनवरी नहीं है उनको यह विकल्प दे दिया जाय कि या तो १३ फरवरी, १९६८ की तिथि से वेतन वृद्धि स्वीकार करें या उसके बाद की किसी तिथि से, परन्तु अनिवार्य वृद्धि की रकम का जोड़ लगाने के लिये उनकी कुल सेवायें १३-२-६८ तक ही आंकी जायेंगी । यदि वे १३-२-६८ के बाद से वेतन वृद्धि मंजूर करते हैं तो उनको बाद की तिथि तक पुराना वेतन मिलता रहेगा और पुराने वेतन में वेतन वृद्धि लेने के बाद से ही अनिवार्य वृद्धि मिलेगी और नये वेतन क्रम में उनका पारिश्रमिक तय किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । अब रहने दीजिये ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मजदूरों की मांग द्वितीय वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार ही मान ली गयी हैं ?

श्री बेनी सिंह—

आपस में समझौता होकर यह तय हुआ है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट फैक्ट्री में वर्क्स कमेटी है और अगर नहीं है तो कब तक बन जायेगी ?

श्री बेनीसिंह—

इस सिलसिले में नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वेतन मंडल की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है ?

श्री बेनीसिंह—

मैंने तो अर्ज किया कि हड़ताल होने के बाद तीनों संस्थायें बैठीं और जो तत्कालीन मंत्री थे उनके सामने मसला पेश हुआ । उन्होंने समझौता करवाया और उसके अनुसार सब चीजें तय हुईं ।

श्री गोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने वेतन मंडल की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है ?

श्री बेनीसिंह—

जितनी मांगें उचित समझी गईं वे मान ली गई हैं और वे उसमें शामिल हैं । उसी के आधार पर समझौता हुआ है ।

श्री गोविन्दसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि वेतन मंडल की सिफारिशें मानी गई या नहीं मानी गईं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई जरूरी बात नहीं है । वे कहते हैं कि स्ट्राइक हुई । मांगें उपस्थित की गईं और मांगों में जो ठीक थीं वे मान ली गईं ।

श्री गोविन्दसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है । वेतन मण्डल की सिफारिशें मंजूर की हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें वेतन मण्डल का कोई सवाल नहीं है ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

प्रश्न का उत्तर आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में प्रश्न तो यह है कि "क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेन्ट फक्ट्री, चूर्क, मिर्जापुर में ११ दिसम्बर, १९६९ से २७ दिसम्बर, १९६९ तक हुई हड़ताल को समाप्त करने के सम्बन्ध में मजदूरों की मांगें पूरी करने के निमित्त कोई कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?" इसमें तो हड़ताल के बारे में प्रश्न है ।

श्री गोविन्दसिंह—

मैं प्रश्न को दूसरी प्रकार से पूछ रहा हूं । क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों की यह भी एक मांग थी कि वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू किया जाय ? यदि हां, तो वे सिफारिशें लागू की गईं या नहीं ?

श्री बेनीसिंह—

वेतन मण्डल की सिफारिशों को मान लिया गया है और उन पर निर्देश जारी हो गये हैं ।

कानपुर जिले में बालू का ठेका

*१७—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में मौजा खरतला, दीवैल, उदईपुर, हसेपुर, चौरा, कयापुर के बालू का ठेका सन १९६९–७० में जिलाधीश, कानपुर द्वारा दिया गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और इससे सरकार को कितनी हानि हुई ?

*१८—क्या उपरोक्त गांव के बालू का परमिट भूमिधरों को जो हर साल दिया जाता था वह भी १९६९–७० में नहीं दिया गया ? इसका क्या कारण है तथा इससे सरकार को कितनी हानि हुई ?

श्री बेनीसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हल्द्वानी से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी

*१९—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक ११ अगस्त, १९६९ ई० को तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में क्या श्रम मन्त्री कृपया बतावेंगे कि क्या शासन द्वारा नियुक्त टेकनिकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं ।

श्री इन्द्र लाल—

क्या माननीय श्रम मंत्री महोदय को जानकारी है, जैसा कि ११ अगस्त, १९६९ की बैठक में इस सदन में बताया गया था कि टेक्नीकल कमेटी बनाकर फौरन ही रिपोर्ट मांग लेंगे तो क्या कृपा करके आप बताने का कष्ट करेंगे कि आठ-दस मास का अरसा हो गया है फिर भी वह रिपोर्ट नहीं आई है । यह कमेटी रिपोर्ट देने में और कितना समय लेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इस सम्बन्ध में ३ बैठकें हो गई हैं और मेरी जानकारी यह है कि छः हफ्ते के अन्दर उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो जावेगी ।

*२०—श्री गया प्रसाद तथा श्री सन्त राम—

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अस्थायी मुन्सिफ

*२१—श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मुंसिफों में कितने ऐसे हैं जो २ वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थाई न करने का क्या कारण है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस समय १०३ अधिकारी ऐसे हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से अस्थायी मुंसिफ के रूप में काय कर रहे हैं। रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण यह स्थायी नहीं किये जा सके हैं।

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स में स्टाक, टूल्स तथा प्लाण्ट्स का मूल्य

*२२—श्री राम करन (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री को इस बात की जानकारी है कि "गवर्नमेंट यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स" को, ३१ मार्च, सन् १९७० के, तुरन्त बाद ही किसी निगम के सुपुर्द कर दिये जाने की कोई योजना उनके सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस योजना की एक सूक्ष्म रूप-रेखा सदन की मेज पर रक्खेगी?

श्री बेनी सिंह—

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स को ३१-३-७० के तुरन्त बाद ही किसी निगम के सुपुर्द कर दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उक्त संस्था को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को हस्तांतरित करने का एक प्रस्ताव अवश्य विचाराधीन है पर उसकी कोई निश्चित रूप-रेखा अभी नहीं है।

*२३—श्री रामकरन (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के १ मार्च, १९७० को यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के पास स्टाक तथा टूल्स ऐंड प्लांट्स के मद में अलग-अलग कितने मूल्य का सामान है?

श्री बेनी सिंह—

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स में लेखा पुस्तकों के अनुसार स्टाक व टूल्स ऐंड प्लांट्स का मूल्य निम्नलिखित है:—

स्टाक—२०,३३,४७२ रुपये ५९ पैसे।

टूल्स ऐंड प्लाट्स—५२,८६१ रुपये।

अवैध क्रशर

*२४—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब जब सुरक्षित क्षेत्र में ही क्रशर चलाने के लाइसेंस सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं तो क्या इस आदेश के पूर्व जिन लोगों ने सुरक्षित क्षेत्रों में लाइसेंस लिये बिना क्रेशर लगा दिये थे उन पर से तत्काल मुकदमें वापस लेने का विचार कर रहे हैं?

श्री राज मंगल पांडेय—

जिन व्यक्तियों ने चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से बिना लाइसेंस क क्रशर चलाये उनके विरुद्ध चलाये गये मुकदमें वापस लेने का विषय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

फर्रुखाबाद रोडवेज क्षेत्र में ए० टी० आईज का वेतन

*२५—श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद क्षेत्र के कितने ऐसे ए० टी० आई० हैं जिनका वेतन करीब ७ व ८ साल से निर्धारित नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा कब तक वेतन निर्धारित हो जावेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

चार ए० टी० आई० का १९६४ से वेतन निर्धारण करना शेष है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । केस की परीक्षा करने व आवश्यक सूचना एकत्र करने के कारण विलम्ब हुआ । आशा है कि उनका वेतन शीघ्र निर्धारित हो जायगा ।

श्री बिहारी लाल—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन सी आवश्यक सूचना थी जो सात साल हुए, एकत्र नहीं हो सकी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ये चार ए० टी० आई० पहले क्लर्क थे । इनको पदोन्नत किया गया । इस संबंध में बहुत ही विशेष सूचनायें मांगी गईं और मुझे अफसोस है कि कानपुर क्षेत्र के अधिकारी के यहां से उत्तर नहीं मिल सका जिससे देरी हुई । मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने हमारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह कार्य बहुत जल्दी हो जायेगा ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या विभाग ने इनके सर्विस रूल्स तैयार कर लिये हैं ।

श्री रामजी लाल सहायक—

बन रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जिन लोगों के कारण यह देरी हुई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इस मामले में एक क्लर्क दोषी पाया गया और उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी तथा उसका ट्रांसफर कर दिया गया ।

*२६—श्री बैजनाथ—

[७वें मंगलवार के प्र०सं० ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी मिल, इटावा के रुई के गोदाम में आग लगने से क्षति

*२७—श्री बदन सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा स्पिनिंग मिल जो सरकार के नियंत्रण में है, के बन्द कमरे में मई, १९६९ में जो आग लगी थी, उसकी पुलिस द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बेनी सिंह—

सहकारी मिल इटावा के रुई के गोदाम में ६ मई, १९६९ को आग लग गई थी। पुलिस ने इस घटना की जांच की थी। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया और न ही पुलिस को किसी पर संदेह है। आग लगने का कोई कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

*२८—श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दुर्घटना में सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी? क्या यह सही है कि उप उद्योग निदेशक के विरुद्ध इस दुर्घटना के संबंध में कोई जांच हुई थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री बेनी सिंह—

सरकार को उपरोक्त घटना से कोई हानि नहीं हुई। इस घटना के संबंध में उप निदेशक उद्योग के विरुद्ध जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुंवर सिंह, उप उद्योग निदेशक के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२९—श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस विधायकों ने जो श्री कुंवर सिंह, उप उद्योग निदेशक के भ्रष्टाचार (४०० तोला सोना लेने) का प्रार्थना-पत्र गत जुलाई, १९६७ में दिया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

श्री कुंवर सिंह, उप उद्योग निदेशक के विरुद्ध बस विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र जुलाई, १९६७ को शासन द्वारा प्राप्त हुआ। जांच के उपरान्त उक्त आरोप निराधार पाये गये और उस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं की गई।

*३०—श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री यह भी कृपया बतावेंगे कि उप निदेशक उद्योग जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा था कि उक्त अधिकारी को एक्सपोर्टेड डेवलपमेंट अफसर का पद न दिया जाय फिर भी उन्हें उसी पद पर दिल्ली भेजा गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

"एक्सपोर्टेड डेवलपमेंट अफसर" नाम का कोई पद दिल्ली में नहीं है। "डेवलपमेंट अफसर (एक्सपोर्ट)" नाम का रु० ४००—१००० के वेतन क्रम में एक पद इस समय दिल्ली में है। उस पद पर जो अधिकारी इस समय नियुक्त हैं उन्होंने कभी कोई "उप उद्योग निदेशक" का पद नहीं ग्रहण किया। उनके संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा कोई इस आशय की संस्तुति नहीं की गई कि उन्हें विकास अधिकारी (निर्यात) के उपरोक्त पद पर नियुक्त न किया जाय।

नोटरियों की जिलावार संख्या

*३१—श्री अंगबहादुर यादव (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिलानुसार कितने नोटरी पब्लिक इस समय नियुक्त हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियुक्त नोटरी-पब्लिक की संख्या संलग्न तालिका म अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२५ पर)

*११२—श्री अंगबहादुर यादव (अनुपस्थित), श्री कल्यानसिंह तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नोटरी कार्य की अधिकता के कारण जिस जनपद में एक ही नोटरी है वहां उनकी संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक बढ़ायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर प्रदेश का नोटरी का कोटा सीमित होने के कारण नोटरियों की वर्तमान सख्या में वृद्धि करना संभव न होगा। भारत सरकार को राज्य के नोटरी के कोटे में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है और यदि भारत सरकार इसके लिए सहमत हो गई, तो विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार नोटरियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार ने केंद्रीय सरकार को लिखा है कि जिन जिलों में एक ही नोटरी है वहां उसकी संख्या बढ़ा दी जाय। अगर हां, तो उनका क्या उत्तर आया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसके लिये राज्य सरकार की तरफ से एक मेमोरेंडम भी भेजा गया है जिसमें नोटरियों की संख्या बढ़ाकर २०० कर दिये जाने की मांग की गई है। सन् १९६९ में मैं खुद भी इसके लिए श्री शुक्ल जो मिनिस्टर हैं उनसे मिला था। मगर आज तक कोई उत्तर केंद्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है बावजूद कई रिमाइंडर्स के।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में भी एक एक नोटरी नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब हमारे पास अतिरिक्त कोटा दे दिया जायेगा तभी वहां पर भी नियुक्ति करना संभव हो सकेगा वरना लाचारी है।

श्री कल्यान सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी फिर से इस सदन की भावना को प्रेषित करते हुए केंद्र को इसके लिए लिखेंगे और जल्दी कार्यवाही की मांग करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब यह प्रश्न मेरे सामने आया तो उस वक्त भी एक रिमाइंडर तत्काल भेज दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह—

इस कोटे को निर्धारित करने का आधार क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो केंद्रीय सरकार ही बता सकती है। यह सरकार बताने में असमर्थ है।

*३३—श्री राम सागर—

[७ मई, १९७० को प्र०सं० ७६ के अन्तर्गत उत्तरित]

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार में बस सर्विस सम्बन्धी समझौता

*३४—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं हरियाणा सरकार में परस्पर बसों के चलाने का कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश रोडवेज की कितनी बसें उस समझौते के अनुसार हरियाणा के लिए चलाये जाने की व्यवस्था की गयी तथा इस समय कितनी बसें चल रही हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

उक्त समझौते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी रोडवेज बसें हरियाणा के मार्गों पर चलाई जायेंगी, पर इस समय उत्तर प्रदेश रोडवेज की ३६ बस सेवायें वहां चल रही हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के यह कौन-कौन से रूट्स हैं जिन पर बसें चल रही हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह काफी लम्बी लिस्ट है, अम्बाला हरिद्वार मार्ग....

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं आप इनको लिस्ट दे दीजिये ।

श्री रामजीलाल सहायक—

ठीक है, माननीय सदस्य मुझसे मेरे कार्यालय में मिल लें, मैं उन्हें बता दूंगा ।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें एक मार्ग मेरठ–हरियाणा की तरफ का भी है, उस पर पहले कुछ बस चलती थीं, किन्तु अब बन्द हो गई हैं ? यदि यह बात सच है तो क्या फिर से चलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

वेस्पा तथा लम्बरेटा स्कूटर की परमिट के लिए प्रार्थना-पत्र

*३५—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार परमिट प्रथा को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*३६—श्री रूपनाथ सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि जुलाई, ६९ से १० फरवरी, सन् ७० तक कुल कितने आवेदन-पत्र बेस्पा और लम्बेटा स्कूटर के लिए शासन एवं परिवहन विभाग को प्राप्त हुये और उनमें कितनों को प्रायरिटी के आधार पर परमिट दिया गया और शेष के आवेदन-पत्रों पर कब तक परमिट आदेश दिये जायेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जुलाई, १९६९ से १० फरवरी, १९७० तक कुल ३,०११ प्रार्थना-पत्र वेस्पा तथा लम्बेटा के लिए प्राप्त हुए। उनमें से ६९८ लोगों को स्कूटर आवंटित किये गये। शेष प्रार्थना-पत्र आवंटन समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे और उन पर उचित कार्यवाही होगी।

बिक्री-कर विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*३७—श्री सत्तार अहमद (जिला बिजनौर)—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर विभाग में १० वर्ष या इससे भी अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

बिक्रीकर मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

ट्रेजरी अफसरों की नियुक्ति

*३८—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६७–६८ में ट्रेजरी अफसरों के कुछ स्थान रिक्त घोषित किये गये थे, और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इण्टरव्यू हुआ था तथा नियुक्ति करने के लिये सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस सूची में किन-किन को शामिल किया गया और किन-किन की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष लोगों की नियुक्ति सरकार कब तक कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां। मूल रूप से ४ नाम सूची में थे लेकिन रिक्तियां बढ़ जाने से २ नाम सूची में और शामिल किये गये। ये ६ नाम मेरिट के अनुसार तथा अन्य विवरण के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६२६ पर)

श्री महरम सिंह—

क्या मंत्री जी को पता है कि यह जो ट्रेजरी आफिसर्स का इन्टरव्यू हुआ था, वह किन तारीखों में हुआ था और तब से आज तक नियुक्तियां किन-किन तारीखों में की गई हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पब्लिक सर्विस कमीशन ने कब इन्टरव्यू लिया, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन नियुक्तियां किस-किस तारीख को हुई हैं, वह इस प्रकार है :—सर्वश्री मुनेन्द्र कुमार मित्तल, योगेश्वर नाथ भटनागर, सुशील कुमार पांडेय की नियुक्तियां २२ अक्तूबर, ६९ को हुईं, रामचन्द्र लाल श्रीवास्तव की ३१ जनवरी, ७० को और हरिशंकर प्रसाद की नियुक्ति ५ मई, ७० को हुई है।

पंचायत मंत्रियों की मांगें

*३९—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पंचायत मन्त्रियों ने अपनी संस्था की ओर से मन्त्री महोदय को कोई मांग-पत्र हाल में दिया है ? यदि हां, तो सरकार इन मांगों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिववक्ष सिंह राठौर)—

जी हां। उत्तर प्रदेश पंचायत मंत्री संघ, लखनऊ की ओर से एक मांग-पत्र दिनांक १२–३–१९७० को प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी ऐसे ही मांग-पत्र कई बार प्राप्त हुये थे जिन पर शासन द्वारा विचार किया गया। जनवरी, १९७० में भी ऐसा ही मांग-पत्र प्राप्त हुआ था। कुल मांगों पर विचार करने के बाद शासन ने सभी पंचायत मंत्रियों के वेतनक्रम ५०–७५ रु० के स्थान पर ७५–११५ रु० एक मार्च, १९७० से दिये जाने का निर्णय लिया है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के ७५ प्रतिशत पद पंचायत मंत्रियों में से ही पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं। अन्य किसी मांग का मान लेना शासन के लिये अभी सम्भव नहीं हो सका है। वेतन के बारे में शासन के उपरोक्त निर्णय को पूरी तरह कार्यान्वित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जयराम यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १२–३–७० को जो मांग-पत्र दिया गया था, उसमें मुख्य-मुख्य मांगे कौन-कौन सी थीं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

उनकी ६ मांगें मुख्य थीं। पहली मांग पंचायत मंत्रियों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाये, दूसरी मांग पंचायत मंत्रियों का वेतनक्रम १२०–२२० रु० के क्रम में रखा जाये, तीसरे केवल पंचायत मंत्रियों को योग्यता और ज्येष्ठता के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर पदोन्नत किया जाय, चौथे पंचायत मंत्रियों की सेवायें प्राचीन मानकर उन्हें स्थायी किया जाय, पांचवें उन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति अन्य सुविधायें दी जायें और छठे पंचायतराज विभाग को सामुदायिक विकास विभाग से अलग और सर्वोपरि रखा जाय।

श्री कल्यानसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह घोषणा कब तक कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवराजसिंह—

मान्यवर, जैसा आदरणीय सदन को मालूम होगा श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी के आधार पर यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण पंचायत राज इकाइयों में कर दिया जाय, उसके आधार पर पंचायत मंत्रियों को जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। शासन के अधिकार क्षेत्र में पुनः लेकर उस सिद्धान्त के विपरीत कार्य होगा और वह प्रगतिशील कार्य नहीं माना जायगा। इसलिये सरकार इस प्रश्न पर विचार करने में असमर्थ है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४०—श्री राजित राम पांडेय—

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४१-४२—श्री सुखलाल कोरी—

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ३६-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायबरेली जिला परिषद् द्वारा शीशम के पेड़ों की नीलामी

*४३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली), तथा श्री भानुप्रताप सिंह—

क्या सरकार को पता है कि रायबरेली तथा शाहजहांपुर में जिला परिषद् की कितनी शीशम गत चार महीने में नीलाम की गई और क्या यह भी सही है कि शीशमें कई हजार की थीं किन्तु कुछ लोगों को बहुत सस्ती दी गईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

गत चार महीनों में जिला परिषद्, शाहजहांपुर के शीशम के कोई पेड़ नीलाम नहीं किये गये। जिला परिषद्, रायबरेली के शीशम के ९ छोटे पेड़ नीलाम किये गये। सार्वजनिक नीलामी द्वारा इन ९ पेड़ों को २८४ रुपये में बेचा गया है। इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि इन पेड़ों की कीमत कई हजार थी और कुछ लोगों को सस्ते दिये गये।

पचीस हजार तक के बिक्री-कर का व्यापारियों को हिसाब-किताब रखने की छूट देने की प्रार्थना

*४४—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार पचीस हजार रुपये तक की बिक्री-कर व्यापारियों को बिक्री पर अधिनियम के अन्तर्गत हिसाब-किताब रखने की छूट देने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं।

ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों के पदों पर नियुक्ति के प्रत्याशी

*४५—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ई-३ वित्त विभाग द्वारा खाद्य तथा रसद विभाग हेतु मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी सहकारिता तथा पंचायत से कुछ वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों के नाम संस्तुति सहित सितम्बर, १९६९ में मांगे गये थे और उन्होंने वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों के नाम न भेज कर जूनियर सम्प्रेक्षकों के नाम भेजे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन द्वारा जुलाई १९६९ में मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी एवं परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से ११ ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों के पदों पर नियुक्त हेतु कुछ अनुभवी ग्रेजुयेट सम्प्रेक्षकों के नाम उनकी चरित्र पुस्तिका सहित मांगे गये थे। मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी ने पहले ५ ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों एवं ५ वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों (न कि कनिष्ठ) के नाम शासन को उनकी चरित्र पंजिका सहित विचारार्थ भेजे। बाद में कुछ अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी इन पदों पर जाने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे। इनमें कुछ कनिष्ठ अवश्य थे। इन आवेदनों को भी मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी ने शासन को भेज दिया।

*४६—श्री शिव सम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जनवरी, १९७० में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने वित्त विभाग को भेजने हेतु कुछ वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों के नाम संस्तुति सहित मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी, लखनऊ से संस्तुति सहित मांगे थे किन्तु उक्त अधिकारी ने वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों के नाम न भेजकर जूनियर के नाम भेजे ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी, से ७ ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक लेखा परीक्षक व १४ कनिष्ठ सप्प्रेक्षक व लेखा निरीक्षक की नियुक्ति हेतु उपयुक्त अनुभवी न कि वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों के नाम अपनी संस्तुति सहित जनवरी, १९७० में मांगे थे। मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी, ने १७ अनुभवी एवं उपयुक्त सहकारी सम्प्रेक्षकों के नाम एवं २४ पंचायत सम्प्रेक्षकों के नाम अतिरिक्त निदेशक को विचारार्थ भेजे।

*४७—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

[६ठें गुरुवार के तारांकित प्रश्न ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४८—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

[७वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४९-५०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[७वें सोमवार के लिये स्थगित]

*५१—श्री कल्यान सिंह—

[७वें मंगलवार के प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ जिले में पैनेल लाईयर के पद पर नियुक्ति

*५२—श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ में पैनल लाइयर के पद पर नियुक्ति हेतु जिस वकील का नाम जिलाधीश तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने रिकमेन्ड किया था, उसे नियुक्त नहीं किया गया और एक कनिष्ठ वकील की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिलाधीश तथा जिला जज ने पैनेल लाइयर के पद पर नियुक्ति हेतु तीन वकीलों के नाम सर्वश्री सत्यवान श्रीवास्तव, जय नारायण व जगत नारायण शुक्ल, रिकमेन्ड किये थे। उनका वकालत का अनुभव क्रमशः १४ वर्ष, ५ वर्ष व ५ वर्ष था। उन्हीं में से एक की अर्थात् श्री शुक्ल की नियुक्ति की गई। नियुक्ति के नियमों में कम से कम पांच वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है, अतएव नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई।

सुल्तानपुर-रानीपुर—मऊ मार्ग पर बस सर्विस की मांग

*५३—श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार आजमगढ़ जिले के सुल्तानपुर—रानीपुर—मऊ मार्ग पर सरकारी बसें चलाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

पंचायत आडिटरों की पदोन्नति

*५४—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि एक ही विभागाध्यक्ष (चीफ आडिट आफिसर) के अंतर्गत कार्य करने वाले सहकारी आडिटरों तथा पंचायत आडिटरों में से लगभग चौदह वर्षों के कार्यरत पंचायत आडिटरों के लिये पदोन्नति की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है जबकि उनके बाद के कोआपरेटिव आडिटरों की पदोन्नति के लिये व्यवस्था की गई और उनकी पदोन्नति भी की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत आडिटरों की पदोन्नति की व्यवस्था करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पंचायत आडिटरों की पदोन्नति की व्यवस्था पहले से ही है।

पंचायतों का आडिट

*५५—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या पंचायत राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १९६०–६१ से अब तक वर्षवार पंचायतों की संख्या कितनी थी और उनमें से प्रत्येक वर्ष कितनी पंचायतों का आडिट कराया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

प्रदेश में वर्ष १९६०–६१ से अब तक वर्षवार पंचायतों की संख्या और उनमें से प्रत्येक वर्ष जितनी पंचायतों का आडिट कराया गया है, का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६२७ पर)

रोडवेज क्षेत्र आगरा में यातायात निरीक्षकों का भत्ता

*५६—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, (जिला मैनपुरी) तथा श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज क्षेत्र, आगरा के किस-किस यातायात निरीक्षक को जनवरी, १९६९ से फरवरी, १९७० तक की अवधि का दैनिक भत्ता भुगतान नहीं किया गया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूची संलग्न है। बिलों का भुगतान आवश्यक जांच के बाद किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६२८ पर)

शाहजहांपुर जिले में गन्ना बिक्री केन्द्रों के खिलाफ शिकायत

*५७—श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले में गन्ना मिलों के पर्चेजिंग सेंटरों पर ऐसे लोग हैं जो सेंटरों के काश्तकारों से सस्ते मूल्य पर गन्ना खरीद लेते हैं और फिर अपनी तरफ से मिलों को बेच देते हैं जिससे काश्तकारों को बड़ा नुकसान होता है ? क्या इसकी रोकथाम के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह))—

जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हुई है।

मोहम्मदाबाद–चिरैयाकोट बस सर्विस की मांग

*५८—श्री भाभी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में मुहम्मदाबाद से चिरैयाकोट मार्ग पर सरकारी बसें चलाने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी नहीं ।

टैक्सटाइल मिल्स, कानपुर पर बिक्री-कर बकाया

*५९—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के टैक्सटाइल मिलों पर गत वर्षों की बिक्री-कर की कितनी-कितनी धनराशि अलग-अलग बकाया है और सरकार इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

कानपुर को टैक्सटायल मिलों पर गत वर्षों के बिक्रीकर का १०,२७,९५६ रु० ३१–३-१९७० को बकाया था । उक्त बकाया धनराशि में से ७,७४,०४५ रु० बिक्री-कर का बकाया था और २,५३,९११ रुपये अर्थ दंड का बकाया था ।

प्रत्येक टैक्सटायल मिल पर बकाया की धनराशि और संबंधित वर्षों का विवरण परिशिष्ट पर दिखलाया गया है ।

बकाया की वसूली के बारे में नियमानुसार कार्यवाही कलेक्टर, कानपुर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के समान की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६२९–६३० पर)

*६०—श्री जयराम यादव—

[७वें मंगलवार के प्र०सं० ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप-निबंधक कार्यालय, नौगढ़ को तेतरी बाजार ले जाने की प्रार्थना

*६१—श्री सन्तराम (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील नौगढ़, जिला बस्ती की जनता ने फ़रवरी-मार्च, १९७० ई० में बस्ती जिले के सब-रजिस्ट्रार, तहसील नौगढ़ के रजिस्ट्रेशन कार्यालय का स्थान नौगढ़ से हटाकर तहसील मुख्यावास स्थान तेतरी बाजार में ही करने के लिए मुख्य मंत्री जी तथा रजिस्ट्रेशन एवं स्टैम्प मंत्री को कोई आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

*६२—श्री सन्त राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आवेदन-पत्र क्या है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आवेदन-पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलबीर सिंह—

तहसील नौगढ़, जिला बस्ती की जनता द्वारा किए गए आवेदन-पत्र में मुख्य बात यह कही गयी है कि नौगढ़ बाजार में स्थित वर्तमान उप निबंधक का कार्यालय तहसील नौगढ़ के हेड-क्वार्टर के पास तेतरी बाजार में ले जाया जाये। उपरोक्त कार्यालय को तहसील के पास लाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही तेतरी बाजार में उपयुक्त मकान मिल जायेगा वैसे ही नौगढ़ बाजार स्थित उप-निबंधक का कार्यालय वहां स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। मकान के लिए निबंधक महानिरीक्षक प्रयास कर रहे हैं।

सीतापुर–महोली–बड़ागांव बस सर्विस बढ़ाने की प्रार्थना

*६३—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर वाया महोली बड़ा गांव जाने वाली रोडवेज की बसों को तथा बड़ेगांव से चतुरेहया तक चलाने का विचार कर रही है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

*६४—श्री मोतीलाल यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों का कार्यकाल बढ़ाना

*६५—श्री मोतीलाल यादव—

क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान क्षेत्र समितियों एवं ग्राम सभाओं के कार्यकाल को पुनः बढ़ाने हेतु किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगन प्रसाद रावत—

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७० द्वारा राज्य सरकार ने गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों का कार्यकाल एक वर्ष तक और बढ़ाने के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं तथा इनका कार्यकाल आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा रहा है। चूंकि शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन संस्थाओं के संगठन एवं कृत्यों पर विचार करने के बाद ही उनके अगले सामान्य चुनाव कराये जायं, इनका वर्तमान कार्यकाल बढ़ाया जाना आवश्यक पाया गया।

सिराथ के जिला परिषद् अस्पताल में डाक्टर न होना

*६६—श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत तहसील सिराथू के मुख्यालय के जिला परिषद् अस्पताल में लगभग १० वर्ष से कोई डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को अपने कब्जे में लेने का विचार कर रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां।

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्ड, अतरौली, जिला अलीगढ़ में पंचायती कर की वसूली

१—श्री कल्यान सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खंड, अतरौली में वर्ष १९६८-६९ और १९६९—७० में प्रत्येक ग्राम सभा में कितने-कितने पंचायत कर का निर्धारण किया गया और कितना-कितना पंचायती कर वसूल किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

अलीगढ़ जिले के अन्तर्गत विकास खंड, अतरौली में वर्ष १९६८-६९ और १९६९—७० में प्रत्येक गांव सभा द्वारा निर्धारित पंचायत कर एवं उसके वसूली का ब्यौरा संलग्न तालिका † में दिया गया है ।

२—श्री कल्याम सिंह—

[७व मंगलवार के प्र० सं० १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

३—४—श्री जंगबहापुर यादव—

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ११—१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रोजेक्ट अधिकारी, फूलपुर के अधीन सीनियर इन्वेस्टीगेटर

५—श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रोजेक्ट आफिसर, फूलपुर (जिला इलाहाबाद) के अधीन सीनियर इन्वेस्टीगेटर के कितने स्थान हैं और उनके कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं ?

श्री चरण सिंह—

प्रोजेक्ट अधिकारी, फूलपुर, जिला इलाहाबाद के अधीन सीनियर इन्वेस्टीगेटर के दो पद हैं जिनमें से एक ग्रामीण औद्योगीकरण योजना में तथा दूसरा प्रक्षेत्र प्रबन्ध एवं कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत है । इन पदों के कार्य एवं जिम्मेदारियों का ब्योरा संलग्न है । (परिशिष्ट 'क')

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६३१ पर)

६—श्री श्याम लाल—

[७व मंगलवार के प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायल होटल में जल कष्ट के संबंध में शिकायत

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं । छः तारीख को मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि रायल होटल में और दारुलशफा में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है । श्री मित्तल की तरफ से एक प्रार्थना की गयी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निरंतर पानी देने में वह असमर्थ हैं चूंकि नगरपालिका से सहयोग नहीं मिल रहा है । ऐसी दशा में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके द्वारा कि कुछ हैंड पंप लगवा दिये जायं जिससे हम लोगों को पानी की परेशानी न हो । रायल होटल में पी० डब्लू० डी० के ओवरसियर हम लोगों को उपेक्षा के भाव से देखते हैं । उनमें और इंजीनियर साहब में लड़ाई है । इसकी भी जांच करावायी जाय। इस तरह से गड़बड़ घोटाला हो रहा है ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री अध्यक्ष—

सूचना आपको मित्तल साहब ने दे दी । गवर्नमेंट स्टेट आफिसर की तरफ से इन्तजाम होता है । मैं फिर लिखूंगा उनको । आप रायल होटल के लिये कह रहे हैं ?

श्री सुरेंद्र विक्रम—

रायल होटल के लिए विशेष रूप से कहता हूं । दारुलशफा में भी सब को परेशानी है हैन्ड पंप लगा दिये जायं ।

सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन १९६६–६७ व१ ९६७–६८, १९६८–६९†

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन संबंधी शासनादेश संख्या ए-३००१/२५-सी एक्स० ए० ६४, दिनांक, ८ जुलाई, १९७० के पैरा ४(च) के अनुसार सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन १९६६-६७, १९६७–६८ और १९६८–६९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९७०††

परिवहन मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८०९–टी/तीस–वी–१–पी–६६, दिनांक २६ मार्च, १९७० के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९७० को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न जो कि श्री कृष्णानन्द राय वगैरह ने दिया था, पढ़ कर सुना देता हूं । "आज दिनांक ८–५–७० को" ७–५–७० होना चाहिए, यह टाइप की गलती हो गयी है । "प्रश्नोत्तर काल के अल्पसूचित संख्या एक व दो पर उत्तर व प्रश्नोत्तर चल रहे थे । जब कि श्री अनन्तराम जायसवाल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा और आपने उसकी आज्ञा प्रदान कर दी और माननीय मुख्य मंत्री को उत्तर देने को कहा, उस पर मुख्य मंत्री ने आपसे क्रोध भरे शब्दों में कहा कि आप क्यों ऐसे प्रश्नों की आज्ञा देते हैं तथा सामने बैठे हुए विरोध पक्ष के सदस्यों को गुस्से में आकर बड़े जोर से डाटा । इससे सदन का बड़ा अपमान हुआ है । अतः आप लोग विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देते हैं ।"

यह जो सम्बन्धित कार्यवाही है उसमें उनके शब्द यह हैं, मैं आपको सुना दूं ।

अध्यक्ष महोदय, दो-चार बार उन्होंने कहा क्या रिश्वत दी है ? इस तरह यह सवाल तो उन्होंने कर दिया और मुझ पर इल्जाम लगा दिया । आप उनसे वापस लेने को कहें । अगर यह शिकायत करना डाटना समझा जाय और जिन्होंने शिकायत की कई बार उन्होंने

---

†छापे नहीं गये ।
††छापी नहीं गई ।

बेईमान कहा जिसे मैंने (इग्नोर) कर के अनसुना कर दिया। सदन के अन्दर कई दफा यहां से या वहां से सदस्य कुछ कह देते हैं और रोज-ब-रोज उस पर मैं हरएक आदमी को सजा दिलाने की कोशिश करूं यह नहीं हो सकता। उसको कभी कभी (इग्नोर) अनसुना कर दिया जाता है। शिकायत है, यह उनको वापस लेना चाहिये और इन शब्दों को आपने वापस नहीं लिया, यह शिकायत हर एक मुझ से कर सकता है। मैंने यही जवाब दिया था। यही फसला इस वक्त है कि मैं ऐसे शब्द कार्यवाही में रहने नहीं दूंगा, इस प्रकार समाप्त कर दिया तो सदन का कोई सदस्य शिकायत कर सकता है, मुझे कह सकता है—लेकिन इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठ नहीं सकता। मैं इसे खारिज करता हूं।

मुख्य मन्त्री द्वारा विधायकों को तथा कथित डांट-फटकार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा एक और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है। ८ तारीख की सुबह यहां जो कुछ हुआ उस सिलसिले में कुछ मुख्य लोग मुख्य मंत्री के पास गये आजमगढ़ के। उस सम्बन्ध में मेरे पास दो तरह की बातें आई हैं। एक में कहा गया कि अच्छी तरह से हम लोगों को आश्वासन दिया गया, हमारी बातें सुनी गयीं। दूसरी बात यह आई है कि हमको डांटा गया, कहा गया कि तुमको मिटा देंगे या पिटवा देंगे। कुछ भी कहा गया हो लेकिन चूंकि सदन के बाहर की चीज है लिहाजा उस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता। बाहर किसी ने आपको अपशब्द कहे हैं तो आप मुकदमेबाजी कर सकते हैं, अदालतें खुली हुई हैं और कोई भी आदलत में जा सकता है। आप किसी के घर जायं और झगड़ा हो और यहां सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठे तो मैं समझता हूं कि वह विशेषाधिकार का मजाक उड़ाना है और इसको मैंने आपके कक्ष में ही अस्वीकृत कर दिया था।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने अभी फरमाया अगर माननीय सदस्य सदन के बाहर मारे जायं, पीटे जायं तो क्या इस सदन में आपके द्वारा आवाज उठाना आवश्यक नहीं है? कोई अधिकारी हमको बाहर अपमानित करे या डंडा मार दे तो क्या सदन में आवाज नहीं उठाई जा सकती?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्नों के जरिये उस सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

श्री बांकेलाल—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बहुत ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। मैं अपने काम को ले कर मुख्य मंत्री जी के पास जाता हूं और प्रेमपूर्वक उनसे बातचीत करना चाहता हूं तो उनको भी अच्छी तरह तथा प्रेमपूर्वक हमसे बातचीत करनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं करते तो यह कहावत चरितार्थ होती है :

"बानरो मदिरा पानम् ततो विशिचिक दशनम्"

एक बन्दर था उसने मदिरा पी लिया। उसके बाद बिच्छू ने डंक मार दिया। वह कितना नाचेगा, क्या-क्या करेगा इसकी कोई कल्पना नहीं है। उसी प्रकार मुख्य मंत्री जी राजमद के गर्व में क्या-क्या कहेंगे, क्या-क्या करेंगे इसका कोई अन्दाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में दलसिंगार यादव जी ने मेरे पास चिट्ठी भेजी है। अखबार में जो श्री चरणसिंह के विरुद्ध गंभीर शिकायत छपी है उस में दलसिंगार का भी नाम है। उन्होंने मुझ को लिख कर

[श्री अध्यक्ष]

कहा है कि कोई शब्द इस तरह के मैंने सदन में नहीं कहे और न कोई भाषण ही दिया। अखबार वालों ने गलत नाम छाप दिया है।" हम लोग मुख्य मंत्री के पास गये थे लेकिन वह कहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सुना गया, आश्वासन भी दिया और बातचीत में उनको संतोष रहा और उन्होंने सदन के बाहर या भीतर मुख्य मंत्री जी के सम्बन्ध में इस तरह की कोई शिकायत नहीं की जो अखबारों में छप गयी है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं लेकिन यहां बाहर की चीजों से मतलब नहीं है कि वह हुई या नहीं हुई। बाहर मंत्री जी के मकान पर आप जाते हैं और कुछ भी आपको शिकायत हो तो वह आपस में ही निपटने की बात है। उस पर सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आ सकता है। वह अदालत का प्रश्न हो सकता है। अगर कोई मारपीट भी हो जाय तो वहां पर यह चीज पैदा हो सकती है। दूसरे यहां पर आप की कमेटी मौजूद है उसमें आप इसकी चर्चा कर सकते हैं।

श्री बांकेलाल—

हम लोगों को यदि दुख होगा तो हम आप से ही कहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप यह कह सकते थे कि माननीय मुख्य मंत्री को आप अपने कमरे में बुलालें और मैं भी आ जाऊं तो बातचीत हो जाय और मामला खतम हो जाय, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न इस पर नहीं आ सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप उनकी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह तब नहीं आ सकता है अगर सदन की किसी कार्यवाही से ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री अध्यक्ष—

उस विशेषाधिकार के प्रश्न को खत्म कर दिया है जो उन्होंने उठाया था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह आपको अधिकार है कि खत्म कर दें। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा और न मुझे उस पर कुछ कहने का अधिकार है लेकिन एक बात है जो बेसिक बात पैदा होती है वह यह है कि जहां तक मैंने सुना श्यामलाल कनौजिया जी तथा माननीय भाभी यादव इन दोनों आदमियों ने कुछ बात कही। उसको यदि आप कार्यवाही निकाल कर देख लें और पढ़ दें तो वह बात मालूम हो जाय। अगर हम कोई व्यक्तिगत तौर पर शिकायत लेकर किसी मंत्री के पास जांय और मंत्री से हम कोई बात कहें तो मंत्री को पूरा अधिकार है कि हमारी बात सुने, हां करे या ना करे, या न सुने। जो कुछ चाहे वह करे या व्यक्तिगत तौर पर हमने क्या कहा, वह क्या काम है, यह बात अलग है। अगर मंत्री यह कहता है कि आपने विधान सभा में यह बात कही या हमारे पक्ष की बात कहेंगे या अपने दल की बात कहेंगे तब क्या होगा। उनसे यह

बात होती है तो क्या हमारे कर्त्तव्य पर, जो विधान सभा के अन्तर्गत हमारे कर्त्तव्य हैं, उनको प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करते हैं ? इस मामले में आपने फैसला दिया, ठीक है लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि माननीय सदस्यों ने जो पहले बात कही है उसको आप देख लें और देखने के बाद इन लोगों से बात कर लें। अगर उनकी बात आपको उचित लगे तो मैं यह नहीं कहता कि इसको प्रिविलेज कमेटी में भेज दें। यहां पर बैठे हुये भी मुख्य मंत्री जी गुस्सा हो जाया करते हैं। हो सकता है वे गुस्सा हो गये हों। माननीय सदस्य ने कृष्णानन्दराय जी का नाम लिया। हो सकता है कृष्णानन्दराय जी का नाम न लिया हो क्योंकि न तो मैं वहां गया था और न मैंने सुना लकिन "उसमें ऐसा हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी हमारे ऊपर गुस्सा हो गये हों या अन्य सदस्यों पर गुस्सा हो गये हों। इसलिये मैं कहता हूं कि कार्यवाही को आप देख लें और देखने के बाद आप स्वयं उसपर विचार कर लें। मुख्य मंत्रीजी के और हमारे एक ही तरह के अधिकार हैं। आज वह हाउस में उधर बैठे हैं कल यहां पर भी बैठ सकते हैं और २,४ दिन में ही ऐसा होने वाला है। यदि स्वयं किसी माननीय सदस्य को यह आभास होता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी सफाई कर देना चाहिये कि मैंने ऐसा नहीं कहा और मेरा अभिप्राय यह नहीं है या किसी माननीय सदस्य को डराने या धमकाने या प्रभावित करने का इरादा नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप कार्यवाही देख लें और आप अगर आवश्यक समझें तो मुख्य मंत्री जी स्वयं इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये जो आवश्यक कार्य है उसको आपके द्वारा करायें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा निवेदन केवल इतना है कि जब हम रोजाना सदन में कोई भी प्रश्न उठाते हैं तो माननीय मंत्री जी या मंत्रि परिषद् के सदस्य यह जवाब दे देते हैं कि वे इसके ऊपर विचार करेंगे यदि कोई माननीय सदस्य उन्हें लिख कर दे दें। तो श्रीमन्, देखा यह गया है कि जब हम लिखित रूप में देने के लिये किसी प्रश्न की पूर्ति के लिये माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं तो वहां बहुत भीड़ लगी होती है और बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिये आये हुये होते हैं। तो हमारे सामने दिक्कत यह होती है कि वह प्रश्न हम वहां नहीं पूछ सकते हैं। किसी रूप से समय निकाल कर तो हम उनके पास जाते हैं। उनके कर्मचारी और चपरासी लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत आदमी मिलने आये हैं।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

श्रीमन्, इसमें आप व्यवस्था दें कि सदन के अन्दर एक दिन में कितने प्रश्न लिये जायेंगे। इस पर अब किसी विचार करने की आवश्यकता नहीं है और जिस व्यवस्था पर बहस हो रही है उसे समाप्त किया जाय। इस एजेन्डे के अनुसार जो कार्यक्रम है तथा नियमावली व कार्यसूची के अनुसार इस प्रकार के किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता, यह मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब माननीय मंत्री जी हमें कोई सूचना सदन के ही अन्दर दे दें तो हमें उनके कमरे में न जाना पड़े। क्योंकि वहां जाकर स्थिति दूसरी हो जाती है। वहां पर सरकारी कर्मचारियों और तमाम दूसरे आदमियों की भीड़ लगी होती है नतीजा यह होता है कि वहां पर माननीय सदस्य का अपमान होता है।

श्री अध्यक्ष—

अप्वाइन्टमेंट करके आप उनके पास जाया करें ।

श्री रियासत हुसैन—

इसकी व्यवस्था होनी चाहिये । इस विषय के ऊपर आप सदन के अन्दर कह दें कि मंत्री जी उनसे मिलें और उस विषय पर गम्भीरता से विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

इस बात पर फैसला होना चाहिये । मंत्री जी के पास आपको टाइम अप्वाइन्ट करके जाना चाहिए और यह सूचना उनको पहले दे दी जानी चाहिए कि वे इस चीज के सिलसिले में वहां आ रहे हैं आप कृपा करके उसे तैयार रखें । बिना नोटिस के आप वहां जायेंगे तो वहां हमेशा भीड़ लगी ही मिलेगी । इसी से गड़बड़ी होती है ।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, हर मंत्री के यहां बाहर तख्ती पर लिखा है कि मिलने का समय ३ और ४ बजे है और इस बीच भी वे लोग वहां नहीं मिलते हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आप जो कुछ व्यवस्था दें वह शिरोधार्य है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे सदन की व्यवस्था का प्रश्न उठ खड़ा होता है । आपने इस सिलसिले में माननीय श्यामलाल जी के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में निर्णय लिया । इसका क्या आधार है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी माननीय सदस्य की बात अवश्य सुन लें और यह देखें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है अथवा नहीं । उसके बाद आपका निर्णय आना चाहिए और यही उचित भी है । मैं इसके जरिये आपके पूर्व निर्णय की याद दिलाना चाहता हूं । इस सदन के सम्मानित सदस्य माननीय सुखपाल पांडेय जी ने जिलाधीश वरुण के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था ? वह श्रीमन् ने विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया । लेकिन आज श्रीमन् ने रूलिंग दे दी चूंकि यह मामला सदन के बाहर माननीय मुख्य मंत्री के घर पर हुआ है, इसलिये उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता । इन दोनों बातों में विरोधाभास लगता है । मैंने भी इसको पढ़ा है और इससे साफ जाहिर है कि वह मामला सदन के बाहर का नहीं है । जब वह कहते हैं कि संसोपा के सदस्य, उनके नेता माननीय अनन्तराम जायसवाल और माननीय कृष्णानन्द राय की सदन में की जाने वाली कार्यवाहियों पर उन्होंने टीका टिप्पणी की । उन्होंने कहा कि ये लोग माननीय मुख्य मंत्री पर रिश्वत का आरोप लगाते हैं, झूठा बताते हैं, धमकी देते हैं, उनको पुलिस की मदद के बिना ही मार-मार कर घायल किया जा सकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस प्रकार की धमकी भरे विचार, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से और स्वतंत्र रूप से चालाने और भाषण देने में रुकावट पैदा करते हैं। अतः इसका सम्बन्ध सदन की कार्यवाही से है । समाचार-पत्र सदन की कार्यवाही के बारे में कोई बात गलत छाप देते हैं तो आप उसकी नोटिस ले लेते हैं लेकिन इस बारे में आपके पास अखबार की कटिंग भी भेजी लेकिन सदन की कार्यवाही के संबंध में आपने उसका नोटिस नहीं लिया । क्या वह बात क्या माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित थी, इसलिये क्षम्य हो गयी और वह बात चूंकि जिलाधीश से संबंधित थी इसलिये वह आपने विशेषाधिकार समिति को भेज दी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा कि यह बाद की बात है, इसलिये सदन के अन्दर नहीं हुई। उन्होंने यहां पर यही चीज उस रोज सुनाई थी। मैंने कहा था कि इसको लिख कर दे दीजिये। मैंने उसको देखा तो पाया कि सदन के बीच की कार्यवाही की बात उसमें नहीं है, केवल एक आक्षेप किया है सदन के बारे में। अगर मैं यह मान लूं कि कोई मुख्य मंत्री पागल हो गया है, तब तो ऐसी बात कह सकता है। जब मैं ऐसी चीज नहीं समझता हूं तो मैं ऐसे प्रश्नों को कैसे आने दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, सत्ता का मद ऐसा ही होता है कि उस में लोग ऐसा कर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप रोज इस प्रकार के पत्र लिख कर भेज दें कि अमुक मंत्री के पास मैं गयाऔर उन्होंने यह कहा, तो यह सदन अदालत ही हो जायगा, फिर यहां और कोई कार्यवाही न हो सकेगी। इस बारे में मैंने देखा उस बारे में नियम यह है कि सदन के बाहर जो बात होगी, उसके बारे में बाहर कार्यवाही करने का अधिकार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री नेवहां क्या बातें कहीं, कैसे कहीं, इस बात की जांच करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी से ही पूछ लीजिये कि उन्होंने कहा या नहीं?

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, सदन को यह अधिकार है कि वह यह जाने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा या नहीं।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आरोप यह लगाया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया आपने उस पर रूलिंग दे दी। वह आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन एक निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, अगर वस्तुस्थिति पर वह प्रकाश डाल दें तो मामला साफ हो जायगा। जरा वह कह दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी कह दें तो आप लोग उसको मान लेंगे? (थोड़ा ठहर कर) मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह स्थिति को साफ कर दें।

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा भी आपने पढ़ कर सुनाया, सदन के कुछ सदस्य मुझसे मिलने के लिये आये। माननीय मित्रों को यह तो तस्लीम है कि जो बात लेकर वे मेरे पास गये थे और उसका जो जवाब मैंने दिया उससे वे संतुष्ट हुए। वे एक एस० पी० के तबादले के बारे में गये थे। मैंने उनको समझाया कि तबादला इस तरह से नहीं होता। उस एस० पी० को अभी वहां गये ६ महीने ही हुए हैं। आप उनके खिलाफ जो चार्जेज हों वह मुझे लिख कर दे दें। वह रिश्वत लेता है, या उसमें और क्या गड़बड़ी है, मैं उसकी जांच करा लूंगा। और तबादला से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

कोई फायदा होता नहीं है। अगर वह दोषी सिद्ध हो जाता है तो सजा दी जायगी। ५–७ दोस्त थे, दूसरी पार्टी के लोग भी थे और दो एस० एस० पी० के लोग थे। जब यह बात खत्म हो गयी तो मुझ को नहीं मालूम किस तरह से बात शुरू हुई, यह बात जरूर है कि मैंने इनको मशविरा दिया कि हाउस में जो बातें हो रही हैं अगर यह होती रहीं तो हाउस चलने वाला नहीं है। अगर जिस तरह से एक फरीक या एक साहब की तरफ से कुछ अनरेस्ट्रेन्ड बातें, बे–लगाम कही जाय, उन पर कोई संयम न हो और उसकी प्रतिक्रिया दूसरे लोगों पर भी हो और दूसरे लोग भी इसी तरह से अपना आचरण करने लगें तो फिर हाउस नहीं चल पायेगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी। इस तरह की बात जो मैं आम कहता रहता हूं ऐसा मैंने मशविरे के तौर पर दिया। उसको अगर वह धमकी समझते हैं तो मुझको इस बात का अफसोस है, मैं कोई धमकी नहीं देना चाहता था, मेरे से छोटे थे हर तरह से, उम्र में भी, तजुरबे में भी। एक बात मेरे पास ले कर गये थे उस पर मैंने उनको मशविरा दिया था।

अपहरण एवं बलात्कार के अभियुक्त, पुलिस दरोगा सुरेन्द्र-पाल सिंह को मुकदमें के निर्णय से पूर्व बहाल करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

मछरिया रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर श्री दयास्वरूप सक्सेना ने मुरादाबाद के थाना कोतवाली पर दिनांक १ फरवरी, १९७० को यह रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक ३१ जनवरी, १९७० को उनके मुरादाबाद स्थित निवास स्थान से उनकी "अवयस्क" पुत्री मंजु को बबियन जान नामक व्यक्ति उनकी अनुपस्थिति में अपहरण कर ले गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६३ के अधीन एक अपराध दर्ज किया गया और तफ्तीश के फलस्वरूप लड़की को दिनांक २ फरवरी, १९७० को मुरादाबाद में रात्रि के ९ बजे ढूंढ़ निकाला गया। डाक्टरी जांच के फलस्वरूप पता लगा कि लड़की वयस्क थी। लड़की के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ व १६४ के अधीन दिये गये अपने बयान में बबियन जान, उसके भाई कीट जान व उनके पड़ोसी पुत्तन नामक व्यक्तियों को तथा सब–इन्सपेक्टर सुरेन्द्र पाल सिंह को मामले में आरोपित किया था। फलस्वरूप, सब–इन्सपेक्टर सुरेन्द्र पाल सिंह को पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद ने दिनांक ४ फरवरी, १९७० को निलम्बित कर दिया। उक्त मामले में उपरोक्त व्यक्तियों तथा सब–इन्सपेक्टर सुरेन्द्र पाल सिंह का दिनांक मार्च २०, १९७० को चालान कर दिया गया। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। सब–इन्सपेक्टर सुरेन्द्र पाल सिंह को दिनांक २५ अप्रैल, १९७० को सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया। ऐसा करने के लिये मुख्य मंत्री की ओर से न तो कोई आदेश दिया गया, न कोई दबाव डाला गया। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक ने भी कोई आदेश नहीं जारी किये हैं।

पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र ने सब–इन्सपेक्टर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह को एक माह के नोटिस के बदले में वेतन दिये जाने का आदेश देकर उसकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिये हैं। यह आदेश दिनांक २८ अप्रैल, १९७० को जारी कर दिये गये थे। किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता न रहने पर कोई सक्षम अधिकारी उसे एक माह का नोटिस या उसके बदले में वेतन दिये जाने का आदेश देकर उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

दफा ५१ मेंमैं ने आपके पास एक प्रार्थना-पत्र बरेली जिला, थाना बरेली के सिलसिले में दिया है जहां पर एक सैनिक की नव विवाहिता स्त्री का अपहरण किया गया और बलात्कार किया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह आप शाम को पूछें मुझ से ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७०

खाद्य उपमंत्री (श्री भगौती सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री भगौती सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६३२–६५७ पर)

१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त और अपने भाई नारायणदत्त जी, जो वित्त मंत्री हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, जैसा कि नियम है, वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के आय-व्ययक को सदन के समक्ष रखा । मैं अपनी और अपने साथियों की जो इसके विषय में राय है वह सदन के समक्ष रखना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माइक फेल हो गया है । सदन को स्थगित कर दें । इसकी भी व्यवस्था करा दें जिससे माइक जल्दी-जल्दी फेल न हुआ करे ।

श्री अध्यक्ष—

सदन १५ मिनट के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर ५० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

चौधरी गिरधारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सब से पहले तो जो इस बजट की भाषा है उस भाषा में और माननीय वित्त मंत्री की भाषा में बहुत अन्तर है । मैं जिस वक्त माननीय वित्त मंत्री के भाषण को यहां बैठा सुन रहा था तो.....

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय न तो मुख्य मंत्री जी सदन में है और न वित्त मंत्री जी ही हैं।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दूसरे मंत्री सदन में हैं।

श्री अध्यक्ष—

वित्त मंत्री को बुला लें। जिस समय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं नेता सदन उपस्थित हों तो अच्छा है। वरना वित्त मंत्री को होना चाहिए। वित्त मंत्री आ जांय।

चौधरी गिरधारी लाल—

मुझे उम्मीद थी कि इस बजट भाषण की जब वह भाषा होगी जो एक आम नागरिक की समझ में आ जायगी। अभी तक इस देश का और हमारे समाज का अंग्रेजी से पीछा मुश्किल से छूटा है और हमेशा उसकी वहज से कुछ ऐसा रहा है कि आम जनता और सरकारी लोगों में एक बड़ा अन्तर सा रहा है। इस बार मैं समझ रहा था कि वित्त मंत्री जी में कुछ नये जजबात हैं, युवक हैं और रूढ़ियों से तथा सरकार परस्ती से दूर होकर हम लोगों को नया मार्ग दिखायेंगे लेकिन जिस वक्त मैं उस बजट को देखने लगा तो मुझे तो हैरत हुई कि यह बजट उन सेक्रेट्रीज और उन सचिवों, और कैबिनेट की समझ में आना मुश्किल है जिनके बिहाफ पर जिनकी तरफ से यह बजट सदन में उपस्थित है और जिस बजट के मार्फिक पूरे वर्ष का काम हमारे सूबे में होने जा रहा है। मैं समझता हूं यह बजट इंगलिश में बनाया गया है, इंगलिश में सोचा गया है और उसके बाद उसका बजाय ट्रांसलेशन करने के ट्रांसलिटरेशन हुआ है। जिस वक्त मैं कैबिनेट का सदस्य था तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया और मेरे साथी, मेरे दोस्त जो कि इस वक्त नेता सदन है उनके ऊपर हमेशा उस बात की प्रतिक्रिया पाता रहा।

इस सरकार में और इस प्रणाली में—मैं तो यही कहूंगा कि मैं भी इसका साझीदार हो सकता हूं अगर मैंने इसका विरोध नहीं किया—जनता की प्रतिक्रिया जो मेरे ऊपर थी उन पर भी, नेता सदन पर भी, रही है। वह उससे दुखी थे और उन्होंने दुखी होकर एक नेतृत्व दिया उस समय संविद की सरकार उन्होंने बनाई। उसमें बहुत से घटक यहां पर थे। अब पूरे तौर पर इस बजट को वे पेश कर सके इसलिये इस बजट के जरिये से बहुत सी बातें आपके, अपने साथियों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो है वह है भाषा की बात। इसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो साधारण व्यक्ति की समझ में आ ही नहीं सकती है। मैं तो यह कहूंगा कि वह तो ट्रान्सलेशन भी नहीं है बल्कि ट्रान्सलिट्रेशन है। मैंने दिल्ली के गवर्नमेंट आफ इन्डिया का भी बजट देखा और दूसरे स्टेट्स का भी बजट देखा। उनमें देखा कि उनके अन्दर एक सरलता है जिस पर एक निगाह के पड़ते ही आदमी समझ जाता है कि क्या बजट है। उसका भाव आदमी के समझ में एक नजर में आ जाता है। मैं इस ख्याल से इस बात को नहीं कह रहा हूं कि कोई इसको बुरा माने बल्कि इस ख्याल से कह रहा हूं कि इसके तरीके में सुधार होना चाहिये। जिस प्रकार से लोग अपने को जस्टीफाई करने के लिये मन माफिक भाषा को ठूंस देते हैं और उनका यह ख्याल नहीं होता कि कोई इसको समझे अथवा नहीं यह तरीका ठीक नहीं है कि इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये कि उसमें कोई भी शब्द ऐसा न रखें जो कोई न समझ पाये। 'आय-व्ययक' 'लेखा' ऐसे शब्द भी कोई जरूरी नहीं हैं। बल्कि इनका सरल और समझने वाला रूप होना चाहिये। जब हमारे नेता पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने इसकी शुरुआत की तो वे जो पर्यायवाची सरल रूप हो सकते थे उनको ही प्रयोग में लाने के लिये विशेष जोर उन्होंने दिया। मैंने जब वित्त मंत्री का व्याख्यान देखा तो मालूम हुआ कि उन्होंने ७०—७१ का जो अनुमान दिया है वह ४६७ करोड़ ३४ लाख रुपये का

राजस्व से आमदनी का है ४१८ करोड़ राजस्व से व्यय है। ४८ करोड़ ६३ लाख की बचत कैपिटल एकाउन्ट से एक्सपेन्डीचर के बाद २३ करोड़ ७२ लाख के घाटे में बदल जाती है। इसकी पूर्ति के लिये लिखा है कि राजस्व से और इक्सेस से करेंगे। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन का भी उन्होंने जिक्र किया है। दो बातें हैं। उन्होंने भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी। उन्होंने हर स्टेट का, हिन्दुस्तान का बजट देखा था और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आपका जो बजट है और जो पिछला बजट था उसको देखकर उसका अन्दाजा लेकर बजट बनाया गया है। यह जो क़ायदा है वह गलत है। कैपिटल इक्सपेन्डीचर का जो अन्दाजा आता है वह आमदनी से बढ़ कर आता है। उसको वैसे का वैसा रख लिया जाता है और जो आमदनी दिखलाई जाती है वह घटाकर दिखलाई जाती है। जो कुछ खर्च करने के लिये होता है वह फाइनेन्स डिपार्टमेंट में जाता है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट का एक खास रुख है और वह रुख उनका हमेशा से यही रहा है कि नकारात्मक तरीका वह अपनाते हैं। ऐडमिनिसट्रेटिव आफिसर्स हमेशा से मांग करते रहे हैं जो सेक्रेटरी के लेबिल पर आता है और फिर मिनिस्टर के लेबिल पर आयेगा। जो चीज उनके रुख में फिट होगी वह हो जाएगी, बाकी सब को काट कर फेंक दिया जाएगा। इसमें ज्यादा समय खराब होता है।

और भी बहुत सी बाते हैं। वर्किंग की खराबी की वजह से जितना खर्चा एस्टीमेट में आता है उतना नहीं हो पाता। रेवेन्यू साइड कम दिखलाई जाती है, लेकिन वास्तव में जिस वक्त आमदनी होती है वह बढ़ जाती है। पिछले वर्ष का बजट देखें। आखीर में यह भी सरप्लस हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस् कमीशन ने भी इस बात को कहा है। उसने यह भी कहा है कि आगे के लिए इस बात की भी जरूत है कि वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म होकर अप्रैल में शुरू होने के बजाय अक्तूबर में शुरू करना चाहिए जबकि दिवाली होती है। उससे बजट अच्छा बनेगा।

तो सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि यह आंकड़े भ्रमात्मक हैं। वास्तव में यह डेफीसिट बजट नहीं है। श्रीमन्, आज हमारे सूबे में जो फायनेन्शियल कंडीशन है, यह एक बड़ी पैराडाक्सीकल बात है, हिन्दुस्तान के बहुत से अच्छे सूबो से भी हमारी फाइनेशल कन्डीशन अच्छी है। हमारे सूबे की औसतन आमदनी जो है वह गिरे से गिरे सूबो में नीचे से दूसरे या तीसरे नम्बर पर है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों की जहां जिम्मेदारी है वहां इस विभाग की भी जिम्मेदारी है। यह विभाग बहुत कंजरवेटिव है। उसमें फायनेन्स के एक्सपर्टस् नहीं हैं, उनका आउटलुक इकानामिक नहीं है। श्रीमन्, एक कहावत है 'चमड़ी जाय दमड़ी न जाय।' वही बात है। हमारा खुद का तजुर्बा है। मेरे सब साथी इस बात से सहमत होंगे कि जैसा रुख अख्तयार करना चाहिये वैसा नहीं होता। तो मैं कह रहा था कि हमारी फायनेन्सियल कंडीशन और बहुत से राज्यों के मुकाबले में बहुत अच्छी है। करीब ७०० करोड़ रुपए के असेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटीबोर्ड में और जहां-जहां स्टाक्स है वसूली के लिए पड़ा है। २०० करोड़ रुपया रिजर्व फन्ड के अन्दर पड़ा हुआ है। वाल्यूम २ के पेज १७५–१७४ पर देखें तो सिंकिंग फन्ड के नाम पर ३१ करोड़ रुपया अनइन्वेस्टेड है, ३४ करोड़ रुपया स्टाक्स और सीक्योरिटीज में है, कुल मिलाकर ६५ करोड़ हो जाता है। इसके अलावा पेज १७४ पर जो रिजर्व फन्ड है इसमें ८७ करोड़ रुपया अनइन्वेस्टेड पड़ा हुआ है और २२ करोड़ इन्वेस्टेड है। दोनों मिलाकर १०९ करोड़ होता है। ऊपर और नीचे का योग इस तरह से १७४ करोड़ हो जाता है। सीक्योरिटीज में ११८ करोड़ अनइन्वेस्टेड पड़ा हुआ है। तो आज के इस युग में मेरे पास अगर २ रु० भी है और वह समाज के काम में नहीं आता, बैंक या स्माल सेविंग्ज में नहीं है, तो वह उचित बात नहीं है। स्माल सेविंग्ज का बहुत उपदेश दिया जाता है। लेकिन यह रुपया न तो स्टाक्स में है, न बैंक में है, बल्कि अनइन्वेस्टेड पड़ा हुआ है। इस के अन्दर किसी प्रकार का सूद भी नहीं आता और न इस का कोई इस्तेमाल ही है। आगे हम बजट को पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे यह न मालूम होता हो कि आज भी विभाग अपने उसी रूढ़िवादी और दकियानसी तरीक़े से काम कर

[चौधरी गिरधारी लाल—]

रहा है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और आज भी विरोधी दल के नेता होने के नाते मुझे अपने यह विचार सदन के सम्मुख रखने पड़ रहे हैं। जिस तरह से इस में इनकम और एक्सपैंडिचर साइड को दिखाया गया है उससे मालूम होता है कि वह वास्तविक स्थिति नहीं है और जैसा कि ए० आर० सी० रिपोर्ट बताती है और जो बजट की पुरानी कहानी है वह मैं बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी और हम बाद में देखेंगे कि यही बजट बाद में सरप्लस बन जायगा। इसके अलावा सदन इस तरफ भी ध्यान दे.....

श्री कल्यान सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी पहले जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इस समय नेता सदन यहां नहीं हैं, उस पर आपने अभी आदेश दिया था कि उन को बुला लिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके आदेशों और निर्देशों का ही यदि मुख्य मंत्री जी इस तरह से पालन नहीं करते तो यदि आप को इस कुर्सी की गरिमा को रखना है तो आप कृपया निर्देश ही कम दिया करें, नेता सदन ही नहीं हैं बल्कि यहां कोई चपरासी तक नहीं है, नेता विरोधी दल पानी पीना चाहते हैं और पानी देने वाला चपरासी तक गायब है। आप बेकार ही मुख्य मंत्री जी को आदेश देते हैं वह आदेश मानने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह यहां अभी नहीं आये हैं लेकिन दूसरे मंत्री आ गये हैं, आपने कहा था कि वित्त मंत्री जी भी नहीं हैं, वह तो आ गये हैं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रति वर्ष की भांति बजट सदन के समक्ष विचाराधीन है और नेता विरोधी दल अपने विचार उस पर सदन के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं, वह बहुत से अच्छे सुझाव दे रहे हैं और इस समय नेता सदन का सदन से अनुपस्थित होना...

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी अगर यहां रहे और आ जांय तो अच्छा है और वित्त मंत्री जी तो मौजूद हैं वह नोट कर लें।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि मुझे यहां आने में २–३ मिनट का विलम्ब हो गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी भी एक अत्यन्त ही आवश्यक कार्यवश नहीं आ सके हैं वर्ना वह अभी तक आ गये होते, वह आते ही होंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, बजट से बढ़कर और क्या आवश्यक कार्य हो सकता है। यह सारे प्रदेश का काम है? बड़ी संतुलित भाषा में आप बड़ी मेहरबानी कर के कह रहे हैं और क्या काम है, मंत्रियों को यहां बैठना चाहिये था, इस के माने हैं कि सदन के काम को वह ठीक से संचालित नहीं होने देना चाहते। जब वह यहां सुनने को नहीं हैं तो कौन सुनने वाला है, इस तरह से कैसे सदन का काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष—

वित्त मंत्री जी उन को सब बता देंगे जब वह उत्तर देंगे।

चौधरी गिरधारी लाल—

आप देखें कि इस बजट में टेक्निकल एक्सपेंडिचर बहुत कम रखा गया है। यह जो ९५ करोड़ रुपया इस में रखा गया है उसमें से ६१ करोड़ ७५ लाख रुपया बचता है और आप देखें कि इसमें कुल २३ करोड़ ७२ लाख रुपए का घाटा दिखाया गया है और उस को पूरा करने के लिये नये करों का इशारा किया गया है। अभी वित्त मंत्री जी नवयुवक हैं और उन्होंने इधर से भी काम किया है, मैं चाहता हूं कि वह एक स्वतंत्र दिमाग से काम करें और मैं बहैसियत नेता विरोधी दल के उन के हाथ मजबूत करना चाहता हूं और उन को बताना चाहता हूं कि वह इस चीज को एक अच्छे तरीके से देखें और समझें। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि आज तक यह बात हुई है और सूबे के पिछड़े रहने में इस चीज का बड़ा भारी हाथ रहा है। हमारी सेल्फ जेनरेटिंग एकनामी हालांकि बहुत ऊंची रही है लेकिन जो तरीका यहांकी एकनामी को चलाने का अख्तयार किया गया है वह कनजरवैटिव तरीका रहा है। हमारे देश में इस प्रदेश का ऊपर से दूसरा और तीसरा नम्बर है लेकिन पर केपिटा आय के हिसाब से हम नीचे से दूसरे तीसरे नम्बर पर पहुंच गये हैं। यदि हमारी आर्थिक विचारधारा और फाइनेंशियल कंट्रोल और पालिसी ठीक होती तो हमारी पर केपिटा आय बजाय २४८ रुपए के ७७० रुपया होती लेकिन यहां की जो आज की लीडरशिप है वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाओं से दुखी और परेशान रहती है। हमारे मुख्य मंत्री जी कभी समाज से दुखी रहे हैं, कभी लीडरपिश से परेशान रहते हैं। मैं उन की परेशानी को समझता हूं। आज उनको इस बात का परिचय देना चाहिए था कि उनकी सरकार का यह एक रेवोल्युशनरी बजट है। हमारे यहां पर जो सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड में रुपया पड़ा हुआ है, उसका कैपिटल ऐक्सपेंडिचर में प्रयोग होना चाहिये। आप इसको किसी फाइनेन्शियल एक्सपर्ट से अगर सलाह लें तो वह भी यही कहेगा। इसलिये इसको आप अच्छी तरह से देख लें। आप कहेंगे कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है। ९०० करोड़ रुपये का कर्जा है। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपने भी तो ७०० करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे रखा है। उसका भी इन्टरेस्ट आता है न उससे कोई फायदा राज्य की आमदनी में होता हैं। हमारे प्रदेश की फाइनेन्शियल कन्डीशन ऐसी नहीं है जैसा बजट में बताया गया है। इसके अलावा हमको रैवैन्यू पैदा करना चाहिए। अपने रेवेन्यु को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है।

जहां तक चौथी प्लान का सम्बन्ध है वह पहले ११०० करोड़ रुपये की बनी थी। इसको घटाकर ९५० करोड़ रुपये का कर दिया गया है। यह प्लान बहुत दिनों से चल रह था और इसको १० १/२ –११ सौ करोड़ तक ले आये थे और इसको और बढ़ाने का ख्याल हो रहा था। अगर हमने इसी तरह से किया तो फिर हमारी कन्डीशन वही रहेगी जैसी चली आ रही है, इससे बदतर भी हो सकती है।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स की बात कही गयी है हम कुछ उससे भी सबक ले रहे हैं। लेकिन हमने उसका कहीं भी संकेत नहीं पाया है। जो ग्रान्ट्स लैप्स हो जाती हैं उनको नहीं होने देना चाहिए। उसके लिये भी कोई विशेष हिदायतों का जिक्र है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन नें फाइनेन्शियल एकाउन्ट्स केबारे में काफी रोशनी डाली है। उसने कहा है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट के अन्दर एक तरफ जर्नलिस्ट्स हैं और एक तरफ स्पेशलिस्ट्स हैं। तो ये हर स्थान पर जा कर देखें कि किस टैक्सपेयर के ऊपर हमारे टैक्सेज का कितना कितना असर होगा। कोई एक मीटर होना चाहिये वहां पर एक सेल ऐसा होना चाहिये जो इस बात को देखे कि वहां पर टैक्स की गुन्जाइश है या नहीं। वह भी देखे कि हम उनको उतनी सर्विस दे पाते हैं अथवा नहीं। उसे यह भी देखना चाहिये कि किसी महकमे के अन्दर से जो प्रोपोजल आते हैं, उनका इम्पैक्ट या असर जनता पर हमारी पौलिसी का ठीक पड़ता है या गलत। हमें यह भी देखना चाहिये कि अलग-अलग महकमें में किस किस मद को प्रायरिटी देनी है। प्रदेश में एक इकौनौमिक सेल बनना चाहिए जो हर चीज को देखे, हम महकमे के बजट को देखें, एकाउंटिंग को देखें और उन्हें खुद उन महकमों का ज्ञान काफी हो। एग्रीकल्चर का महकमा है,

[चौधरी गिरधादी लाल]

इर्रीगेशन का महकमा है, पावर का महकमा है, पी० डब्लू० डी० का महकमा है, फारेस्ट का महकमा है, इनके अन्दर करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता चला जाता है और वहां पर बहुत असेट्स पड़े हैं। आज केन्द्र में हमारा कितना सामान किस किस महकमें का कहां-कहां है इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम बिजनेसमैन को कन्डेम जरूर करते हैं लेकिन उस किस्म के समाज में रहते हुए जो उन की अच्छी बातें हैं उनसे दूर हैं। आप स्टेट के नुमाइन्दे हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे टोटल असेट्स किस किस विभाग के कहां-कहां हैं। हमारी इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट की करोड़ों रुपयों की मशीनें पड़ी हुई हैं, इसके बारे में इर्रीगेशन के कुछ लोगों को पता है लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को उसका कोई ज्ञान नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने इस तरफ भी आपका ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा है कि वे इन तमाम बातों को देखें। दो-दो, तीन-तीन महकमों को किसी लाइन पर गाइड करें। वहां पर भी इसी किस्म के विशेषज्ञ हैं। फाइनेन्स के आदमी वहां हों, वे ट्रेन्ड हों। कास्ट अकाउटिंग को जानते हों। परसोनेल मैनेजमेन्ट की तमीज रखते हों और उनके जो प्रोपोजल बनकर आते हैं वे ठीक प्रोपोजल होने चाहियें। उनको पता होना चाहिये कि हमारी मार्केट के अन्दर रा-मैटीरियल है या नहीं। लोगों में टैक्नीकल कैपेसिटी है या नहीं वे। इस बात को अच्छी तरह देखें। तब उनके प्रोपोजल को मंजूर करें और वहीं हाथ के हाथ खत्म करें। इस किस्म की चीजें थीं जिन पर काफी रोशनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने डाली है और मैं समझता हूं कि वह बहुत ठीक है। उस तरफ वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिये। उससे एकनामिकली टैक्सपेयर के पैसे का सदुपयोग होगा।

वित्त विभाग ने इसका जिक्र किया है और शुरूआत की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने सलाह दी है और कहा है कि हम ऐसी कोशिश भी करते हैं। मैं कहता हूं कि इस बात को खास तौर से देखने की बात है। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग ऊपर है। गवर्नमेन्ट प्लान्ड और नान प्लान्ड तरीके से बंटी हुई है। कुछ नान प्लान्ड आइटम्स ऐसे हैं जिनको जो मंत्री जी उससे संबंधित हैं वे उसको जिस तरीके से चाहें चला सकते हैं। उसका न तो प्लानिंग कमीशन से सम्बन्ध है और न ही और कोई उसका वारिस है। जसे पुलिस का मुहकमा है जिसका मुझे कोई खास अन्दाजा नहीं है।

आपसे मैं यह बतला रहा था कि प्लान्ड और नान-प्लान्ड दो किस्म के आइटम्स हैं। पुलिस विभाग में भी वही बात है। पुलिस विभाग में वास्तव में देखा जाय तो इसमें हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त, मिस्टर चरणसिंह का दोष नहीं है। दोष तो यह है कि जिस तरह से आजादी हमको नान-वायलैन्ट तरीके से मिली है और जो विरासत में हमको मिल गई है ब्यूरोक्रैसी, जो कि नैवेल फोर्स फौज और, सामन्तवाद के ऊपर निर्भर थी लेकिन वह तो खत्म हो गई है लेकिन ब्यूरोक्रैसी हमारे देश में कायम है। उसमें काफी तब्दीली की जरूरत है। एक तो हमारे साथी जिनको असहास होता था जगह-जगह पर, अब भी उनकी मजबूरी हो सकती है।

जरूरत आज पूरे ढांचे को बदलने की है। आज आप भी इस स्वतंत्र समाज के अन्दर पालिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग-अलग नहीं कर सकते। हमारी पालिटिक्स का प्रभाव एक-एक आदमी पर पड़ता है। इन ११ करोड़ नागरिकों को पहले पहल कौन डील करता है? उनको डील करता है एक पुलिस का कान्सटेबिल, पटवारी, थानेदार, कानूनगो, चपरासी। किसी अफसर से भी मिलने के लिये यदि कोई आयेगा तो पहले उसको एक चपरासी से डील करना होगा। बाहर के एक नागिरक यहां डाकखाने में आये, उनका कुछ काम था, उनको काफी परेशान किया गया, किसी ने कहा आपका काम वहां होगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, आज हमारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, आप कृपया यह बतायें कि एक नागरिक को जो पटवारी या कान्सटेबिल आदि से सीधे सम्पर्क करना पड़ता

है तो वह न होकर सीधे उनसे कौन डील करे और उसका क्या इलाज है, कुछ इसपर भी हम सुनना चाहते हैं ।

चौधरी गिरधारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सन् ७१ तक ११ करोड़ की आबादी हमारे सूबे की हो जायेगी, इस समय ९–१० करोड़ के लगभग होगी इसको सीधे डील छोटे कर्मचारियों से करना पड़ता है । गांधी जी ने हम लोगों की भावना को बदलने के लिये एक रिवोलूशन पैदा किया था । आज अगर उनका जैसा एक भी आदमी पैदा हो जाय तो आपका चरित्र बदल जायेगा । आज क्या होता है, आज अगर एक पुलिस का कान्सटेबिल आपके पास शिकायत लेकर चला आता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है । आपने कभी छोटे मुलाजिमों की तकलीफों को जानने की कोशिश की ? आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना चाहते हैं ? आज पालिटिक्स भारत वर्ष की दूषित है । जनता की नजरों में हम लोग गिर गये हैं । अपनी पालिसी की सफाई के बगर, बिना अपनी नीति जनता को बताये हुये, यदि हम डेमोक्रेसी को चलाना चाहेंगे तो वह नहीं चल सकेगी । आज जनता को पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है ? सरकारी कर्मचारियों की हालत यह है कि उनको भी यह पता नहीं आज यहां हैं, कल कहां ट्रांन्सफर हो जाय । एक-एक मिनट में सेक्रेटरीज का ट्रान्सफर कर दिया जाता है । सैकड़ों पुलिस वालों के केसेज हैं—कोई पूर्व से पश्चिम आता है, कोई पश्चिम से पूर्व आता है । अभी मुरादाबाद की बात आई एक रैप के केस में एक थानेदार मुअत्तल होता है, बाद में यहां से वायरलेस जाता है और वह रुक जाता है । मैं नहीं जानता कि यह कहां तक ठीक है, मुख्य मंत्री जी उसे देखें अखबार में निकला है, पता नहीं वह "स्वतंत्र भारत" अखबार यहां है या नहीं है उसमें निकला है । दफा ५२ के सिलसिले में भी वह चीज यहां पढ़ी गई है । इसी प्रकर से एक केस थानेदार नूरपुर का था जिसे मैंने मुख्य मंत्री जी के पास भेजा है । धामपुर का केस था । उसमें थानेदार के खिलाफ केस को खत्म कर दिया गया । क्यों यह हुआ ? क्योंकि वह एक जाति विशेष से सम्बन्धित था । उस थानेदार का एक जाति विशेष से सम्बन्ध था—

श्री चरण सिंह—

माननीय मित्र अभी तक तो फिलासफी की बात कर रहे थे । अब आगये हैं सब इंस्पेक्टर पर कि यहां से कोई वायरलेस चला गया । आप क्या साबित करेंगे ? इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई वायरलेस यहां से नहीं गया । यह बेबुनियाद बातें हैं । इस सम्बन्ध में डी० आई० जी० ने २८ अप्रल को उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी । जो आप कह रहे हैं उसका मुझे कोई इल्म नहीं, फिर भी आप चार्ज लगा रहे हैं । यहां पर उसकी सफाई में जवाब भी हो गया, फिर भी आप चार्ज लगा रहे हैं ।

चौधरी गिरधारी लाल—

इसमें इतनी तुनकमिजाजी की क्या बात है, आप तुनक क्यों रहे हैं । इसी प्रकार का एक मामला बिलारी के बारे में भी निकला है अखबारों में । यदि आप इन्हें गलत समझते हैं तो अखबार में उसका कन्ट्राडिक्शन निकलवाइये । इस वक्त अजीब सी हालत है । मैं नहीं कहता इसके लिए आप दोषी हैं, पूरा समाज दोषी है । जातीयता का विष चारों तरफ फैला हुआ है । लेकिन इससे कौन सफर करता है ? इसका असर उस गरीब पर पड़ता है जिसका कोई वारिस नहीं है । भले ही संविधान में दिया हो । जो हालत है, उन्होंने कहा उसका रास्ता क्या है ? मुझसे रास्ता जानना चाहेंगे तो वह भी बता दूंगा, लेकिन मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं आपको अपनी सूचना बताऊं । आप पूरे सूबे की सरकार चला रहे हैं इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये । आपको विरोधीदल की बात को जानना चाहिये, आपका कर्त्तव्य है, आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं । मुझे अधिकार है कि मैं आपके सामने अपनी वेदना और जनता के दुखों को रखूं, आप उसका इलाज निकालें । आप बहुत दिनों से जाति प्रथा

[चौधरी गिरधारी लाल]

के विरोधी रहे हैं। एक सोशल रेब्यूलेशन होने की जरूरत है। इसके लिए यदि आपके हृदय में वेदना है तो आप इसके लिये कठोर कदम उठायें। दिल्ली चिठ्ठी लिखने से कि नौकरी उसे मिलेगी जो अन्तर्जातिय विवाह करेगा, काम नहीं चलेगा। आपको इसके लिए तन मन से कठिन प्रयास करना पड़ेगा। आज यह होता है कि जिस जाति का आदमी टाप पर बैठा होता है, उस विभाग में उसी जाति के आदमी नीचे से ऊपर तक भरे जाते हैं, उन्हीं का वह हित होता है।

(इस समय १ बज कर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

जब तक इस प्रकार के कदम नहीं उठाएंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता।

आपने जिक्र किया था कि आप प्रशासन के सुधार की बात सोच रहे हैं। इसलिये मैंने आप को बतलाया कि जहां आप प्रशासन के सुधार की बात सोच रहे हैं वहां इस बात का भी ख्याल रखें, कि इस वक्त हमारे सूबे की क्या हालत है। जिस वक्त आप सुधार करें, उस वक्त इन तमाम बातों की तरफ ध्यान दें। मेरा मतलब डाइरेक्ट आपसे नहीं था। आज आप हैं, कल मैं भी वहां हो सकता हूं। यह किसी की जमींदारी थोड़े ही है। मैं आपसे बतला यह रहा था कि इस किस्म का ढंग है कि सबसे नीचे आदमी को सबसे कम वेतन मिलता है। उसको किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। जब मैं कहता हूं, तो कहते हैं कि रास्ता बताइए। मैं कहता हूं कि सदन के नेता को स्थिति मालूम होना चाहिये और वह कोई रास्ता निकालें। आपके सामने चैलेंज है या तो अपने दिल की वेदनाओं को चपरासियों तक को बतायें, कि इस तरह से होना चाहिये। चपरासी को भी मालूम हो कि देश के अन्दर मेरा इतना कन्ट्रीब्युशन होगा। आज सबकी सब नौकरशाही कठपुतली की तरह हैं। वह तिरस्कृत होते हैं, ठोकरें खाते हैं। इस पर सोचने समझने, रास्ता निकालने की जरूरत है। आप, डाइरेक्टली जो आपके नजदीक हैं उनसे विचार विनिमय कर सकते हैं, वे आपको सलाह दे सकते हैं। आपने खुद ही जो बजट स्पीच दी थी, उसमें कहा था कि यहां जातीयता है। आई० जी० पुलिस की बाबत देख लें, हेड आफ दि डिपार्टमेंट है उसका सस्पेंशन हो रहा है, इंजीनियर हटाए जा रहे हैं। ये चीजें अवाम के दिल में अनिश्चितता पैदा करती है।

डेमोक्रेसी में बड़ी सफाई की पालिसी होनी चाहिये, स्थिरता के साथ चीज होनी चाहिये। डेमोक्रेसी में अपने विचारों को रखने की आजादी होनी चाहिये। समाचार-पत्र अगर स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख देते हैं तो नेता सदन को बुरा लगता है। मैंने सुना और मैं कह रहा हूं। इसको कंट्राडिक्ट करें। वह डाइरेक्टर आफ इनफार्मेशन को बुला कर कहते हैं कि जो विज्ञापन दिये जाते हैं, इसको न दिये जाएं और इससे भी अधिक जो अधिकार हों संवाददाता की चटनी बनाने की कोशिश करें। गलत है तो कंट्राडिक्ट करें। डेमोक्रेसी के अन्दर ये चीजें शोभा नहीं देतीं। ऐसी बातें इस वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिसके विषय में आपका ध्यान खींचना है।

आपने कहा कि कोई रास्ता बताऊं। आप कोई आयुक्त नियुक्त कर दें। वह सोचेगा। आज चन्द्रमा के अन्दर आदमी पहुंच गया है। क्या हम इन चीजों का इलाज नहीं निकाल सकते? यह कहने की बात है कि देश के अन्दर फलां मर्ज है, जिसका इलाज नहीं है। इस देश के अन्दर दिमाग नहीं है, कि जातिपांति को खत्म करें, यह कहने की बात है, क्योंकि वेस्टेड इन्टरेस्ट है।

अध्यक्ष महोदय, ये नान प्लांड आइटम्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था और पुराने ढर्रे पर ही ये चल रहे हैं। आज डेमोक्रेसी का युग है और समाज के अन्दर कुछ मर्ज होते हैं उनका इलाज दवा के अलावा साइकालोजिकली, सोशली भी होता है। इसके लिये जो आपकी क्रिमिनोलाजी है, उसे बदलना होगा। लेकिन इस तरफ इस सरकार का कोई ध्यान ही नहीं

जाता। इसमें सुधार की आवश्यकता है। प्रोबेशन आफिसर्स इसके लिये टोकेन के रूप में थे। लेकिन उनका सफाया कर दिया गया यह कह कर कि फिजूलखर्ची है। इसलिये इन नान प्लांड आइटम्स की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

पुलिस विभाग की ही आप ले लें। उसमें एक कांस्टेबिल होता है। एक नागरिक का यह स्वप्न है कि वह उनका रहबर होना चाहिये। मैं कानपुर गया। रास्ते में कांस्टेबिल से पूछा कि आर्य नगर कहां है। वह कहता है कि पता नहीं, हालांकि नजदीक ही था। आपका चपरासी सलाम नहीं देता, आपको बुरा लगता है, कोई सिगरेट आपके सामने पीता है आपको बुरा लगता है। उसी प्रकार वह आम नागरिक भी इस डेमोक्रेटिक स्टेट में सम्मान चाहता है लेकिन वह सम्मान आज उसे नहीं मिलता। हमारे पूरे समाज के अन्दर मर्ज घुसा हुआ है जिसके कारण निराशा तथा अन्धकार छाया हुआ है। आज दशा यह है, जैसे विल्डरनेस के अन्दर एक बांसों का जंगल खड़ा हुआ हो जो आपस में टकराते हैं और उनमें आग लग जाती है। अपने देश में बंगाल अपने पड़ोस में ही है आपके सर पर वहां से अगर चिनगारी इधर भी आई तो पता नहीं क्या होगा? आप इस सूबे के मुख्य मंत्री हैं, आपको इन बातों की ओर ध्यान देना होगा। पुलिस के कांस्टेबिल को हमारा मददगार होना चाहिये, रहबर होना चाहिये और समाज के अन्दर जहां दिक्कत हो वहां उसे दूर करने के लिये पूरा इलाज उसके पास होना चाहिये। लेकिन यहां तो पुरानी ब्यूरोक्रेसी अपनी परम्पराओं के साथ चली आ रही है। भले ही आपने एक आई० जी० को हटा कर अपनी मर्जी से दूसरे को बना दिया, लेकिन उससे कोई सुधार नहीं होगा।

अब इसके बाद प्लांड आइटम्स आते हैं जिनमें दो तरह के विभाग हैं। एक तो सर्विस कर रहे हैं और दूसरे कामर्शियल है। वेलफेयर स्टेट होने के कारण इसका लक्ष्य यह है कि हर एक नागरिक में स्वतंत्रता तथा स्वेच्छा के साथ काम करने का इनिशिएटिव हो और जहां कमी नजर आए उसे दूर करना चाहिये।

जो विभाग सर्विस करते हैं उनमें स्वास्थ्य विभाग भी आता है और यह जितने विभाग प्लानिंग, कोआपरेटिव आदि हैं सब सर्विस करते हैं और साथ ही जो कामर्शियल विभाग हैं उनकी तरफ भी आप देखें। मैं नेता सदन की सेवा में ये बातें केवल सुझाव के पक्ष में रखना चाहता हूं।

जो मेरे विचार रहे हैं और जिन बातों को मैं पहले कह चुका हूं उन चीजों को ही मैं फिर बताना चाहता हूं। मैंने शुरू में कहा कि यह ब्यूरोक्रेसी पुराने ढंग की है। मैं यह जानता हूं कि अब तक २५ साल हो गये हैं। इस अरसे में बहुत सी बातों का उस पर असर पड़ा है। लेकिन जो पुरानी आदत है वह बरकरार है। अफसरी अपनी सुरक्षा करने में लगी है। मैं कहता हूं कि जब मैं आया तो मेरी नाक के बाल बन गये और जब आप आए तो आपकी नाक के बाल बन गये। दूसरे आयेंगे तो उनकी नाक के बाल बनेंगे। इस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि वे अपनी सुरक्षा करने में ही लगे रहते हैं। इसमें कुछ लोग जाति बिरादरी का नाम लेकर भी इस्तेमाल करते हैं। कोई गांव का नाम लेकर और कोई जिले का नाम लेकर अपनी सुरक्षा करना चाहता है। तो यह सिस्टम डिमोक्रेसी का है उसको वह इस्तेमाल करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे यहां कामर्शिएल महकमे हैं इनका जिस तरह से आज ढांचा बना हुआ है उसके ऊपर बहुत गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। बिजनेस और लोग भी हमारे देश में करते हैं। बिड़ला को आप देखें कि दिल्ली में बैठकर ही वह कलकत्ता और पंजाब के अन्दर बड़े-बड़े बिजनेस करता है और उन बिजनेस से बड़े-बड़े रिटर्न लेता है। सरकार को अच्छा खासा टैक्स देने के बाद भी वह अच्छे रिटर्न्स लेता है। इसी तरह से टाटा है वह भी बड़े बड़े बिजनेस करके अच्छे रिटर्न्स हासिल करता है। इसी तरह से बहुत से बिजनेस हाउसेज हमारे देश में हैं जो अच्छा खासा पैसा पैदा करते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ अपना

[चौधरी गिरधारी लाल]

काम चलाते हैं। उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। हमारे यहां जो कामर्शियल विभाग हैं उनको ब्यूरोक्रेसी चला रही है। उनको डेमोक्रेसी में किस तरह से चलाना चाहिये उसको देखने की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता है कि वे लोग उसको लाभ के लिये चलायें। जिस तरह से हमारे प्रदेश में विकास होता चलता है, जैसे हमारे प्रदेश में विकास का काम होता जा रहा है और जिस तरह से प्राइवेट कारखाने लाभ पर चलते हैं उसी तरह से इन कामर्शियल विभागों को भी लाभ दिखाना चाहिये। बहुत सी बातें दिखाने की नहीं होती है। इस तरह से इन विभागों पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे प्रदेश में प्रगति तेजी से हो। इस तरह अफसरियत होने से कोई काम चलने वाला नहीं है। हमें इन विभागों के लिये ऐसा कैडर पैदा करना होगा जो अच्छी तरह से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जानता हो जो मैटीरयल मैनेजमैन्ट की सब बातों को जानता हो और जिसके अन्दर लीडरशिप का मादा हो। ऐसे आदमी उन विभागों में रहेंगे तो प्रदेश का लाभ होगा। पर्सनल मैनेजमेंट का जिसके अन्दर माद्दा हो, जो लेबर को मैनेज कर सके और ठीक तरह से आर्गनाइज करके काम ले सके ऐसा कैडर आपको तैयार करना है। ऐसा बिजनेस कैडर अभी तक इस समाज के अन्दर नहीं बन पाया है। वही पुराना कैडर चला जाता है जो ब्यूरोक्रेसी के तरीके का है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप लाख नेशनलाइज करते चले जाएं तो प्रदेश का उससे लाभ नहीं होगा और न उतनी आमदनी होगी जितनी होनी चाहिये। मैं आपको यह बताऊं कि इस तरह का कैडर अगर बन जाय तो उनके अन्दर बिजनेस करने की तमीज पैदा होगी और काम भी अच्छा होगा।

दूसरी बात यह है कि उनकी सर्विसेज, उनकी सर्विस कन्डीशन, उनके रिक्रूटमेंट संबंधी सभी बातें उस तरह की होनी चाहिये जो बिजनेस के तरीके से होती हैं। सरकार को उन लोगों से सबक लेना चाहिये जिससे संगठन अच्छा हो और जो अच्छा आर्गनाइजेशन बनाकर अच्छा काम कर सकें। अब जो चल रहा है यह तो पुलिस स्टेट की चीज थी। वह समय अब नहीं है। अब तो जो भी ऐसे विभाग में मजदूर हैं या कार्यकर्ता हैं या वकील है या जो भी कोई आदमी काम करने वाले हैं उनको वेतन के अलावा एक प्रकार से इन्सेन्टिव यानी प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उनको एक आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ देना चाहिये तभी वहां काम सुचारु रूप से चलेगा। इस तरह से जैसा है चलता रहे तो काम कैसे चलेगा? ट्रेन्ड आदमी वहां पर बैठे होंगे और उसके देखने भालने वाले लोग वहां पर बैठे होंगे। तभी काम सुचारु रूप से चल सकेगा, मैंने आपको बतलाया, इसमें कई डिटेल की चीजें हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का महकमा है, पावर का मकहकमा है। ५-५ सौ करोड़ रुपये से अधिक के असेट्स हैं। इन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं। इस विषय पर यह पर सवाल भी उठाए गये, उसका कहना है कि शायद वे यहां पर इस समय मौजूद हों या न हों---माननीय मुख्य मंत्री जी भी चले गये वे भी नहीं हैं। मैंने उस वक्त उनको बतला दिया था कि उसमें काफी गोलमाल है और इसी प्रकार की अन्य बहुत सी चीजें हैं। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हमारे जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसे चाहे आप उसमें रख दें उसके काम नहीं चलेगा। अतः लीडरशिप, इन्सपायरिंग पर्सनलिटी तथा बिजनिस आउटलुक की जरूरत है और ट्रेनिंग की जरूरत है और ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत है जिससे तमाम काम भली प्रकार चल सके। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वे १० बजे दफ्तर आते हैं और ४ बजे चले जाते हैं। सोचते हैं कि हमें कोई निकाल नहीं सकता कोई कुछ नहीं कर सकता ज्यादा से ज्यादा उनका कुछ किया जा सकता है तो उनका तबादला बनारस या गाजीपुर कर दिया जायगा। व्यक्तिगत काम २४ घन्टे का होता है। यहां लखनऊ इलेक्ट्रिकल के एक साहब थे। उनको ट्रेनिंग थी कि उनके क्या-क्या काम हैं। किन्तु अब चाहें आप किसी को वहां रख लें।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कैपिटल इक्सपेंडिचर को कैपिटल रेवेन्यू से वसूल करें। आप दुखित हैं। आज २० साल हो गये हैं किन्तु इस बजट के देखने से भारतीय

आकांक्षाओं की कोई छाप नहीं दिखाई दी। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है पावर डिपार्टमेंट भी आ सकता है, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट भी आ सकता है। इस प्रकार के कई मामले हैं जैसे ट्यूबवैल वगैरह हैं, स्वास्थ्य विभाग है। यह मैंने अपने दोस्त माननीय सदस्य नैनीताल से कहा। वे अब वित्त मंत्री हैं। मैंने उनके बजट भाषण को सुना और उन्होंने जिक्र किया कि देहातों में अब काफी संख्या में डाक्टर भेज दिये गये हैं और बहुत सी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जिससे दवाओं और डाक्टरों की कमी दूर हुई है।

कल मुझे एक साहब मिले। इस समय संबंधित मंत्री यहां पर नहीं हैं। यह बात पहले भी हमारे नोटिस में आई है कि आयुर्वेदिक कालेज जो हमारे यू० पी० के अन्दर हैं उसका एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिये। इस सूबे में उसकी कोई कद्र नहीं है इसीलिए वे आन्दोलन कर रहे हैं उन्होंने मुझको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको यह विश्वास दिलाया था कि मार्च–अप्रैल तक उसको एफिलएट करा दिया जायगा। लेकिन वेस्टेड इन्टरेस्ट बीच में आ गये और उनको बताया गया कि कोई मजबूरी आ रही है जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। इस सरकार को उन वेस्टेड इन्टरेस्ट्स को बीच में से हटाना चाहिये और हिम्मत के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिये।

वित्त मंत्री जी की स्पीच को मैंने ध्यान से सुना। यह ठीक है कि आप देहात की बात सोचते हैं। हमारा पूरा देश ही देहातों से बना है। हमारे सूबे में भी देहात ही अधिक हैं। लकिन उन देहातों में केवल बड़े किसान ही नहीं है। देहात के अन्दर बढ़ई, लुहार, धोबी, जुलाहे आदि भी हैं, उनकी समस्याएं भी हैं और अनएकोनामिक होल्डिंग वाले किसान भी हैं। उनके लिये आपको गांवों का मार्डनाइजेशन करना होगा। आजकल हालत यह है कि जो उच्च किसान है, जिसके पास ज्यादा जमीन है, उनका रहन सहन का स्तर भले ही बदल गया हो, उनकी हालत भले ही अच्छी दिखाई दे रही हो लेकिन जो नीचे का काश्तकार है, जिसके पास अनएकोनामिक होल्डिंग्स है, वह अस्तव्यस्त है। उनको अपना जरूरत का सामान भी वहां नहीं मिलता। लोहे के लिये उसको शहर में आना पड़ता, है, फरनीचर शहर में मिलता है, दरवाजों के लिये प्लाई वुड शहर से मिलते है। इसलिये ब्लाकों के जरिये से आपको गांवों का आधुनिकीकरण करना होगा। यह मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं प्लानिंग कमीशन के शब्दों को कह रहा हूं कि गांवों की जरूरतें ही दूर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिये। हर गांव में ऐसा प्रबन्ध करना है कि गांव वालों को शहरों की ओर न दौड़ना पड़े। लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। ब्लाकों के जरिए से, टैक्नीकल लोगों के जरिये से गांवों का आधुनिकीकरण करना होगा।

वर्तमान मुख्य मंत्री, उस समय जब विरोधी दलके नेता, थे, उन्होंने एक बात कही थी कि पंजाब में छोटी इन्डस्ट्रीज हैं लेकिन उसकी परकैपिटा इंकम अधिक है और बिहार में जहां बड़े-बड़े कारखाने हैं वहां की परकैपिटा इनकम कम है। इसी प्रकार से यू० पी० की पर कैपिटा इनकम भी गिरी हुई है। लेकिन फिर आपने जो सेल्स टैक्स आदि में छूट दी हैं वह भी पूंजीपतियों को दी है। इससे यू० पी० की दशा में फर्क पड़ने वाला नहींहै। आप केवल ला एन्ड आर्डर को अपने यहां संभाल लीजिये। बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज तो स्वयं जान बचा कर आपके यहां आने को तैयार है। इसके अतिरिक्त आपके डिसीजन्स विवेकपूर्ण होने चाहिये। अभी तो आपके यहां ४२ जगह से फाइल निकल कर आती है। यह नही होना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने इसको कहा है। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, अगर वह नहीं भी आते हैं तो पंजाब जैसा प्रदेश भी है जहां बड़ी इन्डस्ट्रीज नहीं है, गांव-गांव में इन्डस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने अन्दर इनिशिएटिव बिल्ड किया है। यहां एनिशियेटिव की कमी है। जब तक यहां पर वह इनिशियेटिव बिल्ड नहीं होगा और जब तक देहातों का आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक वास्तव में जो गांधी जी का स्वप्न था कि

[चौधरी गिरधारी लाल—]

हर गांव की जरूरत वहीं से पूरी हो वह पूरा नहीं होगा। आज देहात के लोगों को शहर भागना पड़ता है क्योंकि वहां वह चीजें नहीं है। आज स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा है, कहीं बिजली है, कहीं पानी है, कहीं ट्रांजिस्टर है। तो इसका कोई रास्ता निकालिये, मैं आपको एक बात बता रहा हूं।

एक बात मैं आपसे और कहूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि इस देश के अन्दर जातीयता नहीं है और जब जातीयता है तो मैं खासतौर पर पुलिस की बाबत कहूंगा कि कितने पुलिस कांस्टेबिल हरिजन हैं। मुझे एस० पी० और आई० जी० की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हुए अभी तक? कौन लोग हैं उसके अन्दर? एक खास जाति के लोग के सबसे ज्यादा थे जो आजादी के पहले तो थे किन्तु आज नहीं है। उसका स्थान किसने लिया। सिर्फ उन देहातियों ने लिया जो बड़े-बड़े खेत संभाले बैठे हैं। हरिजनों के साथ तो आपने बड़ी हमदर्दी की है, रिजर्वेशन कर रखा है। लेकिन उसी सुरक्षा के स्थान पर ईर्ष्या और द्वेष भरा पड़ा है। इससे तो वह न होता तो लोगों को हमदर्दी तो होती। हमें समझना है इन बातों को। आज जिनकी चौथाई आबादी है अगर वह पुलिस में नहीं होंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। आज जब पुलिस कांस्टेबिल अपना डण्डा और बन्दूक लेकर देहात में पहुंचता है तो वह उनके बीच में पहुंचता है जिनकी बड़ी-बड़ी खेतियां हैं और वह खेतिहर मजदूर जिनकी बहू और बेटियों की इज्जत लूटती है वह जब शिकायत करते हैं वह कांस्टेबिल उन्हीं बड़े-बड़े खेत वालों के बीच में पहुंचता है। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत से मामलों में लोग कहते हैं कि अंग्रेज अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उनका इन्टरेस्ट यहां कुछ नहीं था। उनके रूट्स यहां पर नहीं थे। यहां तो माननीय नारायण दत्त तिवारी अगर कोई काम नैनीताल में करने बैठें तो वहां उनकी टांगे खींची जाती है। तो जब तक इस तरह की बात यहां नहीं पैदा होगी तब तक उनकी सुरक्षा नहीं हो सकेगी, वह डबल गुलाम बन जायेंगे। वैसे मैं इस बात को नहीं मानता लेकिन जिनके ऊपर अन्याय होता है उनका सबको ख्याल होना चाहिये। गांधी जी को ख्याल था। जो उनसे सम्पर्क रखते हैं उनको ख्याल है। इसलिये इसकी खास जरूरत है, हर विभाग में जरूरत है। जहां तक बड़ी नौकरियों की बात है उसमें तो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके तो रेकार्डस हो जाते हैं।

मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यह जो १,००० आदमियों को एप्वांइट करने की बात है उस पद पर जो सबइंसपेक्टर और पुलिस कांस्टेबिल के बीच का है, उसका इस बजट में जिक्र नहीं है। यह एक नया तबका पैदा किया गया है। अगर यह है तो मैं कहूंगा कि इसके लिये फ्रेश रिक्रूटमेंट की जरूरत है और जो पुलिस कांस्टेबुल हैं जो उन शर्तों को पूरा करते हैं उन्हीं को लिया जाय अन्यथा न लिया जाय। तो इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

गेंदासिंह जी आज यहां नहीं हैं। उनके पास इन्फारमेशन का महकमा आ गया है। उन्होंने इसके पहले शुगर नेशनलाइजेशन पर बहुत से बयान दिये थे। पता नहीं कि उस नेशनलाइजेशन का क्या हो गया। अध्यक्ष महोदय, दो रिसीवर ऐसे रखे गये हैं जो केन डिपार्टमेंट के मामूली लोग थे और लेन देने में उनकी प्रतिष्ठा बहुत गिरी हुई थी लेकिन वे एप्वाइन्ट किये गये क्योंकि उनका संबंध मंत्री से था। हम सिफारिश नहीं करते हैं, हम सिफारिश के खिलाफ हैं और जो सिफारिश करते हैं हम उससे जवाब तलब करते हैं, लेकिन कहां है वह जवाब? क्या दुनिया जानती नहीं है इन चीजों को? डिमोक्रेसी के अन्दर हर आदमी का एक्सरे होता है।

अध्यक्ष महोदय, सूबे में बहुत भारी बेकारी है। वित्त मंत्री जी ने इसका कुछ जिक्र किया और इसके लिये कुछ पैसा भी रखा है लेकिन इससे काम नहीं चलगा, यह फुसलाने की बात भले ही हो। आप खुद इस बात को जानते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है, वह कहा तक ठीक है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया जनवरी, १९७० का बुलेटिन देखें। आपको मालूम होगा कि २५

परसेंट आदमी ऐसे हैं जिनको एक टाइम पूरे तौर से खाना नहीं मिलता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, अध्यक्ष महोदय।

आपने शिक्षा की तरफ भी कुछ रोशनी डाली। मैं तो इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि न तो टीचर्स को वेतन ढंग से मिलता है और न उनको देने का कोई तरीका है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर से जो एडेड इन्सीट्यूशन्स हैं। यह बात पहले भी आ चुकी है। हमारे वित्त मंत्री जी भी इससे सहमत हैं। जो परिवहन मंत्री हैं, वह उस समय शिक्षा मंत्री थे। उनको अच्छी तरह मालूम है। जो शिक्षा देता है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वह अच्छे नागरिक बनाये, ऐसे नागरिक जो देश के लिये जान तक दे दें, तो जब हम उस टीचर से यह उम्मीद करते हैं तो उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। यह कौन नहीं जानता है कि वह झूठी रसीदें देकर अपना पेट पालते हैं। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, अध्यक्ष महोदय। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। हरिजन बच्चों को जो वजीफा देते हैं उनके देने के ढंग को बदलना है। चाहे आप उसके लिए परसनल लेजर रखिए या और कुछ कीजिए उसका कुछ तरीका ऐसा निकालिए कि रुपया उसको जुलाई में मिल जाय। अगर आप यह नहीं करते है तो जो रुपया आप उसे देते हैं उसके पास कभी आधा पहुंचता है और कभी वह भी नहीं पहुंचता है। वित्त मंत्री से संबंधित एक बात और है। ट्रेजरी का सुधार करना होगा। ट्रेजरी में लोगों को आज धक्का खाना पड़ता है। उनको तो यह बात बुरी लगी और कहा कि रास्ता बताइये जब आप दिमाग लगावेंगे तो रास्ता निकल आवेगा। सब चीजों का दुनिया के अन्दर इलाज है। जब हम आसमान में पहुंच सकते हैं, पाताल में चल सकते हैं। हम यहां बैठ सकते हैं और वहां बैठ सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। ट्रेजरी को खास तौर से सुधारना है। मैं यह बात कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिये कह रहा हूं। एक जगह आपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात कहीं और दूसरी जगह पुलिस में सुधार करने जा रहे हैं। सुधार ठीक तरीके से करिए।

शिक्षा में सरकारी कर्मचारी है अध्यक्ष महोदय। हमारे मुख्य मंत्री ने पहले उनसे कुछ वादा किया था, पैरिटी का सिद्धान्त जो उन्होंने स्वीकार किया था उसे उनको पूरा करना चाहिए। आज डिमोक्रेसी के युग में अगर किसी में खराब भावनायें हैं तो उनको दूर करके उसे अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। आपने बहुत से सरकारी कर्मचारी नौकरी से निकाले हैं। यह सही है कि इनडिसिप्लिन उन्होंने की लेकिन अब उन्होंने पश्चाताप किया है और अगर आप उनको वापस ले लें तो वह अच्छे नागरिक हो सकते हैं। उनको एहसास होगा वह दो, तीन साल धक्का खा लिए। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि आप उस चीज को भी देखें। किसानों के सिलसिले में मैं आपसे कहूंगा कि किसान आज बहुत होशियार हो गया है वह सभी बातों को जानता है उसे सबसिडी और तकावी की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे किसानों को तकावी वगैरह दें और जो उनकी होल्डिंग्स अनइकोनामिक हैं उनको इकोनामिक बनावें तो इससे किसानों का भला होगा। ज्यादातर होल्डिंग्स प्रदेश में छोटी हैं। बड़े किसान को कोई मदद की जरूरत नहीं है। यू० एस० ए० में जो छोटे किसान हैं और जिनकी अनइकोनोमिक होल्डिंग्स थीं उन्होंने उसके लिये एक ढंग निकाला। उन्होंने सिक्योरिटी सर्विस करके काम चालू किया जिसमें कि उनके फार्म मैनेजमेंट और उस हिसाब से फैमिली मैनेजमेंट के लिये २०० या ४०० आदमी के ऊपर एक एक सुपरवाइजर रखा गया। ऐसा करने से उनका बहुत अधिक सुधार हुआ। आपके विलेज लेवल वर्कर्स हैं और आप उनके जरिये से कोई ऐसा ढंग निकाल सकते हैं जिससे कि हमारे काश्तकारों का भला हो सकता है। उनकी जो फार्म सिक्योरिटी थी उससे थोड़े ही दिनों में उन काश्तकारों की ३०० परसेंट उनकी इन्कम बढ़ गई। उनका स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ गई और जितना उनका कर्ज था वह सब उन्होंने वापस कर दिया। आप इन लाइन्स पर सोचें कि हम यहां पर अपने काश्तकारों के लिये क्या कर सकते हैं। एक चीज और है मैं कह रहा था कि एक जमाना था जब कि मिलों को गन्ना

[चौधरी गिरधारी लाल]

पूरा नहीं मिलता था और वह १५, २० या २५ रु० कुन्तल में बिक रहा था और आज यह स्थिति हो गई है कि गन्ने को कोई २ रु० में नहीं पूंछ रहा है। नगीना का इलाका है वहां पर गन्ना २ रु० या ढाई रु० कुन्तल में बिक रहा है। क्रशर वाले उसको नहीं ले रहे हैं ऐसी पोजीशन हो गई है। लकड़ी से सस्ता गन्ना है। गन्ना २, ३ या ४ रु० कुन्तल बिक रहा है। इसके माने कि एक रुपया मन हो गया। अगर हमारे दिल में किसानों के प्रति दर्द था तो हमको उनको भरोसा देना चाहिये था, फैक्ट्रीज का ऐसा इन्तजाम करना था कि उसका गन्ना उठे और काश्तकार को यह भाव मिले। हमको उसके भाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिये थी। हम इसको कवर करेंगे तो किसानों का मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिये उनके अन्दर उत्साहित रहने की भावना रहती। जुलाई तक गन्ना जायगा तो उसकी जमीन फंसी है, उसका गन्ना सूख रहा है वह निराश हो रहा है। फरवरी या मार्च में अगर गन्ना कट जाता तो उसका गन्ना सूख नहीं पाता और वह निरुत्साहित नहीं होता। इन बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

मैंने आपसे कहा कि आपकी हुकूमत में एक ईमानदारी तथा एफीशियेन्सी की बात होती है परन्तु जो कर्मचारी हैं उनको आज इस बात का भरोसा नहीं है कि हम कब सर्विस से निकाल दिये जांय। खतरे की सुई उन पर लटक रही है। ऐसी सूरत में वह ईमानदार कैसे रह सकते हैं। तो हमको इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो सरकारी कर्मचारी अभी भी टेम्पोरेरी हैं उनको हम बहुत अर्से तक टेम्पोरेरी न रखें और परमानेन्ट कर दें। हमने यह देखा है कि बहुत से डिपार्टमेन्ट्स में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो १५ या २० वर्षों से टेम्पोरेरी चले आ रहे हैं। पिछली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पे कमीशन की नियुक्ति की थी क्योंकि मनी की वैल्यू प्रति दिन चेन्ज होती जा रही है, कम हो रही है। जिस वक्त पे रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी थी तब से आज में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है और रुपये की कीमत काफी गिर गई है। इसको देखने के लिए ही पिछली सरकार ने इस तरह का एक कमीशन बनाया था जो बहुत जरूरी था। आप देखें कि इनकी पे को बढ़ाना जरूरी है तो बढ़ायें अन्यथा कम करें लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। फाइनेन्स कमीशन में कोई रिव्यू तो उसका कर लिया जाय कि यह चीज कहां तक होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज तो यह हाल हो रहा है, कल अखबार में पढ़ा होगा, एक सज्जन श्री बागड़ी पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर गोलियों की बौछार हो गयी। किसकी तरफ से? उस दल की तरफ से जो इस वक्त सत्तारूढ़ है। मैं समझता हूं यह चीज शोभा नहीं देती, इसका अच्छा असर नहीं होता, न प्रतिष्ठा के ऊपर और न लोगों के मनोबल पर। जनतंत्र का मौलिक सिद्धांत है कि लोगों का मारल ऊपर उठे। लेकिन अभी तो यहां इसकी बुनियाद ही नहीं पड़ी। बिजनौर में एस० पी०, मैं समझता हूं, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वह कहते थे कि आप रास्ता बताएं। जिस आदमी की मैं तारीफ करता हूं उसको एडवर्स एन्ट्री मिलती है। लोग आए और उन्होंने कहा कि १२ साल की मेरी सर्विस है और लाकर दफ्तर में मुझे डाल दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि बहुत गलत बात है। जिस वर्ग को आपको उठाना है, आपका फर्ज है, आपका धर्म है कि उसका ध्यान रखें। उनको ग्रीन रूम के अन्दर, पर्दे के पीछे डालने से काम नहीं चलेगा। थानेदार हैं, एस०पी० है, आई० ए० एस० है, उनको फील्ड में रखिये। यह नहीं कि किसी को पी० ए० सी० में, किसी को किसी दफ्तर में सड़ने के लिए डाल दिया। बिजनौर में तो शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं है। ब्राह्मण या किसी और जाति का होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन बहुत एफीशियेन्स आदमी है। लेकिन नहीं भाया किसी को। मैं कहता हूं कि तबादला करने का भी समय होता है। इस सरकार के सिद्धांत है। पिछली साल मैंने पढ़ा। रामकहानी तो बहुत थी लेकिन दो चीजें मौलिक थीं। एक तो डेमोक्रेसी के अन्दर इन्टरफियरेन्स नहीं करना चाहिये और दूसरे डिस्क्रीशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। ये बुनियादी चीजें नेता विरोधी दल के स्थान पर से जब वह बोले थे तो कही थीं। मैं कहता हूं डेमोक्रेसी में लोगों को मालूम होना चाहिये कि सरकार की क्या पालिसी है। या तो फरवरी में तबादला करें। कोई समय होना चाहिये।

अगर किया है तो किसी भावना को लेकर किया है। अगर किसी शिकायत पर किया तो इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई? आदमी को मालूम तो होना चाहिये कि क्या गलती है। मेरे पास भी बहुत से तबादले की बात आती थी। हमेशा मैंने इस बात को कहा कि क्या गलती है। कसूर हो तो फासी भी हो सकती है, तबादला भी हो सकता है, सस्पेन्सन भी हो सकता है। लेकिन बिना इंक्वायरी के नहीं होना चाहिये। बिजनौर के एस० पी० जा रहे हैं। किसी ने कहा क्यों। किसी ने कहा फलां वजह से। ऐसे ही वहां के डी०एम०फरवरी या अप्रैल का महीना था, उनका भी सफाया हो गया। तो इन चीजों की तरफ मैं आपके जरिये से सरकार का और नेता सदन का तथा अपने माननीय मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके दल में ऐसे लोग भी हैं, मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं, ऐसे भी हैं.....

और हालत यह है कि जबतक उन को शिकार बाज की तरह नहीं मिलता तबतक उन को रात को नींद नहीं आती। जबतक कि उन्हें रोज एक दो अफसर ससपेंड करने को निकालने को न मिल जायं तब तक उन को रात को नींद नहीं आती। इस से सर्विसेज के या किसी के भी मारल्स ऊपर नहीं उठ सकते। सरकार इस के लिए नहीं होती कि वह ऐसे काम कर के रोज अपनी तबियत खुश किया करें बल्कि सरकार इसलिए है कि वह हकूमत में अमन रखे चैन रखे और जनता को आगे बढ़ने और ऊपर उठने का मौका दे, विकास के लिये लोगों को अवसर मिले, प्रगति की भावना हर नागरिक के दिमांग में रहे, ऊपर उठने के लिये शिक्षा के और रोजगार के अवसर सब के लिये खुले रखें। सरकार में इसलिये नहीं आया जाता कि हर आदमी उन को सलाम दे और हम मनमानी करे। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था मैं फिर उस को दोहराये देता हूं कि हमारी फाइनेंशियल कन्डीशन बहुत अच्छी है और हमारी पर कैपिटा आय बहुत कम है। जरूरत आज इस बात की है कि हम अपने पड़े हुये रुपए को निकालकर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगायें और इस तरह से कोई जरूरत नये कर लगाने की नहीं है। बजट के जो एस्टीमेट्स दिखाये गये हैं उन में एक्सपेंडीचर साइड बहुत बढ़ी हुई दिखाई गई है और रेवेन्यू रिसीट्स बहुत कम आंके गये हैं। इस विषय में मैं ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के विचार भी बताये कि पिछले रिकार्ड्स क्या हैं और हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसलिये इस सब की रोशनी में अगर हम काम करेंगे तो हम जनता और सरकार और सरकारी कर्मचारियों की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से वर्षों से जानता हूं और मैं उनके प्रति बड़ा प्रेम और आदर का भाव रखता हूं लेकिन जब मैंने उनके बजट भाषण को सुना और इस बजट की मदों को देखा तो मुझे बड़ी निराशा हुई। जब उन्होंने श्रम विभाग का प्रतिवेदन पिछले बजट में सदन के समक्ष रखा था तो उन्होंने कहा था कि भारत में ५४ पिछड़े हुये जिले हैं और उन में २२ जिले इस प्रदेश के अन्दर ही हैं और उन का जो विवरण है वह इतना कागजी है। जिस तरह से पिछली तीन योजनाओं के समय केन्द्र से हमें आश्वासन मिलता रहा कि यह योजना पूरी हो जायगी तो चीजों के दाम गिरेंगे और लोगों की हालत सुधरेगी और तरक्की होगी वैसे ही माननीय वित्त मंत्री का आश्वासन भी इन पिछड़े जिलों को सुधारने के बारे में कागजी ही प्रतीत होता है। जिस तरह से कि अन्य प्रदेशों की सरकारों के द्वारा बजट में घाटे की व्यवस्था रखी गई है वैसे ही यहां २३ करोड़ ७२ लाख के घाटे का आयव्ययक पेश किया गया है। पिछले साल भी पिछली सरकार ने घाटे की ही अर्थ व्यवस्था रखी थी और बाद में चुपके से पिछले दरवाजे से नये कर बिजली-कर और नहर-कर सिंचाई के रेट बढ़ाकर लगाये गये।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी गरीबों के प्रति, अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति,अध्यापकों के प्रति अपने मन में स्नेह और आदर की भावना रखते होंगे लेकिन जो यह २३ करोड़ ७२ लाख का घाटा बजट में दिखाया गया है उसको पूरा करने के लिये वह कौन से नये कर लगाने जा रहे हैं और वह इस घाटे की अर्थव्यवस्था को कैसे पूरा करेंगे? इसका

[श्री रामगोपाल संह]

विवरण उन्होंने नहीं दिया है। इसी में उन्होंने एक जगह कहा है कि हमारी आबादी सन् सन् ६१ में ८ करोड़ थी और हमें डर है और आशा है कि वह सन् ७१ तक बढ़कर साढ़े दस या ग्यारह करोड़ हो जायगी। उन्होंने प्रदेश के ७०,००० (सत्तर हजार) के लिये अध्यापकों विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों में पढ़ाई वाले ८-१० हजार अध्यापकों के लिए, ढाई लाख के करीब जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिये कुछ भी नहीं किया है। जब कभी मुख्य मंत्री जी या श्रम मंत्री जी जो अब वित्त मंत्री हैं वह कहते हैं कि पंजाब की तरक्की हुई, और बिहार की नहीं हुई, तो पंजाब में तरक्की इसलिये हुई कि वहां जब योजनाओं को कार्यान्वित किया गया तो वहां छोटी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई और उनके द्वारा लोगों को सिंचाई के साधन दिये गये, हर व्यक्ति को काम दिया गया हर खेत को पानी दिया गया और बड़ी बड़ी योजनायें लगाई गई लेकिन शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन न करने से बिहार यू० पी० से भी पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश राम, कृष्ण और नेहरू का प्रदेश है। यह श्री टंडन जी और श्री मालवीय जी का प्रदेश है। माननीय वित्त मंत्री जी को चाहिए था कि अपने युवा साथी डा० लोहिया जी की तरह कुछ क्रांतिकारी कदम उठाते जिससे देश के हजारों नौजवान, ७२ हजार इन्जीनियर जो देश में और १२ हजार अपने प्रदेश में बेकार पड़े हुए हैं, उनके लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में केवल १० लाख रुपये का ही प्राविधान किया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा प्रणाली में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्हें चाहिए था कि कुठारी आयोग की सिफारिशों, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों, डा० सम्पूर्णनन्द जी की सिफारिशों तथा आचार्य नरेन्द्र देव जी की सिफारिशों का समावेश करके इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा को खेती प्रधान तथा उद्योग प्रधान बनाते जैसा कि अमेरिका और जापान के अन्दर है। रूस के अन्दर प्रत्येक बालक को २ भाषा, गणित, इतिहास और भूगोल आदि सिखाया जाता है लेकिन आधे समय के लिए अर्थात् ४-५ पीरियड में किसी खेत के अन्दर काम करते हैं या उस विद्यालय से लगे उद्योग धन्धों में काम करते हैं ताकि जब वे १०-१२ क्लास पढ़कर घर वापस आते हैं तो वे एक छोटी सी नाई की दुकान, धोबी की दुकान या अन्य छोटे-छोटे उद्योग धंधों में लग जाते हैं या फल या तरकारी उगाने में लग जाते हैं।

मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से बड़ी आशा थी कि शिक्षकों की दशा को सुधारने के लिए, कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, अध्यापकों को वेतन देने के लिए, इस बजट में कुछ घोषणा करते लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहां की बढ़ती हुयी जनसंख्या को देखते हुए और बेरोजगारी को देखते हुए इस प्रदेश को उद्योग-धन्धा प्रधान बनाना चाहिए था।

यहां पर कुछ प्रश्नों के उत्तर में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था कि प्रदेश के अन्दर नकसलपंथी पनप रहे हैं। आज हमारे देश में क्या हो रहा है। यहां से लाखों इन्जीनियर्स निकल कर चूंकि उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, वे अमेरिका में जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है। हमने इस बजट के अन्दर कोई सुझाव नहीं देखे हैं जिसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या को हल करने का कोई सुझाव ही होता। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि वे कहीं से भी साधन जुटायें परन्तु कोठारी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार प्राइमरी शिक्षक के वेतन १५० रुपया प्रति माह अवश्य कर दें। और माध्यमिक स्कूलों में मैनेजरी समाप्त करके अध्यापकों को पहली तारीख को सरकार खजाने से वेतन दिलाया जाय। इस प्रकार की घोषणा भी बजट में आनी चाहिए थी। मैं सदन के सूचनार्थ यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी की सरकार ने इस प्रकार के आदेश निकाले थे कि इन अध्यापकों को पहली तारीख को सरकारी कोष से वेतन दिया जाय। पता नहीं कौनसा ऐसा कारण है हालांकि दिल्ली के अन्दर समाजवाद की रट लगायी जाती है जिनके कारण हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की और न कोई क्रान्तिकारी कदम ही उठाया।

एक जगह आवास बनाने की बात कही गयी कि बड़े-बड़े नगरों में मकानों की समस्या है। पिछले दिनों जब आप श्रम मंत्री थे तो मैंने आप का ध्यान कानपुर की श्रमिक बस्तियों की ओर, तथा फीरोजाबाद, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ के अन्दर जहां औद्योगिक संस्थानों के लोग निवास करते हैं दिलाया था, वहां बस्तियों के अन्दर मकान कम हैं। ऐसे बड़े-बड़े नगरों में अध्यापकों और केन्द्रीय कर्मचारियों को नोटिस दिया जा रहा है कि वे मकान छोड़े। मकानों की बहुत बड़ी समस्या है इन नगरों में। श्रम मंत्री ने इसके अन्दर लिखा है कि वे चार-पांच करोड़ रुपये का ऋण एल० आई० सी० से मांगेंगे और उसके द्वारा मकान बनाये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऋण, कर्ज कब आयेगा, कब जमीन ली जायेगी, उस जमीन के द्वारा मकान कब बनाये जायेंगे। बजा में पढ़ने से इसका विवरण नहीं मिलता। यदि वित्त मंत्री सचमुच इसके लिये बहुत ही सीरियस हैं और चाहते हैं कि मकानों की समस्या हल हो तो मैं आग्रह करूंगा कि पांच करोड़ रुपये का जो ऋण वे एल० आई० सी० से लेने वाले हैं उससे प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों के रहने वाले जो अल्पवेतन भोगी कर्मचारी, अध्यापक या छोटे व्यापारी रहते हैं या मिलों में काम करने वाले मजदूर रहते हैं, उनकी समस्या हल होने वाली नहीं है। पांच करोड़ रुपये की रकम कम है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि यहां ग्यारह करोड़ की जनसंख्या है। इंगलैन्ड से ज्यादा जनसंख्या है, जर्मनी से ज्यादा जनसंख्या है, और जापान से ज्यादा इस प्रदेश की जनसंख्या है और हजारों लाखों नवयुवक फैमिली प्लानिंग के बावजूद इस प्रदेश के अन्दर जन्म ले लेते हैं। उनके सिर पर छप्पर चाहिये अन्यथा यह तो केवल कोरी घोषणा ही रह जायेगी। वित्त मंत्री महोदय को जल्दी से जल्दी जमीन हस्तगत करके एक निगम बनाकर मध्यम श्रेणी के लोगों की इस मकान सम्बन्धी समस्या को हल करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस बजट के अन्दर मैंने सहकारिता विभाग के बारे में भी पढ़ा। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग के अन्दर कितना भ्रष्टाचार है। मैं इलाहाबाद से चुनकर आता हूं। नये बाजारों के सम्बन्ध म यादव जी ने उत्तर दिया ही था कि पिछले चार सालों के अन्दर इलाहाबाद के नये बाजार में ही नहीं लखनऊ के नये बाजार में भी दस लाख रुपये का घाटा हुआ है।

तीन लाख से लेकर चार लाख रुपये का घाटा प्रतिवर्ष होता है। बोर्ड का चुनाव नहीं होता है। मनमाने ढंग से आडिट रिपोर्ट आती है और लीपा-पोती हो जाती है। मैंने इस बजट के अन्दर सहकारिता के बारे में कोई बयान नहीं पढ़ा। पहले जहां पी० डब्लू० डी० और नहर विभाग भ्रष्ट माना जाता रहा है उसी प्रकार सहकारिता विभाग भी अब अत्यन्त भ्रष्ट विभागों में से हैं। वित्त मंत्री द्वारा इसकी दशा सुधारने के लिये कौन-कौन क्रान्तिकारी कदम उठाये जायेंगे, ऐसा विवरण कहीं पर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के अन्दर कहीं पर भी इस बात का विवरण नहीं दिया कि पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश, जिसका पूर्वी भाग पिछड़ा हुआ है, के मिर्जापुर जिले के अन्दर गंगा नदी पर पुल बनाया जायगा। यद्यपि वहां लिखा हुआ है कि वहां पर सड़क बनायेंगे, पुल का और पुलियाओं का अनुदान है पर वहां मिर्जापुर के पुल के लिये कोई प्राविधान नहीं है। इस पुल के लिये समय समय पर वहां के नागरिकों को आश्वासन भी दिया गया था। परन्तु गंगा नदी पर पुल बनाने के लिये केन्द्र पर दबाव न डालने के कारण हमारी प्रदेशीय सरकार द्वारा एक टोकन अनुदान भी इसके लिये नहीं रक्खा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए इलाकों तथा बुन्देलखंड के पिछड़े हुए इलाकों के बारे में यद्यपि काफी चर्चा की है। पारसाल भी मैंने सुना था चर्चा की थी लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने परन्तु उसको कितना कार्यान्वित किया जाता है अन्य भागों की तुलना में। बजट के अन्दर सड़कों का अनुदान आया है। मेरठ के अन्दर १७ बड़ी बड़ी सड़कें बनायेंगे। १४ मुजफ्फर नगर में और ११ जगह बुलन्दशहर में बनाई जायेंगी। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में कहीं दो सड़कें और जौनपुर के अन्दर एक या दो सड़कें। यह भेद भाव है।

[श्री राम गोपाल संड]

तो मैं कहना चाहता हूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं करनी चाहिये, मगर जब यह सारी चीजें देखने में आती तो बिना कहे कैसे रहा जाय । उपाध्यक्ष महोदय, सारे बजट को उठा कर आप देख लीजिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये सड़कों के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ? आप इस बजट में देख लीजिये कि पूर्वी जिलों के लिये बजट में कितना अंशदान रखा गया है ? इलाहाबाद के अन्दर, कांग्रेस के महा मंत्री श्री बहुगुणा साहब ने अपने चुनावके दौरान यह घोषणा की थी कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो यहां की सारी सड़कें अर्थात् धूरपुर लालापुर, शंकरगढ़ कोराब–बढ़ोत्तर, तथा अरैल से सच्चा आश्रम तक सड़कें बनवा दी जायेंगी । मेरे एक और भाई ने जो उधर बैठते हैं, कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी इसी तरह के वायदे किये थे । उपाध्यक्ष महोदय, कौन जीतता है, कौन हारता है, यह बात अलग है, परन्तु जो मुख्य मुख्य सड़कें हैं जैसे शंकरगढ़ वाली और धूरपुर वाली इन्हें जरूर बनाना चाहिये था । उनके लिये इस बजट में एक भी पैसा नहीं रखा गया है । मिर्जापुर में पुल के लिये एक भी पैसा नहीं रखा गया है । आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह क्यों उपेक्षा की गयी है । सूखाग्रस्त इलाकों के लिये कौन सी व्यवस्था इस बजट में रखी गयी है । मुझे आशा है माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात राज्य कर्मचारियों केपविषयमें कहना चाहता हूं । वित्त मंत्री जी पहले राज्य कर्मचारियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक जमाने में उन्हें राज्यकर्मचारियों के साथ पूरी हमदर्दी भी थी । मैं भी इलाहाबाद जिले की राज्य कर्मचारियों के संगठन का एक सिपाही हूं । मुझे वह दिन भी याद है जब कि माननीय वित्त मंत्री जी समाजवादी पार्टी में थे और बरगद का उनका चुनाव चिन्ह् था । मैंने उस वक्त उनका बड़ा ही अभिनन्दन किया था । उस वक्त उनकी भावनायें राज्य कर्मचारियों के प्रति बड़ी ही सद्भावनापूर्ण थीं । हम लोगों के कहने पर, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के कहने पर माननीय चन्द्रभानु गुप्ता जी ने एक तृतीय वेतन आयोग की घोषणा की थी और हम लोगों के कहने पर उनके लिये एक विशेष आयोग भी बिठाने की बात को माना था आर यह स्वीकार किया था कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान ही महंगायी भत्ता तथा अन्य सुविधायें दीजांय । उनके पेन्शन आदि के बारे में तो आपने कुछ किया है, मगर अन्य बातों की ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है । अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने यहीं सदन में बड़े रोष मेंकहा था कि हमने उस वेतन आयोग कोरद्द कर दिया है जो कुछ दिन पूर्व बनायागया था क्योंकि साधन कहां से आयेंगे । कोई मुख्य मंत्री से पूछे कि इन्द्रा गांधी ने जो अपने कर्मचारियों के लिये तृतीय आयोग की घोषणा की है वह क्यों की है ? एक कर्मचारी केन्द्र का है जो यहां के ही राज्य कर्मचारी का भाई है, यहां करीब में ही पोस्ट आफिस में काम करता है, यहीं लखनऊ में ही रहता है, मगर वह तो पायेगा बड़ा हुआ महंगायी भत्ता, और एक यहां का कर्मचारी पायेगा उससे कम । तो यह क्या है ? पता नहीं माननीय वित्त मंत्री ने पढ़ा या नहीं, अखबारों में पढ़ा था कि अभी एक दो दिन हुये उड़ीसा सरकार ने, जहां पर कि स्वतंत्र दल की सरकार है, वहां के कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगायी भत्ता देने का निर्णय लिया है ।

इसी तरह राजस्थान में भी तृतीय आयोग बिठाने की घोषणा की गयी है । उड़ीसा में भी तमाम राज्य कमचारी आन्दोलन कर रहे थे । और जगह के कर्मचारियों ने भी आन्दोलन किया केन्द्रीय सरकार के भी कर्मचारियों नेआन्दोलन किये, मगर सभी जगह उन सब कर्मचारियों को बाद में काम पर वापस ले लिया गया । मान्यवर, जैसा कि अभी चौधरी गिरधारी लाल जी ने भी कहा था, छोटा कर्मचारी अगर भ्रष्ट है तो वह पकड़ लिया जाता है, मगर बड़े-बड़े आफिसर्स, इन्जीनियर्स अगर भ्रष्ट हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती । पिछले दिनों में राज्य कर्मचारियों ने अपनी न्यायोचित मांगों के लिये, अपनी जायज मांगों के लिये आन्दोलन किया था, और भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी ने हम लोगों के आग्रह पर बंदित कर्मचारियों को, सर्वश्री शुक्ल और घोष तथा अन्य सभी ८८ कर्मचारियों

को काम पर पुनः वापस लेनेका आश्वासन दिया था, मौखिक रूप से यह विश्वास दिलाया था कि वे इस संबंध में जल्दी से जल्दी फैसला ले लेंगे, मगर इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, केन्द्रीय कर्मचारियों के कितने बड़े-बड़े अन्दोलन हुये। १८ अगस्त, १९६८ में मैंने भी आन्दोलन में भाग लिया था। ५० हजार कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। १० हजार लोग डिसमिस कर दिये गये थे। मगर इन्द्रा गांधी की सरकार ने, और चाह्वाण साहब ने उन तमाम कर्मचारियों को अपने-अपने पदों पर बहाल कर दिया। मैं इस चीज को इसलिये कहना चाहता हूं कि सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति बदले की भावना नहीं रखनी चाहिये। अभी यहां यह कहा गया था कि १० मार्च को मुख्यमंत्री जी से कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला था। एक मई को एक कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। "अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है, मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े हैं, पिता के समान हैं, बड़े भाई हैं, प्रदेश के मुख्य मंत्री होने के नाते उन्हें चाहिए था कि वह कर्मचारियों को माफ कर देते, क्षमाकर देते। तमाम कर्मचारियों को एक बार अवसर देते कि वह राज्य की सेवा करते, प्रदेश के तमाम विकास योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते। जो योजनाएं आप कार्यान्वित कर रहे हैं, उनमें यदि आप राज्य कर्मचारियों के नेतागण का सहयोग लेते, कमचारी नेता जो सिपाही समझकर उनका सहारा लेते, जो अपने लिए नहीं लड़ थे, तो उनकी सफलता में कोई सन्देह न रह जाता। कर्मचारियों को अपने पदों पर बहाल कर के गांधी शताब्दी वर्ष में उनके साथ मानवता का और अंहिसात्मक व्यवहार करके यदि आपने एक उदाहरण पेश किया होता, तो यह प्रदेश के लिए बड़ा हितकर होता। आप बड़े हैं इसलिए आपको उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए था, बदले की भावना से उनके साथ कोई कार्यवाही करना आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा, साग्रह निवेदन करूंगा, क्योंकि वह कर्मचारियों के नेता रहे हैं, श्रमिकों के हमदर्द रहे हैं और गरीबों और मजदूरों के बीच काम करने का उन्हें काफी अवसर मिला है, कि वह दंडित राज कर्मचारियों के बारे में सहानुभूति पूर्वक एक कर्मचारी नेता की भांति सोंचे कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से आन्दोलन नहीं किया था, उन्होंने लाखों कर्मचारियों के दुख-दर्द में हाथ बंटाकर न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष किया था।

अध्यक्ष महोदय, मान्यवर बलवीर सिंह जी ने पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया था कि इस समय १८ करोड़ ५४ लाख रुपया व्यापारियों पर सेल्सटक्स का बकाया है। उनका लिखित उत्तर मेरे पास है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर राज्य का करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है, लाला रामरतन गुप्ता जसे लोगों पर करोड़ों रुपया बकाया है। कितना ही अच्छा हुआ होता यदि आप इस करोड़ों रूपये की धनराशि को वसूल करके अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों का प्रोफेशन टैक्स माफ करते। इस प्रोफेशन टक्स से राज्य को कवल १ करोड़ ८० लाख रुपये की इस समय आय होती है। अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों पर अनावश्यक रूप से प्रोफेशसन टैक्स का भार प्रदेश सरकार ने डाल रखा है जिससे उन्ह बड़ा कष्ट है। इस सम्बन्ध में मुझे इस बात की आवश्यक रूप से खुशी है कि प्रोफेशन टैक्स की न्यूनतम सीमा ३६०० से बढ़ाकर ४,२०० रुपये कर दी गई है, जिसकी माननीय नारायण दत्त तिवारी न घोषणा की हैं। लेकिन यह ४,२०० की सीमा बहुत कम है, इतने वार्षिक आयवालों की हालत कोई सन्तोषजनक नहीं है। फाइनेन्स कमीशन ने इस बात की रिपोर्ट की है कि ७५०० रु० तक की वार्षिक आय वालों पर डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। इन्कम टक्स क साथ साथ प्रोफेनश टक्स लगाना बहुत अन्याय की बात है। ७५०० पर डबल टक्सशन की बात तो दूर रही, मैं तो निवेदन करूंगा कि उन पर इनकम टैक्स भी नहीं लगना चाहिये। कौंसिल को तोड़कर २० लाख रुपये की बचत की गई है, इसी प्रकार से कुछ अन्य बचत करके सरकार को चाहिये कि वह शीघ्र से शीघ्र प्रोफेशन टैक्स को समाप्त कर दे और इन कर्मचारियों, अध्यापकों, कम वेतन पाने वालों को राहत दे। यह क्या विडम्बना है, कसी विषमता है कि लखनऊ में नियुक्त केंद्रीय कर्मचारी या अन्य प्रतिष्ठानों का कर्मचारी आपको प्रोफेशन टैक्स दे, जबकि दिल्ली में जो काम करता है, बिहार के अन्दर जो काम करता है या राजस्थान में काम करता है, वह न दे।

[श्री राम गोपाल संड]

इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा बड़ी नम्रता से कि अल्पवेतन वाले जो लोग हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, इस प्रोफेशन टैक्स ने उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी है, आप उस अन्याय का मार्जन करें ।

अन्त में मैं एक बात की ओर और आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वच्छ प्रशासन की बहुत बात होती है । मैंने एक सवाल पूछा था, जिसका उत्तर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं कि चीनी मिलों में जो १९ या २० रिसीवर्स नियुक्ति किये गये हैं, उनमें से १२ रिसीवर्स एक जाति विशेष के लोग हैं । मैं जातीयता में विश्वास नहीं करता, कोई मेरी जाति भी नहीं जानता । मैं १९६४ में स्नातक क्षेत्र में केवल ६ वोट से हारा था और मने कहीं भी अपनी जाति नहीं बताई । मुझे इस चीज को देखकर बड़ा खेद और आश्चर्य होता है कि चीनी मिलों में एक जाति विशेष के लोगों को रिसीवर्स के स्थान पर इस प्रकार से नियुक्ति की जाये । यदि यह मेरी गलतबयानी है, तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह मुझे करेक्ट कर दें । आपके भाई में क्या खासियत थी कि आपने अपने सगे भाई को एक चीनी मिल में रिसीवर नियुक्त कर दिया ? पिछले बार जब बजट पर चौधरी चरण सिंह जी, नेता विरोधी दल की हैसियत से चार घंटे तक बोले थे और उन्होंने अग्रवाल, गुप्ता, कंसल, बंसल, गोयल का प्रश्न उठाया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी । क्योंकि हम सब भारतमाता के पुत्र हैं और किसी भी प्रकार का पक्षपात, चाहे वह जातीयता पर आधारित हो या अन्य प्रकार का हो, सभी हेय और निन्दनीय है । कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हम सब भारतीय हैं और यह देश हमारा है, इसी प्रकार से बलिया से मथुरा तक यह एक प्रदेश है और उसमें हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिख सभी समान रूप से रहते हैं, सभी के समान अधिकार हैं । बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रीय, ठाकुर आदि जातियों के आधार पर नागरिकों के मध्य परस्पर सरकार की ओर से भेदभाव होना अत्यन्त अनुचित बात है । मुझे खुशी है कि हाईकोर्ट ने रिसीवर्स की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया नहीं तो यह गलत परम्परा यों ही चला करती ।

हिन्दी के बारे में घोषणा की गई है कि हिन्दी में सारे काम होंगे, न्यायालय में निर्णय हिन्दी में दिया जायेगा । इलाहाबाद के अन्दर करीब १५ हजार केंद्रीय और प्रदेशीय कर्मचारी रहते हैं । सभी दफ्तरों के अन्दर अंग्रेजी को छोड़ दिया जाय । सेक्रेटेरिएट से अब भी अंग्रेजी में पत्र साइक्लोस्टाइल होकर जाते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यह राजर्षि टंडन का प्रदेश है, रहीम, रसखान का प्रदेश है। वित्त मंत्री जी हिन्दी के समर्थक हैं, प्रदेश मे जितना कार्य हो हिन्दी में होना चाहिये । जो अधिकारी हिन्दी में काम नहीं कर सकते, मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि उनको प्रीमेच्योर रिटायर कर दें ।

वित्त मंत्री जी ने कहा कि पेंशन जल्दी दी जायगी । मैंने अक्तूबर के महीने में उस समय के वित्त मंत्री महोदय से कहा कि हाईकोर्ट के छः आदमी १९६८ में रिटायर हुए, उनके वेतन के कागजात ही नहीं मिलते । सौ-सौ दो-दो सौ रुपये पाने वाले क्लर्कों के कागजात सेक्रेटेरिएट में नहीं मिलते । मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि जल्द से से जल्द, ६ महीने के अन्दर, ८ महीने के अन्दर, कर्मचारियों को पेंशन दी जाय । इन शब्दों के साथ में वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रोफेशन टैक्स समाप्त करे, मकानों की समस्या हल करें, प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दें और तमाम आन्दोलन में निकाले गये राज्य कर्मचारियों को उनके पदों पर बहाल करें ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को जब मैं सुन रहा था तो उस पर बड़े गौर से यह सोच रहा था कि क्या यह इस सदन में प्रथम बार है कि हम को यह समझाया जाय कि बजट किस को कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है ? ठीक है, यदि बजट में कोई विशेषता हो या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो तो यह स्वाभाविक है

कि दूसरे देशों की बजट पद्धति का उदाहरण देते हुये और अपने यहां की जो बजट प्रणाली रही हो, उसमें कोई अन्तर हो तो उसका दिग्दर्शन कराना वित्त मंत्री का कर्त्तव्य हो जाता है। ऐसा लगा मानो आज उत्तर प्रदेश का यह बजट पेश नहीं हो रहा है। ऐसा मालूम हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका का बजट इस सदन के समक्ष पेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में बहुत ही गरीब प्रदेश है। जब गरीब प्रदेश है तो वहां की जनता से आशा की जाती है कि वह पढ़ी-लिखी नहीं होगी, कोई आलिम फाजिल, यहां नहीं होंगे अर्थात् कोई पारंगत लोग नहीं होंगे। आशा की जाती रही कि यहां के बजट की ऐसी परिभाषा करें जिससे जनता की वह समझ में आ सके। मोटे तौर से बजट की परिभाषा यह है कि जनता से जो कुछ हम आमदनी प्राप्त करें उसका वितरण उन्हीं की आवश्यकता अनुसार कार्यों पर करें जिससे वह समृद्धि के रास्ते पर चल सकें।

वास्तविक स्थिति यह है कि जो बजट पेश किया गया है वह घाटे का बजट है। २३ करोड़ ७२ लाख घाटे का बजट है। अर्थ-शास्त्रियों में इस संबंध में मतभेद है, कोई डेफिसिट बजट को अच्छा समझते हैं कोई सरप्लस बजट को। इस मामले में अंतिम केंद्र बिन्दु पर अभी कोई पहुंच नहीं सका। बजट अगर घाटे का हो तो कोशिश की जाती है कि कौन सी ऐसी प्रणाली करें जिससे उसे आगे चल चला कर हम उसका समुचित ढंग से संचालन कर सकें। सरप्लस बजट है तो किन आइटम्स की वजह से ऐसा है। वह हिसाब किताब अच्छा नहीं समझा जाता जिसमें दो पैसे भी ज्यादा बढ़ गये हों। बजट के लेखा जोखा से जानने की यह आशा की जाती है कि यह जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है वह एक आइना होगा। हमारे सामने उस खामी को दूर करने के लिए। बहुत से लोग शोर शराबा करते रहते हैं कि केंद्र हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं करता है। बजट एक जाइजा है जिससे देख कर हमको पता चल जायगा कि हमारी दुर्गति, हमारा पिछड़ापन दूर होता है या नहीं।

हमारे मित्र नैनीताल के एक माननीय सदस्य ने बड़े पांडित्य से इस बजट को पेश किया है। मैं स्वयं इस बात की तलाश में था कि देखूं उसमें कोई ओरिजिनेल्टी है या नहीं है। फायनेंस विभाग में कौन कौन से लोग हैं। समझना है। वे शासन की जैसी इच्छा देखते हैं एक सांचा बना कर तदनुरूप ढाल दिया करते हैं उस मूर्ति को या उस बर्तन को। वह कोई बड़े ऊंचे दर्जे के अर्थ शास्त्री हैं, फायनेंस के ज्ञाता हैं या उन्होंने देश की भावनाओं को दृष्टि में रख कर अपने जनजीवन काल में ऐसे कोई आर्थिक पहलुओं को लेकर कार्य किये हों जिनसे राष्ट्र का उद्धार हुआ हो, यह मैं नहीं जानता। लेकिन इतना अवश्य जानता हूं और यह कह सकता हूं कि जो परिपाटी है बजट भाषण के तैयार करने की वही उन्होंने भी तोड़ मरोड़ कर अपनाई है। जो कर्मचारी बजट तैयार करते हैं उनको मंत्री धन्यवाद देते हैं, सेक्रेटरी साहब को, उनके स्टाफ को और जो एक परिपाटी है सौजन्यता के व्यवहार की, वही इसमें भी बरती गयी है एक लकीर का फकीर बन कर। अगर शासकों ने कह दिया कि सवा ६ एकड़ जमीन पर से मालगुजारी हटा दी जाय। उन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया कई करोड़ का हौवा सामने रख कर। अगर कह दिया कि ३.१८ एकड़ भूमि पर से लगान हटाने का हिसाब किताब बना दी तो उसे तैयार कर दिया। अब अगर उनसे पूछा जाय कि ये आंकड़े आप कहां से लाये-जो लेखपाल चौपाल में बैठ कर बनाता है उसी से तो तयार किये गये होंगे। पुराने जमाने में पटवारी गांव में खेत खेत पर जाकर कागज तैयार करता था, देखभाल कर उस तरह का लेखपाल अब कहां है, जैसा आजकल स्टैन्डर्ड है वैसी उनकी जानकारी है। सबको अच्छी तरह से मालूम है कि थोड़े आंकड़ों के बल पर यह हिसाब किताब का नक्शा आजकल तैयार किया जाता है।

एक जमाना था। मैं एक साधारण सदस्य था। इस सूबे की कुल आमदनी उस समय १६–२० करोड़ के बीच में हुआ करती थी और आज हम नक्शा अथवा बजट तैयार करते हैं एक अरब के ऊपर का लेकिन आवाज यह आती है कि खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं। शहरों की चकाचौंध को भले ही देख लीजिए लेकिन उसके बावजूद

[श्री रामकुमार शास्त्री]

गांव का नौजवान जब शहर में आता है तो रिक्शा चलाता है, चारबाग स्टेशन पर कुली का काम करता है। जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां का नौजवान लखनऊ शहर में रिक्शा चला कर, कुली का काम करके भी अपनी रोजी-रोटी नहीं कमा पाता है, घर पर उसका बूढ़ा बाप खेत पर काम करके अपनी दो-जून रोटी का इन्तजाम ही कर पाता है। दयनीय दशा है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने चक्रवृद्धि हिसाब लगाकर फरमाया कि पर कैपिटा आमदनी बढ़ गई है। आखिर किस आधार पर यह आमदनी बढ़ी है जरा इसका भी अनुमान करते। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे गांवों में जाकर देखें कि इंसान की हैसियत कहां पर पहुंच गई है। शहरों की तरफ देखने का प्रयास न करें। एक पुराना जमाना था जब औरतें हजारों रुपये का जेवर पहना करती थीं। आज उनकी क्या स्थिति है? मंत्री जी बतलायें कि आज उन औरतों की आर्थिक स्थिति कितनी बदली है? आज उन्होंने कितनी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है? यह भी देखने की बात है। जब कभी किसी के पास मुसीबत आती थी तो उस जेवर के आधार पर वे अपने घरों में अपनी इज्जत को बचाया करते थे। आज क्या स्थिति है जरा उन गावों में जाकर इस बात का पता लगाया जाय कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी आगे बढ़ी है।

हमने अपने देश में बहुत सी योजनाएं बनाईं। जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे नेता स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक ऐसी योजना तैयार की जो पंचवर्षीय योजना के नाम से थी। ५ साल के लिये उस योजना का संचालन करने का कार्यक्रम बनाया। यह योजना रूस के ढंग से ली गयी चूंकि वहां पर पहले पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कुछ लोगों ने वहां रूस में जाकर वहां के अर्थशास्त्रियों से जाकर सलाह मशविरा किया। उन्होंने बताया कि हमने तो अपने देश की स्थिति को देखकर ५ साल के लिये योजना तैयार की है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को शौक हो गया था बाहरी देश विदेशों का पर्यटन करने का। यहां से कुछ देशभक्त पशमीने की शेरवानी पहनकर रूस चले गये। चकाचौन्ध करने वाले इस प्रकार के पहनावे में एक महिला भी पहुंची। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कहा गया कि भारतवर्ष गरीब देश कैसे है जब वहां के रहने वाले इतने सुन्दर कीमती कपड़े पहनते हैं। वहां के लोगों ने कहा कि आखिरकार हमारे देश की हालत ऐसी है कि जब तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति का भालिभांति सुधार न करें तब तक विलासिता की किसी भी सामग्री का उपभोग नहीं कर सकते। जहां से पंचवर्षीय योजना की हमने नकल की वहां पर इस प्रकार की भावना लोगों के अन्दर थी और कहते थे कि जब तक सबको समान स्तर पर नहीं लायेंगे, जब तक जीवन साधारण लोगों का समान नहीं होगा तब तक हम अपनी निजी सुविधा का कोई खयाल नहीं कर सकते।

डिमोक्रेसी की बहुत सी परिभाषाएं हैं जिनका आश्रय लेकर लोग प्रजातंत्र और लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। लेकिन देखना यह है कि वास्तव में लोकतंत्रवाद क्या है। यह देखना है कि आखिर झगड़ा किस बात का है। जो राजनीतिज्ञ हैं पुराने जमाने की बात उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन जो स्वर्गीय पं० जवाहर लाल जी का कथन है उस पर विचार करना है। आखिर डिमोक्रेसी क्या है? उनका कथन है कि राजनीति और आर्थिक स्थिति का डेमोक्रेसी से ताल्लुक है साथ ही एक ताल्लुक मानसिक भी है। मानसिक संबंध से डेमोक्रेसी का संचालन जो होता है वह संतुलित होता है, हम यह अनुभव करते हैं कि यहां पर चार आदमी बठकर एक कानून बना दें। चार आदमी बैठकर चाहें तो उनको आसमान पर पहुंचा दें और चाहे तो जमीन पर। डेमोक्रेसी के यह माने नहीं हैं कि बजट को देखने से यह झलक न पैदा हो कि इसमें कुछ भी गरीबों के लिये नहीं किया गया है। पुराने जमाने में रामचन्द्र जी प्रजा की स्थिति को जानने के लिये घूमा करते थे। वह पता लगाया करते थे कि प्रजा की वास्तविक स्थिति क्या है। यही कारण था कि पता लगने पर लोक लाज के कारण उन्होंने पत्नी को त्याग दिया था जितने भी इन्लाइटेन्ड लोग हुए हैं उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया है। जनता की दशा जानने के लिये।

मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस बात का पता लगाया जाय कि उत्तर प्रदेश निवासी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अथवा पिछड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी सेक्रेटेरिएट में चक्कर नहीं लगाते, यदि जाते तो मालूम हो जाता कि एक और दो मिलाकर ३ होते हैं या एक और दो में कुछ और जोड़ना है। असंतोष पराकाष्ठा पर है यह कहा जाता है कि स्वच्छ प्रशासन हो। ठीक है, स्वच्छ प्रशासन होना बहुत अच्छी बात है। हम सभी यही ख्वाब देखते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यही स्वच्छ प्रशासन है कि जिला बरेली के बहेड़ी तहसील में वहां की एक नवयुवती जो कि एक फौजी सिपाही की औरत थी, के साथ अन्याय किया गया, भगाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। यह बात समाचार-पत्रों में भी आई है। पुलिस वालों से जो रिपोर्ट आई उसमें भी कहा गया कि रिपोर्ट ठीक तरह से नहीं लिखी गई। वहां के बी० डी० ओ० ने रिपोर्ट किसी तरीके से डी० एम० के पास पहुंचा दी। इसकी तहकीकात माकूल तरीके से होनी चाहिये। जांच करने से मालूम हो जायगा। वहां आतंक फैला हुआ है। वहां के डी० एम० ने जब कार्यवाही शुरू की तो उसका तबादला तुरन्त कर दिया गया। क्या यही स्वच्छ प्रशासन है? आज एक चलता-फिरता व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं पाता है। जो १०० रुपये पाने वाला लिपिक है वह न मालूम किस तरीके से अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करता है उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिये कोई साधन नहीं है, उसके लिये इसमें कोई राहत नहीं है। जब चाहे मनमाने ढंग से तबादला कर दें। वित्त मंत्री जी के भाषण में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म के बारे में भी कहा गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह उदाहरण कोई नवीन उदाहरण नहीं है। इससे भी लम्बी-लम्बी बातें हैं। एक आई० जी० को सुपरसीड करके एक बहुत जूनियर आदमी को वहां पर रखा गया है। श्री पं० काली शंकर त्रिपाठी जी हैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहिये था, पर बे मौके उनका तबादला जिले में कप्तान की हैसियत से किया गया जब कि उन्हें डी० आई० जी० पुलिस के पद पर होना था। अच्छे अफसर के बढ़ने का मौका इस शासन में नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या यही स्वच्छ प्रशासन है? और कौन वक्त आयेगा जब यहां का प्रशासन स्वच्छ होगा? इस प्रकार की ज्यादती की जितनी भी उपमा दी जाय उतनी ही कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस बजट को बनाया है वे इसी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले लोग हैं। कोई नई बात इसमें नहीं कही गई है। यह गोखले जी की प्रतिमा से होड़ किये पर सार कुछ नहीं है। लेकिन यह मैं जानता हूं कि यहां पर ऐसे जनसेवक हैं जिनकी इतनी सेवाएं होंगी, जितनी कि मंत्री जी की उम्र होगी। इसी जगह पर सेवाएं करते करते उम्र गुजर गई। खुद की योग्यता भले ही उतनी न हो लेकिन योग्य महापुरुषों के साथ उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। माननीय गोविंद वल्लभ पन्त के साथ-साथ इसी आदरणीय सदन का एक सदस्य रह चुका हूं और इसी आपकी कुर्सी पर आदरणीय, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन विराजते थे उनका पर्सनल असिस्टेंट भी रहा हूं। अब आप हमारे सामने एक ऐसा बजट रखते हैं जिसका कहीं मिलाब ही नहीं है। जिसमें विभिन्न विभागों की रिपोर्ट मिला कर रख दी गई है। जैसे किसी फटी धोती में कहीं रेशम का, कहीं गबरून का और कहीं नैनसुख का पैबन्द लगा दिया गया हो। इस मिनिस्ट्री में तो यह खयाल भी नहीं रखा गया कि किसके हाथ में कौन सा विभाग देना उचित होगा। वैसे तो सभी मंत्री हमारे मित्र हैं। इधर के लोग भी हमारे मित्र है और उधर के बैठने वाले भी अपने मित्र हैं लेकिन जमाने का तकाजा है कि दोनों मिलकर एक ऐसी रूपरेखा बनावें जिससे उत्तर प्रदेश का भविष्य उजज्वल हो सके।

पंचवर्षीय योजना का आपने क्या किया है। कहीं का तीतर कहीं की बटेर। अपने-अपने क्षेत्रों में मंत्रियों ने सारे कार्यों को करने का प्रयत्न किया है। इससे परिणाम किस प्रकार से अच्छा होगा। अनुभव का तकाजा यह बताता है कि ड्यूटी बिफोर राइट होना चाहिये

[श्री रामकुमार शास्त्री---]

आपके अपने क्षेत्र की समस्या ही आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या तो सारे प्रदेश की समस्या है ।

मैं ट्रांसराप्ती क्षेत्र बस्ती जिले से आता हूं । वहां पर आपने नेशनेलाइजेशन आफ शुगर मिल्स का बड़ा हल्ला मचाया । लेकिन गन्ने के भाव की क्या हालत हो रही है ? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि खेती बाड़ी के लिये जो चीजें आवश्यक है, उनकी कितनी कीमतें बढ़ रही हैं ?

[इस समय ३ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह (सहारनपुर) पीठासीन हुए ।]

अधिष्ठाता महोदय, इसी उत्तर प्रदेश में लाखों मन गल्ला सड़ गया, न मालूम कितने दरख्त काट डाले गये । सरकार ने स्वयं ही बताया कि हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई जिसको लोगों में बांटा जायगा । पहला जो आराजी कानून था उसका जैसा कानून तो आज भी आप नहीं बना पाए । उसमें कितनी ही नवैयत की जमीन थी, जब कि अब तो केवल ३-४ नवैयत ही रह गयी है । लेकिन पंचायत सेक्रेटरी, लखपाल, अमीन, नायब तहसीलदार इन सब लोगों के बीच में किसान पिसा जा रहा है । कोई भी सहायता उसको वक्त पर नहीं मिल पाती । कौन सी व्यवस्था है । मेरी तो बहुत विनम्र राय है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को समाप्त कर देना चाहिये और ऐसा बजट बनाना चाहिये ताकि सबकी समझ में आ जाय और जितना भी रुपया विकास कार्यों तथा योजना में रखा जाय उसका इन्क्रीजिंग रिटर्न हो, डिक्रीजिंग रिटर्न न हो । और जो स्वच्छ प्रशासन वाले हैं उनको भी अपने कलेजे पर हाथ रखना चाहिये और भर पेट खाने की व्यवस्था होनी चाहिये, लड़कों को अच्छी तालीम की व्यवस्था होनी चाहिये और शिक्षा प्रणाली में काफी तब्दीली होनी चाहिये । बच्चों के दोपहर के खाने के लिये चन्द लाख रुपये की व्यवस्था हो रही है । इससे क्या होगा ? स्वच्छ प्रशासन की व्यवस्था कीजिये और तमाम रेवोल्यूशनरी चेंजेज लाइए तब आपका यह बजट सार्थक हो सकेगा ।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद ही देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रामधारी शास्त्री

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, परिपाटी यह रही है कि एक विरोधी दल की ओर से और दूसरा सरकारी पक्ष की ओर से बुलाया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता---

कोई खड़ा ही नहीं हुआ ।

श्री महीलाल---

मने नाम दे रखे हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

शास्त्री जी बोल लें उसके पश्चात् देखा जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, जब इस इत्तफाकिया सरकार के अपने को समाजवादी कहने वाले वित्त मंत्री के द्वारा साढ़े २३ करोड़ के घाटे का बजट देखा तब हमारी तबियत दंग रह गई। मुझे इधर-उधर जाने का मौका भी मिला। गरीब इस बजट के बारे में क्या सोचता है, क्या हूं। मुझे उर्दू की एक लाइन याद आती है जो मैं आपकी इजाजत से पढ़ देता हूं।

रहा महरूम मैं साकी तेरी नजरे इनायत से,
तड़पता है दिले बेकस मेहरबां देखते जाओ।

तो यह रिएक्शन है गरीब का। मैंने पूरे बजट को देखा और माननीय वित्त मंत्री जी के सुन्दर शब्दों में उनके भाषण को भी देखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि अन्त में उन्होंने अपनी बेबसी को स्वीकार किया है। वह कहते हैं कि यह केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है कि देश में वह समाजवाद लाय, कोई हमारा ही उत्तरदायित्व नहीं है, हमतो ज्यादा काम नहीं कर सकते। वह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ष की बजट अवधि में समाजवाद या यों कहें कि कल्याण-कारी समाज नहीं ला सकता और बहुत अंशों में आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का बनियादी काम केंद्र का दायित्व है, यह हम सभी जानते हैं। हमारी उनसे शत प्रतिशत सहमति है कि जब तक दिल्ली की सरकार, जिसकी तहत में वे यहां काम करते हैं, जिसके इशारे पर यह कुर्सी मिली हुई है, उसकी नीतियों में आधारभूत परिवर्तन नहीं होता तब तक इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। इसके साथ ही हम यह समझते थे कि इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो निश्चय ही प्रदेशीय सरकार के अधीन हैं और उनमें माननीय तिवारी जी समाजवादी दृष्टिकोण अपनायेंगे। जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो उसमें कुछ संकेत दिये गये लेकिन जब बजट भाषण आया तब मैं समझता हूं कि उसमें शायद समाजवाद की कुछ गंध ही नहीं रह गयी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में भी बड़ा भारी झगड़ा चला आ रहा है गेहूं और गुलाब का। आया यह सरकार गुलाब की क्यारियों की ओर रहेगी या गेहूं के खेतों की ओर जायेगी। पहले हमारे लिये हंगर जरूरी है या सेक्स जरूरी है। यह बजट भी गुलाब की ओर ज्यादा दृष्टि रखता है, गेहूं की ओर बिल्कुल कोई नजर नहीं है। शहरों में काफी प्राविधान करने का संकेत है। अगर गांवों में उसका २ प्रतिशत भी किया जाता तो मैं समझता कि आप समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, मैं सबसे पहले कृषि विकास की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने कहा कि पिछली सरकार ने १९.२ प्रतिशत रखा था कृषि विकास के लिए और हमने रखा है २०.६ प्रतिशत। मगर रखा आपने है किसके लिये? क्या इससे गरीबों का भला हो जायेगा? मैं समझता हूं कि इससे छोटे किसानों का भला होने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जी आंकड़ों के जल में बहुत रहते हैं। आंकड़े यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के ७३ प्रतिशत छोटे किसान हैं जिनके पास सवा छः एकड़ से कम जमीन है और २७ प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास सवा छः एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो आप देखें कि ट्यूबवैल कौन लगवा सकते हैं, अच्छी खाद का प्रयोग कौन कर सकता है, कर्ज देने के लिए भी मालियत पर भी उसकी मालगुजारी देख कर ही दिया जाता है। आपने जिनके पास ३-१।८ एकड़ भूमि है उनकी मालगुजारी माफ करने की घोषणा की है लेकिन मुझे शुबहा है कि यह रहेगा भी या नहीं क्योंकि अब तक इसके लिये कोई बिल नहीं आया। आपने कहा कि ऐसे किसानों की संख्या जिनके पास ३–१/८ एकड़ से अधिक भूमि नहीं है ५० प्रतिशत से ज्यादा है। तो आपके आंकड़ों के अनुसार ही यह सिद्ध हो गया कि उनको बहुत सी सुविधायें नहीं मिल पायेंगी आप टाटा और बिड़ला को ४ पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं, लेकिन गरीब किसान को सिंचाई के लिए १९ पैसे से लेकर २५ पैसे प्रति यूनिट पर देते हैं। यह है आपका समाजवाद? पता नहीं कि यह इंदिरीकरण है या चौधरीकरण है। पता नहीं यह इंदिरा जी का समाजवाद है, या पं० कमलापति जी का समाजवाद है, या नारायण दत्त जी का समाजवाद है।

[श्री रामधारी शास्त्री]

इसी सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास के लिए कुछ नहरों का प्राविधान है। माननीय सिंचाई मंत्री जी हमारे जिले में तशरीफ ले गये थे। वहां एक गंडक नहर निकल रही है। उसमें बहुत सी जमीन ली जा रही है। केंद्रीय सरकार का कानून है कि बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाय मगर सरकारी अफसर अगर उनसे कहा जाय तो कहते हैं कि तहसील के दफ्तर में जाकर देखों कितने पर जमीन बेची। जब २ हजार की जमीन बेची जाती है तो बैनामा किया जाता है १ हजार का टैक्स बचाने के लिये, और १ हजार छोड़ देते हैं। इसके लिए तुरन्त आदेश होने चाहिये कि जो प्रीवेलिंग मार्केट रेट है उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाय। काश्तकार चाहे कहे या न कहे, यह ड्यूटी सरकार की होनी चाहिये। सरकारी अफसरों को चाहिये कि पता लगाये कि मौजूदा मार्केट रेट क्या है? इसी से ताल्लुक रखने वाला बिजली का मुहकमा है। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि पटेल कमीशन बना पूर्वी जिलों के लिये। उसने सिफारिश की थी कि विकास परिषदों की स्थापना की जायेगी, मगर वह नहीं हुआ। तो कम से कम जो पटेल कमीशन ने सिफारिश की है उसको तो मान लें। मैं पूर्वी जिलों में और पश्चिमी जिलों के बीच झगड़ा नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि पटेल कमीशन की सिफारिश को नहीं माना गया जिससे पूर्वी जिलों में जो विकास होने वाला था वह नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि पूर्वी जिलों में १२.७३ रु० प्रति क्विंटल पर गन्ना बिकवाया चौधरी साहब ने और पश्चिमी जिलों में १७ या १८ रु० प्रति क्विंटल पर बिकवाया। यह है दृष्टिकोण हमारे मुख्य मंत्री जी का पूर्वी जिलों के बारे में।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा जब वह सरकार बनाने वाले थे तो उन्होंने कहा था फौरन सीलिंग लायेंगे और जब सीलिंग में दबाव पड़ा इंडीकेट कांग्रेस की ओर से या कुछ ऐसे मेम्बरों की ओर से जो बड़े बड़े फार्मों पर कब्जा किये हुए हैं तब चौधरी चरण सिंह की सरकार का इरादा बदल गया वरना उन्होंने घोषणा की थी सारे अखबारों में कि २३ फरवरी से लागू होगा। कहां गया वह कानून? वह अपने वादे से हट गये। इसी तरह मान्यवर जब सवा छः एकड़ तक की जमीन के लगान माफी के बारे में कहा गया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं सिद्धांत रूप में राजी नहीं हूं लेकिन जब दबाव पड़ा तब माननीय चौधरी साहब ने चेयर के लिए, सत्ता के लिये इसे मंजूर किया कि ३ १/८ एकड़ तक करेंगे। कहां गया उनका सिद्धांत? कहां गये वायदे उनके? क्योंकि वह कुर्सी के लिए चिपके हुये हैं? जिस भी तरह से हो अच्छा या बुरा प्रयास करना पड़े, मान्यवर मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहमो हूं वह सब कुछ करने को तैयार हूं। माना मैंने कि आपको सीलिंग लाने में कठिनाई है। तो आप यह क्यों नहीं करते कि बड़ी बड़ी जोतों पर मालगुजारी की दरें बढ़ा दें। दस एकड़ की सीमा तक चार रुपया और पांच रुपया कर दें और उसके ऊपर दरें बढ़ाते चले जायं। बात आप समाजवाद की करते हैं लेकिन कार्य उसके खिलाफ करते हैं। आप जो कहते हैं उसको भंग करते हैं और यह उनके शासन की नीति बनती जा रही है।

मान्यवर, इसी सिलसिले में कुटीर उद्योग की चर्चा की गई। मैं बहुत अदबसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार की और कुछ पुराने खद्दरपोशों की साठगांठ है। कुछ गांधी आश्रम में है और कुछ खादी कमीशन में है और करोड़ों रुपया इन संस्थाओं को दिया जाता है और उसका सरकार के पास कोई माकूल हिसाब नहीं है। गांधी आश्रम में लाखों रुपया मुनाफा होता है लेकिन वहां के कर्मचारियों को मर्यादित वेतन नहीं दिया जाता, सरविस की कोई गारन्टी नहीं है इस तरह की संस्थाओं को कुटीर उद्योग के नाम पर पैसा देना शासन की नीति के खिलाफ है क्योंकि इसका सारा बोझ जनता के ऊपर पड़ता है।

पुलिस और भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उन्होंने एक तरीका बना लिया है अफसरों का ट्रांसफर करना, बड़े अफसर को छोटा अफसर बना देना और छोटे

अफसर को बड़ा बना देना । इस तरह आतंक फैलाकर स्वच्छ प्रशासन नहीं बनाया जा सकता । मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि केवल सख्त कानून या सख्त बातों से स्वच्छ प्रशासन नहीं होता । लेखपाल सारे खुरापातों की जड़ है और कांस्टेबुल सारी शरारत करता है। मगर सोचिये कि आप उनको देते क्या हैं ? लेखपाल को ७५ रु० माहवार और कांस्टेबुल को ७० रु० माहवार । किसी कांस्टेबुल को ७० रुपया देकर माननीय चरण सिंह जी की क्या हैसियत अगर गांधी जी भी हुकूमत करते तो उसे पवित्र नहीं रख सकते क्योंकि आज के बढ़ते हुए दामों के समय में उसको खाना पीना मुश्किल है । पंचायत मंत्रियों को बी०एल० डब्लू० का वेतन दिया जाना चाहिये । जिस वेतन पर वह अपने बालबच्चों का पेट नहीं भर सके उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि रिश्वत का मामला भी अब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। छोटे कर्मचारियों से यह शिफ्ट होकर बड़े कर्मचारियों के पास पहुंच गया है और वह ऐसी जगह है जहां पर कोई पूछ नहीं सकता है। आपका पी०सी० एस० काडर है। इसकी कोई गारन्टी नहीं है कि वह कितने दिनों तक सेवा करने के बाद आई० ए० एस० में आयेगा या सेलेक्शन ग्रेड उसको मिलेगा । आपके पास इसकी कोई गारन्टी नहीं है। इस प्रकार से इसमें भी कोई मोबिलिटी नहीं है। कर्मचारियों के अन्दर इस प्रकार की चीज अवश्य रहनी चाहिये तभी उनको अधिक काम करने की रुचि जाग्रित होती है। अन्यथा सर्विसेज में कहीं पर भी भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं हो सकता है।

पुलिस के आपको दो उदाहरण मैं देता हूं । हमारे देवरिया जिले में १० अप्रैल को यह घटना हुई कि बिसुनपुरा में दरोगादीह गांव है। वहां पर खेत को लेकर दिन में साढ़े ९ बजे कत्ल कर दिया गया । आज तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । पुलिस वहां पर एक दम निष्क्रिय रही उसने कुछ भी नहीं किया । हमारे यहां जिले में पटहरवा में बनकटा गांव में दिन के साढ़े ४ बजे डकैतों का आक्रमण हुआ और उन्होंने वहां पर खुले रूप में लूट पाट किया । एक व्यक्ति दर्शन की भैंस को खोलकर ले गये। पुलिस कुछ नहीं कर सकी । कान्सटेबुल पुलिस का जो आदमी था वह डकैतों से मिला था । जब वह अपनी रिपोर्ट लाज करने के लिए चला तब उसको पुलिस वालों ने अपने जाल में फांस कर बन्द करवा दिया ताकि वह रिपोर्ट न लिखवा सकें । इसी प्रकार से हमारे प्रदेश का पुलिस प्रशासन है वह चाहे चौधरी चरण सिंह का हो या और किसी का । जनता आज अपने जान माल की कोई भी सुरक्षा नहीं महसूस कर रही है और पुलिस वालों का बजाय रक्षा करने का डकैतों का सा हाल हो रहा है।

परिवहन विभाग, रोडवेज विभाग का कुछ जिक्र आज प्रश्नोत्तर काल में ही हो गया । यह कहा जाता है कि वहां पर भी बड़ा भारी भ्रष्टाचार है । एक कन्डक्टर जो नान-मैट्रिक है ४० रु० से ७० रु० तक वेतन पाता है । आप इसका अन्दाजा करें कि मई, १९७० में जिस कन्डक्टर को ४० रु० वेतन मिलता है वह उससे क्या कर सकता है । जाहिर है कि वह टिकट की चोरी करेगा । यह वेतन उसके जीवनयापन के लिए बहुत ही कम है । उसको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है । पहले एक कमीशन बैठा था और उसने एक स्केल स्वीकार किया । प्रतिदिन पैसे की कीमत कम होती चली जा रही है। वह छोटा कर्मचारी क्या कर सकता है । उसको मजबूरन अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिये सब कुछ करना पड़ता है । अभी १९६८ में लगभग १ लाख रुपया गोरखपुर रीजन में रोडवेज कर्मचारियों का पोस्टआफिस में जमा था । वहां पर यह धन जनरल मैनेजर के नाम से जमा होता है। उसी जनरल मैनेजर के दस्तखतों से वह गरीबो का रुपया निकाल लिया गया। उसके बारे में आवाज भी उठाई गई तो एक छोटे कर्मचारी को मुअत्तल कर दिया गया । साथ ही उसी जनरल मैनेजर को तरक्की देकर एसिस्टेंट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर बना दिया गया । इस प्रकार से सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का निराकरण होगा । आप छोटे कर्मचारियों को मुअत्तल करते हैं और बड़े को तरक्की देते हैं। इससे लोगों की भावनायें क्या होगी, क्या इससे हमको स्वच्छ प्रशासन मिल सकेगा ?

[श्री रामधारी शास्त्री]

मान्यवर, पेय जल की भी चर्चा करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि जीवन के लिए यह कितनी आवश्यक वस्तु है। हरिजन कल्याण समिति की जो रिपोर्ट है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिया है कि किन किन सभापतियों ने, बी० एल० डब्लूज० ने हरिजनों के कुयें, पाइप के नाम पर पैसा लिया और उस पैसे को लगा दिया बड़े लोगों के यहां, बाबुओं के यहां, पंडित जी के यहां। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आप के इस पूरे बजट में कोई जिक्र नहीं है। चांडाल का घर हर दस गांव के पीछे होता है। आज भी यह गड्ढे का पानी पीता है, या जो बस्ती से बहुत दूर हो उस कुएं का पानी पीता है। उसके खाने का माध्यम क्या है? जब किसी के यहां कोई बारात आ जाय या कोई जशन हो तो चाहे जेठ की दोपहर हो या माघ की आधी रात हो, उसका सारा परिवार वहां रहता है और जब सब मेहमान खाकर जूठन फेंकते हैं तब उसको खाना मिलता है। आज गांधी और बुद्ध के देश में यह हाल है और खास-तौर से ऐसे लोगों की हुकूमत में जो हरिजनों का ख्याल रखने की बात करते हैं। वह उनके लिए पानी का नल नहीं दे सकते। एक-दो बीघा जमीन नहीं दे सकते।

स्वास्थ्य के बारे में भी कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के जाने के बाद मैं अपनी कांस्टी-टुएन्सी की बात जानता हूं, शायद एक भी नया अस्पताल पूरे फालिज नगर निर्वाचन क्षेत्र में नहीं खुला है। सड़कों का यह हाल है कि बरसात में अगर किसी का लड़का मरता हो तो कोई साधन नहीं है कि बैलगाड़ी से चलकर भी डाक्टर के पास पहुंच सके। कोई सड़क नहीं है। किसी विधवा का इकलौता बेटा मलेरिया से मर रहा हो तो गांधी जी के नाम पर चलने वाली इस हुकूमत में यह व्यवस्था भी नहीं है कि उसको कुनैन की टिकिया भी बिना दाम के मिल सके और गांधी जी के नाम पर वोट लेने वालों की यह हुकूमत है।

हम तिवारी जी से उम्मीद रखते हैं कि भूमि के वितरण का हिसाब रखेंगे। जब ५० फीसदी के पास तीन सही एक बटे आठ एकड़ से कम खेत है और आधे लोगों के पास आधा गट्ठा भी न हो तब आप चाहे जितनी पैदावार करें, चाहे जितनी मशीनों को लगा लें, उससे क्या फायदा?

माननीय वित्त मंत्री जी पहले श्रम मंत्री थे। आप घर तो बनायेंगे शहरों में, लेकिन कभी गांवों के गरीब लोगों को भी देखा जो पेड़ के नीचे रहते हैं? उस विधवा को भी देखा जो आंचल में अपने बेटे को छिपाकर बरसात की सारी रात काटती है। उनके लिए भी कुछ सोचा? आप मजदूरों की बात करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी श्रम मंत्री थे तब भी मैंने कहा था। अगर किसी को सजाये मौत हो जाय तो उसका कोई रिश्तेदार मर्सी अपील कर सकता है। लेकिन अगर किसी कारखाने के मजदूर की बरखास्तगी हो जाय तो सरकार पर, लेबर कमिश्नर पर मुनहसर करता है कि वह न्यायाधिकरण में एडजुडीकेशन में चला जाय। और लेबर कमिश्नर उसी यूनियन को मान्यता देते हैं जो हुकूमत की तरफदार होती है, स्वतंत्र यूनियन को नहीं देते।

बेकारी की बात कहना चाहता हूं। पैसा खर्च करने से दूर नहीं होगी। आधार-भूत कुछ करना होगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश इस संबंध में अगुवाई कर सके तो अच्छा होगा। काम के घंटे कम करिये। तभी इस समस्या का समाधान होगा। तीन योजनायें निकल गईं। उनमें बेकारी और बढ़ी ही है, खासतौर से पढ़े-लिखे लोगों में। सन् १९३४ के पहले सारे हिन्दुस्तान में काम के घंटे १२ थे। १९३४ के बाद ८ घंटे की शिफ्ट हुई। अगर बेकारी की समस्या को हल करना है और जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो काम के घंटे घटाकर ६ कीजिये, तब इस मुल्क में कुछ समाजवादी व्यवस्था हो सकेगी।

*श्री गनेश दत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता जी, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको वित्त मंत्री जी को प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने भाषण में कोई ऐसी बात न कह सकूं कि जिससे हमारे वित्त मंत्री जी को कुछ कष्ट हों। इसका ख्याल रखकर ही मैं कुछ निवेदन करूंगा। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि खेती की उपज का जो रेट है और इंडस्ट्रीयल ग्रोथ का जो रेट है उसमें आबादी का हिसाब रखने के बाद २ प्रतिशत की ग्रोथ ही रह जाती है यानी ५० साल बाद हमारे पोते की पोती या छनती, अगर हम साल में २ धोती पहनते हैं तो वह ४ धोती पहन सकेगा बशर्ते कि इस ५० साल में कोई अकाल या दैवी बाधा न आये, कोई लड़ाई वगैरा न हो। मैं चाहता हूं कि यह चीज आप जनता को स्पष्ट बता सकें कि हम ऐसी सरकार हैं कि जो इस बात पर मजबूर है कि हमारी जो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए हम २ प्रतिशत ग्रोथ करते हैं और आगे ५० साल में हम अपना स्टैंडर्ड दुगुना कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि जनता बिल ओवर थ्रो यू। ४० साल पहले मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तब जिस तरह की परिभाषा आपने बजट में दी है उसको मेरे लिये देखना कबूल होता।

मैं केवल एक बात आप से कहूंगा, बहुत थोड़े शब्द मुझे बोलना है और वह यह कि हमें देखना है कि हमारी आवश्यकतायें क्या हैं, यह तो सारे प्रदेश का पढ़ा लिखा और गैर पढ़ालिखा भी जानता है। उसमें किसी भी तरह के पांडित्य की जरूरत नहीं है। हमारी परम आवश्यकता है कि छोटे सिंचाई के साधन और बिजली का जल्द से जल्द प्रबन्ध हो जाय। लेनिन ने कहा था कि जो हमारी गोएलरो नाम की फर्स्ट प्लान है उसका मतलब है कि "कम्युनिज्म मींस सुप्रीम पावर प्लस कम्पलीर्ट एलेक्ट्रिफिकेशन।" मैं भी आप को जनता की तरफ से एक अलटीमेटम देता हूं जैसे आप को १ हजार मेगावाट बिजली पैदा करना है तो आप उसके लिए डबल रेट से काम करें, अगर आप को छोटी सिंचाई योजना के लिये कुछ करना है तो आप अविलम्ब गति से डबल रेट से करिये। आप पूछेंगे कि हम इसके लिए साधन कहां से लायें। मैं जानना चाहता हूं आप बिलकुल स्पष्ट उत्तर इसका दीजियेगा कि सन् ५० से अब तक, या आजादी के बाद से अब तक हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में वह बतायें कि हमारे कामर्शियल बैंक्स में जो पैसा जनता का जमा है उत्तर प्रदेश में उसमें से कुछ भी यहां नहीं लगा और सब बम्बई कलकत्ता, मदरास, दिल्ली और अहमदाबाद में लग गया और यू०पी० को कोई डिपाजिट नहीं मिला। क्या यू०पी० के कामर्शियल बैंक में जिनकी हुकूमत है उनसे नहीं कहा जा सकता कि वह प्रदेश की उन्नति में अपना रुपया लगायें उनको बुलाकर सरकार कहे कि हम अपनी बिजली की योजनाओं में रुपया लगाना चाहते हैं और हम अगले तीन चार साल में प्रदेश की उन्नति के लिये २०० करोड़ रुपया चाहते हैं। एक्चुअली आपने उनको अपनी योजना दी है और उस पर उनसे ज्यादा मांगा है। उनको क्या क्या एतराज है, वे आपसे क्या चाहते हैं? जैसे पटेल कमीशन कहता है कि सेंटर की कोई बड़ी योजना रिलेटिव डिस्ट्रिक्स में नहीं दी गयी और और स्माल इर्रीगेशन का जो एप्रुवड एक्स्पेंडिचर वह भी उत्तर प्रदेश की सर्विस ब्युरोक्रेसी ने नहीं किया। हम न ईस्ट इंडिया कम्पनी, न अंग्रेजों से, न मुसलमानों के, न हिन्दू पीरियड में जब का भी एकौनौमिक डेटा हम को मिलता है कभी भी हम हिन्दुस्तान के सबसे पिछड़े प्रदेश नहीं रहे हैं। यह दशा आजादी के २२ वर्ष बाद में ही हुयी है। अगर स्थिति ऐसी है तो इन २२ वर्षों में जितने मंत्री रहे, जितने विधायक रहे और जितने पार्लियामेंट के मेम्बर्स रहे हैं, जितने जर्नलिस्ट, अखबार वाले या जनसेवी रहे हैं, उनको अपनी कार्यकुशलता पर अगर शर्म नहीं आती तो गर्व की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये मैं इस बात को कहता हूं कि आप उसमें इस बात का जवाब दीजिये कि आप बिजली के डबल रेट्स इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए क्यों करते हैं क्योंकि उस पर हिन्ज करता है उद्योगीकरण। आपने फाइनैन्यिल इंस्टीट्यूशन, एल०आई० सी० और जो फाइनैन्शियल कार्पोरेशन्स हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशदत्त बाजपेयी]

बातचीत करके आपने क्या किया और फिर मासेज से, पब्लिक से यह कहकर कि आप सारे विलेजेज को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं। आप किस रूप में कितना सहयोग देते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या-क्या करने जा रहे हैं और कब तक करने जा रहे है। इसके बारे में स्पष्ट उत्तर हम चाहते हैं।

(इस समय ३ बजकर ४३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रम विभाग पर हम २ करोड़ रुपया खर्च करते हैं। मैंने तो अब श्रम विभाग पर बोलना ही छोड़ दिया लेकिन लोग उम्मेद करते हैं। इसलिये इसके बारे में १-२ जुमले कहना चाहता हूं। पिछले १२ वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में किसी भी सरकार ने एक कामा या फुलस्टाप तक नहीं लगाया है। लेबर ला को नहीं बदला है। मैं तो अशेम्ड हूं इस बात पर मगर मैं आपसे यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी लेजिस्लेशन में अपटूडेटनैस नहीं है। हमारे यहां बड़े-बड़े करोड़पती हैं जिनके यहां कानपुर में मंत्रीगण निहाल हो जाते हैं। आपको श्रम विभाग बताता है कि वे फलां कानून तोड़ रहे हैं और आप उनको प्रौसिक्युट नहीं करते हैं क्योंकि उनका पैसा और किसानों के वोट आपको चाहिये सरकार बनाने को। जब तक यह फारमूला नहीं हटता, कुछ होने वाला नहीं है। इसी सदन में कानपुर के करोड़पति आये और ५ मिनट में माला पहनकर चले गये। हमारे सदस्य कभी ३ रे राउन्ड में और कभी चौथे राउन्ड में निकलते हैं। आई एम एक्सट्रीमली अनहैपी ओवर दिस सिचुएशन। मैं उस श्रम मंत्री को दुश्मन मानता हूं जो वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री, इन वन लोकल एरिया नहीं कर सकते हैं। कानपुर में मैंने प्राइवेट एफर्ट्स से, सब यूनियनों को तोड़कर, एक यूनियन बनवायी। अब ८ मिलों में ४८ यूनियन्स हैं। हम कानपुर में एक मीटिंग में यूनियन सब्सक्रिप्शन से ३० लाख रुपया ले सकते हैं। अगर आप चाहें हम आपकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। आप क्यों इधर उधर करोड़पतियों के पास जाते हैं और पूअरर पार्टी मासेज की पार्टी बनाने में जितना रुपया चाहिए हमसे लीजिये। दो तीन लोगों से लेक्चर दिलवाकर हमने कह दिया कि एक दिन का पैसा दे दो। इस तरह हमने पांच लाख रुपया दे दिया। कानपुर के मिल मालिकों ने दो लाख भी नहीं दिया। यह हालत है। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि लैजिस्लेशन आना चाहिये कि श्रम में "वन इन्डस्ट्री इन इन वन लोकल एरिया" और काउन्टर पर यूनियन सबस्क्रिप्शन कम्पलसरीली ले लें। गांधी जी ने यह करवा दिया। अतः करोड़ों रुपये की सम्पति अहमदाबाद असोसिएशन के पास है और वह बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है।

एक बात मैं आप से कहता हूं कि जो कुछ भी रुपया आप देते हैं आप बहुत अच्छा करते हैं। फर्टीलाइजर्स के लिए रूरल अपलिफ्ट के लिए। एक बात मेरे कहने से भी कर दीजिए। मैं स्पेसिफिक प्रोनाउन्समेन्ट चाहता हूं। किसानों के मुताल्लिक जितना रुपया खर्च करेंगे उसका ८० प्रतिशत इयरमार्क कर दीजिए सिर्फ उन किसानों के लिए जिनके पास खेती पांच बीघे से कम है। अभी तक यह रहा है चूंकि इस ढ़ंग का कोई आपने कानून नहीं बनाया इस वजह से यह हुआ है कि जितना भी पैसा फर्टीलाइजर्स की मदद के लिए, इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए, कुओं के लिए किसी भी रूप में गया वह चैनेलाइज हो गया बिग फार्मस की तरफ। जब आप सदन में हमको आश्वासन दे देंगे "यू फ्रेम रूल्स यू आर कमिटेड योरसैल्फ टु दिस ८० परसेन्ट"। जो पैसा होगा देहातों में कृषि की उन्नति के लिए वह किसानों की तरफ जायगा तो जनता में आपका इसके मुताल्लिक बड़ा स्वागत होगा।

एक जुमला मैं कानपुर शहर की तरफ भी कहना चाहता हूं। कुछ विक्टोरियन्स टाउन्स हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये शहर कुछ भी नहीं हैं। माडर्न सिटीज उसको कहते हैं जो माडन प्राबलम्स को फेस करती हैं। हमारे यहां डेढ़ लाख आर्गेनाइज्ड लेबर हैं। दूसरी तरफ छोटा सा भी यूनिट पूर्वी जिलों में नहीं है। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी जो सारे

हिन्दुस्तान का प्लानिंग करते हैं, जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, उनको कामराज जी ने दिल्ली से ले जाकर के मद्रास में इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया और मद्रास बैकवर्ड था इन्डस्ट्रीयली और पांच सालों में उसका मैजिक ट्रांसफार्मेशन किया और वह मोस्ट इन्डस्ट्रीयलिस्ट सिटी हुआ हिन्दुस्तान का ड्यू टु कृष्णामाचारी। और आपकी दुगुनी बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब हमें तो मालूम है नहीं कौन उद्योग मंत्री हैं। अच्छा ही होगा अगर मैं यह कहता हूं कि अगर आपमें कुछ भी जिम्मेदारी है और आप उसे समझते हैं कि आपको कितनी जल्दी इस स्टेट को जितना लैक कर रही है वह भी कैच अप करना है तब आपके वी० टी० कृष्णामाचारी का नाम जानना चाहता हूं कि वे कौन हैं। मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट स्टैप इन्डस्ट्रियेलाईजेशन कराइए यह है जैसा सभी लोग जानते हैं उसके इन्फ्रा स्ट्रक्चर के रूप में सबसे पहले रूरल इलक्ट्रिफिकेशन पानी पहुंचाइये और बतलाइये कि कितनी पजिटिव स्कीम्स एक साल के अन्दर करने के लिये किन-किन सोर्सेज को कान्टैक्ट किया। क्यों नहीं आप करते हैं जब आपकी टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी कहती है। अपनी स्पीच के अन्तिम भाग में आपने कहा है कि "आपसे सहयोग चाहते हैं"। सहयोग देने को उतावले फिरते हैं बगैर किसी पार्टी से पूछे कि किस डिपार्टमेन्ट में किस रूप से क्या उन्नति की जा सकती है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में चाहे जो पार्टी हो उसके लैजिस्लेटिव पार्टी की तरह फन्कशन करने का अवसर ही नहीं है। हम क्या बतलायें। तो आप तो सहयोग केवल यहीं पर स्पीच में ही देते हैं। यही काम अगर आप असेम्बली के बाहर, सब पार्टीज की पार्टी मीटिंग बुलाकर, उनकी एक एग्जीक्यूटिव बाडी बनाकर, एक शैडो केबिनेट बनाते, आप उसके रिस्पान्सेबिल रहते, उनसे सलाह लेते रहते, तो इस बजट का रूप ही कुछ दूसरा होता।

मेरे पूर्व वक्ता ने खादी कमीशन के बारे में कुछ कहा। मैं अपने आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं भी यह चाहता हूं कि उसके फाइनेन्सेज की और उसकी वर्किंग की जांच करायी जाय क्योंकि बरसों हो गये शिकायतें सुनते सुनते। हम आखिर जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है? गांधी जी के नाम पर तो कहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है?

आपने बच्चों के नरशिंग फूड के लिये कुछ धनराशि रखी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसी बात को तो मद्रास बहुत पहले ही स्वीकार कर चुका है। अगर हम दूसरी स्टेट् का ही अनुसरण करें, उसी में अप टु डेट हो जांय तो मुझे बड़ी खुशी होगी वैसे तो हम धन्यवाद देने के लिये बनाये ही गये हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं और उसके लिये मैं सदन के हर माननीय सदस्य की सपोर्ट चाहता हूं। पिछली तीनों प्लान्स में हमको विभिन्न रूपों में १ हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलने चाहिये थे। जो पिछले ५ सक्सेसिव फाइनेन्स कमीशन बैठे उन्होंने पापुलेशन को बेसिस नहीं बनाया। होना यह चाहिये था कि हमको पापुलेशन की बेसिस पर रुपया मिलता। वह नहीं मिला। अकाल आदि के लिये भी जितना रुपया मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। जब कि दूसरे प्रदेशों को देखिये, बम्बई, मद्रास, गुजरात आदि स्टेट्स कितना ही रुपया ले गयीं। उन सरकारों ने डेफिसिट बजट बना कर ओवर ड्राफ्ट लिया। हम लोग गुड ब्वाइज की तरह ही बने रहे। दूसरी स्टेट्स ने सैकड़ों करोड़ रुपया इस तरह से निकाल लिया। जितना रुपया दूसरी स्टेट्स ने ओवर ड्राफ्ट करके लिया है, हमारी स्टेट को भी उतना ही रुपया मिलना चाहिये। वह किसी न किसी रूप में अवश्य मिलना चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस की तरफ भी विशेष ध्यान देना होगा। आप अगर देखेंगे तो आपको ५ लाख रुपये तक की पूंजी का कोई कारखाना पूर्वी जिलों में नहीं मिलेगा।

एक निवेदन कानपुर के लिये भी करना चाहता हूं। कानपुर बहुत ही ओवर क्राउडेड है। टी० बी०, गन्दगी, रोगों आदि के लिये वह दुनियां का एक नमूना बन गया है। इसके लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कानपुर नगर महापालिका कैनटूनमेन्ट को ले ले और उसको

[श्री गनेश दत्त बाजपेयी]

वह उतनी ही जमीन दे दे। लैंड फार लैंड। एक जमाने में मैंने एक चिट्ठी लाल बहादुर शास्त्री जी को लिखी थी कि साहब कानपुर के ये लोग शत्रु हैं। उस चिट्ठी का रिएक्शन यह हुआ कि उन्होंने लिखकर भेजा कि हम अपने एम०ई०एस० अधिकारियों को भेजे देते हैं जो कानपुर छावनी को देंगे, आप उनको लैण्डस दे दीजिये और वह बुक प्राइज-वैल्यू पर लेने को तैयार है। कानपुर छावनी को देने की इस प्रकार तैयारी हो गई—कानपुर जितनी जमीन में बसा है, उतनी ही जमीन और मिल जाती, लेकिन हमारे महापालिका के लोगों ने उसे ड्राप कर दिया। अपनी असावधानी और उदासीनता से पालिका अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया। और आपके सेक्रेटेरियट के अर्द्ध जागरूक अधिकारी तो जरूरी, बहुत जरूरी और कम जरूरी में फर्क निकालना जानते ही नहीं है। आपकी तरफ से यदि इस अवसर पर सदन में यह आश्वासन हो जाये तो वहां पर हर्ष की लहर दौड़ जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इतने डिपार्टसमेंट्स हैं कि यह मुनासिब नहीं है कि सभी पर अपने विचार प्रकट कर सकूं। किसी भी प्रकार यदि हर विभाग पर दो-दो मिनट भी बोलूं तो उसके लिये आपकी लाल बत्ती मुझे एलाउ नहीं करेगी। इसलिये मैं अपने कानपुर के ला एण्ड आर्डर के उपर दो जुम्ले बोलकर बैठा जाता हूं। फिर भी मैं समझता हूं उसका असर आपके कोमल हृदय पर अवश्य पड़ेगा। एक हमारे यहां कानपुर में मियां कुतिया हैं। वह जितना रुपया औरत खरीदने, लाने में लगाते हैं, उस पर दो रुपया सैकड़ा ब्याज लगाकर, उसके पालने का खर्च निकालकर कर अपना मुनाफा निकालकर और पुलिसवालों का कमीशन निकालकर जो वह अनवरगंज थाने को व उपर के पुलिस अधिकारियों को देता है, इतना पैदा करने का वह उन्हें हुक्म देता है। वह उन्हें लाठियों से मारता है जब तक वह इस चीज के लिये रजामंद न हो। आप सोचें कि आज २०वीं सदी में एक नारी पर इतना अत्याचार होता है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि एक मिनट के लिये यदि आप उन्हें अपनी मां, बहिन या बेटी मान सकते तो मुझे बड़ी खुशी होती। मुझे इतना ही कहना था।

शामली में शुगर वर्क के जनरल सेक्रेटरी, श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर हमले के संबंध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब कुछ सूचनायें हैं, जो नियम ५६ व ५१ के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं। आज नियम ५६ के अन्तर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव की एक सूचना माननीय नेता विरोधीदल से प्राप्त हुई जिसमें शामली, जिला मुजफ्फरनगर स्थित शुगर वर्क्स के जनरल सेक्रेटरी श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला तथा उनके जीवन के खतरे के विषय में कहा गया है। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि कल वक्तव्य दिया जाये।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ में ९ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली माननीय सूरजलाल गुप्त और श्री सुरेन्द्र विक्रम जी ने दी है। विषय है लखनऊ विश्वविद्यालय में अशान्ति और अव्यवस्था। सूचना है दिनांक ११-५-७० को लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा न लिया जाना, वहां पुलिस का जमाव और परिणामस्वरूप विद्यार्थियों द्वारा उपद्रव मचाने के विषय में। इस पर वक्तव्य कल दिया जायेगा। दूसरा है श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य का कि कुंवर दयाशंकर महाविद्यालय, बरेली के अध्यापकों द्वारा सपरिवार भूख हड़ताल करने से सम्बन्धित। यह अस्वीकृत हुआ है, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है।

तीसरा पारसनाथ सिंह जी का है—जरवल रोड स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों का बकाया न दिये जाने, मिल में भ्रष्टाचार आदि के कारण गन्ना-उत्पादकों के प्रतिनिधियों द्वारा भूख हड़ताल। इस पर ६-५-७० को विधान सभा में चर्चा हो चुकी है, अतएव अस्वीकृत किया गया।

श्री पारसनाथसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ९ आदमी आमरण अनशन पर पड़े हुए हैं, कोआपरेटिव सोसाइटी के सामने दो आदमियों की हालत बड़ी चिन्ताजनक है। एक के खून गिर रहा है। जिला अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई मेडिकल सहायता नहीं पहुंच रही है। नौ-नौ आदमी पड़े हुए हैं एक आदमी की अवस्था ७० वर्ष की है और दूसरा आदमी पहले टी०बी०से प्रभावित हो चुका है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं आप से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी की कार्यवाही के लिए उसको भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसा है तो इसमें आपने लिखा नहीं है।

श्री पारसनाथसिंह—

खून बहुत ज्यादा गिर रहा है। मैं भागा देखे चला आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह माननीय मंत्री जी को भेज दीजिये।

एक माननीय इंद्रजाल जी ने सूचना दी है। ६ तथा ७ मई की आंधी के कारण जिला नैनीताल के तराई क्षेत्रों में फसल,मकान तथा व्यक्तियों के जीवन की हानि से सम्बंधित। इस पर अल्पसूचित या तारांकित प्रश्न किये जा सकते हैं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां। माननीय डूंगरसिंह बिष्ट की भी सूचना इसी विषय पर है। अल्पसूचित प्रश्न अथवा तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, इसमें बड़ा नुकसान हो गया है। पश्चिमी जिलों के माननीय सदस्यों का सबका इसमें मामला आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

घटना घटित हो चुकी हैं। भविष्य के बारे में कोई लोक महत्व का विषय नहीं रह गया हैं। यद्यपि हुई है इसके लिए अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

मान्यवर, वक्तव्य तो दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

पांचवीं सूचना माननीय रामकुमार शास्त्री और श्री कल्पनाथसिंह की है, थाना बहेड़ी के सिरसा बीज भंडार के चौकीदार श्री शिवदत्त जोशी के छोटे भाई (जो सेवा में हैं) की पत्नी का श्री महेन्द्रसिंह द्वारा बलात्कार तथा पुलिस दरोगा द्वारा इसकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करने से सम्बन्धित। इसपर वक्तव्य दिया जायगा। इसी विषय पर माननीय डूंगरसिंह बिष्ट की भी सूचना है। यह तीन माननीय सदस्यों का प्रश्न है। इस पर माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे। (व्यवधान) वह भेज दिया है। जल्दी होगा, जो समय नियमानुसार लगे।

[श्री उपाध्यक्ष]

एक सूचना श्री रामचरण त्रिपाठी की है, दिनांक २०-४-७० को बांदा जिले के राजपुर कालेज के दो अध्यापकों को दरोगा द्वारा मारना, गाली देना तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करना। वक्तव्य इस पर दिया जायगा। मंत्री जी को भेज दिया गया है वक्तव्य के लिए। (व्यवधान) इतने वक्तव्य तो कल नहीं होंगे। दो तीन रोज में सब हो जायंगे।

श्री डूंगरसिंह विष्ट--

मैंने नियम ५२ में एक प्रश्न दिया था। ८ तारीख की रात को गंगाराम सभापति, टेड घाट, तहसील खटीमा, जिला नैनीताल को डाकुओं ने जिन्दा जला दिया है। वहां अत्यन्त आतंक फैला हुआ है। इन तीन दिनों के भीतर वहां कोई इनक्वायरी नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने चार पांच केस लगातार दिये थे। उसी के यहां जिसके यहां डाका डाला गया, बीस दिन पहले बन्दूक चोरी गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो आप कह रहे हैं यह सूचना मेरे समक्ष नहीं है।

श्री डूंगरसिंह विष्ट--

म सुबह ठीक समय से सूचना दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त मेरे पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष से पूछने पर पता चलेगा। हो सकता है उनके विचाराधीन हो।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

कल जो वक्तव्य होगा नेता विरोधी दल की सूचना पर वह नियम ५१ में स्वीकार किया गया है या कैसे स्वीकार किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कल केवल वक्तव्य दिया जाय यह है निर्णय।

श्री कल्पनार्थसिंह--

अध्यक्ष जी से बातचीत करके आप इसे बदलवा दें। इस पर स्पष्टीकरण अवश्य करा दें। महत्वपूर्ण विषय है। वहां के मजदूर यूनियन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। केवल आशंका की जा रही है। बहरहाल कल इसे देख लिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जिस घटना की सूचना कल्पनाथ जी ने दी है इसमें केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। नियम ५१ के अन्तर्गत लिया जाता तो काम चल जाता।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर अध्यक्ष जी का जो निर्णय है उसे मैंने पढ़ दिया।

श्री रियासत हुसैन--

हम लोगों का निवेदन है कि अध्यक्ष जी की सेवा में हमारा निवेदन रख दें आप। क्योंकि बिना स्पष्टीकरण के कुछ नहीं हो सकेगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर पहले के आदेश को परिवर्तित करने में अध्यक्ष महोदय को कोई कठिनाई है तो क्या वक्तव्य के बाद उसी के आधार पर नियम ५२ के अन्तर्गत सदन में चर्चा कराई जा सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया है उसे मैंने आपके समक्ष पढ़ कर सुना दिया ।

श्री कल्पनाथसिंह---

हम लोगों की भावनाओं को भी आप उन तक पहुंचा दें । आप में और अध्यक्ष में हम कोई अन्तर नहीं करते ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप स्वयं बातचीत कर लें तो अच्छा रहेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

आप इस समय अध्यक्षासन पर विराजमान हैं और आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय अपने कमरे में लिया है और आप स्वयं माननीय सदस्यों की भावनाओं को यहां सदन में सुन रहे हैं । आप स्वयं निर्णय लेने के लिये सक्षम हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप स्वयं सहमत होंगे कि आप मर्यादित होंगे अगर आप स्वयं अध्यक्ष जी के कानों में अपनी बात डाल दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

४ बजे अध्यक्ष आया करते थे लेकिन इधर आप उनके निर्णय पढ़ कर सुना देते हैं और उनके आदेश को हम लोगों को मजबूर हो कर मानना पड़ता है । कोई ऐसी बात हो गयी हो तो उस पर भी बातचीत कर लीजिये तो हमको आसानी हो जायगी उनसे अपनी बात कहने में ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

मेरा निवेदन है कि आप पुनर्विचार करके अपनी सलाह दे दें तो बड़ी सुविधा हमको होगी ।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)---

नियम ५१ के अन्तर्गत ७ तारीख को भाषण आपने स्वीकार किया था तो आप मुख्य मंत्री जी से कब अपना उस पर वक्तव्य दिलवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

सम्बन्धित मंत्री के पास गया है । उसके बारे में वह सूचना एकत्र करेंगे और जब वह वक्तव्य तैयार हो जायगा तो दे दिया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है । कृष्णकान्त जी ने जो नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है उसमें आपके द्वारा एक निश्चित तिथि के अन्दर वक्तव्य मंत्री महोदय से दिलवाना चाहिये । अगर सरकार के ऊपर सोलहों आना छोड़ दिया जायगा कि वह लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर बताया करें तो उनके अविलम्बनीय होने का महत्व घट जायगा । जैसा आपने कह दिया कि यह घटना घट गई तो अब यह लोक महत्व का नहीं रह गया उसका लोक महत्व घट जायगा । हो सकता है उसका लोक महत्व घट जाय और यह भी हो सकता है कि सरकार अपने कुकर्तव्य को छिपाने के लिये देरी करे । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नियम ५१ के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिये कि यह अत्यावश्यक है और निश्चित अवधि के अन्दर आवश्यक है । सोलहों आने सरकार के ऊपर इसको नहीं छोड़ना है । समय के मामले पर सरकार के ऊपर आप अपना अंकुश लगायें यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अविलम्बनीय महत्व का वही प्रश्न होता है जो चालू हो । अगर कोई घटना घटित हो गई है चाहे वह गम्भीर क्यों न हो तो उसके बारे म वह रुख नहीं लिया जाता है जो किसी घटना के चलते हुये लिया जाता है । दोनों प्रश्नों में चलती हुई घटना को प्राथमिकता मिलती

[श्री उपाध्यक्ष—]

है। यह आपकी नियमावली में भी दिया हुआ है। "किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मन्त्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या किसी भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे। हम उनको समय देंगे अगर चाहेंगे।"

श्री कल्पनाथ सिंह—

समय निश्चित करना आपका काम है। मान लीजिये आज आपने लिया और ४ बजे समय रख दिया तो इसका मतलब यह है कि उसी दिन वह होगा। सूचना जो हम देते हैं वह सदन के चालू होने से पहले १० बजे दे देते हैं और ४ बजे वह बाद आये। इसका मतलब यह है कि १० बजे और ४ बजे के बीच वह सूचना सरकार मंगाकर सदन को दे। अगर यह सम्भव न हो तो वह कहेंगे कि आज नहीं कल देंगे, या कल नहीं तब परसों देंगे। ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाय। कृष्णकान्त जी यह चाहते थे कि उनके नियम ५१ पर कौन सी तिथि निश्चित हुई है। यही वह जानकारी चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ में केवल एक वक्तव्य देते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कृष्णाकान्त जी ने कहा कि आपके द्वारा एक सूचना नियम ५१ की स्वीकार होकर चली गई है, उनको यह नहीं मालूम कि किस तारीख को उस पर सरकार का वक्तव्य होगा। तो सरकार बताये कि कब उस पर होगा। अगर इसमें देर होगी तो जो अविलम्बनीय लोक महत्व का है वह विलम्बनीय हो जावेगा। जो आपका आदेश है वही रद्द हो जावेगा। वह सरकार हठ वादिता की ओर बढ़ती जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

नियम ५१ के बारे में यह सरकार बन्धी हुई है। माननीय सदस्य भी उससे बन्ध जाते हैं। जिस दिन घटना हो उसी दिन वह वक्तव्य होना चाहिये। इसलिये सरकार से आप कहें कि पहले जिस दिन सूचना उनको जाय उसी दिन वह वक्तव्य दे ताकि उस पर सदस्य मालूम कर सके और जवाब हासिल कर सके। यह परम्परा रही है इस हाउस की। ऐसा भी है कि जब घटना हो जाती है तो सरकार के पास सूचना सदस्य भेज देते हैं। तो जिस दिन सदन यह खुलता है उसके पहले दिन वह वक्तव्य उस पर हो जाना चाहिये। यह नहीं हो सकता कि यह जो आपका अधिकार है वह किसी तरह से कम हो। जिस दिन यह सदन बैठे उसके पहले दिन ही सरकार की ओर से वक्तव्य होना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विषय स्वीकार हुआ है उस पर मंत्री जी वक्तव्य कब देने जा रहे हैं इस पर आपने क्या निश्चय किया है?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मंत्री जी से पूछा गया है और उस पर शीघ्र ही निश्चय हो जायेगा।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आपने कहा है कि मंत्री जी उस पर वक्तव्य देंगे। आपने इस हाउस की भावनायें भी सुन ली हैं। आप इस पर अपना निर्णय दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने पढ़कर सुना दी। आपने अपनी भावनायें भी व्यक्त कर दीं और मैंने भी अपनी व्यवस्था व्यक्त कर दी।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

आप इस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। आपने अध्यक्ष की सूचना पढ़ दी किन्तु जैसे कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि आप उसमें अपना निर्णय दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार की है मैंने उसको पढ़ा है। जैसे अल्पसूचित और दूसरे प्रश्नों के बारे में है। इसमें भी दो बातें हैं—अविलम्बनीय और लोक महत्व की।

तो सवाल यह आता है कि कौन-कौन से लिये जायं और कितने लिये जायं। अधिकतम माननीय सदस्यों के सवालों के उत्तर लाने के लिये जितने सभी प्रश्न वक्तव्य के लिये स्वीकार किये जाते हैं.....

श्री जगन्नाथ खन्ना—

आपने यह कहा कि अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नहीं कहा। हाउस की इस भावना को अध्यक्ष तक पहुंचा दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इस सदन में वह परम्परायें पड़ने जा रही हैं। जहां तक अवलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है—एक तो अविलम्बनीय और दूसरा लोक महत्व तो इन दोनों के उपर आप फैसला कर सकते हैं। जो प्रश्न उठाया गया है वह अविलम्बनीय लोक-महत्व का है। अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आप यदि सरकार के ऊपर छोड़ेंगे जो कि आपका अधिकार है वह खत्म हो जाता है। मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में आप अपनी तरफ से तिथि निश्चित करें इस पर यदि सरकार से कुछ उत्तर आता है तो उस पर निर्णय आप ले सकते हैं। निर्णय लेना, मान्यवर, आपके हाथ में होना चाहिये न कि सरकार के हाथ में।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह सही है कि अवलम्बनीय लोक महत्व का यह मतलब है कि कोई घटना घटी हो अथवा घटने वाली हो उस पर इस सदन को अधिकार है कि वह माननीय सम्बन्धित मंत्री से २–३ दिन के अन्दर सूचना ले ले। चाहे इस पक्ष के लोग हों और चाहे उस पक्ष के लोग हों यह उसका प्रिवलेज है। माननीय मंत्री से सूचना लेना एक प्रिवेन्टिव मेजर होगा जिससे वे जागरूक हो जायेंगे और माननीय सदस्य भी संतुष्ट हो जायेगा। इसलिये आप अपना डिस्क्रीशन यूज करें। इस पर आपका फैसला होना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

आपने कृपा करके यह बताया था कि जो घटना घटित हुई उसके बारे में प्रस्ताव आ सकता है। मैंने जो नियम ५१ में दिया था उसमें यह था कि घटना घटित हुई और आगे चल कर, जो रोष और आतंक उसके कारण वहां छाया हुआ है, उससे जो घटना घटित हुई है, उससे भी कहीं अधिक घटना वहां घटित हो सकती है। अगर आप उसको पढ़ कर बता देते तो यह दिक्कत न आती।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी यह चाहता हूं कि मैंने ८ तारीख को एक नियम ५१ का दिया था। उसको आपने स्वीकार भी किया था लेकिन आज तक उसके बारे में यह पता नहीं लग सका कि उस पर वक्तव्य कब होगा। जब कि नियम यह है—"किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मन्त्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगें या किसी भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे। लिखित वक्तव्य देने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायगी।" तो हम लोगों को उपवेशन आरम्भ होने के एक घंटा पूर्व सचिव को सूचना देनी होती है और उसके लिये आवश्यक है कि वह विलम्बनीय और लोक महत्व का हो लेकिन सरकार के ऊपर आप कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं। उनको उसके बारे में उसी दिन बताना चाहिये था जब कि हमें आजतक यह भी नहीं मालूम कि उस पर वक्तव्य कब होगा। अधिक से अधिक १, २, ३ दिन में वक्तव्य हो जाना चाहिये। श्रीमन् को स्मरण कराऊं कि पिछली बार सदन में जब सतिया कांड हुआ था तो कई बार वायरलेस से दूसरे ही दिन सूचनायें मंगाई गयी थीं। श्रीमन्, नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इससे आप कृपया रक्षा करें।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

मैंने नियम ५१ में एक सूचना दी थी। बरेली के दया शंकर इन्टर कालेज के अध्यापकों को कई मास से वेतन नहीं दिया गया है। उसके फलस्वरूप वहां के अध्यापक और उनके परिवार वाले सब भूख हड़ताल पर हैं। इससे अहम और क्या बात हो सकती है। कृपया इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करके वक्तव्य करा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें तो लिखा गया है कि आप प्रश्न पूछ लें।

श्री कृष्णस्वरूप---

प्रश्न तो पूछ ही लूंगा लेकिन आप शिक्षा मंत्री जी को कार्यवाही के लिये तो भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप स्वयं सोचें कि अगर किसी दिन १० कार्यस्थगन प्रस्ताव आ जाते हैं तो उनमें से एक ही तो ऐडमिट किया जा सकता है।

श्री कृष्ण स्वरूप---

मैं उसको कल दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

कल भी तो बहुत से होंगे।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)---

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि कल उनकी भूख हड़ताल समाप्त हो गयी है।

श्री रामचरण---

श्रीमन्, मेरा नियम ५१ में वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। उससे मेरा मतलब वक्तव्य से ही नहीं है, उस पर कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। वहां से लड़के और मास्टर भाग रहे हैं, लाठी चल रही है। उसको रोका जाय। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर जो आतंक का वातावरण है उसको समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

उसी के सम्बन्ध में तो वक्तव्य होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, सीतापुर के बारे में नियम ५१ का प्रश्न वक्तव्य के लिये ७ तारीख को दिया गया और स्वीकृत किया गया था। आज ११ तारीख है। ७ की जगह ११ को भी हमें यह नहीं मालूम हो सका है कि कब उस पर वक्तव्य होगा। आप सरकार से पूछते क्यों नहीं हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, असंतोष का कारण, जैसा कि हमारे शास्त्री जी ने बताया कि कई दिनों से हम लोग उठा रहे हैं और हम सरकार पर इतने निर्भर होते चले जा रहे हैं कि उसी के ऊपर जनहित गया है, अविलम्बनीय लोक महत्व क्या है उसी की इच्छा के ऊपर छोड़ते चले जा रहे हैं और और उसकी इच्छा गोपनीय है। जब नियम में लिखा हुआ है कि आज वक्तव्य देने की स्थिति में न हों तो घोषणा कर दें कि कब वक्तव्य देंगे। इसका पालन नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह गलत परम्परा न डालें। आप जो चाहें स्वीकृत करें लेकिन हमको तो मालूम हो जाय कि जो स्वीकृत हो गया है उस पर वक्तव्य आज होगा या कल होगा या परसों होगा और सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

यही तो सभी लोगों ने कहा है। आपकी भावना स्पष्ट हो गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

कोई नई बात थोड़ी ही कहनी है। अवगत होते हुये भी किसी निश्चित तिथि की घोषणा नहीं होती है। नियम का पालन नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

शायद इस पद्धति से आपको जल्दी जवाब मिलता है। अगर कुछ देरी होती है तो इसीलिये कि एक ही प्रश्न पर चार दिन आपको सूचना न मांगनी पड़े और पूरी इत्तला मंत्री जी दें।

(व्यवधान)

अब इस पर बहस नहीं होगी। अगर यह कहा जाय कि इतने प्रश्न हैं इनमें सबसे लोकमहत्व का कौन है तो यह निर्णय लेना कठिन है। अब चूंकि रोज मुझे पढ़ना पड़ता है इसलिये मैंने सुना।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो आप स्वीकृत करते हैं उसके लिये मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

वही मैं कह रहा हूं। वह मंत्री के पास भेज दिया जाता है दो, तीन दिन लगते हैं उसमें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

नियमावली में तो है कि आज ही दे दें और अगर समय मांगे तो तिथि बता दे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिये। मैंने समाधान कर दिया।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला और प्रश्नों से भिन्न है। यह तो लोकल मामला है। टेलीफोन से इन्फार्मेशन मंगा सकते हैं, स्पेशल मैसेन्जर भेज सकते हैं। तो इस मामले को क्यों टाल रहे हैं। लखनऊ खास का मामला है। दूसरी जगह की बात होती तो हम मान सकते थे कि टेलीफोन नहीं मिलता है, मैसेन्जर नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन यह तो लखनऊ का ही मामला है, इसको टालने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—

लखनऊ की सूचना तो जल्दी मिल सकती है, कल ही मिल सकती है।

श्री मलिखान सिंह—

आप देखें, परीक्षायें रोक दी गयी हैं और वहां पर टीचर्स ने हड़ताल कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

लखनऊ की स्थिति तो सभी को विदित होगी।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

आप परामर्श दे दें कि इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के मामले में कल वक्तव्य दे दें।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

सरकार ने जो नियम बनाये हैं उनका तो पालन होना ही चाहिये। लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जब हम बोलते हैं तो आप हमको बैठा देते हैं, निकलवा देते हैं। तो क्या यह नियम केवल विरोधियों के लिये ही बने हैं? यह सही है कि हमारे एक साथी ने ७ तारीख को लिख कर दिया और आपने उसे स्वीकार कर लिया। इस पर सरकार का वक्तव्य हो जाना चाहिये था लेकिन आज चार दिन हो गये वक्तव्य नहीं दिया गया। नियम ५१(२) में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या किसी भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे। लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना चाहता था कि वह तिथि तो बता दें कि किस तारीख को अपना वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय अध्यक्ष का लिखा हुआ पढ़ दिया है। वह हर मंत्री के पास गया है और आप चाहते हैं कि मैं इस पर कुछ कहूं। आपकी भावना केवल इतनी है कि जवाब जल्दी आना चाहिये तो वह आपको जवाब जितनी जल्दी हो सकेगा दे देंगे।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, जो यूनिवर्सिटी का मसला हमारे साथी ने विधान सभा में उठाया है वह बड़ा अविलम्बनीय है। मैंने वहां खुद जा कर देखा है। पिछले ६ महीनों से यूनिवर्सिटी अवांछनीय तत्वों का अड्डा बन गई है। वहां शहर के गुंडे जमा रहते हैं और तमाम तरह की खुराफात होती है चाहे वह अध्यापकों के पीटने से सम्बन्धित हो और चाहे जो अच्छे लड़के वहां जाते हैं उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल करने की बात हो। स्थिति यह है कि वहां अच्छे किस्म के लड़के डरे हुये हैं और जो विश्वविद्यालय प्रांगण के अन्दर अध्यापक रहते हैं वह बहुत ही भयभीत हैं। वहां रात को बदमाश तलवार, राइफल और तमंचा ले कर घूमते हैं। इतना ही नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी और आई० जी० ने एक रेड वहां के लिये आयोजित किया था जिसके लिये वहां के प्राक्टर से परमिशन ली गई। तो उन्होंने गुंडों को बतला दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां २, ३ रिवाल्वर पकड़े गये। वहां नार्मल लाइफ नहीं रह गई है। आई० जी० की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी शायद यह लिखा है कि इसके प्राक्टर जिम्मेदार हैं। वहां के प्राक्टर ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन उप कुलपति उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। मैं श्रीमन्, सारी स्थिति बता देना उचित समझता हूं। वहां अगर आप रात में जायें तो तड़ तड़ गोलियों की आवाजें निकलती मिलेंगी। श्रीमन्, इसलिये आवश्यक है कि इसके ऊपर फौरन कोई वक्तव्य दिलाकर यहां बहस करावें।

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है कि मुख्यमंत्री ने लिखित दिया है और मुझसे छुट्टी मांग कर गये हैं इसलिये मैंने कल कह दिया। माननीय बोरा साहब स्वयं सरकार बनकर सूचना देने लगे। प्रश्न पूछना आपका काम है।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी विवशता को जानते हैं। अध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय ले लिया है और उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं कह सकते। अध्यक्ष महोदय इस घन्टे में रहा करते थे वह है नहीं और साथ ही साथ जितने मंत्री लोग बैठे हैं वे यह कहने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं कि हम कल वक्तव्य देंगे, या परसों देंगे। यह परिस्थिति बराबर चलती आ रही है। मुख्य मंत्री को इस समय रहना चाहिये ताकि सदन की भावना की कद्र हो सके। वक्तव्य कब दिया जायगा जब तक चौधरी चरण सिंह नहीं रहेंगे कोई मंत्री जिम्मेदारी के साथ कहने के लिये तैयार नहीं है कि कल देंगे, परसों देंगे या नरसों देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो निवेदन कर दिया कि चरण सिंह जी ने लिखा है कि बहुत जरूरी काम है इसलिये जा रहा हूं। वरिष्ठ मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा और वित्त मंत्री जी यहां रहेंगे। इसको कल लिया जायगा।

(इस समय ४ बज कर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

सौभाग्य की बात है कि श्रीमन्, आप इस समय पधारे। सात तारीख को सीतापुर के थानेदार ने बहराइच की पुलिस की सहायता से पूरा पुरवा लूट लिया और सारे गांव के लोग भाग गये। उस सूचना को आपने स्वीकार किया और वह सूचना आपने ७ तारीख को स्वीकार की और उसी दिन उस पर वक्तव्य होना चाहिये था। आज ११ तारीख को भी सरकार की तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि किस तारीख को वक्तव्य दिया जायगा। तो, श्रीमन् मैं यह समझता हूं कि न केवल नियमों को ही बल्कि आपके आदेशों की भी अवहेलना सरकार द्वारा की जा रही है और श्रीमन्, इतना ही नहीं यह विरोधी पक्ष और शासन दल के सदस्यों और सार्वजनिक लोक महत्व के प्रश्नों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। उनके अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप लोगों की बात सुनता रहा हूं। मैं इसका जवाब दे दूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं एक मिनट में कह देता हूं। नियमावली के.....

श्री अध्यक्ष—

मैं सब सुन चुका हूं। मैं पौने पांच बजे आने वाला था क्योंकि आज सदन ७ बजे तक चलना है। मैं जवाब दे दूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप श्रीमन्, क्यों जवाब दें। जवाब तो सरकार दे। हम आप से कैसे जवाब मांगेंगे। आपने स्वीकार कर लिया और उसी दिन वह जवाब दें या सरकार को यह कहना चाहिये कि आज के बजाय फला तारीख को हम जवाब देंगे। श्रीमन्, मैं कैसे कहूं कि आप जवाब दें?

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुना है। आपने नियम पढ़ा और उसका इंटरप्रिटेशन जो किया वह सही है। यह सही है कि ५१ में स्वीकार है तो उसी रोज साधारणतः वक्तव्य देना चाहिये। परन्तु अगर उस रोज नहीं दे सकते हैं तो उनको चाहिये कि बतला दें कि फला दिन देंगे। आपका कहना बिलकुल सही है अगर ५१ के बारे में ७ तारीख को स्वीकार किया है तो मेरे पास फाइल नहीं है उनके पास भेज दिया है और अभी जवाब नहीं आया है कि कौन सा समय वह चाहते हैं। मैं इसमें तहकीकात करके कल बतलावेंगे। वह जो चीज है उसका कल ही आपको जवाब दे देंगे। दूसरी बात मैंने सुनी वक्तव्य के बारे में। उसमें भी यह चीज होती है कि आप ही लोगों ने हमसे कहा कि एक ही चीज स्वीकार कर सकते हैं। बहुत ऐसे विषय रह जाते हैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के समय में। मैं समझता कि वक्तव्य एक-दो रोज में मिल जाता है परन्तु उसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय प्रश्न करने में सरकार को दिक्कत पड़ सकती है। नियम ५१ में मैं स्वीकार करता हूं और वह उसका जवाब देंगे। उसके लिये सामग्री मंगवानी पड़ती है। केवल वक्तव्य के माने यह है कि आपको जानकारी हो जाती है और उसके ऊपर सरकार को जो कार्यवाही करनी है वह भी शुरू हो जाती है।

[श्री अध्यक्ष]

आज मैंने तीन स्वीकार किये हैं और वे तीन कायदे के साथ हैं ५१ में और उसमें वक्तव्य देने के लिये कहा है। आज कल बजट चल रहा है और बजट के सम्बन्ध में आप उस विषय को लेकर भाषण दे सकते हैं यह तो तरीका रहा है। जिस दिन अनुदान का दिन है उस दिन कोई अन्य विषय बीच में नहीं लिया जा सकता है और बीच में भी कोई विषय नहीं आ सकता है और उसको उसके बाद ही आना होता है। इस पर आप विचार कर लें और जो आप को तकलीफ है उस पर आप विचार कर लें। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपका सुना। मैं भी समझता हूं कि कम से कम यहां पर चतुर्भुज जी शर्मा बैठे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि आप अगर वक्तव्य दे सकते हैं तो दे दें और नहीं तो कल वक्तव्य देना तो आवश्यक है क्योंकि उनकी परीक्षायें चल रही हैं। उनकी परीक्षा आज नहीं हो सकती। पुलिस का भी वहां पर प्रबन्ध किया गया फिर भी उनकी परीक्षा आज नहीं हो सकी। यह गम्भीर बात है। कल इस पर अवश्य वक्तव्य हो जायगा। नेता विरोधी दल की तरफ से भी नियम ५१ में ध्यान आकृष्ट करने का प्रश्न एक आया था और उसके ऊपर भी कल वक्तव्य देंगे। आज दो घंटे की बहस सांयकाल ५ बजे के बाद होना है और अगर उसको भी ले लिया जाता तो ४ घंटे तक बैठना होता अतः इसके ऊपर कल वक्तव्य होगा।

श्री रामविलास पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वक्तव्य के बारे में कहा लेकिन मुख्य मंत्री जी के न रहने पर कोई मंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

राजस्व मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कल शाम को ४ बजे वक्तव्य देने के लिये हम तैयार हो जायेंगे।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ८ मई, ७० की रात में खटीमा में एक ग्राम टेढ़ाघाट के सभापति श्री गंगाराम को जिन्दा जला दिया गया। कुछ ही दिन पूर्व उसके घर में लूट-मार कर ली गई थी डाकू उसकी बन्दूक भी ले गये थे। उसकी कोई सुनवाई अभी इतने दिनों तक नहीं हुई। लोग वहां के खास थारू बड़े आतंकित हैं। नियम ५२ में इसको रखने के लिये प्रार्थना की थी। मैं लगातार दो दिन से इस प्रश्न को उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक तार आया है कि नैनीताल की तराई में कई जगह डकैतियों और हत्याओं का सिलसिला लगा है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में बतायें।

एक सदस्य—

श्रीमन्, यूनिवर्सिटी में असाधारण स्थिति हो गयी है। कल वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी अगर होते तो कुछ आश्वासन देते। (व्यवधान)

श्री डी० पी० धोरा—

श्रीमन्, आज प्रातःकाल जो अप्रिय घटना वहां घटी है उसमें कुछ वांछनीय तत्वों ने जो टेन्ट वहां लगा था उसको जला दिया है और जो इनविजीलेटर्स थे वह बहुत डरे हुए हैं, अपनी जिन्दगी खतरे में महसूस कर रहे हैं। प्राक्टर साहब ने जो गिरोहबन्दी कर रखी है और तमाम शहर के गुण्डे भर रखे हैं, इसके संबंध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। स्थिति यह है कि वहां लोग टेन्ट जला रहे हैं, छूरे-चाकू निकाल रहे हैं, गोलियां भी चलाई गयीं। उसको एक पोलिटिकल कलर देने के लिये बदमाशों ने माओत्सेतुंग जिन्दाबाद के नारे लगाये। जो प्राक्टर साहब

गिरोहबन्दी के लिये जिम्मेवार हैं उनका स्तीफा फौरन मंजूर कर लेना चाहिये। उन्होंने एक स्तीफा दे रखा है। (व्यवधान)

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वही बात चौधरी साहब से जाकर कहें तो अच्छा होगा।

श्री डी० पी० बोरा—

मेरा नाम लिया गया इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की नालिज में सारी बात है और उन्होंनें एक वक्त यूनीवर्सिटी के अन्दर आर्गेनाइज्ड वे से रेड भी करवायी जिसमें बदमाशों के असलाह वगैरह बरामद किये गये। क्योंकि यूनिवर्सिटी आटोनामोस बाडी है.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

चौधरी साहब ने आज क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—

सदन में जो कुछ बात कही जाती है वह चौधरी साहब के कानों तक पहुंचेगी और चतुर्भुज शर्मा जी यहां बैठे हैं वह सब बातों को सुन रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इतनी जानकारी है तो स्टेटमेंट देने में क्यों देरी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आज मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जनहित में कोई सूचना मान्यवर को दी जाती है और इसलिये दी जाती है कि उसका माकूल इन्तजाम हो। आप कोई आदेश देते हैं कि इस पर स्टेटमेंट हो। जैसे यूनीवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी के मामले में तत्काल व्यवस्था की जरूरत है कि वहां इन्तजाम हो। वहां कत्ल हो सकता है, बलवा हो सकता है। कल स्टेटमेंट होगा। किसी लड़के का मर्डर हो जाय, किसी मास्टर का मर्डर हो जाय। (व्यवधान)

जब लोक महत्व के प्रश्न इस तरह से टाले जायं कि कल वक्तव्य होगा, इस तरह से कल तक क्या होगा यह समझ में नहीं आता।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, श्री बोरा के बयान के बाद की सारी स्थिति से चौधरी चरणसिंह जी को वाकफियत है और काफी देर से लखनऊ यूनिवर्सिटी के वातावरण के संबंध में यहां चर्चा चल रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी को वहां के हालात मालूम हैं और सुबह से मालूम हैं तो उस पर वक्तव्य तत्काल होना चाहिये ताकि सदन को मालूम हो जाय कि वहां इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है। आप कृपया तत्काल वक्तव्य दिलावें ताकि पता चल जाय कि वहां की स्थिति क्या है ?

(बहुत से सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सब को इजाजत नहीं दूंगा। आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा हूं कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री का इस विषय पर वक्तव्य हो जाय और जब तक सदन बैठे उनका बयान न हो जाय।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री राम बिलास पांडेय—

श्रीमन्, केवल एक चीज हमारी सुन लें और सदन की भावना को देख लें। श्री बोरा ने भी स्थिति आपके सामने रखी और श्री त्रिवेणी सहाय ने भी कहा शायद वह मंत्रि परिषद् में भी आ जायं, इधर के लोगों ने भी कहा है कि स्थिति वहां ऐसी है और मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं। २ घंटे की बहस चलने वाली है उसमें यह हो जाय। अगर मुख्य मंत्री जी लखनऊ में मिल सकें तो सदन की भावना है कि उन को बुला कर वक्तव्य दिलाये। हमारा भय यह है कि वह आप के आदेशों का पालन कर सकेंगे या नहीं जैसा कि अभी आज नेता विरोधी दल के बोलते रहने पर वह नहीं आये और आप के कहने पर आये और आने के कुछ देर बाद ही फिर चल गये ऐसी मस्तानी चाल से कि इस का भी खयाल नहीं किया कि विरोधी दल के नेता भी बोल रहे हैं.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी किसी जरूरी काम से दिल्ली या और कहीं लखनऊ से बाहर चले जायं तो उनका कब तक इंतजार किया जायगा या उस हालत में मंत्रि परिषद् का कोई अन्य सदस्य उत्तर देगा यह जरूरी मामला इस समय उठा है इसलिये आप कृपया इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी यहां हों या दिल्ली हों या कहीं भी हों इस पर वक्तव्य तो कल सरकार को देना होगा। मुख्य मंत्री जी के स्थान के पड़ोस में श्री चतुर्भुज शर्मा बैठे हैं, वह पुराने मंत्री रहे हैं वह कह रहे हैं कि कल वक्तव्य तैयार करा के दिया जायगा।

बहुत से सदस्य—

वक्तव्य आज ही दिला दें।

श्री गोविन्द सिंह—

आज अभी २ घंटे का समय बाकी है और पूरी सूचना एकत्र हो सकती है, जो भी मंत्री यहां हैं वह इस स्थिति में हो सकते हैं कि वह वक्तव्य दे सकें, इसलिये आप आज ही वक्तव्य दिलवा दें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था का सवाल है, जिस वक्त माननीय विरोधी दल के नेता यहां भाषण कर रहे थे उस वक्त मुख्य मंत्री जी आप के बुलाने पर थोड़ी देर तक रहे और चल गये। अगर माननीय मुख्य मंत्री का सदन में भाषण होता हो और सभी माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले जायं तो क्या मर्यादा रह जायेगी। ऐसे आवश्यक अवसर पर वह चले जाते हैं तो क्षोभ होता है और उस क्षोभ को हम आपके सामने रखते हैं। जो परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में रुक गई है और वहां अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया है जिससे पुलिस भी वहां पहुंच गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं और उनका कोई ऐसा मंत्री भी इस लायक नहीं है कि वहां की स्थिति के बारे में बयान दे सके और हमें सन्तोष दे सकें। आप से मेरा निवेदन है कि

अगर मुख्य मंत्री जी नहीं है तो उन्हें अभी बुलाया जाय, वह सदन में आये और सदन को स्थित से अवगत करायें। वह कल वक्तव्य देंगे और अगर रात भर में कोई बड़ी घटना हो जाय तो क्या लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष—

यहां व्यवस्था यह उठाई गई कि आज ही उस पर वक्तव्य दें, यह उनकी इच्छा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने कल के लिये कहा था लेकिन आज दे सकते हैं तो दें। चूंकि इतनी भयानक स्थिति हो गयी है तो मेरा अन्दाज है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसी काम में फंसे हों। उनके पास खबर है कि टेन्ट जला दिया गया, और फलां-फलां घटनायें हो गयी हैं। मुमकिन है कि वे कार्यवाही करने गये हों।

लेकिन अगर यह सूचना प्राप्त हो गयी हो तो बता दें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आज वक्तव्य देने के लिये कोई सूचना नहीं है। लेकिन इसका प्रबन्ध कराया जायगा कि वहां पर कोई ऐसी घटना न घटे। पुलिस को सतर्क किया जायगा, लेकिन वक्तव्य कल ही दे सकेंगे। कल ही सूचना आ सकेगी।

श्री राम विलास पांडेय—

श्रीमन्, वे कह रहे हैं कि कल प्रयत्न किया जायगा।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

इसमें क्या हर्ज है। अगर सहमत हों तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आगे का काम चलता रहे और उसके साथ मंत्री जी चले जायं और उनसे पूछ लिया जाय ? परन्तु उसके ऊपर अब कोई चर्चा न हो। आगे का काम आरम्भ कर दिया जाय।

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा है तो यदि सम्भव हो तो आज ही यूनिवर्सिटी की स्थिति पर, जो उसकी अहमियत है, उसको ध्यान में रखते हुए, अगर सम्भव हो तो उस पर वक्तव्य हो जाय ताकि सदस्यों को संतोष हो जायं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप जा सकते हैं तो चले जायं।

एक सदस्य—

मंत्रि मंडल के किसी सदस्य को भेज दें ?

श्री उदित नारायण—

मैं तो नहीं जा सकूंगा लेकिन माननीय शर्मा जी चले जायं तो कृपा करके उन्हें भेज दें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मेरा अभी वक्तव्य है। उसके समाप्त होने के बाद में बात करूंगा। अगर वे समझेंगे तो वे देंगे।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री.....

श्री राम बिलास पांडेय—

श्रीमन्, बुलाया जायगा, खुशामद की जायगी, आप आज्ञा दीजिये कि माननीय शर्मा जी तत्काल चले जायं ।

मान्यवर, इस सदन की गरिमा है

(माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस सदन की यह गरिमा नहीं रहेगी यदि सब के सब खड़े हो जायं और बोलना प्रारम्भ करें।

श्री राम कुमार शास्त्री—

श्रीमन्, यह तो इसमें इतना समय लगा है वह तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर यह परिपाटी रही है जिस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देना होता है तो उसी स्थान से यह पूछ लिया जाता है कि आप इस पर कब वक्तव्य देंगे । अगर कोई मजबूरी हुयी तो विवशता जाहिर कर देते हैं। जितने भी वक्तव्य देने के आदेश होते हैं वे आपकी मर्जी से होते हैं । यह जितना भी कन्फ्यूजन हो गया वह इसमें हुआ कि आप ने उनसे नहीं पूछा है। वहां से आपने पुष्टि नहीं कराई । इसी वजह से इतना कन्फ्यूजन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

इनका वक्तव्य पहले हो । क्या यही आपका अभिप्राय है ?

(व्यवधान)

श्री राम बिलास पांडेय—

यूनिवर्सिटी के मामले में आप शिक्षा मंत्री से वक्तव्य दिलायें ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)—

मैं पहले भी खड़ा हुआ था प्रार्थना करने के लिये कि काउन्सिल वालों ने यह सवाल रखा है । वहां १३ तारीख को ४ बजे से ६ बजे तक समय निर्धारित किया गया है । उसके लिये सूचना प्राप्त कर रहे हैं । जितनी जल्दी होगी, देंगे । मंत्री महोदय ने कल के लिये कह दिया है । मैं कोशिश करूंगा ।।

श्री अध्यक्ष—

कल वक्तव्य देंगे ।

श्री सुखपाल पांडेय—

यह बात अध्यक्ष महोदय, जो कही जा रही है काउन्सिल की, समझ में नहीं आता कि काउन्सिल से सदन का क्या मलतब है ?

(व्यवधान)

प्रदेश में माह फरवरी तथा मार्च, १९७० में हुई उपलवृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

गत फरवरी तथा मार्च के महीनों में प्रदेश में ओलावृष्टि हुई जिससे ३९ जिलों में रबी की खड़ी फसल को क्षति पहुंची । जिलों के नाम प्रभावित तहसीलें, गांवों की संख्या तथा क्षेत्रफल संलग्न सूची में दिये हैं । इनमें से बुलन्दशहर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर,

पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन तथा खीरी ही केवल ऐसे जिले हैं जहां फसल को कहीं-कहीं ५० प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है।

जिस समय ओलावृष्टि हुई थी उस समय खरीफ १३७७ फसली की वसूली कहीं-कहीं हो रही थी और कहीं-कहीं हो चुकी थी। बुलन्दशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, बरेली, खीरी, मैनपुरी और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों की संस्तुति पर शासन द्वारा वसूली स्थगित कर दी थी। जिलाधिकारियों के पास अहेतुक सहायता बांटने के लिये कुछ धन पहले से उपलब्ध था। उसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में तथा इस वर्ष अब तक कुल ४,४५,००० रुपये अहेतुक सहायता के लिये तथा ४३,८५,००० रुपये आपदा तकावी के लिये शासन तथा राजस्व परिषद् द्वारा जिलों को आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारियों ने कई ओलापीड़ित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सस्ते गल्ले की दुकानों की व्यवस्था की।

यह सही है कि इस प्राकृतिक आपदा से बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, झांसी तथा खीरी के कुछ ग्रामों में फसल को भारी क्षति पहुंची है। शासन द्वारा पीड़ित किसानों को यथासम्भव सहायता दी गयी तथा दी जा रही है। शासन के पास जिलों से ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि प्रभावित क्षेत्रों में जानवर भूखों मर रहे हैं या आपदा के कारण किसान अपने बैल आदि बेच रहे हैं। जहां तक शाहजहांपुर के परगना खेड़ा बझेड़ा के ओला से प्रभावित गांवों के कृषकों को अहेतुक सहायता तथा तकावी के वितरण का सम्बन्ध है, इस परगना के ५४ अति प्रभावित गांवों में २६,००० रूपये अहेतुक सहायता दी गयी है तथा २७ ग्रामों में १,४२,८८५ रुपये की आपदा तकावी वितरित की गयी है। राजस्व परिषद द्वारा इस वित्तीय वर्ष में शाहजहांपुर जिले को दो लाख रुपया और आवंटित किया गया है जिसमें से इस परगने के अन्य ग्रामों में तकावी का वितरण किया जा रहा है। सहायता वितरण में लेखपालों द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाये गये है उसके बारे में परगनाधिकारी जांच कर रहे हैं।

संलग्नक

गत माह फरवरी तथा मार्च में प्रदेश में हुई उपलवृष्टि से हुई क्षति का विवरण।

जिले का नाम	प्रभावित तहसीलें	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	२	३	४
१—बुलन्दशहर	सभी चारों तहसीलें	८८७	२,९९,९५६
२—अलीगढ़	"	—	१,७५,९५७
३—मथुरा	मथुरा, सादाबाद, छाता माठ।	४८५	४,१३,२५१
४—आगरा	किरावली, फतेहाबाद, फिरोजाबाद।	१९८	६८,४८५
५—मैनपुरी	करहल, मैनपुरी	१३	२,६५८
६—एटा	—	१३५	७,६९०
७—बरेली	फरीदपुर	४९	५,२१०
८—बदायूं	सदर, दातागंज, बिसौली व सहसवान।	७११	५७,०६७
९—मुरादाबाद	सम्भल	५५	—

१	२	३	४
१०—शाहजहांपुर	पुवायां, सदर, तिलहर, जलालाबाद ।	—	१,४९,४८९
११—पीलीभीत	बीसलपुर	५०	१०,५७३
१२—फर्रुखाबाद	कायमगंज, कन्नौज, छिबरामऊ ।	२६४	४०,२२६
१३—इटावा	औरय्या, भर्थना, विधूना, इटावा तथा तहसील औरय्या के सभी गांव ।	७३३	२१,८९७
१४—कानपुर	घाटमपुर, भोगनीपुर, डेरापुर कानपुर, व बिल्हौर ।	७३४	२,०३,१४७
१५—फतेहपुर	फतेहपुर, बिन्दकी व खागा ।	१२५	१,११,७१०
१६—इलाहाबाद	फूलपुर, कर्छना, चायल, सोरांव, मेजा, सिराथू, हन्डिया ।	६०५	—
१७—बांदा	सदर, नरेनी, कर्वी, बबेरू, मऊ ।	८८४	१,७३,४१६
१८—हमीरपुर	मौदहा, राठ, चरखारी, तथा सदर ।	३०१	१,३७,०२२
१९—झांसी	सदर, मऊ, ललितपुर व महरौनी ।	७३८	—
२०—जालौन	उरई, काल्पी, कोंच	५२०	१,१८,२७७
२१—वाराणसी	सदर, चन्दौली, ज्ञानपुर	३,७२७	—
२२—जौनपुर	सदर, मड़ियाहूं, मछली शहर, केराकट, शाहगंज ।	२,३३२	५३,४४४
२३—मिर्जापुर	सदर, दुद्धी व राबर्ट्स गंज ।	१७	१२,५१५
२४—गाजीपुर	सदर व मोहम्दाबाद	१,६९० (केवल वर्षा से)	—
२५—बलिया	सदर, बांसडीह, रसरा	८५८ (केवल वर्षा से)	—
२६—गोरखपुर	फरेन्दा	६३९ (केवल वर्षा से)	—
२७—बस्ती	डुमरियागंज, नौगढ़	१९१	१८,७३६
२८—आजमगढ़	सगड़ी, फूलपुर, मोहम्दाबाद, लालगंज, घोसी	१९२	—
२९—नैनीताल	कालाढूंगी	२	७४
३०—अल्मोड़ा	पाट्टीतल्ला	३	४८
३१—लखनऊ	मोहनलालगंज	—	४,०००
३२—उन्नाव	सदर	१८०	२८,२४२

१	२	३	४
३३—रायबरेली	—	—	नाम मात्र की क्षति।
३४—सीतापुर	—	११२	२४,०६६
३५—हरदोई	शाहाबाद	—	३,२००
३६—खीरी	मोहम्मदी व लखीमपुर	३३६	१,०५,५६७
३७—सुल्तानपुर	कादीपुर	७८३ (केवल वर्षा से)	—
३८—फैजाबाद	बीकापुर, सदर, अकबरपुर	१,९३९ (केवल वर्षा से)	—
३९—बहराइच	—	२१	४,९५०

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि शाहजहांपुर जिले में ओले से कितना नुकसान हुआ, यह तालिका में नहीं दिया हुआ है। मैंने कहा कि १२५ ग्रामों में नुक्सान हुआ है। मैंने नियम ५१ का नोटिस दिया था। उसमें लेखपाल का नाम दिया था। उसका नाम ओंकार सहाय है। तहसीलदार साहब से भी शिकायत कर चुका हूं। अगर मंत्री जी ने सूचना न मंगायी हो तो श्रीमन्, इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

एक तरफ आप जल्दी करते हैं वक्तव्य के लिये, दूसरी तरफ कहते हैं स्थगित कर दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार ने परगना खेड़ा बसेड़ा में सस्ते गल्ले की दुकान खोली है?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जिस पटवारी का अभी नाम लिया, ४ तारीख को तो माननीय सदस्य ने शिकायत ही दी थी, उस पर जांच हो रही है। स्वयं जिलाधीश तथा और अधिकारियों ने ग्रामों में जाकर निरीक्षण किया है, दौरा किया है। आप के लिये काम हो रहा है। अगर सस्ते गल्ले की दूकान के लिये आप कहेंगे तो वह भी खुलवा देंगे, लेकिन सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला उठेगा इसमें मुझे शक है क्योंकि इस समय फसल का माल आने के कारण बाजार में वैसे ही भाव सस्ता है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि झांसी जिले में जो तकावी दी जा रही है उसमें तहसील के अधिकारी ७ प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसी सूचना तो नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो उसकी पूरी जांच करा लेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र—

क्या मेरी सूचना सही मान कर ही माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, माननीय सदस्य अगर लिख कर गांव का नाम आदि दे देंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

बुलन्दशहर जिले में कितनी सहायता दी गयी है ?

श्री धर्मदत्त—

अहेतुक सहायता १ लाख ३५ हजार और तकावी ६ लाख ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि परगना खेड़ा बझेड़ा में लोगों से अहेतुक सहायता के रूप में रुपया वसूल किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य जिस तरह की बात कह रहे हैं, उसको यदि लिखित या जवाबी सूचना दे दें तो हो जाएगा, यों ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या उसी लेखपाल के हल्के के अन्तर्गत कुछ लोगों ने जिन्होंने इस प्रकार की शिकायत की, उनको तकावी से वंचित कर दिया गया ?

क्या मंत्रीजी को यह ज्ञात है कि सुरेन्द्र विक्रम जी ने पहले ४ तारीख को कोई पत्र इस आशय का सरकार को भेजा था ?

श्री अध्यक्ष—

तो आप क्यों पूछते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसके बारे में मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं, आप थे नहीं ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की चायल, मंझनपुर और फूलपुर तहसीलों में जो हानियां हुई हैं, उस पर सरकार ने क्या-क्या सहायता की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, २० हजार रुपये की अहेतुक सहायता व २० लाख रुपये की तकावी बांटी गई है ।

श्री धर्मवीर—

क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो पहले किसी काल में तकावी के लिये होता है उसको इस आपदा में तकावी नहीं दी जाती है ? क्योंकि मुझे सूचना है कि जो पहले ले चुके हैं, उनको इस हानि में कोई सहायता नहीं दी गई ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसा होना नहीं चाहिये, शायद नहीं हुआ होगा । यह सहायता ओले से होने वाले नुकसान के कारण दी जाती है, चाहे उन्होंने पहले तकावी लिया हो या न लिया हो ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि तहसील के कुछ स्टाफ ने रुपया देते समय रुपया नहीं दिया और अहेतुक सहायता व तकावी के समय फर्जी अंगूठा लगवा लिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसी कोई सूचना विभाग से नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने के कृपा करेंगे कि बुलन्द शहर में ३ लाख एकड़ भूमि प्रभावित हुई और उसमें १२ आना से १६ आना तक हानि हुई तो उसकी मालगुजारी माफ करने के लिये क्या किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जमीन ५० फीसदी से ऊपर है, इसका ब्रेक-अप मेरे पास नहीं है । लेकिन जहां नकसान हुआ होगा वहां लगान में छूट दी जायगी ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

जब इलाहाबाद में ओला पड़ा था तो उसकी जांच के लिये श्री राम किंकर, उप राजस्व मंत्री मौके पर गये थे, उन्होंने बहुत से गांवों को देखा था—किसी-किसी गांव में उन्होंने कोई भी फसल खड़ी नहीं पाई और उन्होंने वहां पर इस बात को स्वीकार किया था कि यह नुकसान १०० फीसदी से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में आपने ५० फीसदी ही बताया है । इसलिये आपकी रिपोर्ट गलत है । आप मेरी सूचना को सही मानकर उसकी फिर से जांच करवायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने यह सूचना दी । लेकिन १०० फीसदी से ज्यादा तो नुक्सान होता नहीं, १०० फीसदी हो या पचास फीसदी हो, उसका नतीजा एक ही निकलता है—मालगुजारी में छूट और मुल्तवी होती है तो ज्यादा फीसदी पर फर्क नहीं पड़ता । लेकिन अगर वह सूचना देंगे कि कहीं पचास फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां अधिकारियों ने नहीं लिखा है तो उसकी जांच फिर करवा ली जायगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

झांसी जिले में और प्रदेश के अन्य जिलों में भी जहां ओला वृष्टि हुई है वहां पर बहुत नुकसान हो गया है । वसूली स्थगित की गई है लेकिन जो एन० ई० एस० की तकावी है और कोआपरेटिव का रुपया है उसकी वसूली बराबर चालू है । तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिनकी फसलें बहुत ज्यादा बर्बाद हो गयी हैं उस बरबादी को दृष्टि में रख कर एन०ई०एस० की वसूली और कोआपरेटिव धन की वसूली को अविलम्ब स्थगित करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जहां तक सरकारी देयों का सवाल है, उनकी वसूली हम कर सकते हैं । कोआपरेटिव सोसाइटीज में किसानों का ही पैसा होता है । मुल्तवी उन्हें भी करना चाहिये । चूंकि कर्जा सोसाइटीज देती हैं, इसलिये माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि उन्हीं सोसाइटियों को या कोआपरेटिव विभाग को लिखें । मैं भी कह दूंगा, अगर वह जरूरी होगा तो मुल्तवी कर देंगे ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही अहम विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। ओला, सूखे से जब कभी भी नुकसान होता है तो जो नियम बने हुये हैं, जैसा अभी मंत्री महोदय ने फर्माया उसके अनुसार ५० फीसदी से अधिक जिस जगह पर नुकसान होता है वहां पर देहात के लोगों को सुविधा दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री उदित नारायण—

सवाल की भूमिका दे रहा हूं। नुकसान जो होता है वह सारे गांव का पचास फीसदी अगर लगायेंगे तो इससे लोगों के साथ न्याय नहीं होगा क्योंकि ओला पड़ा केवल चार खेतों में, उनमें १०० फीसदी नुकसान हो गया, लेकिन सारे गांव का पचास फीसदी नुकसान नहीं होगा। तो क्या वह विचार करेंगे कि हर एक खेत में जो नुकसान होता है उसमें पचास फीसदी नुकसान हुआ है तो जिस खेत में नुकसान हुआ है उसका लगान माफ करेंगे और उसके मुताबिक सुविधायें देंगे या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, जहां तक ओला का सवाल है मैं शर्मा जी की राय से सहमत हूं कि किसान के कुल नुकसान पर पचास, फीसदी से ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो छूट मिलनी चाहिये। मेरे ख्याल में नियमों में भी कोई फर्क नहीं है क्योंकि गांव भर के ओले से गांव भर को छूट नहीं मिलती है। ओले से छूट उन्हीं को मिलती है जिनके यहां नुकसान हुआ फिर भी मैं देख लूंगा और अगर किसी परिवर्तन की जरूरत होगी, उनकी सलाह के अनुसार तो वह करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल —

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लगान जो स्थगित किया गया है वह स्थगित है या लगान माफ करने के आदेश आपने दिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पहला काम तो यह होता है कि लगान मुल्तवी कर दो और आम तौर पर जहां माफी के चांसेज होते हैं वहीं पर यह लगान मुल्तवी किया जाता है। लिहाजा लगान जहां जहां माफी करने के लायक होता है वह माफ कर दिया जाता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

पश्चिमी जिलों के अन्दर बहुत ओला पड़ा है और पलेज की फसल बिलकुल तबाह हो गयी है लेकिन आम तौर पर पलेज वगैरह की फसल को रेवेन्यु विभाग फसल न मानने के कारण कोई छूट नहीं देता तो क्या माननीय मंत्री इन फसलों को फसल मान कर जहां नुकसान हुआ है, छूट दिलवायेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

पलेज की फसल पर जहां ओलावृष्टि से असर हुआ होगा उसकी सूचना अगर माननीय सदस्य देंगे तो उस पर विचार किया जायगा लेकिन ये आंकड़े उससे संबंधित हैं जो ओलावृष्टि पहले फसलों में हुई थी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री ने फेयर प्राइस शाप्स खोलने के लिये कहा है और अब जानवरों का खाना भूसा है तो मई, जून व जुलाई के महीने में जानवरों को मरने से बचाने के लिये जहां भूसा ज्यादा है वहां से भूसा सप्लाई करायेंगे जहां पर कि भूसा नहीं हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आम तौर पर भूसे को पूरा नुकसान नहीं होता है, गल्ले को ही नुकसान होता है। किसी जगह ऐसा हो तो जिलाधीश उसका प्रबन्ध कर देते हैं या लोगों को आपस में कर लेना चाहिये।

श्री हिम्मत सिंह—

हाई ईल्ड वेरायटी में गेहूं का पौधा छोटा होता है जिसके कारण भूसा कम निकलता है तो क्या तराई एरिया से भूसा बुलन्दशहर जिले को सप्लाई करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जरूरत होगी तो भेजा जायगा।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

शाहजहांपुर के ७०० गांव में ओला पड़ा है और वहां पर तकावी सीरवारी लगान की १० गुना दी जा रही है तो क्या माननीय मंत्री इस बात को देखेंगे कि काश्तकारों को सीरवारी लगान पर ४० गुना तथा ८० गुना भूमिधरी लगान पर तकावी देने की कृपा की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

काफी रुपया पहले ही दिया जा चुका है। माननीय सदस्य ऐसा न करें कि कर्जा लेने के लिये ज्यादा लोगों को बढ़ावा दें ताकि अदायगी में दिक्कत हो।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय सदस्य द्वारा सूचना देने पर कि ओला पड़ गया तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि वह उसकी जांच करायेंगे तो क्या शासन की तरफ से दैवी प्रकोप के सम्बन्ध में जांच नहीं कराई जाती है कि किन जिलों में ओला पड़ा और क्या उसके आंकड़े हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ये सब शासन द्वारा ही रिपोर्ट्स पहले आती हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बदायूं में ७११ गांव ओले से पीड़ित हुये तो उनको क्या सहायता दी गई और कितनी तकावी दी गई और साथ ही यह भी बतायें कि दातागंज तहसील में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ?

श्री धर्मदत्त—

बदायूं में अहेतुक सहायता २० हजार दी गई है और तकावी १ लाख ५० हजार दी गई है। जिले के स्तर पर यह सूचना उपलब्ध हुई है। तहसील के स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री मोतीलाल बेहलवी (जिला कानपुर)---

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील में कई गांवों में ८०, ९० फीसदी ओलों से नुकसान हुआ है लेकिन वहां पर बराबर नुकसान वालों को भी १० रुपया अनुदान दिया गया, किसी को ५ और किसी ६ रुपया दिया गया है। बराबर अनुदान बराबर नुकसान वालों को नहीं दिया गया और न तकावी बराबर की दी गई। उन सब को अनुदान और तकावी भी नहीं मिली जिनका नुकसान हुआ है। जिनके पास खेत होते हैं उनको तकावी अनुदान मिल जाती है लेकिन जो हरिजन बटाईदार हैं उनको कुछ नहीं मिलता है वे बेमौत मरते हैं तो क्या उन लोगों को भी अनुदान और तकावी देने की कृपा करेंगे और जिन लोगों को नहीं मिलता है उनको भी दिलाने का प्रयत्न किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त---

अहेतुक सहायता सब को दी जाती है चाहे किसी के पास खेत हो या न हो। कानपुर में २० हजार रुपया अहेतुक सहायता दी गई है और तकावी २ लाख २० हजार रुपया दी गयी है। अगर किसी को नहीं मिला है और माननीय सदस्य सूचना देंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मन्त्री जी ने बताया कि व्यापक ओला पड़ा है और भिन्न-भिन्न सदस्यों ने भी जिक्र किया कि ७००, ८०० गांवों में ओले का प्रभाव पड़ा है और यह भी कहा कि समुचित छूट उनको मिलनी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर ५० फीसदी नुकसान है वह तो माफी होगी लेकिन जहां पर पौने पचास फीसदी है तो वहां पर क्या नहीं होगी ? यह कानून बहुत पुराना है तो सरकार इसमें परिवर्तन करने का विचार करेगी या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जहां पर पौने पचास फीसदी भी है वहां पर पूरा मान लिया जाता है। यह तो ४९ १/२ से ऊपर पचास में ही शामिल किया जायगा। जहां तक इस नियम के परिवर्तन का प्रश्न है अभी इस परिवर्तन की जरूरत नहीं है। मेरे खयाल में सबको ही इस तरह से लगान माफी दी जाती है। बाकी सहायता देने के बारे में कोई रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

अब यह विवाद समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम लिया जायगा।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

मैं अब इस पर इजाजत नहीं देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, यह एक ऐसा सवाल है कि सरकार ने ओला वाले मामले में न तो कोई जवाब उचित रूप से दिया है और न माननीय सदस्य अपनी इच्छानुसार सवाल ही पूछ पाये। ऐसी परिस्थिति में आप जानते हैं कि लोगों को तकावी नहीं बांटी गई और लोगों की तकलीफें बढ़ती गई.....

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते क्या हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सरकार से कहें कि वे विस्तृत वक्तव्य दें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है और सरकार की यह तानाशाही जारी रही तो जिस प्रकार एक बार श्री सुरेन्द्र

विक्रम जी ने ५ मिनट के लिये इस हाउस से वाक आऊट किया था उसी प्रकार हम भी वाक आऊट करते हैं ।

(श्री कल्पनाथ सिंह तथा उनके कुछ साथी सदन छोड़ कर बाहर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, आपने देखा कि सदन में दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न आये हैं । विश्वविद्यालय के संबंध में भी प्रश्न आया है । मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच खोलने के बारे में भी विचार करना है । मैं इसी के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस समय सदन के नेता यहां पर उपस्थित नहीं हैं । श्रीमन्, यह हाई कोर्ट की शाखा मेरठ में खुलने के सिलसिले में है । अध्यक्ष महोदय, यह सूचना जो है वह बहुत कुछ माननीय मुख्य मंत्री और उनके व्यक्तित्व चौधरी चरण सिंह दोनों ही रूपों में मुनहस्सर करती है । वे आज सदन में उपस्थित नहीं हैं । आप सरकार को बचाने की कोशिश करने लगते हैं । विरोधी दल के सदस्य इसमें जानकारी उन्हीं से करना चाहते हैं । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं । उन्हें मालूम था कि आज इस बात पर सदन में चर्चा होने वाली है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका इस सवाल के समय हाउस में रहना अनिवार्य है ।

श्री राम विलास पांडेय—

श्रीमन्, उन्हें मालूम था कि मेरठ में हाई कोर्ट के बेंच खुलने से संबंधित आज सदन में विवाद होगा और वे यहां पर नहीं हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप ऐसा वातावरण पैदा करेंगे तो मैं चला जाऊंगा ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद के मसले पर बोलने के लिये कई बार खड़ा हुआ हूं किन्तु आपने मुझे बोलने की और इजाजत नहीं दी । इसलिये मैं हाऊस को छोड़कर बाहर जा रहा हूं ।

(व्यवधान)

(श्री कन्हैयालाल सोनकर सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं ५ मिनट के लिये वाक आउट करता हूं ।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, इस समय सदन में वाक आउट हो रहा है जो चारे की भयंकर स्थिति है उससे शायद माननीय मंत्री जी अवगत नहीं हैं । भूसे की बहुत भयंकर स्थिति है । एक तो उन्होंने यह वक्तव्य गलत दिया कि चारे की स्थिति भयंकर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

मंत्री जी ने ३९ जिलों के बारे में एक सामूहिक वक्तव्य दे दिया। आप उसके संबंध में छोटे से विवाद की आज्ञा दे दें तो माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी तो हो जाय कि सरकार लोगों की क्या सहायता कर रही है। अनेक आवश्यक प्रश्न भी पूछने से रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप इसके लिये लिख कर दे दीजिये।

श्री राम चन्द्र विकल—

लिख कर दे दूंगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में खोले जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में खोले जाने का विरोध करने के लिये खड़ा हो रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न केवल इस समय यह है कि किसी भी जगह हाई कोर्ट की कोई शाखा खोली जाय या नहीं, यहीं तक सारा विवाद सीमित रहे। लेकिन अगर उसके बजाय यह हो कि उसकी एक शाखा आगरा में हो, एक बलिया में हो या एक गोरखपुर में हो, अगर इस प्रकार का विवाद बीच में छिड़ गया तो चौधरी साहब की मंशा पूरी हो जायगी और जो वह चाहते हैं वह हो जायगा।

कानून के दृष्टिकोण से, न्याय के दृष्टिकोण से और जनता के फायदे के दृष्टिकोण से होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, हमें इसी तक सीमित रहना है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर। ऐजेन्डे में मेरठ में हाई कोर्ट की शाखा खोलने के बारे में संकेत है। माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, वह आउट आफ ऐजेन्डा हो जायगी। वह हमको अपने विचार प्रकट करने····

श्री अध्यक्ष—

आपका जब समय आवे तब आप अपनी बात कहिये। उस समय आपको कोई रोके तब कहिये।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, कृपया समय निर्धारित कर दें क्यों कि बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

श्याम सूरत जी १५ मिनट बोल लें। शेष सदस्यों को १०-१० मिनट दिया जायगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, १५ मिनट समय बहुत कम होगा।

श्रीमन्, सन् ४८ से पहले हमारे हाई कोर्ट की दो शाखायें रहीं, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरा अवध चीफ कोर्ट। जब हमको आजादी हासिल हुई तो हमारे प्रान्त में जनता ने यह महसूस किया कि प्रान्त में उच्चतम न्यायालय केवल एक ही होना चाहिये और इसका दबाव

लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बरान पर भी पड़ा, और जो गवर्नमेंट थी उस पर भी पड़ा। इसके लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"हम संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अधोलिखित प्रार्थना आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं —

क्योंकि संयुक्त प्रान्त भारतीय राज्य में एक प्रान्त के रूप में एक ही व्यवस्थापक मंडल द्वारा और एक ही शासन प्रबन्ध में अपना कार्य संचालन करता है। न्याय व्यवस्था दो स्वतंत्र विभागों—माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध चीफ कोर्ट द्वारा संचालित होती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध चीफ कोर्ट अपने विधान तथा अन्य नियमों में समता रखते हैं और अनुयोजन (अपील) तथा पुनर्निर्णय (रिवीजन) के क्षेत्र में प्रान्त के उन विभागों पर जो उनके सीमाधिकार के अन्तर्गत अलग अलग है समान अधिकार रखते हैं और क्योंकि गत ५० वर्षों से जनमत का सुझाव सारे संयुक्त प्रान्त के लिये एक ही सर्वोच्च न्यायालय रखने के पक्ष में रहा है।

और क्योंकि अभिभाषक मंडल (बार) तथा जनता का प्रमुख मत ऐसे दो न्यायालयों को एक ही प्रान्त में रखने के पक्ष में नहीं है।

और क्योंकि सारे प्रान्त के लिये एक ही न्याय व्यवस्था के मत बाहुल्य की और अधिक समय के लिये उपेक्षा नहीं की जा सकती।

और क्योंकि न्याय प्रशासन का अधिकतम हित इसी में है कि एक ही प्रान्त में दो स्वतंत्र सीमा क्षेत्र वाले सर्वोच्च न्यायालय न रखे जायं।

अतः अब हमारी आप शुभमूर्ति से सानुरोध प्रार्थना है कि हमारा यह प्रस्ताव आप गवर्नर जनरल के सम्मुख प्रस्तुत करें कि अवध चीफ कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सम्मिलित कर दिया जाय और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकार पत्र का संशोधन इस प्रकार कर दिया जाय कि उस न्यायालय का सीमा-क्षेत्र सारा संयुक्त प्रान्त हो जाय।"

यह प्रस्ताव उस वक्त के माल मंत्री माननीय हुकुम सिंह जी ने २५ फरवरी, १९४८ को पेश किया था और यह सर्वसम्मति से लेजिस्लेटिव असेम्बली में पास हुआ था। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद यूनाइटेड प्राविन्सेज हाई कोर्ट अमलगमेशन आर्डर, १९४८ के अनुसार चीफ कोर्ट जो कि अवधि का था वह समाप्त हो गया। लेकिन उस वक्त चूंकि अवध का चीफ कोर्ट यकायक समाप्त हुआ था और मुकदमे यहां ज्यादा चल रहे थे इसलिये उस समय की गवर्नमेंट ने यह जरूरी समझा कि कुछ दिन के लिये यहां पर हाई कोर्ट की बेंच कायम रखी जाय और वह धीरे धीरे समाप्त कर दी जाय।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि मुख्य मंत्री जी को हम लोग ढूंढ़ रहे थे कि लखनऊ में कहीं भी हों आ जायं अब वह आ गये हैं, यूनिवर्सिटी पर कोई वक्तव्य दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं। इस वक्त दूसरा विषय चल रहा है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अमलगमेशन आर्डर, १९४८ में यह बिलकुल निहित था कि लखनऊ की बेंच धीरे धीरे समाप्त हो जायेगी और इस प्रदेश में केवल एक हाई कोर्ट रहेगा। यह १९४८ में ही तय हो चुका था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय चौधरी साहब जो इस कुर्सी पर बैठे हैं

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय—]

वे उत्तर प्रदेश को दो टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, एक पूर्वी जिलों का टुकड़ा और दूसरा पश्चिमी जिलों का टुकड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखा खोलने की आपकी मंशा से बिल्कुल जाहिर होता है कि आप पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक शाखा मेरठ में खोल देंगे उसके बाद पश्चिमी जिलों से यह मांग उठायेंगे कि उनका एक अलग प्रान्त कायम हो। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि किस आधार पर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखा मेरठ में खोलना चाहते हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय ले लीजिये, ला कमीशन की दो, तीन रिपोर्ट आयी हैं, उनको ले लीजिये, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े जूरिस्ट्स की राय ले लीजिये सभी की राय हो चुकी है कि हाई कोर्ट की शाखा कहीं नहीं खोलनी चाहिये मेरी समझ में नहीं आता कि इस संदर्भ में मुख्य मंत्री जी का जो बयान था उसमें उन्होंने यह तसलीम किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से १९ मार्च को मशविरा किया और उसमें उन्होंने यह राय दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखा मेरठ में कतई नहीं खोलनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आपको यूनाइटेडप्राविन्सेज हाईकोर्ट अमलगमेशन आर्डर की धारा १४ पढ़ कर सुनाता हूं—

"The new High Court and the judges and Division Courts thereof shall sit at Allahabad or at such other places in the United Provinces as the Chief Justice may, with the approval of the Governor of the United Provinces, appoint."

यह यूनाइटेड प्राविन्सेज अमलगमेशन आर्डर रिपील नहीं हुआ और धारा १४ में साफ साफ दिया है कि हाई कोर्ट की बेंच कहां बठेंगी इसका निर्णय चीफ जस्टिस ही गवर्नर के एप्रूवल से कर सकते हैं।

माननीय चौधरी साहब ऐसा लगता है कि कुर्सी पर बैठने के बाद लेजिस्लेचर के अलावा जुडीशियरी पर भी हमला करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

डिबेट में आप मुख्य मंत्री कहें या न्याय मंत्री कहें, आप नाम नहीं ले सकते।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ जस्टिस आफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने १९ मार्च, १९७० को अपनी राय दी है। इसके बाद हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े जूरिस्ट्स का एक कमीशन था जिसकी नियुक्ति १९५६ में की गई थी। उसके एम० सी० सीतलवाद चयरमैन थे, एम० सी० छागला, के० एन० वांचू, जी० एन० दास, पी० सत्यनारायण राव, वी० के० टी० चारी, डी० नरसा राजू, जी० एस० पाठक और जी० एन० जोशी उसके मेम्बर थे। यह चौथा ला कमीशन था। यह इसलिये बना था कि आया हिन्दुस्तान में किसी हाई कोर्ट की शाखा उस प्रान्त में खुलनी चाहिये या नहीं इस पर २२ सितम्बर, १९५६ को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है उसका एक पैरा में पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"In our opinion the question whether the High Court should sit as a whole at one place or in Benches at different places has to be considered solely from the point of view of the administration of justice and political and sentimental considerations have as far as possible to be excluded. We are firmly of opinion that in order to maintain the highest standards of administration of Justice and to preserve the character and quality of the work at present being done by the High Courts, it is essential that the High Court should function as a whole and only at one place in the State.

मान्यवर, ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है हाई कोर्ट की बेंच खोलने या न खोलने के बारे में। इसमें पोलिटिकल मोटिव कतई नहीं होना चाहिये। इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि वह न्याय पालिका के साथ मजाक न करें। न्याय पालिका की जो स्वतंत्रता रही है उस पर आप आघात न करें। अगर इस तरह से आप न्याय पालिका पर हावी होते हैं तो जनतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा। न्याय पालिका स्वतन्त्र रूप से मजबूत और निष्पक्ष न रहे तो जनतन्त्र चल नहीं सकता है। इसलिये लेजिस्लेचर के साथ-साथ एक मजबूत न्यायपालिका का रहना प्रान्त में बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसके बाद उसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से कहा है—

"We had earlier occasion to make a Report on the desirability of the High Court of a State sitting in Benches at differ nt places in the State. We then reached the conclusion that the efficiency of the administration of justice should be the paramount consideration governing this matter and that this consideration weighed overwhelmingly against the creation of Benches of the High Courts. The structure and composition of the Court should not be permitted to be influenced by political considerations. That this has happened in the pact in certain cases can be no valid ground for the extension of that policy."

तो मान्यवर, यह हाई कोर्ट की शाखा खोलने के सम्बन्ध में ला कमीशन ने बहुत साफ साफ रिपोर्ट दी है कि इसकी शाखा नहीं खोलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, दस मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

पांच मिनट और आप ले लें। बहुत से लोग बोलना चाहते हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, चौधरी साहब से दो बातें कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर चौधरी साहब कहने लगे। आप मुख्य मन्त्री या न्याय मन्त्री को संबोधित करके कहें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय मुख्य मंत्री जी दो तर्क मेरठ में शाखा स्थापना के बारे में पेश कर सकते हैं। एक तो यह कि मेरठ वालों को, पच्छिमी जिले वालों को इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता है और जस्टिस चीप प्रोवाइड करने के लिये मेरठ में बेन्च कायम करना बहुत जरुरी है लेकिन उस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व हुई थी। १८६१ में वह स्थापित हुई थी किन्तु तब से अभी तक यह आवाज नहीं उठी लिटिगेन्टस की ओर से कि हमको इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता है। मान्यवर, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये वहां एक हाईकोर्ट की शाखा थी नैनीताल या अल्मोड़ा में मुझे इस समय ठीक ख्याल नहीं है। उसे १९४५ में पहाड़ वाले खुद अपने प्रयास से खत्म कराये।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये कह दूं कि यह सारी बातें गलत हैं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

डिमांड सभी की है । यह बात गलत है ।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य इलाहाबाद में वकालत करते हैं और इलाहाबाद के वकीलों की वकालत करने के लिये खड़े हुये हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, पहले तो यातायात के साधन बहुत कम थे लेकिन अब तो मेरठ से इलाहाबाद पहुंचने में बहुत दिक्कत नहीं है । जब दिक्कत थी तब यह आवाज नहीं उठी कि मेरठ में शाखा खोली जाय किन्तु जब साधन सब हो गये तब यह कहना कि खर्चा बहुत पड़ता है यह मेरी समझ में नहीं आता । मान्यवर, जहां खर्चे की बात है, चीप जस्टिस देने की बात है एक महीने पूर्व हाई कोर्ट में रिट की फीस ५० रु० थी जिसको मुख्य मंत्री जी ने १०० रु० कर दिया है । मान्यवर, हलफनामा का आठ आना पड़ता था उसको डेढ़ रुपया कर दिया, अदालतों में दावा करने की कोर्ट फीस दुगुनी और तिगुनी कर दी गई । रिट की पहले ५ रु० फीस थी उससे ५० रुपये हुई और फिर उसके बाद १०० रु० आपने कर दी । कोर्ट फीस बढ़ाने में जनता का खयाल नहीं है लेकिन हाई कोर्ट की बेन्च मेरठ में खुल जाय इसके लिये आप बहुत ढोल बजा रहे हैं कि जनता के फायदे के लिये हम मेरठ में शाखा खोलना चाहते हैं । मान्यवर, दो बातें और कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त नहीं कर सका और दो मिनट और चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका टाइम समाप्त हो गया है ।

एक सदस्य—

क्या माननीय सदस्य इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैं इलाहाबाद में वकालत करता हूं परन्तु हाई कोर्ट में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में । माननीय न्याय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील यह चाहते हैं कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेन्च खुले । यह बयान एक दम सत्य से परे है । इस प्रकार की गलत चीजें उनको नहीं कहनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया । अब न्याय मंत्री बोलेंगे । नियम ५२ में यह है कि प्रस्तावक के पश्चात् मंत्री को बोलना होता है ।

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरठ अथवा अन्य किसी स्थान पर हाई कोर्ट की बेन्च को खोलने के सम्बन्ध में सदस्यों को विचार व्यक्त करने का मौका दिया । श्रीमन्, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि वह हाई कोर्ट में वकालत नहीं करते हैं और दूसरी जगह करते हैं इसलिये उनकी मांग निष्पक्ष है, तो माननीय सदस्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वकालत करने का अवसर है । जब माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम लिया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं ही इस बात को चाहते हैं कि मेरठ में हाई कोर्ट

की बेन्च खुले तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मेरठ का नाम किसने चालू किया और यह प्रश्न कैसे चालू हुआ। जहां तक कि माननीय सदस्य ने आगरा और अवध का एमल्गमेशन कानून बताया वह ठीक है। अगर चीफ जस्टिस गवर्नर महोदय की सलाह से चाहें तो वह इलाहाबाद से अलग दूसरी जगह भी हाई कोर्ट की बेन्च खोल सकता है और अगर गवर्नर और मुख्य मंत्री जी भी एक राय के हाई कोर्ट की बेन्च को किसी स्थान पर खोलने के लिये हो जाते हैं तो इस प्रश्न को लेजिस्लेशन में भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर चीफ जस्टिस इस राय का नहीं होता है तो इस प्रश्न को लेजिस्लेशन में लाना पड़ता है। इस कानून को आप भूल गये हैं। जहां तक कि बेन्च खोलने का सवाल है और आपने जो प्रस्ताव में रखा है तो मेरा अथवा मुख्य मंत्री जी का कहीं पर भी यह स्टेटमेंट नहीं है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेन्च को खोलने का फैसला हो चुका है। मेरठ में बेन्च को खोलने की शुरुआत कहां से हुई? जस्टिस सहाय ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हाई कोर्ट की सर्किट बेन्च खोलना बहुत ही लाजिमी है और मैं समझता हूं अपने अनुभव से कि वह

(इस समय ६ बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बेन्च सिर्फ मेरठ में ही खुल सकती है जहां की बार इसके काबिल है और जहां का पुस्तकालय भी इतना सम्पन्न है कि हाईकोर्ट की बेन्च की समता पर सकता है। (तालियों की आवाज) हमारे सिन्डीकेट के भाइयों ने थोड़े समय पहले सदन का परित्याग किया था। पिछली मर्तबा जबकि गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे तो उनका भी यह कमिटमेन्ट था कि हाईकोर्ट की बेन्च मेरठ में खुलनी चाहिये और यह तय हो चुका था। सिर्फ गुप्ता जी के सामने अर्थ-व्यवस्था का सवाल था.....

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं सूचना के लिये जानना चाहता हूं कि यह कमिटमेन्ट उन्होंने किसको दिया था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मेरठ हाईकोर्ट की बेन्च की तीसरी मांग जनसंघ के इलेक्शन मैनीफैस्टो में थी कि हाईकोर्ट की सर्किट बेन्च खुलनी चाहिये। मुझे अफसोस है कि माननीय उपाध्याय जी, अगर ज्यादा कड़े शब्दों में न कहूं तो, जनहित नहीं सोचते, अपना हित सोचते हैं.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मैं जानता हूं, मुख्य मंत्री जी का इस सदन में बयान भी हुआ है कि उनके साथ कुछ लोग बैठते हैं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय न्याय मंत्री जी ने उपाध्याय जी के लिये कहा कि जनहित नहीं सोचते, अपना हित सोचते हैं। तो क्या यह संसदीय नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन नहीं है? व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप कुछ कहेंगे तो उसका जवाब भी आपको दिया जायगा। जब बहस यहां तक चलेगी कि किसी का हाथ इसमें है तो दूसरा कोई भी व्यक्तिगत तौर पर ले जायगा। इसलिये मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि किसी व्यक्ति के बारे में न कहें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की छूट दे रहे हैं....

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। इसी सदन में न्याय मंत्री जी ने पहले ही प्रश्न के सिलसिले में यह बताया था कि अभी कोई स्थान कि कहां पर बैन्च स्थापित की जाय, तय नहीं है। लेकिन मेरठ की जो वकालत कर रहे हैं, कैसे मेरठ का प्रश्न था? यह रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैन्च मेरठ में खोले जाने के सम्बन्ध में ही तो प्रश्न है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) माननीय रामकुमार शास्त्री जी शरीर से सिन्डीकेट में बैठते हैं और मन से इन्डीकेट में हैं। तो आप व्यवस्था दें कि शरीर और मन को साथ रख कर काम करें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपकी खुद की कल्पना है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शास्त्री जी के लिये यह कहना शायद अनुचित न होगा कि वह मेरे कथन को सुन नहीं सके। मेरा कहना है कि अभी तक माननीय मुख्य मंत्री जी का, मेरा या इस सरकार का कोई कमिटमेंट नहीं है, यह कथन कि बेंच होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये और कहां होनी चाहिये। मैं माननीय सदन को बताउंगा कि मैंने अभी तक सिर्फ सदन के सामने यह बताया है कि मेरठ में बेंच खोलने के लिये किस-किस सोर्स से नाम आये थे, मैंने पहले यह प्रकट किया कि जस्टिस सहाय ने पहले नाम लिया और फिर श्री गुप्ता जी ने नाम लिया और जनसंघ के एलेक्शन मेनीफेस्टो में यह चीज थी। हमारे उपाध्याय जी बार-बार चौधरी साहब का नाम लेते हैं, मालूम होता है कि वह शायद किसी व्यक्तिगत भावना को यहां रखना चाहते थे। मुझे भी इस बात का अधिकार है कि मैं इतमिनान के साथ कह सकूं इस बात के लिये कि हाईकोर्ट की बेंच न खुले, अगर कोई विरोध है तो वह केवल इलाहाबाद के बार एसोसियेशन का ही है। और कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है कि जो कहता हो कि न खुले और इसका कारण साफ है। हमारे माननीय सदस्य ने ला कमीशन का उदाहरण दिया, मैंने भी उस को देखा है, उस ला कमीशन की रिपोर्ट में यह है कि २ कारणों से यह हाईकोर्ट की बेंच नहीं खुलनी चाहिये। अगर माननीय सदस्य उन कारणों का औचित्य समझते हैं तो मैं कहूंगा और समझूंगा कि शायद ला कमीशन के आर्गुमेंटस सही हों। एक कारण तो उन्होंने यह दिया है कि अलग बेंच खुलने से हाईकोर्ट का स्टेंडर्ड गिर जायगा और दूसरा कारण यह है कि अगर कहीं और बेंच खुलेगी तो वहां इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं हो सकेगा। मैं माननीय सदस्यों के सामने इस बात की अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त उच्च न्यायालय का स्टेंडर्ड क्या है। मेरे इल्म में आया है कि कुछ दिन पहले इजलास में ही सीनियर लोगों में जूते लात की बात चली और उस पर न्यायाधीश इजलास से उठ कर बाहर चले गये। उस स्टेंडर्ड को माननीय सदस्य जानते हैं, देखते हैं और मैं थोड़ी सी स्टेंडर्ड की बात और बता दूं कि ला कमीशन ने उस स्टेंडर्ड को क्यों.....

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वह गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं माननीय उपाध्याय जी से प्रार्थना करूंगा कि वह यंग एसोसियेशन के नोटिस बोर्ड मे देखें कि उन्होंने उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव रखा है।

जहां तक स्टेंडर्ड की बात है मैं चाहूंगा कि उच्च न्यायालय में जो प्रोफेशनल्स हैं और वकीलों में केन्द्रित हो गये हैं, क्रिमिनल केसेज में दो-दो तीन-तीन कौंसल

हैं और उन की दशा यह है कि दस-दस बीस-बीस केसेज एक एक दिन में ले लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि बीस-बीस क्रिमिनल केसेज एक दिन में आरम्भ किये जा सकते हैं ? नहीं कर सकते। यहां यह होता है कि उनके जूनियर जो भी अनपेड हैं, उसका मेहताना दिया जाता है कि न्यायाधीश हमारे सीनियर कौंसल हैं, वे दूसरी जगह एन्गेज हैं, इसलिये तारीख बढ़ जाती है। उसका कारण क्या होता है कि दिन भर में अगर २ अपीलें आर्गु की तो ८ अपीलों का एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है। हम चाहें जितने न्यायाधीश बढ़ाते जांय, अगर क्रिमिनर कौंसल की तादाद नहीं बढ़ती है तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। क्रिमिनल केसेज की यह हालत है कि यह केवल २–३ कौंसल्स में ही केन्द्रित है। रिट में भी २–३ ही वकील हैं। एक श्री खरे और दूसरे हैं श्री कक्कड़। अगर माननीय उपाध्याय जी भी हार गये होते तो उन्हीं को एन्गेज करते। इसी प्रकार से सिविल में भी कोई स्टेन्डर्ड का वकील नहीं है। सिविल केसेज के लिये भी हमसे ही पूछते हैं कि किस वकील को कर लिया जाय। २–३ साल बाद हाई कोर्ट का क्या स्टेन्डर्ड होगा।

जहां तक बार और लाइब्रेरी का सवाल है वह तो रुपये से कितनी ही लाइब्रेरी केन्द्रित कर सकते हैं। तोला कमिशन के जो रीजन्स हैं वे समझ में नहीं आते, कोई सदस्य अगर स्वार्थ को छोड़कर, माइन्ड को एप्लाई करें, तो देखेंगे कि कहां तक उनकी बात सही हो सकती है। कहते हैं कि हाई कोर्ट की बैन्च अगर सूबे में और कहीं खुलती है तो पब्लिक में बड़ा दुःख होगा। कई ऐसे उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में ४ हाई कोर्टस हैं और इस सूबे में भी एक हाई कोर्ट की बन्च लखनऊ में है तो माननीय सदस्य और माननीय सदन इस बात पर विचार करें कि इतने लम्बे सूबे में क्या एक हाई कोर्ट से काम चल सकता है। माननीय उपाध्याय जी अगर उत्तरकाशी में वकालत करते हैं और वहां से अपील दायर करने के लिये इलाहाबाद में आवें और लखनऊ क्षेत्र को पास करके इलाहाबाद में जावें तो मैं नहीं समझता हूं कि बिना स्वार्थ के और क्या कारण है कि वह जनता ३ सौ या ४ सौ मील चलकर हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमा दायर करें और भाषण दे कि न्याय चीप होगा।

श्रीमन्, जो भी टिहरी-गढ़वाल, उत्तर काशी, मेरठ या सहारनपुर से चलते हैं, जब वे इलाहाबाद जाते हैं तो लखनऊ हाई कोर्ट को क्रास करके ही जाते हैं तो कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि या तो उन जिलों को लखनऊ बेन्च में मिला दिया जाय या इसकी बेन्च और जगह हो जाय। यह उचित नहीं है कि वे लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच को पार करके इलाहाबाद में मुकदमें दायर करने जायें।

जहां तक कानून का संबंध है, देश के जितने भी कानून हैं वे पब्लिक के इन्टेरेस्ट में होते हैं, वकीलों के इन्टेरेस्ट में नहीं होते हैं। जितने भी कानून बने हैं, वे सिर्फ पब्लिक इन्टेरेस्ट में बने हैं। लंदन में आजकल जो बैन्चेज हैं, वे फैसला करने के लिए नगरों में जाते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से कुछ लोग यह कहते हैं कि जनता रुष्ट है, उनको चीप न्याय नहीं मिलेगा, इसलिये कि उन्हें इलाहाबाद आना पड़ेगा। तो इस तरह से यह कहना कि राजनीतिक मंशा मुख्य मंत्री जी की है कि मेरठ में खुलना चाहिये, यह जनता की आवाज है, मुख्य मंत्री जी की नहीं और न और किसी की राय है।

एक सदस्य—

आपकी क्या राय है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मेरी राय तो जनता की राय के साथ है। इतना कहने के बावजूद नहीं समझ सके तो अफसोस है। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य पब्लिक के नुमाइन्दे बनते हैं, पब्लिक के हित के लिए आते हैं तो उनको किसी तरह चुपके से भी नहीं कहना चाहिये।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]—

श्रीमन्, न तो इसमें किसी कानून की कोई रुकावट है और न कोई उसमें यह है कि बेंच नहीं खुलनी चाहिये, जैसा भी सदन चाहेगा । लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि राजनीतिक कारणों की वजह से इलाहाबाद को बाईफर्केट किया जाता है। श्रीमन्, क्या आज इलाहाबाद की बार की वजह से या किसी भी वजह से अगर हाई कोर्ट की सर्केट बेन्च पश्चिमी जिलों को नहीं दी जाती है तो क्या वहां की जनता हरियाणा और पंजाब की तरह आन्दोलन करके सूबे को दो नहीं करवा सकती है ?

(व्यवधान)

मैं समझता हूं माननीय सिन्डीकेट सदस्य गुप्ता जी के कथन को भी मानने को तैयार नहीं हूं । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनता की राय का स्वागत नहीं किया जायेगा तो वह कराह उठेगी इस तकलीफ से । तो अच्छा यही है कि सदन इस बात को सोचे कि सूबे के लिए कोई ऐसा नमूना नहीं होगा कि इतने बड़े सूबे में दो या तीन हाई कोर्ट के बेंच नहीं खुलने चाहिये । श्रीमन्, मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जनता की कुछ सहूलियत की बातों को कुछ क्षेत्रीय बात बना दिया जा रहा है । मैं उपाध्याय जी से विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह मांग सन् ५२ से करीब-करीब स्वयं मैं उठा रहा हूं और पंत जी के जमाने से लेकर आज तक इस हाई कोर्ट की बैन्च के खुलने के आश्वासन मिलते रहे हैं । न्याय मंत्री ने कुछ चर्चा की है। हाई कोर्ट की बेंच का टुकड़ों से कोई सवाल नहीं है । मैं उपाध्याय जी को इस बात की बधाई दूंगा कि अगर वे किसी सही बात की वकालत करते तो वे अच्छे वकील साबित होते । उन्होंने तो ऐसी बात उठा दी जिससे कोई अच्छा असर नहीं पड़ा है । उन्होंने १०० वर्ष पहले हाई कोर्ट का उदाहरण दिया । १०० वर्ष के बाद हमारे देश की आजादी क्या हुई ? सौ वर्ष बाद अपराधों में क्या वृद्धि हुई । सौ साल पहले हमारे प्रदेश की राजनैतिक हालत क्या थी ? अंग्रेजों ने पहले इलाहाबाद को राजधानी बनाया । बाद में उनको राजधानी क्यों बदलनी पड़ी । इलाहाबाद एक कोने में पड़ता था । वे बदल कर इलाहाबाद से लखनऊ आ गये । लखनऊ में बेंच चल रही है काफी दिनों से । तो फिर बतलाइये कि न्याय-पालिका में कहीं हस्तक्षेप हो गया ? जज के काम में कहीं रुकावट आ गई । जो जज यहां काम कर रहे हैं वे मेरठ में काम करने लगेंगे तो क्या मदाखलत होगी और न्याय में क्या हमला हो जायेगा ।

उन्होंने जो दलीलें दी कि न्यायपालिका पर हमला हो रहा है, न्याय स्वच्छ नहीं हो रहा तो ये दलीलें मैं समझता हूं कि बेंच के मामले में सहायक नहीं हो सकेंगी। एक यह भी दलील कि मुख्य मंत्री और चीफ जस्टिस की बातचीत का हवाला दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मांग सन् ५२ से इस सदन में की जाती रही है । इस विषय पर माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी कह चुके हैं और इस मांग को उचित बता चुके हैं । वे तो मेरठ के रहने वाले नहीं हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे चूंकि मेरठ के हैं, इसलिये कुछ संकोच न करें, बल्कि इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके, करें । अगर मेरठ के लोगों को सस्ता न्याय मिल सके तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है । मैंने अदालत का कभी मुंह नहीं देखा । मगर पिटीशन के सिलसिले में मुझे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा । ८० गवाह मुझे ले जाने पड़े । इलैक्शन से ज्यादा मंहगा मुझे पिटीशन पड़ गया । मैं तो श्रीमन् भुक्तभोगी हूं । आज वकीलों की फीस बढ़ गयी है, रेलों का किराया बढ़ गया है। इस सब के कारण न्याय पाना कितना कठिन हो गया है। रेलों में रिजर्वेशन तक नहीं मिलता है। २० साल पहले रेलें खाली चला करती थीं । तो मेरठ में अगर बेंच खुलती है तो उससे तो उस क्षेत्र के रहने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वालों को सुविधा ही होगी । मैं तो चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री और यह सरकार ही अगर इसका श्रेय ले लें तो बड़ा अच्छा होगा । मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर इस सदन की भावना को प्रधान मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जायेगा तो वे भी इस मांग को अस्वीकार नहीं करेंगे । अगर उनका जनतंत्र में थोड़ा भी विश्वास है तो वे इसको तुरन्त मान लेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सदन की भावना को प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के पास अवश्य भेज दें । वहां से हम स्वीकार करा लेंगे ।

माननीय न्याय मंत्री कभी-कभी ढुलमुल हो जाते हैं । माननीय बलबीर सिंह ने यहां मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया था और आश्वासन दिया था कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच शीघ्र ही खोलने पर विचार हो रहा है । अब कहा गया कि हमने कोई आश्वासन नहीं दिया । मान्यवर, अगर समय इस पर विवाद के लिए थोड़ा बढ़ालिया जाय तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है । गोरखपुर के लिये भी इसकी मांग है, झांसी के लिए भी मांग है, मैं कहता हूं कि पहले जो सबसे पुरानी मांग है मेरठ में खोलने की उसे स्वीकार हो जाने दें, बाद में गोरखपुर और झांसी में भी खुले, मुझे उसमें इन्कार नहीं है । आखिर यूनिवर्सिटी भी तो कई जगह खुलीं । अगर सदन इसको स्वीकार कर लें तो माननीय उपाध्याय जी को हम मना लेंगे । जनसंघ पार्टी तो अपने मैनीफेस्टो में ही इसको स्वीकार कर चुकी है । इन शब्दों के साथ मैं मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोलने का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र खोली जाय ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

उपाध्याय जी का वह तमाम फैसला सुना जो उन्होंने आपके माध्यम से हाउस में दिया । उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो कांस्ट्यूस्नलिस्ट, लाइयर्स और जूरिस्ट इन तमाम लोगों का, जिनको यहां क्रीम कहा जाता है, हवाला देकर, उनकी राय का संदर्भ देकर, इतने बड़े लोक महत्व के सवाल को उसकी आड़ में छिपाने की कोशिश की है, वह किसी से छिपी नहीं है । मैं उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि जिनका हवाला उन्होंने यहां दिया है, जिनकी राय हाउस में पेश की है, यह बात आज से ५० साल पहले पैदा हो चुकी है । जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी का आन्दोलन चला, जब कि पश्चिम का आदमी न कभी पढ़ता था न वह जागा था, फौजी सर्विस में अपना खून वह बहाता था और आज भी उसी तत्परता से बहा रहा है । पश्चिम के लोगों ने १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की लड़ाई को इनीशिएट किया था । वह मेरठ ही था जहां से युद्ध का बिगुल बजा था । इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उनकी राय का इसमें श्रेय नहीं है । आज भी उनकी राय जनता के ऊपर इस प्रकार से थोपने की कोशिश की जाती है, जो बहुत ही अनुचित है। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के साथ न्याय को इतना मंहगा करने की कोशिश की गई तो जो अभी माननीय सदस्य ने कहा और जो कल्पनाथ सिंह जी कह रहे थे, प्रदेश का विभाजन होगा और इसे कोई रोक नहीं सकेगा । और इस विभाजन का दोष हमारे सिर पर नहीं होगा, आपके ऊपर इसका दोष होगा जो आपने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इतना सख्ती का बरताव कर रखा है । आपको यह मालूम होना चाहिये कि यदि यह व्यवहार बना रहा तो यह फोड़ा नासूर बन जायेगा और यह मांग व्यापक हो जायेगी । लोग यह समझेंगे कि आप हमारे साथ न्याय नहीं करना चाहते ।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर लोगों की इतनी अवहेलना की जाती है जो बहुत ही शोचनीय है। चाहे आप इरिगेशन का बजट देखें, पी० डब्लू० डी० का बजट देख लें या विद्युत का बजट देखें, हमें डेवलपमेंट के लिए वहां पर क्या मिलता है ? हमारे पास टूटी जमुना कैनाल है । सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनायें हैं जो दूसरे जिलों को मिली हैं और मिल रही हैं, लेकिन यहां के कृषक को पानी पाने के लिए तरसना पड़ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

है । आप खर्च करके उसको पानी नहीं दिला सकते । आप बड़े बड़े डैम बनवाते हैं, लेकिन हमारी छोटी-छोटी मांगों को टाल देने की कोशिश करते हैं । आप बजट को उठाकर देखिये । आपने वहां के लिए कितने ट्यूबवेल्स दिये हैं । यह दूसरी बात है कि हमने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी ताकत के बल पर तमाम खेतों में ट्यूबवेल्स लगा दिये हैं और आपको भी सबक दिया है कि मेहनत करना सीखो । लेकिन आपका हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, वह आप देखें ।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि ७ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं और शेष देश हमारे प्रदेश से छोटे हैं । इस प्रदेश का पहले नाम संयुक्त प्रांत आगरा व अवध था । इसे दो को मिलाकर बनाया गया था । ऐसा अंग्रेजों ने इसलिये किया था कि वह मेरठ के लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले पीसना चाहते थे, उनकी हर प्रकार से उपेक्षा करना चाहते थे, उनको पीछे रखना चाहते थे और उनको अशिक्षित रखना चाहते थे । क्योंकि मेरठ के लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने उनकी बगावत की थी । अंग्रेज बागी लोगों से बदला लेना चाहते थे । तो महोदय, मैं आप से कहूंगा कि आप इनको समझाइये आप इस पालिसी को कन्टीन्यु न करें । इससे यह फोड़ा पकता जा रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है । इसलिये जरूरी है कि सही बात के लिए तमाम सहूलियतें आप उन्हें भी दीजिये, जो आप के साथ रह कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं । इस उचित मांग में यदि देर की गई तो देश और प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल आ सकती है, जिसमें न आप से कंट्रोल हो पायेगा न हमसे ।

समय चूंकि कम है और बोलने वाले ज्यादा हैं, मैं मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोले जाने की ताईद करता हूं और यह शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिये ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री धर्मवीर !

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया है जिसके बारे में पिछले जमाने में भी कई बार चर्चायें हो चुकी हैं कि हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में खोली जाय या प्रदेश के किसी अन्य भाग में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित हो या न हो । इस पर स्थानीय प्रशासन को ले कर, जनता की सुविधा को देख कर, या पोलिटिकल मोटिव को देख कर या किन्हीं कारणों से विचार न करें । आज देश की स्थिति और जनतंत्र की भावना दोनों को ध्यान में रख कर चलें । आज देश की आवश्यकता क्या है ? आज देश में जिस प्रकार डिस्इंटीग्रेशन फैल रहा है, जिस प्रकार क्षेत्रीयता और प्रांतीयता जड़ पकड़ती जा रही है, उसमें हमने जो संतुष्ट करने की नीति स्वीकार की, उससे हमारा देश टुकड़ों में बटता गया । मैं इलाहाबाद की तरफ से वकालत नहीं करना चाहता हूं, न यह चाहता हूं कि मेरठ में बेंच न खुले । मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश ने इस देश को बहुत योगदान दिया है, राष्ट्रीय निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है । आज जिस प्रकार मांग उठा करती है उसके अन्दर राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, अपने क्षेत्र की जनता में प्रचार करने की भावना होती है उस पर आवरण दिया जाता है जनता की मांग का । उसको धीरे-धीरे सुलगाया जाता है । फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसको आन्दोलन का रूप दिया जाता है । उसके बाद हड़तालें होती हैं, और सरकारें झुकती हैं । यह जो तरीका चल गया है चाहे वह प्रदेश के बटवारे की बात हो, या हाईकोर्ट के बटवारे की बात हो उसके अन्दर जो भावना होती है सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य होता है । जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि जनता को किस प्रकार आकर्षित करें । इस जमाने में जहां जनता के अन्दर नेतृत्व स्थापित करना पड़ता है, उसको कोई साधन नहीं मिल पाता है । पुराने लोग कहते थे कि हमने जेल यात्रा की है, देश की हमने यह सेवा की है, हमने यह बलिदान किया है। लेकिन आजकल लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है । सिर्फ क्षेत्र, प्रांत, या भाषा का आधार बना कर एक आन्दोलन किया करते हैं अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए ।

आज देश के अन्दर न जाने कितने उदाहरण मिलेंगे, चाहे पंजाब के बटवारे का प्रश्न हो, या सिर्फ एक बिल्डिंग ट्रांसफर करने की बात हो कि वह पंजाब में रहे या हरियाना में रहे । पंजाब हरियाना का दुश्मन हो गया और हरियाना पंजाब का दुश्मन हो गया । आखिर में यह हुआ कि रुपया दे कर उनको संतुष्ट करो और बिल्डिंग उनको दे दो । जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच रखने की बात है, जहां तक लखनऊ बेंच का सवाल है, मैं न्याय मंत्री से कहना चाहूंगा कि लखनऊ के लोग जा कर इलाहाबाद में मुकदमें दाखिल करते हैं और वहां से ट्रांसफर करके लखनऊ भेज दिये जाते हैं । यह कहना कि चीप जस्टिस देना चाहते हैं, सस्ता न्याय देना चाहते हैं, यह भी बिलकुल ठीक नहीं है। मैं इसको भी मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रदेश का कोई हिस्सा इलाहाबाद से दूर पड़ता है, मेरठ, कुमायूं या गोरखपुर का इलाका बहुत दूर पड़ता है। दूर की बात से न्याय की बात भी उचित नहीं है। मैं न्याय मंत्री के वक्तव्य से प्रभावित हुआ । उन्होंने अन्तरात्मा की बात नहीं कही कि हाई कोर्ट की बेंच कहीं खोली जाय । उन्होंने सिर्फ यह कह कर छोड़ दिया कि जो जनता की राय है वह उनकी राय है। ऐसी मांगों से देश का डिस्इंटीग्रेशन होगा । पार्लियामेंट का डिस्इंटीग्रेशन होगा । मेरठ से इतनी दूर रहने वाले यहां क्यों आयें लिहाजा सहारनपुर में दूसरी बेंच खोली जाय, पहाड़ के रहने वालों के लिये इतनी दूर आने में बहुत अधिक असुविधा होती है लिहाजा उनकी सुविधा के लिये वहां दूसरी हाई कोर्ट की बेंच खोली जाय । तो यह दूर की दलील ठीक नहीं है। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि चौधरी साहब तथा न्याय मंत्री ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है कि वह इस पर विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । मैं सदन तथा सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि इस प्रश्न को उभड़ने नहीं देना चाहिये, जिसमें किसी प्रकार यह भावना लोगों के दिलों में पैदा हो कि चूंकि चौधरी साहब मेरठ के हैं इसलिये वहां खोल दी । वह ऐसा प्रश्न है कि इससे देश तथा प्रदेश की एकता विघटित होगी और ऐसा प्रश्न विधान सभा में नहीं आना चाहिये जिसको ले कर आपस में कटुता तथा वादविवाद फैले ।

रामचन्द्र विकल जी ने कहा कि जनता को आवश्यकता होगी जहां-जहां वहां-वहां हाई कोर्ट की बेंच खोली जाय तो फिर हाई कोर्ट की सेंक्टिटी क्या रह जायगी । मैं मानता हूं कि दूर पड़ता है, असुविधा होती है आने-जाने में लेकिन ला कमीशन ने क्या राय दी है जिसमें छागला जैसे लोग सदस्य थे और एटार्नी जनरल चेयरमैन थे और जिसने यह राय दी है कि हाई कोर्ट की कोई बेंच न खोली जाय । मैं यह मान सकता हूं कि सम्पूर्ण हाई कोर्ट मेरठ में अथवा गोरखपुर में कर दी जाय लेकिन अगर उसके टुकड़े किये जाते हैं तो फिर उसकी सेंक्टिटी पर कुप्रभाव अवश्य पड़ेगा । ला कमीशन ने तो यहां तक सिफारिश की है कि लखनऊ की बेंच को इलाहाबाद में मिला दिया जाय । जनता की एक भावना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से अपील खारिज होने पर उसको उच्चतम न्यायालय में न्याय मिल सकेगा, उसे आप छिन्न-भिन्न न करें । न जाने कितनी दरखास्तें लखनऊ बेंच की इलाहाबाद में दाखिल की जाती हैं, लोगों के अन्दर यह भावना रहती है कि यह हाई कोर्ट नहीं है, बेंच है, भले ही वे वहां मंजूर नहीं होतीं और लखनऊ ट्रांसफर कर दी जाती हैं । मेरा कहना है कि यह नेताओं के दिमाग की उपज है, जनता की भावना नहीं है और यह भावना देश के टुकड़े-टुकड़े कर देगी और मेरी कई मंत्रियों से बातचीत इस संबंध में हुई

[श्री धर्मवीर]

है, उनका कहना है कि यह प्रश्न बिलकुल उठाया न जाय क्योंकि यह प्रश्न इतना गंभीर रूप ले लेगा और न जाने कितना बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा ? अगर इसको सदन में पास कराया गया तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि चौधरी साहब की सरकार गिर जायगी, और न गिर जाय तब कहियेगा । लोगों के अन्दर यह भावना जरूर उत्पन्न होगी कि चौधरी साहब पश्चिमी जिलों के हैं इसलिये उन्होंने पश्चिमी जिलों के लिए बेंच खोल ली, पूर्वी जिले के लोग आन्दोलन करें इसके लिए और इस प्रकार निश्चित रूप से आप प्रदेश की एकता को कुंठित करेंगे । इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इसके खिलाफ हैं क्योंकि उनको ऐडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है न्यायालयों पर । वह अगर कहते कि खोल दी जाय तो इस पर आप विचार करते लेकिन जब चीफ जस्टिस और ला कमीशन इसके खिलाफ है तो इस तरह से कोई प्रस्ताव यहां पर लाकर बहुमत के आधार पर उसको पास करा लिया जाय तो यह जनहित में है कि नहीं लेकिन प्रदेश के हित में बिलकुल भी नहीं होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं । इस तरह का प्रश्न इस प्रस्ताव से विधान सभा में पहले भी आया था जिसके विषय में जगमोहन सिंह जी नेगी ने कहा था कि अगर हमारी ओर से इस तरह की कोई मांग आती है कि हाई कोर्ट हमारे प्रांत में अलग हो । उन्होंने कहा था कि हमारे सारे मामले नैनीताल में निपट जाते हैं । और हम पहाड़ वाले यह उचित नहीं समझते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ब्रांच हमारे प्रांत में दूसरी जगह हो । उच्चतम न्यायालय वहीं पर रहे । वहां पर अच्छे वकीलों के दृष्टिकोण से छोटे न्यायालयों को नजीर मिले जिसका असर कोर्ट पर अच्छा पड़े । इस बात का सरकार ने समर्थन किया था और वे कुल केस हाई कोर्ट जाने लगें । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की आड़ लेकर अपने उद्देश्य की पूर्ति न करें । अगर वह चाहते हैं कि प्रदेश की एका बनी रही, सारे देश में इस प्रदेश की विशालता बनी रहे और जिस तरह से इस प्रदेश की आज तक परम्परा रही है तो भगवान के लिए और इस प्रदेश के लिये यह प्रश्न यहीं पर ड्राप कर दें । अगर वह यह समझते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच और नहीं खुलनी चाहिये तो यह प्रदेश के हित की बात है ।

माननीया गुप्ता जी के विषय में कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा भाषण दिया । उनको ज्यादा मालूम होगा लेकिन मैं एक सदस्य उसमें था । माननीय गुप्ता जी ने कोई ऐसा आश्वासन सदन के अन्दर नहीं दिया कि हाईकोर्ट की बेंच खुले । न्याय मंत्री जी ने बताया कि व्यक्तिगत राय उन्होंने दी थी । जो इसमें इंटरेस्टेड है वह वहां पर इस तरह की बात कर सकते हैं । इसका विरोध होना चाहिये । मैं इस प्रदेश के नाते जितने भी यहां पर माननीय सदस्य हैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि प्रदेश की अक्षुण्यता बनायें रखें । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एकता के आप बड़े हामी है और इस तरह के प्रस्ताव को लाकर उसको सपोर्ट करने का प्रयत्न न किया जाय ।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल पच्छिमी जिलों का नहीं है । यह भावना इस वक्त यहां पैदा कर दी गई है कि अगर हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में खुल गई तो प्रदेश के दो टुकड़े हो जायेंगे । यह किसी ने नहीं कहा है और न यह किसी की मांग है और न किसी का विचार है । इसकी आड़ में इस विचार को यहां पर व्यक्त किया जा रहा है कि मेरठ में या और कहीं हाई कोर्ट की बेंच न खुलें । मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों के लिये हाई कोर्ट की बेंच जरूर खुलनी चाहिये । यह बात कही गई कि स्टैन्डर्ड गिर जायगा और एफिशियेन्सी गिर जायगी । यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह कैसे होगा। हाई कोर्ट के जज वही होंगे। वही जजमेंट लिखेंगे और वही सब दलील सुनेंगे तो किस तरह से एफिशिएन्सी गिरेगी यह बात समझ में नहीं आती है। इलाहाबाद में जो वकील बैठे हुये हैं उनका स्तर जरूर गिर जायगा। मेरी जानकारी में सैकड़ों ऐसे मुकदमे होते हैं कि वकीलों ने २ हजार और १ हजार रुपया मेहनताने का ले लिया लेकिन मुकदमे की तारीख पर वह नहीं पहुंचते हैं। वे अपनी ओर से कोई तवज्जह नहीं करते हैं। खाली मोहर्रिर को ही कह देते हैं लेकिन वह भी नहीं पहुंचता है। फिर से सुनवाई के लिये दरख्वास्त दी जाती है। एक आदमी इलाहाबाद में १० दिन तक पड़ा रहता है, वकील वहां पैरवी के लिये पहुंचते नहीं है तो हम लोग रोते पीटते अपने घर वापस आ जाते हैं। मेरा न्याय मन्त्री जी से निवेदन है कि इस पर विचार करें कि मेरठ में जरूर बेंच खुले नहीं तो हम मर जायंगे, लुट जायेंगे इस न्याय के नाम पर। हमारी दरख्वास्त यही है कि इस पर विचार किया जाय। हाई कोर्ट के वकील कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि वहां से अलग हो। आपने बताया कि ५ रुपया पहले रिट का था अब १०० रुपया हो गया है। यह भी देखिये कि कितनी दूर आना पड़ता है। कितना रुपया दलाली में देना पड़ता है। और दूसरी तरह से कितना पैसा लग जाता है। तो यह दलील जो इधर से दी गई है इससे काम चलने वाला नहीं है। आज प्रदेश की जनता की यह मांग है कि उसको न्याय सस्ता मिले। श्रीमन्, हाईकोर्ट की बेंचे जरूर खुलनी चाहिये चाहे आप बहराइच में खोलें, सहारनपुर में खोलें, मेरठ में खोलें, कहीं खोलें।

आज जनता परेशान है। वहां की जनता बहाना बनाकर दूसरी तारीख लगवाने के लिये बाध्य हो जाती है। इफीसियेन्सी के नाम पर इनइफीसियेन्सी बढ़ाई जा रही है। इसलिये यह बेंच पश्चिमी जिलों में होनी चाहिये। चाहे यह मेरठ में खुले या आगरा में खुले, मेरठ में खुले तो मुझे तो सुविधा ही होगी। आपके चीफ जस्टिस कहते है कि नहीं खुलनी चाहिये आपके ला मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं खुलनी चाहिये क्योंकि इससे इनइफीसिएन्सी हो जायेगी किन्तु मैं कहता हूं कि जब जज वही होगा तो इनइफीसियेन्सी का कोई सवाल ही नहीं है। इससे स्टैन्डर्ड कम नहीं होगा इफीसिएन्सी नहीं गिरेगी बल्कि बढ़ेगा ही। आप गवर्नर से मिलकर चीफ जस्टिस से मिल कर हाईकोर्ट की बेंच खोल सकते हैं और वह जरूर खुलनी चाहिये। कानून आदमी के लिये बनाया जाता है। उसके न्याय के लिये बनाया जाता है इसलिये कानून में न्याय मिलना चाहिये। मैं किसी भावना से ओतप्रोत नहीं हूं। हाई कोर्ट के क्षेत्र को अक्षुण्य रखने के लिये पश्चिमी जिलों में इसकी बेंच जरूर होनी चाहिये। मुझसे पहले मेरे कितने ही साथियों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जायेगा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पोलिटिकल मोटिव के रूप में नहीं लेना चाहिये। यह मांग आज समय के अनुसार है और इसे अवश्य होना चाहिये। कहा जाता है कि यहां हरियाणा की तरह कत्ल हो जायेगा, मंत्रि मंडल खत्म हो जायगा किन्तु यह सब घपले की बातें हैं। इसलिये अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे आप आगरा में खोलें या मे मेरठ में खोलें किन्तु पश्चिमी जिलों में इसकी एक शाखा अवश्य होनी चाहिये।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर यह सम्मानित सदन इस समय विचार कर रहा है वह निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीमन्, दुर्भाग्य की बात है हम किसी प्रश्न पर इस सम्मानित सदन के अन्दर भी बिला व्यक्तिगत आक्षेपों के किसी विषय के ऊपर न तो चर्चा कर पाते हैं और न बहस ही कर कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार के आक्षेप आरम्भ कर देते हैं, तो प्रश्न की गम्भीरता और अहमियत कम हो जाती है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं हो सकती कि न्याय सभी लोगों को सस्ता मिलना चाहिये। इसमें हाथ उठाने से भी यह प्रश्न हल होने वाला नहीं है। श्रीमन्, इसमें दो एक बातें और इससे भी अधिक आधार भूत हैं, जिनके ऊपर इस माननीय सदन को विचार करना होगा। और फिर जो उत्तर होगा उसके अनुरूप हो जो निर्णय लिया जायगा, तभी वह देश और प्रदेश के हित में होगा। श्रीमन्,

[श्री उदित नारायण]

में २–१ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे ध्यान में न तो यह बात है कि पश्चिमी जिलों की वजह से यह होना चाहिये और न यह बात है कि पश्चिमी जिलों में खुलना है, इसलिये न खुलना चाहिये। इन दोनों बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। यह भी कहा जाता है कि न्याय सस्ता होना चाहिये, यह बात सही है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत है कि न्याय न्याय हो। यदि न्याय के न्याय बने रहने में कोई त्रुटि हुई तो जिन कामों को नहीं करना चाहिये, उन कामों को करके हम अपने आपको धोखा देंगे और अपने हाथ में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। न्याय, न्याय तभी बना रहेगा जब न्याय की गरिमा और महिमा तथा उच्चतम न्यायालय की गरिमा और महिमा बनी रहेगी और उच्च से उच्च न्याय मिलेगा। उसका तरीका यह है कि जितनी ज्यादा अच्छी कानूनी राय हो सकेगी और उसको हम अदालत के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे, उसीसे हमें वास्तविक इंसाफ मिल सकेगा। यह सही है कि खर्चा जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन श्रीमन्, इसमें मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता था।

यह ख्याल कि उच्च न्यायालय में जाने पर लोगों को बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इस बारे में माननीय विकल जी की जो राय है, उससे मैं शत प्रतिशत एग्री करता हूं। लेकिन वहां एक गलती भी है और उस गलती को अगर हमारी संसद और न्याय विभाग उस पर ध्यान दे तो उसको दूर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय जितने भी होते हैं वह इसलिये होते हैं कि उनमें आखिरी अपील हो लेकिन अगर उससे हम फर्स्ट कोर्ट में काम लेने लगेंगे तो हमें दिक्कत मालूम होगी, जैसी कि विकल जी को दिक्कत मालूम हुई। मेरे खयाल से इलेक्शन पिटीशन्स का जो काम हाई कोर्ट को दे दिया गया है वह सही नहीं है क्योंकि उसमें सैकड़ों गवाहों को वहां जाना पड़ता है। अगर ऐसा कार्य उनको दे दिया जायगा तो इस प्रकार की मांग फिर उचित ही हो जायेगी।

इस संबंध में जो इंग्लैंड का हवाला दिया जाता है उसमें यह कहा जाता है कि वहां सरकिट कोर्ट्स होते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ये कोर्ट्स "कोर्ट आफ फर्स्ट इन्स्टेंस" का काम करते हैं और बाद में उनकी अपील होती है। उच्चतम न्यायालय में केवल अपील का काम होता है।

श्रीमन्, विश्वास रखें, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो बात कही। एक बात तो उन्होंने कही और दूसरी बात अगर मैं कहता हूं तो एक दूसरे का विरोध हो जायगा। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों पर उन्होंने आक्षेप किया है, वह सही नहीं है। श्रीमन्, अगर मेरठ में वे बेंच ले गये तब भी २–३ वकील ही ऐसे होंगे जो सारा काम ले जायेंगे। जो इस योग्यता पर पहुंच गये हैं, हर एक आदमी उनके पास जाने का प्रयत्न करेगा चाहे उनके पास समय न हो। मेरठ में बेंच खुलने पर बहुत से लोग तो इलाहाबाद से ही वकील लेकर जायेंगे। इसी प्रकार से लखनऊ में बहुत से लोग इलाहाबाद से वकीलों को लाते हैं। जब कि यहां का न्यायालय कितने दिनों से चल रहा है लेकिन फिर भी यहां वह योग्यता और कुशलता प्राप्त नहीं हो पायी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्राप्त है। श्रीमन्, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हिन्दुस्थान में जो विधि पराम्पराएं पैदा हुई है, जो विधि में ख्याति पैदा हुए हैं उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेम्बरान चाहे न्यायाधीश, चाहे वकील हों, किसी से कम नहीं है। यह हमारे सूबे के लिये और हमारे लिये गौरव की बात होनी चाहिये। सिर्फ औचित्य ही आधार होना चाहिये इस बात को जानने के लिये कि हाई कोर्ट की बेन्चेज दूसरी जगह हों या न हों। यह भी बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर कोई प्रैक्टिस करता हो, उपाध्याय जी ने कहा कि वह हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते है, लेकिन अगर करते ही होते तो क्या केवल इसलिये कि वह प्रैक्टिस करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिये कि मेरठ में बेंच न खुले उसी प्रकार अगर मेरठ में न्यायालय की बेंच खुलनी चाहिये तो क्या सिर्फ इसलिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरठ से आते हैं उनको उसे उचित नहीं करना चाहिये। केवल एक बात है जिस के आधार पर इस विषय का निर्णय होना चाहिये और वह यह कि क्या यह सही है कि जस्टिस,

ऐडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी और स्टैन्डर्ड आफ जस्टिस, अगर एक से अधिक हाई कोर्ट की बेन्चेज होने लगेंगी तो इनके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। अगर असर अच्छा नहीं पड़ेगा तो मेरी समझ में निश्चयपूर्वक कितनी ही सहूलियत क्यों न हो, थोड़ी बहुत तकलीफ आपको क्यों न बर्दाश्त करनी पड़े, इस काम को हर्गिज नहीं करना चाहिये।

दूसरा एक और प्रश्न इसी से संबंधित है, वह बड़ा विवादास्पद है कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट का होना देश और प्रदेश की अखण्डता से कोई संबंध रखता है या नहीं। इसके ऊपर दो रायें हैं। न्याय आयोग की तो यह राय थी कि अखंडता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है और यह शान होती है एक देश की कि देश मे केवल एक सुप्रीम कोर्ट है और प्रान्त मे केवल एक हाई कोर्ट है। लेकिन यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन जहां तक दूसरी बात का संबंध है यह कैसे तय होगा कि अगर हाई कोर्ट कई जगहों में बांट दिया जाय तो उस हाई कोर्ट के न्याय के स्तर में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि साधारणतया हमको इस बात के लिये उन लोगों की राय को जिन्हें यह काम सौंपा गया था बिल्कुल यह कह कर नहीं टाल देना चाहिये कि वह राय ऐसे लोगों की है। आखिर आपने ला कमीशन बनाया, उसमें जो लोग हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि वे आज के कानूनी जगत के दीप स्तम्भ हैं। उनमें से हर एक स्तम्भ के रूप में खड़ा हुआ है। उनके मुकाबले का दूसरा नहीं है। इनकी राय आप न मानना चाहें, यह बात दूसरी है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिनकी राय को आसानी से नहीं कहा जा सकता कि इनकी राय कोई चीज नहीं है। मैं तो मुख्य मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा और यह याद दिलाऊंगा कि वह इस बात के कायल हैं कि अगर कोई आयोग बनाया जाता है तो उसकी राय को मानना चाहिये। आखिर कौन तरीका होगा? मैं माननीय धर्मवीर जी से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता कि अगर आप इस प्रस्ताव को यहां पर ले आयेंगे तो आपकी सरकार गिर जायेगी सरकार नहीं गिरेगी और यह प्रस्ताव बिल्कुल पास हो जायगा। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिसको वोटों से तय नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप थोड़ा रुक जायें। इस प्रश्न पर अधिकतम जो समय दिया जा सकता है वह ढा घंटे हैं। दो घंटे का समय दिया गया है। अगर आप चाहें तो आध घंटे और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, यह संभव नहीं है। आज तक किसी ने इस बात की आवाज नहीं उठाई कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हटा कर दूसरी जगह ले जाया जाय। इस बात का श्रीमन्, अनुमान नहीं कर सकते कि वहां पर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। श्रीमन्, जहां तक शहादत लेने का काम है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है और शहादत वहां होती भी है। श्रीमन्, अगर हाई कोर्ट मेरठ में होता और उसे इलाहाबाद ले जाना होता तो भी मैं आज इन्हीं सब बातों को दोहराता। श्रीमन्, कुछ परम्परायें और ट्रेडिशन्स होते हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरठ में बेंच खोलना ठीक है, तो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि वहां खोलना ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है। जो ला कमीशन की आखिरी बात है वह मैं आपको सुना दूं। उन्होंने लिखा है—

It may be pointed out that a very large majority of those who have answered the Questionnaire issued by the Commission including the Judges of the Supreme Court who have answered it have expressed a view against the formation of Benches. Informed opinion is thus decisively against the proposed course.

इसके बाद, फिर आखिर में लिखा है—

The Commission is of the view that we should firmly set our face against steps which would lead to the impairment of the High Court with the inevitable consequence of the lowering of the standards of administration of justice.

[श्री उचित नारायण]

श्रीमन्, अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का स्टैन्डर्ड लो होगा तो हम सब खो जायेंगे। इसके होने से ऐडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता है। श्रीमन्, भले ही यह समझे कि पश्चिमी इलाके के लोग मालदार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जिले में जितनी फीस मिलती है उतनी वहां नहीं मिला करती है। श्री प्यारे लाल बनर्जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रह कर वहां की नाक ऊंची की है। श्री सुन्दर लाल, तेज बहादुर सप्रू, मोती लाल नेहरू भी बड़े टैलेन्ट्स थे। इसमें संदेह नहीं कि मुफस्सिल में भी टैलेन्ट्स होते हैं। अगर आप यह कहें कि बेंच से टैलेन्ट्स डेवलप हो जायेंगे तो लखनऊ बेंच इसका नमूना आपके सामने है। लखनऊ बेंच ने कोई टैलेन्ट नहीं पैदा किया। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरा खुद का अपना अनुभव है कि जो जिले के लोगों में टैलेन्ट डेवलप होता है वह हाई कोर्ट के मुकाबिले में नहीं हो पाता है। श्रीमन्, मैंने ऐसा अनुभव किया है। श्रीमन, यह छोटी-छोटी बातें हैं जैसा हिम्मत सिंह जी ने कहा कि हाईकोर्ट में पैसा देना पड़ता है। श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी पैसा देना पड़ता है। यह तो हर जगह की बात है। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसे वकील नहीं होते जो पैसा ले लेते हों और काम न करते हों। किन्तु यह भी सही है कि हाई कोर्ट में ऐसे वकील हैं जो काम नहीं करेंगे तो पैसा वापस कर देंगे। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील पैसा रख लें और काम न करें। माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई टैलेन्ट नहीं है। तो श्रीमन् मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वहां पर टैलेन्ट की कमी नहीं है। मैं उनके ऊपर कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं करना चाहता हूं लेकिन श्रीमन्, मेरा अनुभव उनसे भिन्न है और श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कांस्टीट्यूशन को देखें तो उसमें भी यह दिया है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगी और देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगी और उसके बाद कहना कि देश की अखंडता से इसका कोई संबंध नहीं है यह सही नहीं है। मेरा अपना स्वतः का अनुभव है कि हाई कोर्ट एक जगह रहने से पावरफुल होगी और जब तक यह नहीं होगा तब तक अदालत में, ला के क्षेत्र में जिस टैलेन्ट, जिस प्रतिभा के उदय होने की आवश्यकता है वह नहीं बढ़ पायेगी और अगर हाई कोर्ट को श्रीमन्, बांट कर कई जगह रख दिया जायगा तो प्रतिभा का ह्रास होगा और प्रतिभा का ह्रास होगा जो जुडिशियरी का ह्रास होगा और जूडीशियरी का ह्रास होगा तो जनतंत्र का ह्रास होगा। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है यदि पच्छिमी जिलों का प्रदेश बनाना चाहते हों तो वह बनावें।

*श्री गोविन्द सिंह—

यह कहना कि अगर बेंच बनी तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आई। न्यायालय का मुख्य कार्य है न्याय करना। मैं बड़े अदब से शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि अगर वही जजेज इलाहाबाद में न बैठ कर मेरठ में बैठेंगे तो उनकी कार्यकुशलता में कैसे कमी आ जायगी? क्या संगम का पानी बुद्धि देता है और मेरठ का पानी नहीं देता है। वही जजेज अगर मेरठ में बैठ जायंगे तो वह न्याय नहीं देंगे? अभी यहां पर पबलिक सर्विस कमीशन की बात कही गई। क्या ला कमीशन ने इस बात को कहा है कि लखनऊ के अन्दर जो बेंच है वह जो न्याय करती है वह न्याय नहीं करती अन्याय करती है? मैं अपने माननीय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि लखनऊ बेंच में जो लोगों का स्टैन्डर्ड है गिरता जा रहा है उन्होंने किस अथारिटी से जाना? क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जाना या ला कमीशन की फाइंडिंग से जाना। उन्होंने कैसे यह जाना?

मेरे मित्र, मुझे प्रसन्नता है कि ला प्रैक्टिस करते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सबसे बे बेहतरीन जजेज हैं क्या वे डिस्ट्रिक्ट कोर्टस से नहीं आते हैं? जस्टिस ब्रूम, जस्टिस जेम्स और जस्टिस माथुर क्या यह डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में नहीं थे? क्या जब वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेज थे तब क्या उनको कानून का ज्ञान नहीं था?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह कानून का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते थे । जस्टिस गंगेश्वर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लाइयर थे और जिस कार्य क्षमता का उन्होंने परिचय दिया है वह सभी जानते हैं । ऐसा तो नहीं है इलाहाबाद में जो जज बैठता है उसका दिमाग कुछ और हो जाता है और मेरठ में जो जज बैठता है या बैठेगा तो उसका दिमाग उतना कुशाग्र, नहीं रह जायगा । माननीय शर्मा जी ने कहा कि न्याय, न्याय होना चाहिये, यह सही बात है । जूरिस्प्रूडेंस का क्या यह मोटा सा प्रिंसिपल नहीं है विलम्ब से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सन् १९५० से अपील पेंडिंग पड़ी हुई हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज २० साल के बाद कानून की बारीकियां निकाले तो यह तो बड़ी सुन्दर बात है लेकिन आप उस नागरिक से पूछें जिसने २० साल तक उन अदालतों के दरवाजे खटखटाये हैं जहां पर उसको न्याय नहीं मिल सका और बड़ी आशाओं से न्याय मिलने की आशा से वह हाई कोर्ट में आया था । अब अगर यहां पर भी उसको न्याय नहीं मिलता है या फिर इतना अधिक समय लगावें तो फिर उसका उस पर क्या प्रभाव होगा । उसको कहां न्याय मिला ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज जस्टिस धवन ने अपने फैसले में लिखा है कि इक्वीटी बिफोर ला । कानून के सामने बराबरी का मतलब है कि इक्वीटी बिफोर ला इज लाइक अशोका होटल हूं कैन एफोर्ड इट । अर्थात् यह कि अशोक होटल में बराबरी उसी को मिल सकती है जो वहां जा कर एफोर्ड कर सकता है। अब यह देखना है कि उसको एफोर्ड कौन कर सकता है। कौन इसके काबिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक तरफ उत्तर काशी के आदमी को इलाहाबाद आना पड़ेगा क्योंकि वहां पर चन्द वेस्टेड इंट्रेस्ट के लोगों का इन्ट्रेस्ट है चाहे उसकी आर्थिक स्थिति उसको परमिट करती हो या नहीं । वह चाहते हैं कि हाई कोर्ट की बेंच उनके इंट्रेस्ट को देखते हुये पूर्व या पश्चिम में न चली जाय । हमारे संविधान में नागरिकों को हमने अधिकार दिया है कि सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिये । मैं बड़े अदब के साथ कहूं कि शर्मा जी ने कहा कि हाई कोर्ट एपीलेट कोर्ट है और लिटीगेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा । नागरिक के मूलभूत अधिकार हैं कि वह अपने अधिकारों के लिए हाई कोर्ट जा सकता है । आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतनी अधिक रिट पिटीशन्स पेंडिंग हैं वह जितनी अपीलें हैं उनसे भी ज्यादा हैं ।

हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश इतना विशाल है और अगर हम अलग-अलग जगहों पर हाई कोर्ट की बेंचेज स्थापित करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि जस्टिस के अन्दर कोई नई प्रणाली हो जायेगी या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा । मध्य प्रदेश में ४ हाई कोर्ट की बेंचेज हैं, राजस्थान में २ बेंचेज हैं जो काम कर रही हैं । इसके यह माने नहीं कि मध्य प्रदेश या राजस्थान की बेंचेज इनइफीशियेन्ट हो गई है। इसके लिए आपके पास क्या आंकड़े हैं और किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं । आज किस आधार पर यह कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्यादा इफीशियेन्ट है और उसके लखनऊ बेन्च लेस इफीशियेंट है । यह ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप ऐसा कह सकें। तो मान्यवर मेरा निवेदन यह है कि इस बात से मैं सहमत हूं कि इस प्रश्न पर राजनैतिक ढंग से विचार नहीं करना चाहिये। चूंकि हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं, सरकार के मुख्य मंत्री चरण सिंह जी हैं और वह मेरठ के रहने वाले हैं जहां बेंच खुलने का सवाल है, लिहाजा हम विरोध करें, मैं समझता हूं यह बात गलत है । हमको केवल वकीलों के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिये और न वेस्टेड इन्टरेस्ट्स के दृष्टिकोण से देखना चाहिये । हमको तो जनता की सुविधा को देखना चाहिये कि किस तरीके से गरीब जनता को आसानी से न्याय मिल सकता है ।

सुप्रीम कोर्ट की बात कही गयी । आखिर कौन से मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ? छोटे-छोटे फौजदारी के नहीं जाते हैं । वह जाते हैं जिनका वैलुएशन ज्यादा होता । सुप्रीम कोर्ट का लिटीगेन्ट उस व्यय को वहन कर सकेगा लेकिन हाईकोर्ट का लिटीगेन्ट नहीं कर सकता । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को सामाजिक प्रश्न के रूप में देखें और इस पर विचार करें कि किस प्रकार से जनता को सही ढंग से न्याय दिला सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं उनको भी संक्षिप्त उत्तर देने का अधिकार है और मंत्री जी को भी संक्षेप में उत्तर देने का अधिकार है। माननीय सदस्य लक्ष्मण स्वरूप जी को मैं दो मिनट का समय दे रहा हूं।

*श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय आज सदन के सम्मुख है वह पश्चिमी जिलों की एक बड़ी गम्भीर समस्या है। प्रदेश में जो केसेज होते हैं उनमें से ८० प्रतिशत पश्चिमी जिलों के होते हैं। उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, जो मेरे दोस्त इलाहाबाद के वकीलों की दलाली कर रहे थे, वह इस बात को भूल जाते हैं कि कितनी परेशानी उठानी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अपने विचार व्यक्त करने का उनको अधिकार है, दलाली कोई नहीं कर रहा है।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

श्रीमन्, मेरठ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है। इसी तरह से वाराणसी और गोरखपुर से इलाहाबाद की दूरी कितनी है। इन तमाम बातों को देखने के पश्चात् ही कोई निष्कर्ष हमें निकालना चाहिये। श्रीमन्, इलाहाबाद पूर्वी जिलों में माना जाता है, लखनऊ सेंट्रल जिलों में आता है। लेकिन पश्चिमी जिलों के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह जनता की २० साल से एक न्यायसंगत मांग है। एक तरफ तो हम लोकतंत्र का दावा करते हैं, जनता के प्रतिनिधि बनकर आते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की दुहाई देते हैं, गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इस प्रकार का शासन स्थापित करना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति को समान सुविधायें मिलें, और दूसरी तरफ जनता के अधिकारों की अवहेलना करते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में, जबकि क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं और मुकदमों में समय भी बहुत लगता है, हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पश्चिमी जिलों की जनता के लिए यह आवश्यक है कि वहां ऐसी बेन्च स्थापित की जाय। दूसरी बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ इलाका है और उसके उत्थान पर अधिकतर हमारा धन व्यय हो रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी पूर्वी प्रदेश में २७० रुपया व्यय होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में १७० रुपया ही व्यय होता है। हम अपना गला काटकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाभ के लिए देते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले हमारे यहां की जनता की यह उचित मांग भी नहीं पूरी करने देना चाहते हैं कि वहां की जनता को सस्ता और आसानी से न्याय मिल सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि पश्चिमी प्रदेश की जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक सुविधा दी जाय और वहां पर एक बेंच खोली जाय। फ्रांस में भी बहुत सस्ता न्याय है और उसके मिलने में भी कोई देरी नहीं होती। यहां हालत यह है कि एक एक केस हाईकोर्ट में जाकर पड़ जाता है और दस दस पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं और केस खत्म नहीं होता। इन तमाम बातों को देखते हुये जनता की सुविधा के लिए आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिमी प्रदेश की जनता को न्याय सस्ता मिले, वक्त से मिले और हमने इस अधिकार को वहां की जनता प्राप्त कर सके और इसलिये मेरठ में एक बेन्च की स्थापना की जाय।

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें, साढ़े सात बजे समाप्त होना है, अब समय नहीं है .....

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय आप ने स्वयं व्यवस्था की थी कि ढ़ाई घंटे बहस करेंगे तो आप २ घंटे में ही क्यों समाप्त करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की, साढ़े सात तक का ही समय है, आप बैठें और उपाध्याय जी बोलेंगे, मैंने उन को बुलाया है।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, आप ने ही कहा था ढाई घंटे का समय होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब बैठें, मैं आप को टोकता हूं, आप उन्हें बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी—

आपने खुद कहा था .....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं जानता, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बैठें वर्ना मैं सदन को स्थगित कर दूंगा ।

श्री जगदीश गांधी—

आपने घोषणा की थी कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह आइटम ७ बजे समाप्त होने को था, आधा घंटा और बढ़ाया जा चुका है। अब आप नहीं बैठते हैं तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
११ मई, १९७०।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर)

तालिका

सब डिवीजन	वर्ष	वर्ष में दायर किये गये क्रिमिनल केसों की संख्या	निर्णित हुये केसों की संख्या			वर्ष १९६९ के अंत में अवशेष केसों की संख्या
			वर्ष १९६७ में	वर्ष १९६८ में	वर्ष १९६९ में	
भाबर सब-डिवीजन	.. १९६७	८१७	५४२	२६९	५	१
	१९६८	६८३	..	५३६	१४७	..
	१९६९	५२५	..	..	४६८	५७
तराई सब-डिवीजन	.. १९६७	३१३	१८२	१२९	२	..
	१९६८	५९५	..	४६७	११३	१५
	१९६९	६७३	..	..	४९९	१७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

उत्तर प्रदेश के मोटरियों की जिलेवार संख्या

१—आगरा	२	२८—हमीरपुर	१
२—अलीगढ़	२	२९—जालौन	१
३—इलाहाबाद	२	३०—जौनपुर	१
४—अल्मोड़ा	२	३१—झांसी	१
५—आजमगढ़	१	३२—कानपुर	७
६—बहराइच	१	३३—खीरी	१
७—बलिया	१	३४—लखनऊ	५
८—वाराणसी	२	३५—मैनपुरी	१
९—बांदा	१	३६—मेरठ	३
१०—बाराबंकी	—	३७—मिर्जापुर	२
११—बस्ती	१	३८—मुरादाबाद	३
१२—बरेली	२	३९—मथुरा	१
२३—बिजनौर	२	४०—मुजफ्फरनगर	२
१४—बदायूं	१	४१—नैनीताल	१
१५—बुलन्दशहर	२	४२—प्रतापगढ़	१
१६—देहरादून	१	४३—पीलीभीत	२
१७—देवरिया	१	४४—रायबरेली	१
१८—ऐटा	१	४५—रामपुर	१
१९—इटावा	१	४६—सहारनपुर	१
२०—फैजाबाद	१	४७—शाहजहांपुर	२
२१—फर्रुखाबाद	२	४८—सीतापुर	—
२२—फतेहपुर	१	४९—सुल्तानपुर	१
२३—पौड़ी गढ़वाल	—	५०—टेहरी गढ़वाल (नरेंद्र नगर)	—
२४—गाजीपुर	१	५१—उन्नाव	१
२५—गोंडा	१	५२—पिथौरागढ़	१
२६—गोरखपुर	१	५३—उत्तरकाशी	—
२७—हरदोई	१	५४—चमोली	—
		जो . .	७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिय ता० प्र० ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३४ पर)

अनुसूची

(१) श्री मुनेंन्द्र कुमार मित्तल
(२) श्री योगेश्वर दयाल भटनमगर
(३) श्री मंसूरी लाल केसरवानी
(४) श्री सुशील कुमार पांडे
(५) श्री राम चन्द्र लाल श्रीवास्तव
(६) श्री हरिशंकर प्रसाद ।

क्रमांक (३) को छोड़कर, जिन्होंने इस सेवा में आने से इनकार कर दिया, अन्य पांचों अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये थे । परन्तु हाल ही में नियुक्ति विभाग ने क्रमांक (२) एवं (३) को विक्रीकर अधिकारी के पद हेतु आवंटित किया है तथा उनके स्थान पर कोषाधिकारी के पद हेतु नीचे दिये नाम संस्तुत किये हैं---

(१) श्री शशी कांत रस्तोगी
(२) श्री भुवनेश्वर कुमार

इन दोनों अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा किये जाने हेतु निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं । चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट संतोषजनक आने पर ही उनके नियुक्ति के आदेश दिये जा सकेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्र० सं० ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३८ पर)

उत्तर प्रदेश में वर्ष १९६०–६१ से अब तक गांव पंचायतों की संख्या

वित्तीय वर्ष	वर्ष में पंचायतों की संख्या	३१ जनवरी, १९७० तक सम्प्रेक्षित पंचायतों की संख्या
१	२	३
१९६०–६१	८०७२०	६४३३१
१९६१–६२	८१९२७	५८८५४
१९६२–६३	८१०१२	५७६५२
१९६३–६४	८१०१२	५२०१
१९६४–६५	८०९९७	४५७३
१९६५–६६	८०९९७	३३१५
१९६६–६७	८०९९९	२५५८६
१९६७–६८	८०९९९	६३८६६
१९६८–६९	८१००५	३१८७९
१९६९–७०	८०९९४	सम्प्रेक्षण प्रारम्भ नहीं हुआ।

संसद विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३८ पर)

क्रम संख्या	सहायक यातायात निरीक्षक का नाम	अवधि
१	२	३
१.	श्री डी०एस० राठौर	जनवरी ७० से फरवरी ७० तक
२.	श्री आर०एस० शर्मा	नवम्बर ६९ से फरवरी ७० तक
३.	श्री आर० आर० अग्निहोत्री	अगस्त ६९ से फरवरी ७० तक
४.	श्री टी०एस० चौहान	जून ६९ से फरवरी ७० तक
५.	श्री सत्यकोरिया	,,
६.	श्री आर०एस० यादव	,,
७.	श्री डी०पी० शर्मा	,,
८.	श्री धान सिंह	,,
९.	श्री जगन सिंह	,,
१०	श्री एल०पी० शर्मा	,,
११.	श्री एन०जी० डे	,,
१२.	श्री आर०एल० शर्मा	,,
१३.	श्री एस०एन० सिंह	,,
१४.	श्री सोवरन सिंह	,,
१५.	श्री बी० एस० तोमर	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३९ पर)

कानपुर के टैक्सटाइल मिलों पर बिक्रीकर का बकाया

(३१-३-१९७० की स्थिति)

मिल का नाम	वर्ष	बकाया की धनराशि
१	२	३
१—जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी, कानपुर।	१९५७-५८	६७,५००
	१९६६-६७ (यू०पी०)	८,७२६
	१९६६-६७ (केन्द्रीय)	५,४२०
	१९६७-६८	१,७६७
	योग :	८३,४१३
२—स्वदेशी काटन मिल्स ..	१९६६-६७	५,३७८
	१९६६-६७ (केन्द्रीय)	७८१
	१९६७-६८	४,३५७
	योग :	१०,५१६
३—कूपर एलन ब्रांच ..	१९६८-६९	८,०३९
	प्रथम	
	द्वितीय	४,४९८
	त्रितीय	७,७३३
	(केन्द्रीय)	२७,२९७
	योग :	४७,५६७
४—न्यू विक्टोरिया मिल्स ..	१९५७-५८	४१,४९४
	१९५७-५८ (के)	३६,३३४
	१९६५-६६	४,४९१
	१९६५-६६ (के)	२,४००
	१९६७-६८	२,०००
	१९६७-६८ (के)	५००
	योग :	८७,२१९

अध्यक्ष विधान सभा उत्तर प्रदेश

१	२			३
		कर	अर्थदण्ड	
५—म्योर मिल्स कंपनी लिमिटेड	१९५६–५७	—	४६,७४०	४६,७४०
	१९५७–५८	४,४९,५७२	२,०७,१७१	६,५६,७४३
	१९५८–५९(के)	१००		१००
	१९५९–६०			३,७६३
	१९५९–६०(के)			१०,७७७
	१९६२–६३			१,३६७
	१९६३–६४			८१३
	१९६३–६४(के)			१,८१७
	१९६४–६५			६,५८०
	१९६४–६५(के)			२९,४०६
	१९६५–६६			१५,६७३
	१९६५–६६(के)			२५,४६२
	योग :	२,५३,९११		७,९९,२४१

अंतर पदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

परिशिष्ट 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर)

१—सीनियर इन्वेस्टीगेटर, ग्रामीण औद्योगीकरण योजना, फूलपुर प्रायोजना के कार्य एवं जिम्मेदारिया :—

(१) औद्योगीकरण के क्षेत्र में सांख्यकीय आंकड़े एकत्र करना एवं सर्वेक्षण करना ।

(२) आंकड़ों का विश्लेषण करना एवं औद्योगिक सर्वेक्षण के आंकड़ों की व्याख्या करना ।

(३) प्रोजेक्ट अधिकारी के निदेशानुसार विविध औद्योगिक सांख्यकीय विषयों का कार्य करना ।

२—सीनियर इन्वेस्टीगेटर, कृषि प्रक्षेत्र प्रवन्ध एवं कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना, फूलपुर प्रायोजना, इलाहाबाद के कार्य एवं जिम्मेदारियां :—

(१) कृषि प्रक्षेत्र प्रवन्ध से सम्बन्धित सर्वेक्षणों की न्यादर्श योजना बनाना, विभिन्न सांख्यकीय आंकड़ों को संकलित करके उनका विश्लेषण तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(२) प्रयोगों, न्यादर्श सर्वेक्षणों, कृषि सांख्यकी आदि के विषयों के प्राविधिक पत्र व टिप्पणी के आलेख प्रस्तुत करना ।

(३) प्रोजेक्ट आफीसर के निदेशानसार विविध सांख्यकीय विषयों का कार्य करना।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४९ पर)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७०

शहरी क्षेत्रों में स्थित कतिपय वर्गों के भवनों को किराये पर देने और उनके किराये तथा वहां से किरायेदारों के बेदखली को विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार, लागू होना तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह—

अधिनियम उ० प्र० ऐक्ट संख्या २,१९५६

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर, और उसके एक किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्रों पर,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २,१९१६

(ख) यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथा परिभाषित प्रत्येक म्युनिसिपैलिटीज, और उसके एक किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्रों पर,

(ग) यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन संघटित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया पर,

लागू होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी टाउन एरिया अथवा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में रहने वाली सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि यह अधिनियम या उसका कोई भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा और तदुपरान्त यह अधिनियम या उसका भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू हो जायगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा—

(१) पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना को निरस्त या संशोधित कर सकती है, या

(२) घोषणा कर सकती है कि, यथास्थिति, इस अधिनियम या उसके किसी भाग का, किसी ऐसे नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया या अन्य क्षेत्र अथवा किसी ऐसे वर्ग के भवनों पर, जो निर्दिष्ट किये जायें, लागू होना समाप्त हो जायगा और तदुपरान्त इस अधिनियम या उसके भाग का उस नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या अन्य स्थानीय क्षेत्र अथवा ऐसे वर्ग के भवनों पर लागू होना समाप्त हो जायगा और इसी प्रकार ऐसी घोषणा को निरस्त या संशोधित कर सकती है।

(४) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

२—(१) इस अधिनियम की कोई बात— अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त

(१) किसी ऐसे भवन पर जो राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का हो या उसमें निहित हो, या

(२) किसी ऐसे भवन पर जो राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा पट्टे पर ली गयी हो अथवा अधिग्रहण की गयी हो, या

(३) किसी ऐसे भवन पर जो फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ के अर्थ में "फैक्ट्री" के रूप में प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, या — अधिनियम संख्या ६३, १९४८

(४) किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजन के लिये (अर्थात् किसी माल के निर्माण, संरक्षण अथवा प्रक्रिया के प्रयोजन के लिये) प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, यदि भवन में ऐसे प्रयोजन के लिये लगाया गया संयंत्र भवन के साथ पट्टे पर दे दिया जाय, या

(५) किसी ऐसे भवन पर, जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद (जिसके अन्तर्गत कोई सिनेमा, थियेटर या खेल कूद का स्टेडियम भी है) के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, या उससे संलग्न किसी भवन पर, या

(६) (क) किसी ऐसे भवन पर जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य परिनियत निकाय द्वारा अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी द्वारा धृत हो, या

(ख) किसी ऐसे भवन पर जो किसी सहकारी समिति, कम्पनी या फर्म द्वारा निर्मित किया गया और धृत हो, या

और जो केवल अपने अध्यासन के लिये या अपने किन्हीं सदस्यों, अधिकारियों, भागीदारों या कर्मचारियों के, चाहे किराये पर या बिना किराये के, अध्यासन के लिये, अथवा अतिथि-गृह के रूप में, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिये अध्यासन के लिये जिनका उससे सामान्य कार्य के दौरान व्यवहार हो, लागू न होगी।

(२) सिवाय धारा २४ की उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था के, इस धारा की कोई बात किसी भवन पर उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो, दस वर्ष की अवधि में लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, किसी भवन का निर्माण उस दिनांक को पूरा हुआ समझा जायगा जब उसके पूरा होने की सूचना क्षेत्राधिकार युक्त स्थानीय प्राधिकरण को दी जाय या उसके द्वारा अन्यथा अभिलिखित की जाय, और किसी ऐसे भवन की दशा में, जो कर निर्धारण के अधीन हो, वह दिनांक जब से उसका प्रथम कर निर्धारण प्रभावी हो, या यदि उक्त दिनांक भिन्न-भिन्न हों तो उस दिनांकों में से जो पहले हो।

(३) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे भवन को, जो किसी शैक्षिक, धार्मिक या पूर्त संस्था के स्वामित्व में हो और जिसे प्राप्त समस्त आय का उपयोग उस संस्था के लिये किया जाता हो इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से विमुक्त कर सकती है, और इसी प्रकार ऐसी अधिसूचना को निरस्त या संशोधित या उसे विखंडित कर सकती है।

परिभाषायें

३—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) किसी भवन के संबंध में "निर्धारण" का तात्पर्य क्षेत्राधिकारयुक्त स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसके किरायाथ मूल्य के यथास्थिति, कर निर्धारण या आनुपातिक कर निर्धारण से है, और "निर्धारित" का अर्थ तदनुसार समझा जायगा,

(ख) "भवन" का तात्पर्य किसी स्थायी प्रकार के आवासिक या अनावासिक छादित संरचना से है जो मुख्यतया पत्थर या ईंट और गारे, मसाले या सीमेंट से, अथवा पूर्व निर्मित सामग्री से, बनाया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई फ्लैट भी है, और उसमें—

(१) ऐसे भवन से संलग्न कोई बगीचा, मैदान, गैराज और उपभवन यदि कोई हो;

(२) ऐसे भवन में प्रयोग करने के लिये मकानदार द्वारा उपलब्ध किया गया कोई फर्नीचर;

(३) ऐसे भवन में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगायी गयी फिटिंग भी सम्मिलित हैं;

(ग) "जिला मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या तो सामान्यतया अथवा ऐसे क्षेत्र या वर्ग के मामलों के संबंध में, जो निर्दिष्ट किये जायं, इस अधिनियम के अधीन उसकी सभी या किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का प्रयोग, संपादन और पालन करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी भी है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे जिला मैजिस्ट्रेट को खंड (अ) के अधीन नियत प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने की अपनी शक्ति अथवा धारा ३२ के अधीन परिवाद करने या उसे करने के लिये प्राधिकृत करने की शक्ति को प्रतिनिहित करने की शक्ति प्राप्त है ;

(घ) किसी मकानदार या किरायदार के संबंध में "परिवार" का तात्पर्य उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र या पौत्र, अविवाहित विधवा, विवाह विच्छिन्न या न्यायिक रूप से पृथक् पुत्रियों, पौत्रियों या बहिनें और ऐसे माता/पिता, पितामह पितामही भाई और भतीजे से ह जो सामान्यतया उसके साथ रहते हों और मकानदार के संबंध में, उसके अन्तर्गत कोई ऐसी महिला भी है जिसे उसके भवन में रहने का अधिकार हो,

(ङ) "गृह-कर" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १२८१ (१), या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७३ (१) (क) या जैसी भी दशा हो, यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ की धारा १४ (१) (ई) में उल्लिखित कर से है,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६
उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९
य० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९१४

(च) किसी भवन के संबंध में "सुधार" का तात्पर्य उसमें कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करने अथवा किरायेदार के लिये किसी नई सुख-सुविधा को व्यवस्था करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी वर्ष में की गयी सभी ऐसी मरम्मत भी है जिसका व्यय उसके एक महीने के किराये या धारा २८ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में उल्लिखित दशा में, उसके दो महीने के किराये की धनराशि से अधिक हो;

(छ) किसी भवन के संबंध में "मकानदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे उसका किराया देय हो, अथवा अभिव्यक्त या अन्तर्निहित किसी संविदा के न रहने पर देय होता, और इसके अन्तर्गत, सिवाय खंड (घ) में, ऐसे व्यक्ति का एजेंट या एटार्नी भी है;

(ज) "स्थानीय प्राधिकरण" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया से है;

(झ) "नियत" का तात्पर्य, सिवाय खंड (ज) में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ञ) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है, जिसे कम से कम तीन वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, और मैजिस्ट्रेट की दशा में, जो प्रथम श्रेणी में मैजिस्ट्रेट से नीचे के पद का न हो, और जो जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा या तो सामान्यतया या ऐसे, क्षेत्र अथवा वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में जो निर्दिष्ट किये जायं, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी की सभी या किन्हीं शक्तियों कृत्यों और कर्त्तव्यों, का प्रयोग, सम्पादन तथा पालन करने के लिये प्राधिकृत हो,

(ट) "मानक किराया" का तात्पर्य, धारा ६, ८ और १० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,

(१) प्रथम जनवरी, १९५१ के पूर्व निर्मित और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किराये पर दिये गये किसी भवन की दशा में "रीजनेबुल ऐनुअल रेंट" (जैसा पुराने अधिनियम में परिभाषित है) यदि कोई हो, तथा उस पर पच्चीस प्रतिशत अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व भवन के लिए देय समस्त किराया, अथवा ऐसी धनराशियों में अन्तर होने की दशा में, उनमें जो अधिक हो, से है,

(२) किसी अन्य भवन की दशा में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्वप्रवृत्त या प्रथम बार किराये पर देने के दिनांक को जो भी पश्चात्वर्ती हो, निर्धारित किरायार्थ मूल्य और ऐसे कर निर्धारण के न होने पर, धारा ९ के अधीन अवधारित किराये, से है

(ठ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ड) "किरायेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा किसी भवन के संबंध में किराया देय हो, अथवा अभिव्यक्त या अन्तर्निहित किसी संविदा के न रहने पर देय होता और इसके अन्तर्गत मृत किरायेदार के परिवार के जीवित सदस्य हैं।

उ० प्र० अधिनियम सं० ३, १९४७

(ढ) पुराना अधिनियम, का तात्पर्य युनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ से है।

किराये के सम्बन्ध में अनुबन्ध तथा अधिलाभ का निषेध

४—इस अध्याय में एतद्पश्चात् की गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी भवन के लिए देय किराया वह होगा जो मकानदार और किरायेदार के बीच परस्पर सम्मत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी मकानदार किसी भवन में किसी किरायेदार को बसाने के लिए भवन के लिए देय किराये से अधिक कोई भी अधिलाभ या अतिरिक्त भुगतान नहीं लेगा और न उसे स्वीकार करेगा।

पुराने भवनों की दशा में देय किराया

५—प्रथम जनवरी, १९५१ से पूर्व निर्मित किसी भवन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व से जारी किराएदारी की दशा में, मकानदार लिखित नोटिस द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन महीने के भीतर दिया गया हो, उक्त भवन के लिए देय किराए की धनराशि में इस अधिनियम के प्रारम्भ से ऐसी वृद्धि कर सकता है जो मानक किराये से अधिक न होगी।

परिवर्द्धन, परिवर्तन, बड़ीमरम्मत तथा सुधार या नई सुविधाओं की व्यवस्था का किराये पर प्रभाव

६—धारा ४ या धारा ५ में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि मकानदार ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भवन में या तो किरायेदार की सहमति से या विधि की किसी अपेक्षा के अनुसरण में कोई सुधार किया हो तो वह किराएदार को लिखित नोटिस देकर, जो उक्त सुधार कार्य की समाप्ति के दिनांक से तीन महीने के भीतर दिया गया हो, भवन के मासिक किराये में उक्त दिनांक से ऐसी धनराशि की वृद्धि कर सकता है जो ऐसे सुधार कार्य की वास्तविक लागत के एक प्रतिशत के बराबर हो, और तत्पश्चात् उक्त भवन का मानक किराया तदनुसार बढ़ा रहेगा।

कर देने के दायित्व

७—(१) किराएदार मकानदार को किराए के अतिरिक्त भवन के संबंध में किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय गृह कर से भिन्न ऐसे समस्त करों का, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व लगाये गये हों या उसके पश्चात् लगाये जायं, तथा जिन्हें पहले ही तदर्थ अभिव्यक्त अनुबन्ध द्वारा किराए में सम्मिलित न किया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि उक्त स्थानीय प्राधिकारी से सम्बद्ध विधि के अधीन ऐसे करों का भुगतान करने का दायित्व मकानदार पर हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(२) उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भवन के सम्बन्ध में गृह-कर में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् वृद्धि की जाय तो

किरायेदार ऐसी कर वृद्धि की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किरायेदार, गृह-कर की उस वृद्धि के ऐसे किसी भी भाग का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो धारा ५ के अधीन किराये में वृद्धि करने के फलस्वरूप भवन के निर्धारण में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न हो।

(३) इस धारा के अधीन देय कर की धनराशि किराये का भाग समझी जायगी और वह उसी प्रकार देय होगी।

मानक किराये की धनराशि आदि के सम्बन्ध में विवाद

८—यदि मानक किराये की धनराशि या धारा ६ के अधीन अनुज्ञेय किराये में वृद्धि की धनराशि अथवा धारा ७ के अधीन किराएदार द्वारा देयकर की धनराशि, या धारा १६ या धारा २१ के अधीन किसी भवन का कोई भाग या उससे संलग्न किसी भूमि के निर्मुक्त होने के पश्चात् किराएदार द्वारा देय आनुपातिक किराए की धनराशि, अथवा धारा २४ की उपधारा (२) के अधीन मूल किराएदार को प्रदिष्ट नये भवन के लिए उसके द्वारा देय किराए की धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो जिला मैजिस्ट्रेट, तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर आदेश द्वारा उक्त धनराशि अवधारित करेगा।

(२) किसी किराएदार द्वारा इस दावे का आवेदन-पत्र देने पर कि सम्मत किराया भवन के निर्धारण से अधिक है, जिला मैजिस्ट्रेट सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा, या तो

(क) किराया पुनः अवधारित कर सकता है, और तत्पश्चात् इस प्रकार पुनः अवधारित किराया किराएदार द्वारा ऐसे दिनांक से देय होगा जो जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट हो, या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को उक्त समस्त किराये के बारे में, तथा उस दिनांक के बारे में, जब से वह देय रहा हो, सूचित करेगा, और तत्पश्चात् उक्त स्थानीय प्राधिकारी से सम्बन्धित विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी ऐसा स्थानीय प्राधिकारी मकानदार को तदर्थ कोई आगे नोटिस दिये बिना कर निर्धारण में उक्त, दिनांक से अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के प्रारम्भ होने के दिनांक से जो भी बाद में हो, तदनुसार वृद्धि कर सकता है।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा १० के अधीन की गयी किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

निर्धारण के न होने इत्यादि की दशा में मानक किराये का अवधारण

९—(१) किसी ऐसे भवन की दशा में जो पहले किराये पर न उठाया गया हो, और जहां न तो कोई सम्मत किराया हो और न ही उसे प्रथम बार किराये पर उठाने के दिनांक (जिसे एतद्पश्चात् इस धारा में "उक्त दिनांक" कहा गया है) के ठीक पूर्व कोई भी निर्धारण प्रवृत्त था तो जिला मजिस्ट्रेट तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर मानक किराया अवधारित करेगा।

(२) मानक किराया अवधारित करने में जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :

(क) उक्त दिनांक के ठीक पूर्व भवन और उसके स्थल का तत्सम्बन्धी बाजार मूल्य;

(ख) भवन के निर्माण, अनुरक्षण तथा मरम्मत की लागत;

(ग) उक्त दिनांक के ठीक पूर्व उसी प्रतिवेश में तत्सदृश भवनों के लिए प्रचलित किराया;

(घ) भवन में व्यवस्थित सुख-सुविधा;

(ङ) भवन का नवीनतम निर्धारण, यदि कोई हो;

(च) कोई अन्य संगत तथ्य जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सावान प्रतीत हो।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा १० के अधीन की गयी किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

धारा ८ तथा ९ के अधीन आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील

१०—(१) धारा ८ या धारा ९ के अधीन दिए गए जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है, और जिला न्यायाधीश या तो स्वयं उसे निस्तारित करेगा या उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन किसी भी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिये अभ्यर्पित कर सकता है और ऐसे किसी भी अधिकारी से उसे वापस मंगा सकता है या उसे किसी भी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(२) अपील अधिकारी आदेश की पुष्टि, उसमें परिवर्तन या उसे विखंडित कर सकता है, और ऐसे आदेश के सम्बन्ध में, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, अपने निर्णय तक उसके प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

(३) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अग्रेतर अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा, तथा उसका आदेश अन्तिम होगा।

प्रदेशन आदेश के बिना किराये पर देने का निषेध

११—एतद्पश्चात् की गयी व्यवस्था के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे भवन को जो खाली हो या खाली हो गया हो अथवा किसी खाली होने वाला हो, धारा १६ के अधीन जारी किये गये किसी प्रदेशन आदेश के अनुसरण के सिवाय, किराये पर नहीं देगा।

कतिपय दशाओं में भवन का रिक्त होना समझा जाना

१२—(१) किसी भवन के किरायेदार अथवा मकानदार का, जो मुख्यतः आवासिक प्रयोजनार्थ उस पर अध्यासीन हो, भवन से अध्यासन निम्नलिखित दशाओं में समाप्त समझा जायगा:—

(क) यदि उसने उससे अपना सामान व्यवहारिक रूप से हटा लिया हो और उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य न हो, अध्यासन कर लेने दिया हो; या

(ख) यदि उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने, अन्यत्र, या तो उसी अथवा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में केवल अस्थायी निवास से भिन्न निवास कर लिया हो।

(२) किसी अनावासिक भवन का किराएदार ऐसे भवन का अध्यासी न रह गया समझा जायगा यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति को उसमें अध्यासन कर लेने दिया हो।

स्पष्टीकरण—यदि कोई किरायेदार जो भवन में कारोबार करने वाला एकल व्यक्ति, कोई अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब अथवा कोई फर्म हो, जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, यथास्थिति, कोई भागीदार अथवा किसी नये भागीदार को प्रवेश करा ले तो यह समझा जायगा कि किरायेदार ने उस भागीदार को भवन का अध्यासन कर लेने दिया है।

(३) कोई भवन, जो धारा १३ या धारा १९ के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भी व्यक्ति के अप्राधिकृत अध्यासन में हो, रिक्त समझा जायगा।

प्रदेशन या विमुक्ति बिना भवन का अध्यासन करने के सम्बन्ध में निर्बन्धन

१३—यदि किसी व्यक्ति का किसी भवन पर अध्यासन समाप्त हो जाए तो कोई भी व्यक्ति जो या तो किसी भी रूप में उसकी ओर से अथवा धारा १६ के अधीन किसी प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश से अन्यथा उस पर अध्यासीन होने के लिये तात्पर्यित हो, ऐसे भवन का अप्राधिकृत अध्यासी समझा जायगा।

वर्तमान किरायेदारों के अध्यासन का नियमित करण

१४—धारा ११ या धारा १३ "अथवा पुराने अधिनियम में निहित अथवा पुराने अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई किरायेदार, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व मकानदार की सहमति से किसी भवन पर अध्यासीन हो परन्तु वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ७२ के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन हों, उक्त भवन के प्राधिकृत अध्यासन में समझा जायगा।

जिला मजिस्ट्रेट को रिक्त होने की सूचना देने का दायित्व

१५—(१) प्रत्येक मकानदार, किसी भवन के, उसका उस पर अध्यासन समाप्त होने या किरायेदार द्वारा उसके रिक्त किये जाने या अधियाचन से उसके निर्मुक्त होने या किसी भी अन्य प्रकार से, रिक्त होने पर ऐसी रिक्ति के बाद अधिक से अधिक सात दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को रिक्ति की लिखित सूचना देगा।

(२) इस प्रकार किसी भवन को रिक्त कर रहा प्रत्येक किरायेदार उसकी लिखित सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा मकानदार को भी ऐसी रिक्ति के बाद अधिक से अधिक सात दिन के भीतर देगा।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन सूचना के अन्तर्गत ऐसे ब्योरे दिये जायंगे जो नियत किये जायं तथा वह, यथास्थिति, मकानदार या किरायेदार के विकल्प पर रिक्ति के पूर्व दी जा सकती है।

प्रदेशन तथा निर्मुक्ति

१६—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें—

(क) मकान मालिक से किसी भवन को, जो खाली हो या खाली हो गया हो अथवा खाली होने वाला हो, या ऐसे भवन के किसी भाग को (किन्तु केवल संलग्न भूमि को नहीं) आदेश में निर्दिष्ट व्यक्ति को किराये पर देने की अपेक्षा की जाय; अथवा

(ख) ऐसे भवन को पूर्णतया या उसके किसी भाग को अथवा उससे संलग्न किसी भूमि को मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त किया जाय।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन कोई प्रदेशन आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि मकानदार को और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो या विश्वास हो कि वह अप्राधिकृत रूप से अध्यासित है, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का, यदि कोई हो, नोटिस जारी न किया जाय और ऐसी नोटिस की एक प्रतिलिपि भवन के बाह्य दरवाजे या अन्य प्रमख भाग पर चिपका न दी जाय और मकानदार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो प्राधिकृत अध्यासन में होने का दावा करता हो, प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार न कर लिया जाय।

(३) उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कोई निर्मुक्त आदेश तब तक न दिया जायगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट का यह सामाधान न हो जाय कि भवन या उसके किसी भाग अथवा उससे संलग्न किसी भूमि की, या तो उसके वर्तमान रूप में या उसके गिराये जाने और नव-निर्माण के पश्चात्, मकानदार द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के अथवा किसी उस व्यक्ति के जिसके लाभार्थ वह धारक हो, या तो आवासिक प्रयोजनों के लिए अथवा किसी कारोबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए, अथवा यदि मकानदार किसी सार्वजनिक पूर्त न्यास का न्यासी हो तो न्यास के उद्देश्यों के लिए अध्यासन के वास्ते युक्ति युक्त और वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

(४) प्रवेश आदेश में यह निर्दिष्ट किया जायगा कि—

(क) भवन का प्रयोग किरायेदार द्वारा आवासिक अथवा अनावासिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा;

(ख) कारोबार के प्रयोजनों की दशा में, कारोबार के स्वामियों या भागीदारों के नाम;

(ग) वह दिनांक जो आदेश के दिनांक से सात दिन के पहले का न होगा, जब तक मकानदार या अप्राधिकृत अध्यासी, यदि कोई हो, प्रदेशन गृहीता को कब्जा दे देगा।

(५) यदि प्रदेशन गृहीता या मकानदार, यथास्थिति, उसे प्रदिष्ट या उसके पक्ष में निर्मुक्त किसी भवन का कब्जा न पा सके, और किसी भी अन्य व्यक्ति ने उस पर अध्यासन कर लिया हो या अपना अध्यासन बनाये रखा हो तो जिला मजिस्ट्रेट यथा स्थिति, प्रदेशन गृहीता या मकानदार द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर आदेश में नामित किसी व्यक्ति को और उसके अधीन दावा जताने वाले या अध्यासन में पाये जाने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति को भी, बेदखल कर सकता है या बेदखल करा सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसा बल प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो तथा प्रदेशन गृहीता या मकानदार को भवन का कब्जा दे सकता है या दिला सकता है।

(६)—(क) यदि मकानदार या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो भवन का वैध रूप से अध्यासी होने का दावा करता हो, जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान कर दे कि उसे उपधारा (२) के अधीन कार्यवाहियों की कोई जानकारी न थी, तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आवेदन पत्र ऐसे व्यक्ति की बेदखली किये जाने के दिनांक से तीन दिन के बाद ग्रहण नहीं किया जायगा।

(ख) यदि जिला मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन पर अपने प्रदेशन आदेश को रद्द कर दे तो वह आवेदक को फिर से भवन का कब्जा देगा या दिलायेगा, यदि वह पहले से ही बेदखल कर दिया गया हो, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।

प्रदेशन आदेश देने की शर्त

१७—(१) यदि जिला मजिस्ट्रेट को किसी भवन के रिक्त होने की या रिक्त होने की सम्भाव की धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना प्राप्त हो तो उस भवन के सम्बन्ध में कोई प्रदेशन आदेश, ऐसी सूचना के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जायगा और उसकी सूचना मकानदार को दी जायगी और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई ऐसा आदेश न दिया जाय अथवा उसकी सूचना न दी जाय तो मकानदार जिला मजिस्ट्रेट को अपनी पसन्द के व्यक्ति के नाम की सूचना देगा, और तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार नामित व्यक्ति के पक्ष में भवन प्रदिष्ट कर देगा, जब तक कि वह उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायंगे, उसे ऐसे नामांकन के दिनांक से तीन दिन के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदिष्ट न करे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी मकानदार ने धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन, अपने पक्ष में सम्पूर्ण भवन या उस भवन के किसी भाग अथवा उससे संलग्न भूमि को निर्मुक्त करने के लिए कोई आवेदन पत्र दिया हो तो तीस दिनों की उक्त अवधि की गणना उक्त आवेदन पर निर्णय के दिनांक से की जायगी।

(२) यदि किसी भवन का कोई भाग आवासिक प्रयोजनों के लिए मकानदार के अध्यासन में हो अथवा आवासिक प्रयोजनों के लिए धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन उसके पक्ष में निर्मुक्त किया जाय, तो उक्त उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन उसके शेष भाग का प्रदेशन मकानदार द्वारा नामित व्यक्ति के ही पक्ष में किया जायगा, यदि मकानदार ने धारा १६ की उपधारा (२) में उल्लिखित नोटिस के जवाब में नामांकन किया हो।

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन चाहे उसे फ्लैट या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाय और जिसकी रचना एक पृथक इकाई के रूप में की गयी हो, अथवा जिसे सम्पूर्ण हो जाने के समय किराये पर दिया जा रहा हो, किसी भवन का भाग नहीं समझा जायगा।

प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील

१८—(१) धारा १६ के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विरुद्ध आयुक्त को अपील कर सकता है।

(२) आयुक्त ऐसे आदेश की पुष्टि या उसके परिष्कार या उसे विखंडित कर सकता है और ऐसे आदेश के सम्बन्ध में की गयी अपील पर अपने निर्णय तक आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है, और उसका आदेश अन्तिम होगा।

मकानदार द्वारा निर्मुक्ति आदेश के दुरुपयोग करने की दशा में पुनः प्रदेशन।

१९—यदि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा १६ के अधीन सम्पूर्ण भवन या उसके किसी भाग को मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त कर दिया हो और मकानदार कब्जा प्राप्त करने के दिनांक से एक महीने के भीतर उस पर अध्यासन न करे तो जिला मजिस्ट्रेट उसे रिक्त मान सकेगा और उसे उसी रूप में प्रदिष्ट कर सकेगा, तथा बिना किसी प्रदेशन आदेश के उस पर अध्यासीन रहने वाले व्यक्ति को उसका अप्राधिकृत अध्यासी समझा जायगा।

सिवाय निर्दिष्ट कारण के किरायेदार को बेदखल करने लिये वाद पर रोक।

२०—(१) उपधारा (२) में या धारा ४२ की उपधारा (२) के खंड (थ) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी भवन से किसी किरायेदार की बेदखली करने के लिये कोई वाद संधार्य नहीं होगा, भले ही समय के बीत जाने से या छोड़ देने की नोटिस की समाप्ति पर उसकी किरायेदारी समाप्त हो गई हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से समय के बीत जाने से किरायेदार की ऐसी किरायेदारी की समाप्ति पर उसकी बेदखली करने के लिये वाद पर कोई रोक न होगी यदि वह किरायेदारी किसी वाद अपील, पुनरीक्षण या निष्पादन कार्यवाही के प्रसंग में, चाहे वह न्यायालय में अभिलिखित किया गया हो अथवा अन्य रूप से लिखित हो, समझौते या समायोजन द्वारा या उसके अनुसरण में, निश्चित अवधि के लिये की गई हो।

(२) किसी भवन से, किरायेदार की समय के बीत जाने से किरायदारी के समाप्त होने के पश्चात् अथवा छोड़ने की नोटिस की समाप्ति पर, किरायेदार की बेदखली करने के लिय कोई वाद, सिवाय निम्नलिखित किसी एक या एकाधिक कारणों के, संस्थित नहीं किया जायगा, अर्थात्—

(क) किरायदार पर तीन महीने से अधिक का किराया बाकी है और उसने मांग की नोटिस की तामील से एक महीने के भीतर न तो उसका भुगतान मकानदार को किया है और न इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसे न्यायालय में जमा किया है;

(ख) किरायेदार ने जानबूझ कर भवन को सारवास रूप से क्षतिग्रस्त किया है या करने की अनुज्ञा दी है;

(ग) किरायेदार ने, मकानदार की लिखित अनुज्ञा के बिना भवन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन, या कोई ऐसा निर्माण, जिससे उसका मूल्य घटने की संभावना हो, किया है या करने की अनुज्ञा दी है;

(घ) किरायेदार ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिए उसे भवन किराये पर दिया गया था, या मकानदार की लिखित सहमति के बिना उसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये किया है, अथवा वह अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के निमित्त भवन का प्रयोग करने या प्रयोग करने की अनुज्ञा देने के अपराध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया है;

(ङ) किरायेदार ने, यथास्थिति, इस अधिनियम या पुराने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके सम्पूर्ण भवन या उसके किसी भाग को शिकमी किराये पर उठाया है;

(घ) किरायेदार ने तत्प्रकारीय हैसियत को त्याग किया है या मकानदार के स्वत्व को अमान्य किया है और मकानदार ने न तो पुनः प्रवेश करने के अपने अधिकार का अधित्याग किया हो और न किरायेदार के ऐसे आचरण को क्षमा किया हो;

(छ) किरायेदार को भवन का अध्यासन करने की अनुज्ञा मकानदार के अधीन उसके सेवायोजन-संविदा के भाग के रूप में दी गयी थी और उसका सेवायोजन समाप्त कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण:—खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिये, किसी व्यक्ति को होटल या वासा में ठहराना शिकमी किराये पर उठाना नहीं होगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी वाद में किरायेदार अपने प्रतिवाद के लिये कोई कार्यवाही करने के पूर्व प्रयोग तथा अध्यासन के लिये किराया या क्षतिपूर्ति की उतनी सम्पूर्ण धनराशि जितनी का उसे देय होना स्वीकार हो, जमा करेगा, और तत्पश्चात् वाद के जारी करने के दौरान नियमित रूप से मासिक किराये की धनराशि जिसे उसने देय होना स्वीकार किया हो, जमा करेगा, और इस सम्बन्ध में व्यतिक्रम करने की दशा में न्यायालय कोई प्रतिवाद ग्रहण करने से इन्कार कर सकता है या, जैसी भी दशा हो, उसका प्रतिवाद काट सकता है।

(४) (क) प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ में, द्वितीय अनुसूची में, प्राविष्टि संख्या (४) में, अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात्— ऐक्ट संख्या, १८८७

"किन्तु जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, १९७० में यथा परिभाषित भवन से किसी किरायेदार की (उसकी किरायेदारी समाप्त होने के पश्चात्) बेदखली के लिये मकानदार द्वारा वाद सम्मिलित नहीं है।"

(ख) प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा १५ की उपधारा (२) और (३) और बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २५ के उपबन्धों के होते, हुए भी, किसी लघुवाद न्यायालय का या जैसी भी दशा हो, किसी ऐसे सिविल न्यायाधीश का, जिसमें लघुवाद न्यायालय का क्षेत्राधिकार निहित हो, आर्थिक क्षेत्राधिकार किसी भवन से किरायेदार की (उसकी किरायेदारी समाप्त होने के पश्चात्) बेदखली करने के लिये और भवन का प्रयोग तथा अध्यासन करने के निमित्त किराया तथा क्षतिपूर्ति की वसूली करने के लिये मकानदार के वादों के सम्बन्ध में किसी उच्चतम सीमा के अधीन न होगा, और तदनुसार, ऐसे लघुवाद न्यायालय या जैसी भी दशा हो, ऐसे सिविल न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार ऐसे सभी वादों पर होगा।

२१—(१) नियत प्राधिकारी, मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर, किरायेदारी के अन्तर्गत भवन या उसके किसी निर्दिष्ट भाग से अथवा उससे संलग्न किसी भूमि से किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि निम्नलिखित कारणों में से कोई भी एक कारण विद्यमान है, अर्थात्— नियुक्ति के लिये कार्यवाहियां

(क) भवन या उसके किसी भाग की, या तो उसके वर्तमान रूप में या उसे गिराने और नवनिर्माण किये जाने के पश्चात् मकानदार द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी उस व्यक्ति के जिसके लाभार्थ

वह धारक हो, या तो आवासिक प्रयोजनों के लिये अथवा किसी कारोबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिये, अथवा यदि मकान मालिक किसी सार्वजनिक पूर्व न्यास का न्यासी हो तो न्यास के उद्देश्यों के लिये, अध्यासन के लिये युक्तियुक्त और वास्तविक रूप से आवश्यकता है,

(ख) भवन या उसका कोई भाग जीर्णावस्था में है और वह गिराये जाने तथा नवनिर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन मकानदार द्वारा अर्जित किये जाने के पूर्व किरायेदार के अध्यासन में था तो खंड (क) में उल्लिखित कारण से कोई आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे अर्जन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।

स्पष्टीकरण:—किसी आवासिक भवन की दशा में, यह तथ्य कि किरायेदार या उसके परिवार के किसी सदस्य ने किरायेदारी प्रारम्भ होने के पश्चात् उसी नगर, म्यूनीसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया या अन्य स्थानीय क्षेत्र में आवासिक भवन बनाया है या अन्यथा अर्जित किया है, किरायेदार की आपत्तियों का, यदि कोई हो, अवधारण करते समय, विचार के लिये संगत होगा।

(२) नियत प्राधिकारी मकानदार के तदर्थ आवेदन-पत्र पर किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से संलग्न किसी भूमि से किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि भूमि एक या एकाधिकार नये भवनों के निर्माण के लिये, या नये भवनों के निर्माणार्थ उसके बेंचने के उद्देश्य से उसे अनेक प्लाटों में बांटने के लिये, अपेक्षित है, और, इनमें से प्रत्येक दशा में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रयोजन के लिये नक्शे का अनुमोदन कर दिया है।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय।

(४) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन—

(क) इस बात के होते हुए भी कि किरायेदारी समाप्त नहीं की गयी है, आदेश दिया जा सकता है; या

(ख) केवल भवन के एक भाग या किसी संलग्न भूमि के संबंध में आदेश दिया जा सकता है यदि नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि भवन का शेष भाग, जिसके अन्तर्गत संलग्न भूमि भी है, किरायेदार की युक्तियुक्त आवश्यकता के लिये पर्याप्त है, और उस दशा में, ऐसा शेष भाग, जब तक कि किरायेदार उस भाग को भी छोड़ने का निश्चय न करे उसके पक्ष में प्रदिष्ट किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण:—यदि मार्ग सहित संलग्न भूमि भवन के आच्छादित क्षेत्र की दुगुनी से अधिक हो तो यह समझा जायगा कि अतिरिक्त क्षेत्र किरायेदार की युक्तियुक्त आवश्यकता से अधिक है।

(५) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन आदेश दिये जाने पर, भवन या भाग या भूमि, जैसी भी दशा हो, मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी और धारा २४ में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय प्रविष्ट नहीं की जायगी।

(६) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन आदेश दिये जाने पर, किरायेदार की किरायेदारी अपने सम्पूर्ण रूप में या, जैसी भी दशा हो, मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त भवन के भाग के, या किसी संलग्न भूमि के सम्बन्ध में समाप्त हो जायगी, और पश्चातवर्ती दशा में, शेष भाग के लिये देय किराया वह होगा जो पक्षों के बीच सम्मत हो और ऐसे अनुबन्ध के न होने पर जो धारा ८ के अधीन अवधारित किया जाय।

अपील

२२—धारा २१ के अधीन आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है, और धारा १० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

बेदखली के आदेश का प्रवर्तन

२३—(१) नियत प्राधिकारी किसी ऐसे किरायेदार को बेदखल करने के लिये जिसके विरुद्ध, यथास्थिति, धारा २१ या धारा २२ के अधीन आदेश दिया जाय, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो वस्तुतः अध्यासित पाया जाय, और मकानदार को कब्जा दिलाने के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।

(२) इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में नियत प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

किरायेदार को पुनः प्रवेश का विकल्प।

२४—(१) यदि नियत प्राधिकारी धारा २१ के अधीन मकानदार के पक्ष में कोई भवन या उसका भाग अथवा उससे संलग्न कोई भूमि नियुक्त कर दे, और मकानदार या तो उसका कब्जा पाने के दिनांक से अथवा ऐसे भवन का भाग या भूमि की दशा में जिस पर कुछ निर्माण या पुनर्निर्माण के पश्चात् अध्यासन करने का प्रस्ताव था, उसके पूरा होने के दिनांक से एक महीने के भीतर, या ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जिसके लिये नियत प्राधिकारी पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, उस पर अध्यासन नहीं करता है अथवा उसे किसी अन्य व्यक्ति के अध्यासन में दे देता है या दिलवा देता है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उस पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दे देता है अथवा उसका प्रयोग उससे भिन्न प्रयोजन के लिए करता है जिसके लिए उसे निर्मुक्त किया गया था, तो नियत प्राधिकारी ऐसे कार्य या लोप के दिनांक से तीन महीने के भीतर, मूल किरायेदार के आवेदन-पत्र पर, मकानदार को यह आदेश दे सकता है कि मूल शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर मकान या भाग या भूमि का अध्यासन किरायेदार को दे दे, और ऐसा आदेश दिये जाने पर, मकानदार और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका उस पर अध्यासन हो, मूल किरायेदार को रिक्त भवन का कब्जा देगा, और ऐसा न करने पर, नियत प्राधिकारी उसे कब्जा दिलायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।

(२) यदि मकानदार धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त आदेश प्राप्त करने के पश्चात भवन गिरा दे और उस स्थल पर नये भवन या भवनों का निर्माण करे तो, सिवाय उस दशा के जिसमें निर्मुक्त के समय मूल किरायेदार की उचित आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त पुराने भवन का कोई भाग उसके पास रहने दिया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट मूल किरायेदार द्वारा ऐसे समय

के भीतर, जो नियत किया जाय, तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर, उसे नया भवन या उनमें से ऐसा कोई एक जो जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे, प्रदिष्ट कर सकता है, और तदुपरान्त वह किरायेदार ऐसे भवन के लिये किराये के रूप में ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो उसके निर्माण व्यय के, (जिसके अन्तर्गत पुराने भवन को गिराने का व्यय भी है, किन्तु भूमि का मूल्य नहीं है) एक प्रतिशत प्रतिमाह के बराबर होगा, और भवन, उपर्युक्त किराये के भुगतान के लिये किरायेदार के दायित्व के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन होगा, और यदि किरायेदार कोई आवेदन-पत्र न दे या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति समय के भीतर किराये पर उक्त भवन लेने से इनकार करे या न ले, अथवा बाद में अपना अध्यासन समाप्त कर दे या अन्यथा उसे रिक्त कर दे तो वह भवन भी धारा २ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट अवधि, या शेष अवधि के लिये, जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त होगा।

मकानदार तथा किरायेदार के अन्य अधिकारों तथा आभारों का विनियमन

शिकमी किराये पर उठाने का निषेध

२५—कोई भी किरायेदार अपनी किरायेदारी के अधीन सम्पूर्ण भवन को अथवा, मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, उसके किसी भाग को शिकमी किराये पर नहीं उठाएगा।

मकानदार तथा किरायेदार के कतिपय आभार

२६—(१) कोई मकानदार, किरायेदार द्वारा उपभोग की जाने वाली किन्हीं सुख सुविधाओं को, बिना वैध प्राधिकार अथवा कारण से, समाप्त नहीं करेगा और नहीं उनको रोकेगा।

(२) मकानदार, किरायेदारी के अधीन भवन को वातरक्षी तथा जलरक्षी बनाये रखने के लिये बाध्य होगा और, किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुये समय-समय पर पुताई तथा मरम्मत करायेगा।

(३) किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुये, कोई किरायेदार भवन में उसके द्वारा कराये गये किसी सुधार को किरायेदारी जारी रहने के दौरान अथवा उसके समाप्त होने के पश्चात् न गिरायेगा और न सचल किस्म के उपस्करों व फिक्सचरों को छोड़कर, ऐसे सुधार में प्रयुक्त किसी सामग्री को हटायेगा।

सुख सुविधाओं के सम्बन्ध में मकानदार के आभारों का प्रवर्तन

२७—(१) नियत प्राधिकारी, किरायेदार के आवेदन-पत्र देने पर मकानदार से यह अपेक्षा करते हुये उस पर नोटिस तामील कर सकेगा कि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर धारा २६ की उपधारा (१) के उल्लंघन में तथाकथित समाप्त की गई या रोकी गई सुख सुविधाओं को पुनः स्थापित करें अथवा यह कारण बतावें कि क्यों न इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध कोई आदेश जारी किया जाय।

(२) यदि मकानदार उक्त अवधि के भीतर सुख सुविधाएं पुनःस्थापित न करे, अथवा पर्याप्त कारण न बताये, तो नियत प्राधिकारी आदेश दे कर किरायेदार को अपनी लागत पर ऐसी सुख सुविधा पुनःस्थापित करने की अनुज्ञा दे सकता है और तद्पश्चात् किरायेदार उक्त आदेश के अनुसरण में अपने द्वारा उपगत ऐसी लागत को मकानदार को देय किराये में से कटौती करके वसूल करने का हकदार होगा, और धारा ६ की कोई बात ऐसी लागत के सम्बन्ध में लागू न समझी जायगी।

मरम्मत इत्यादि के सम्बन्ध में मकानदार के आभार को बाध्यकरण

२८—(१) यदि मकानदार धारा २६ की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार पुताई या मरम्मत न कराये तो किरायेदार लिखित नोटिस दे कर उससे उक्त नोटिस तामील होने के दिनांक से एक महीने के भीतर उक्त कार्य कराने के लिये कह सकता है।

(२) यदि अपेक्षित पुताई या मरम्मत का व्यय एक महीने के किराये की धनराशि से अधिक होता हो, तो किरायेदार अपनी नोटिस में मकानदार को धारा ६ के उपबन्धों के अनुसार ऐसे बढ़े हुये किराये का भुगतान करने की अपनी स्वीकृति की भी सूचना देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी मरम्मत की दशा में जो भवन को बात रक्षी तथा जल रक्षी रखने के लिये आवश्यक हों, इस उपधारा के उपबन्धों का अर्थ एक महीने के किराये के स्थान पर दो महीने का कराया रखकर लगाया जायेगा।

(३) यदि मकानदार नोटिस का अनुपालन न करे तो किरायेदार स्वयं पुताई या मरम्मत ऐसे व्यय पर करायेगा जो, यथास्थिति, एक महीने या दो महीने के किराये से अधिक न हो और उक्त धनराशि को किराये में से काट लेगा और किसी भी ऐसी दशा में वह उपगत व्यय का लेखा मकानदार को प्रस्तुत करेगा।

(४) यदि किरायेदार का यह दावा हो कि भवन में ऐसी सीमा तक पुताई या मरम्मत अपेक्षित है जिसकी लागत, यथास्थिति, एक महीने या दो महीने के किराये की धनराशि से अधिक हो जाने की सम्भावना हो, जिसे एतद्पश्चात् इस धारा में "बड़ी मरम्मत" कहा गया है, और मकानदार या तो उक्त कार्य कराने के अपने उत्तरदायित्व से इन्कार करे या नोटिस का अनुपालन करे तो किरायेदार उपधारा (५) के अधीन आदेश के लिये नियत प्राधिकारी को आवेदन पत्र दे सकता है।

(५) नियत प्राधिकारी उपधारा (४) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो—

(क) आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर सकता है, या

(ख) मकानदार से अपेक्षित बड़ी मरम्मत को ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है ; और उसके ऐसा न करने पर किरायेदार को उन मरम्मतों को ऐसी धनराशि से अनधिक लागत पर और ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कराने की अनुज्ञा दे सकता है।

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किरायेदार द्वारा कोई बड़ी मरम्मत कराई जाय तो वह उसके व्यय का लेखा नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो किरायेदार द्वारा वसूल की जा सकने वाली धनराशि को सत्यापित करेगा, और तत्पश्चात किरायेदार द्वारा ऐसी धनराशि की कटौती किराये में से एक महीने के किराये के पच्चीस प्रतिशत के अनधिक मासिक किस्तों में की जा सकती है और ऐसी किसी मामले में धारा ६ के अधीन किराया वृद्धि केवल उस माह के, जिसमें किरायेदार द्वारा लागत की धनराशि पूर्णतः वसूल कर ली जाय, आगामी माह से सप्रभावी होगी।

(७) उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन नियत प्राधिकारी के किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण न किया जा सकेगा और वह अन्तिम होगा।

कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय में किराया जमा करना।

२९—(१) यदि मकानदार किरायेदार द्वारा किसी भवन के सम्बन्ध में उसे दिये गये किराये को लेने से इन्कार करे तो किरायेदार ऐसा किराया नियत रीति से जमा कर सकता है और ऐसे भवन के सम्बन्ध में देय होने वाले किसी भी पश्चात्-वर्ती किराये को लगातार तब तक जमा करता रहेगा जब तक कि मकान मालिक इस बीच किरायेदार को लिखित नोटिस देकर किराया स्वीकार करने की अपनी इच्छा प्रकट न करे।

(२) यदि किसी भवन के सम्बन्ध में उपधारा (१) में अभिदिष्ट किराया पाने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई वास्तविक सन्देह या विवाद उठे तो किरायेदार जिन परिस्थितियों के अधीन किराया जमा किया जाय उन्हें बताते हुए उसी प्रकार किराया जमा कर सकता है और जब तक ऐसा सन्देह निवारण न हो जाय अथवा ऐसे विवाद का निपटारा किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय से या पक्षों के बीच समझौते से न हो जाय, ऐसे भवन के सम्बन्ध में अनुवर्ती देय होने वाला किराया बराबर जमा करता रहेगा।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) में अभिदिष्ट जमा की जाने वाली धनराशि क्षेत्राधिकार रखने वाले मुन्सिफ के न्यायालय में जमा की जायगी।

(४) उपधारा (१) के अधीन कोई धनराशि जमा किये जाने पर न्यायालय ऐसी जमा धनराशि की सूचना मकानदार पर तामील कराएगा और मकानदार द्वारा जमा की धनराशि न्यायालय को तदर्थ आवेदन-पत्र देने पर निकाली जा सकती है।

(५) यदि उपधारा (२) के अधीन कोई धनराशि जमा की गयी हो तो न्यायालय जमा धनराशि की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों पर तामील कराएगा और जमा की गयी धनराशि को ऐसे व्यक्ति के लाभार्थ रोक लेगा जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अथवा सम्बद्ध पक्षों के बीच हुए किसी समझौते के कारण उसे पाने का हकदार पाया जाय और वह धनराशि ऐसे व्यक्ति को देय होगी।

(६) किसी मामले में उपर्युक्त प्रकार से जमा की गई धनराशि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि किरायेदार द्वारा मकानदार को किराये का यथाविधि भुगतान कर दिया गया है।

शास्ति

३०—(१) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का या उनके अनुसरण में दिये गये किसी आदेश के उल्लंघन, अथवा ऐसे उल्लंघन के प्रयत्न या दुष्प्रेरणा करने का सिद्धदोष होता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक की हो सकेगी या ऐसे अर्थदंड से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

अधिनियम संख्या ५, १८९८

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ३२ में निहित किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने वाले प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये पांच हजार रुपये तक का अर्थदण्ड देना वैध होगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति, धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खंड का उल्लंघन करने के लिये सिद्धदोष हो, तो न्यायालय, जो उसे सिद्धदोष ठहराए, यह निदेश दे सकता है कि इस प्रकार सिद्धदोष व्यक्ति पर आरोपित और वसूल किये गये अर्थ-दण्ड में से, यदि कोई हो, ऐसी धनराशि, जो किसी भवन के संबंध में किरायेदार के रूप में रहने के लिये किराए के अलावा अधिलाभ या अतिरिक्त भुगतान के रूप में भुगतान की गई धनराशि से अधिक न होगी उस व्यक्ति को लौटा दी जाय जिसने ऐसा भुगतान किया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किरायेदार को भुगतान की गई कोई धनराशि का किसी अनुवर्ती दावे में उसे प्रतिकर देने अथवा प्रत्यास्थापन करने में विचार किया जायगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

३१—यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी हो तो कंपनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कंपनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का वह उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिये सभी सम्यक उपाय किये ।

(२) उपधारा (१) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कंपनी के मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कंपनी के ऐसे मैनेजिंग एजेंट सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के वे उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कंपनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों का समुदाय भी है ; तथा

(ख) "निदेशक" का किसी फर्म के संबंध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अपराधों का संज्ञान

३२—(१) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये कोई अभियोग, जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकार द्वारा अथवा उसके अधीन किये गये किसी परिवाद के सिवाय, संस्थित नहीं किया जायगा ।

(२) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का न्यायालय ऐसे किन्हीं अपराधों की सुनवाई नहीं करेगा ।

विभिन्न प्राधिकारियों के अधिकार और उनके द्वारा अनुसर्णीय प्रक्रिया १९०८ का अधिनियम सं० ५

३३—(१) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए जिला मैजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी को वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी सिविल न्यायालय में, किसी वाद की सुनवाई के समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में निहित हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना ;

(ग) साक्षियों या लेख्यों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(घ) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ङ) किसी पक्ष को वाद व्यय, तदर्थ बने नियमों के अधीन वाद व्यय दिलाना ;

(च) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय।

१८९८ का अधिनियम ५ १८६० का अधिनियम ४५

(२) जिला मैजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या कोई अपील प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई जांच अथवा किसी अपील की सुनवाई करते समय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ४८० और ४८२ के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ तथा २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

१८८७ ऐक्ट ९

(३) यदि इस अधिनियम के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णित कोई वाद व्यय या अन्य धनराशि अदत्त रहे तो वह उसके संबंध में वसूली का प्रमाण—पत्र नियत प्रपत्र में जारी कर सकता है और कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७ के अधीन क्षेत्राधिकार युक्त किसी लघु-वाद न्यायालय को, प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है। ऐसा न्यायालय तदुपरान्त, प्रमाण-पत्र उसी रीति और उसी प्रक्रिया से निष्पादित करेगा या उसे निष्पादित करायेगा मानो कि वह किसी वाद में धनराशि के भुगतान के लिये स्वयं उसके द्वारा दी गई कोई डिक्री हो।

(४) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ और तत्संबंधित प्रयोजनों के लिये उक्त प्राधिकारीगण ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाय।

परिसीमन अधिनियम १९६३ (१९६३ का अधिनियम ३६) की धारा ५ तथा १२ की प्राप्ति

३४—परिसीमा अधिनियम, १९६३ की धारा ५, तथा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे।

३५—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, अथवा उसका किया जाना तात्पर्यित या अभिप्रेत हो, कोई वाद अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

३६—(१) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई अपत्ति नहीं की जायेगी। अन्तिम तथा उपधारणा

(२) यदि किसी आदेश का इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में किसी प्राधिकारी द्वारा दिया जाना और हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, तो न्यायालय, जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा आदेश उक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया था।

३७—इस अधिनियम के उपबन्ध, संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ या सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ में निहित उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। अधिनियम का सम्पति अन्तरण अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, पर अभिभावी होना १८८२ का अधिनियम ४ १९०८ का अधिनियम ५

३८—१ जनवरी, १९५१ को या इसके, पश्चात् निर्मित किसी भवन से किसी किराएदार की बेदखली के लिये किसी ऐसे वाद में जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय विचाराधीन हों, कोई बेदखली की डिक्री, सिवाय धारा २० की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में या उपधारा (२) में उल्लिखित किसी कारण के नहीं दी जायेगी। प्रथम वार विनियमन के अन्तर्गत लाये गये भवनों के सम्बन्ध में बेदखली के लिये विचाराधीन वाद

३९—१ जनवरी, १९५१ को या इसके पश्चात् निर्मित किसी भवन के किरायेदार को बेदखली के लिये, इस अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व दी गई कोई डिक्री, सिवाय धारा २० की उपधारा (२) में उल्लिखित किसी कारण के, निष्पादित नहीं की जायेगी; कतिपय डिक्रियों के निष्पादन पर रोक

प्रतिबन्ध यह है कि जहां या तो डिक्री समझौते के आधार पर दी गई हो, अथवा उसके निष्पादन को, मामले में अभिलिखित, अथवा अन्यथा लिखित, समझौते या समायोजन के आधार पर निष्पादन को, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व स्थगित कर दिया गया हो, वहां इस धारा की किसी बात से निष्पादन पर रोक नहीं होगा।

नियम बनाने का अधिकार

४०—राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में शुल्क नियत करने का कोई नियम भी है, कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विधान मंडल के समक्ष नियम आदि का रखा जाना

४१—धारा १ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड और धारा २ की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई सभी अभिसूचनायें और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, जारी किये जाने या बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो उसके एक सत्र या दो अथवा उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उनके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति

४२—(१) यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेट ऐण्ड एक्विशन ऐक्ट, १९४७ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ३ के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन कोई आवेदन-पत्र या कार्यवाही क्षेत्राधिकारयुक्त नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायगी और इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन विचाराधीन आवेदन-पत्र या कार्यवाही समझी जायगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका निस्तारण किया जायेगा।

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ७ के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन किसी आवेदन-पत्र या कार्यवाही की निस्तारण उसके द्वारा इस अधिनियम की धारा १६ व १७ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ३-ए या धारा ५-ए के अधीन जिला मंजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही का निस्तारण जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जायगा और उसकी धारा ७-डी के अधीन इस प्रकार विचाराधीन कार्यवाही निस्तारण के लिये नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायेगी, और जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी का निर्णय, यथास्थिति धारा ८, धारा ९, या धारा २७ के अधीन निर्णय समझा जायेगा और प्रथमतः तथा द्वितीयतः उल्लिखित मामलों में तदनुसार अपील के अधीन होगा।

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ७—बी या ७—सी के अधीन मुंसिफ के न्यायलय में विचाराधीन कोई कार्यवाही ऐसे जारी रहे गी और समापित की जायेगी मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ७-ई के अधीन मुंसिफ के न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही, इस अधिनियम की धारा २८ के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी और निस्तारण के लिए नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायगी ;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (४) के अधीन मुंसिफ या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में किर या निश्चित करने के लिये विचाराधीन कोई वाद उस न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जायगा, और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व की अवधि के संबंध में किराये की दर पुराने अधिनियम के अनुसार निश्चित की जायगी और किस अनुवर्ती अवधि के संबंध में किराये की दर इस अधिनियम के अनुसार निश्चित की जवगी ;

(छ) कोई न्यायालय का प्राधिकरण, जिसके समक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व किसी भवन के किराये की वसूली या उसे अवधारित या निश्चित करने अथवा उससे बेदखली से संबंधित कोई वाद या अन्य कार्यवाही विचाराधीन हो, उक्त प्रारंभ होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर उसे आवेदन—पत्र दिये जाने पर, किसी पक्ष को इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणाम स्वरूप अपने अभिकथन में संशोधन करने की अनुमति दे सकता है ।

(ज) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुरानें अधिनियम की धारा ३ के अधीन दिया गया अनुज्ञा देने या उसे देने से इंकारी का कोई आदेश, जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो—

(१) यदि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीस दिन से भी अधिक पहले क्षुब्ध पक्ष को सूचित किया गया हो, अंतिम होगा,

(२) अन्य दशा में, जिला न्यायाधीश को अपील के अधीन होगा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से साठ दिन के भीतर दायर की जा सकती है, और जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा;

(झ) पुराने अधिनियम की धारा १७ के अधीन बनाये गये कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन रूल्स, १९४९ के नियम ६ के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया मकानदार को किसी भवन का अध्यासन करने की अनुज्ञा देने या उसे देने से इंकारी का कोई आदेश, जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो—

(१) यदि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीस दिन से भी अधिक पहले क्षुब्ध पक्ष को सूचित किया गया हो, अंतिम होगा,

(२) किसी अन्य दशा में आयुक्त को अपील के अधीन होगा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से साठ दिन के भीतर दायर की जा सकती है, और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा,

(ञ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुराने अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) या धारा ७–ए के अधीन दिया गया कोई आदेश, जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो—

(१) यदि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीस दिन से भी अधिक पहले क्षुब्ध पक्ष को सूचित किया गया हो, अंतिम होगा,

(२) किसी अन्य दशा में, आयुक्त को अपील के अधीन होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से साठ दिन के भीतर दायर की जाय सकती है, और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा,

(ट) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया कोई ऐसा आदेश अंतिम होगा, जिसमें पुराने अधिनियम की धारा ३ के अधीन अनुज्ञा दी गयी हो या उसे दिये जाने से इंकार किया गया हो, जिसे उक्त धारा की उपधारा (३) के अधीन आयुक्त द्वारा पुष्टिकृत, परिष्कृत या प्रतिवर्तित किया गया हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ७–एफ के अधीन राज्य सरकार को कोई पुनरीक्षण दायर न किया गगा हो,

(ठ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व आयुक्त के समक्ष पुराने अधिनियम की धारा ३ के अधीन अनुज्ञा देने के संबंधित विचाराधीन कोई पुनरीक्षण जिला न्यायाधीश को अन्तरित हो जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ,

(ड) इस अधनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, पुराने अधिनियम की की धारा ७–ए की उपधारा (४) के अधीन आयुक्त के समक्ष विचाराधीन किसी पुनरीक्षण पर उसके द्वारा निर्णय दिया जायगा, और उसका उस पर निर्णय अंतिम होगा,

(ढ) पुराने अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (३) या धारा ७–ए की उपधारा (४) के अधीन दिये गये आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा ७–एफ के अधीन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन किसी पुनरीक्षण का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा,

(ण) पुराने अधिनियम की धारा ७–ए के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये ऐसे आदेश के जिसके विरुद्ध आयुक्त के समक्ष कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो, या पुराने अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन किसी आदेश के या पुराने अधिनियम की धारा १७ के अधीन बनाये गये कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन रूल्स, १९४९ के नियम ६ के अधीन मकानदार को किसी भवन का अध्यासन करने की अनुज्ञा देने या अनज्ञा देने से इंकारी के आदेश के विरुद्ध पुराने अधिनियम की धारा

७—एफ के अधीन राज्य सरकार के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विचाराधीन कोई पुनरीक्षण आयुक्त को अंतरित हो जायगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा,

(त) खंड (ज) के अधीन जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की गयी सभी अपीलों और खंड (ठ) के अधीन उसे अंतरिम सभी पुनरीक्षणों के सम्बन्ध में धारा १० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(थ) किसी किरायेदार की बेदखली के लिए पुराने अधिनियम की धारा ३ में अदिष्ट अनुज्ञा से संस्थित और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विचाराधीन कोई वाद, या ऐसे वाद से होने वाली कोई कार्यवाही जारी रखी और समापित की जा सकती है, मानो यह अधिनियम पारितन हुआ हो, और इसी प्रकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् खंड (ज) खंड (ट) खंड (ठ) या खंड (ढ) में अभिदिष्ट अनुज्ञा से बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित किया जा सकता है,

(द) पूर्ववर्ती खंडों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी, जिला न्यायाधीश, आयुक्त या राज्य सरकार का कोई निर्णय, जहां आवश्यकता हो, उसी प्रकार बाध्य किया जा सकेगा मानों यह इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ का संशोधन

४३—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६६ की धारा ६८, में जिसके अन्तर्गत उसका पार्श्व शीर्षक भी है, शब्द तथा अंक "यू० पी० (टैम्पोरेरी) कंन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम १९७०" रख दिये जायें।

अधिनियम संख्या १६, १९०८ का संशोधन

४४—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ में, धारा १९ के पश्चात् निम्नशिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय शहरी भवनों का पट्टा

"१९—क—(१) किसी ऐसे भवन का पट्टा जिस पर उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, १९७० लागू होता हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक स्वीकार न किया जायगा जब तक कि उसके साथ एक सत्य प्रतिलिपि न हो।

(२) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पट्टे का रजिस्ट्रीकरण करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उस स्थानीय प्राधिकरण को, यदि कोई हो, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर भवन स्थित हो, उक्त सत्य प्रतिलिपि भेज देगा।"

उद्देश्य और कारण

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, मुख्यतः इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि भवनों को किराये पर देने और उनके किराये पर नियंत्रण से सम्बन्धित डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स, १९३९ के अधीन जारी किये गये आदेशों में निहित उपबन्धों के समान उपबन्धों को प्रवृत्त बनाये रखा जा सके। यह आशा की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न भवनों की कमी की समस्या थोड़े दिनों में दूर हो जायगी, और तदनुसार १९४६ में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था जिसे १९४७ में उक्त अस्थायी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। किन्तु शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण और निर्माण कार्य में अपेक्षातया धीमी गति, मुख्यतः निर्माण सामग्री की कमी के कारण होने के फलस्वरूप आवास की समस्या गम्भीर होती गयी, और अधिनियम की अवधि को समय-समय पर बढ़ाना पड़ा। व्यवहार में समय-समय समस्याएं उठने पर भी उसके उपबन्धों में अनेक संशोधन भी किये गये। कुछ उपबन्धों पर न्यायालयों में विभिन्न कारणों से और जागरूक जनमत द्वारा भी आलोचना की गयी। सरकार ने विधान मंडल को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही उक्त अधिनियम को एक नये बृहद विधायन द्वारा प्रतिस्थापित करेगी और तदनुसार, यह विधेयक तैयार किया गया है।

इस विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

१—यह प्रस्ताव है कि नई विधि अस्थायी व्यवस्था के बजाय एक स्थायी विधि के रूप में रहे।

२—एक निश्चित दिनांक नियत करने और विधि को केवल उसी दिनांक तक निर्मित भवनों पर लागू करने के बजाय यह प्रस्ताव है कि यह नयी विधि सभी भवनों पर उनका निर्माण कार्य समाप्त होने के दिनांक से १० वर्ष की अवधि के पश्चात लागू हो। इस प्रकार जैसे-जैसे समय व्यतीत होगा विनियमन के अन्तर्गत आने वाले भवनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी। विनियमन से दस वर्ष की छूट की यह व्यवस्था नये भवनों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये की जा रही है।

३—पुराने अधिनियम की धारा ३ के अधीन किसी किरायेदारी की बेदखली के निमित्त मुकदमा दायर करने की अनुज्ञा देने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार परिभाषित नहीं थे और उसे किसी भी आधार पर निष्कासन के लिये स्वीकृति देने के सम्बन्ध में निरंकुश स्वविवेक प्राप्त था। अब किसी किरायेदार को बेदखल करने की अनुज्ञा देने, या किसी रिक्त भवन को निर्मुक्ति करने, के आधारों को सीमित कर दिया गया है। कार्यवाहियों की बहुलता को दूर करने और सिविल न्यायालयों में कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था भी की गयी है कि बेदखली की ऐसी कार्यवाहियां सिविल न्यायालय में करने के बजाय नियत प्राधिकारी के समक्ष की जायेंगी।

४—प्रदेशन (एलाटमेंट) और निर्मुक्त (रिलीज) करने के आदेशों और अप्राधिकृत अध्यासियों के बेदखली के आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार को पुनरीक्षण (निगरानी) के लिए आवेदन-पत्र देने से सम्बन्धित उपबन्ध निकाल दिये गये हैं। इसके बजाय, जिला मैजिस्ट्रेट या उसके प्रत्यायुक्त द्वारा दिये गये आदेशों और रिक्त भवनों को निर्मुक्त करने के आदेशों के विरुद्ध अपील आयुक्त को, और जिला मैजिस्ट्रेट या उसके प्रत्यायुक्त द्वारा किराये के अवधारण या पुनः निर्धारण के आदेशों और किरायेदारों के रहते हुए भवन को निर्मुक्त करने की कार्यवाहियों में नियत प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जिला न्यायधीश को प्रस्तुत की जायगी, और आयुक्त या जिला न्यायधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

५—पुराने अधिनियम की धारा ३ में निर्दिष्ट आधारों पर बेदखली संबंधी वाद, जो मुंसिफ या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में दायर होते हैं, अब लघुवाद न्यायालय में दायर किये जायेंगे। इससे अपीलों की बहुलता में कमी आयेगी क्योंकि अन्य लघुवाद के मामलों की तरह लघुवाद न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध केवल पुनरीक्षण के लिये ही आवेदन-पत्र दिया जायेगा। साथ ही पुराने अधिनियम में निर्दिष्ट आधारों में से कुछ का परिष्कार कर दिया गया है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कभी-कभी भवन से बेदखली का फर्जी आधार बनाने के प्रयोजनार्थ अपदूषण (न्यूसेन्स) उत्पन्न करने के आरोप लगाये जाते थे, इस आधार को अब निकाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त केवल सारवान परिवर्तन कराना बेदखली के लिये वैध आधार नहीं होगा बल्कि भवन में संरचनात्मक परिवर्तन कराने को ही वैध कारण माना जायगा।

६—अपने अध्यासन के लिये या अपने कर्मचारियों आदि के अध्यासनार्थ, शैक्षिक संस्थाओं या चैरिटेबिल सोसाइटीज द्वारा धृत भवन अथवा सहकारी समितियों, कम्पनियों और फर्मों द्वारा निर्मित एवं धृत भवन नये अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त होंगे।

७—यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि भवनों पर जान बूझकर कम कर निर्धारण न कराया जाय, और स्थानीय प्राधिकरणों को सही किराया मूल्य के अनुसार कर का उचित अंश मिले, कतिपय उपबन्ध रखे गये हैं। ऐसे मामलों में किरायेदार के प्रार्थना-पत्र पर किराये को पुनः निर्धारित करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

८—विनियमन के अन्तर्गत प्रथम बार लाये गये भवनों के किरायेदारों के विरुद्ध बेदखली संबंधी विचाराधीन मुकदमों में निर्दिष्ट कारणों के सिवाय डिक्री नहीं दी जायगी, और जिन मामलों में निष्कासन संबंधी डिक्री जारी हो चुकी हो वह भी निर्दिष्ट कारणों के सिवाय, निष्पादित नहीं की जायगी।

९—किरायेदार की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिवार के जीवित सदस्य उसी संरक्षण के हकदार होंगे जो मृतक को प्राप्त थे।

१०—ऐसी मरम्मतों की दशा में, जो भवन को वातरक्षी और जलरक्षी बनाये रखने के लिये अत्यावश्यक हो, किरायेदार को एक महीने के बजाय दो महीने का किराया काट लेने की अनुमति दी गयी है।

११—बढ़ाये गये गृह कर का किरायेदार द्वारा भुगतान करने के दायित्व को बढ़ायी गयी धनराशि के एक-तिहाई से घटाकर एक-चौथाई किया जा रही है।

१२—प्रदेशन व भवन को वातरक्षी तथा जलरक्षी दशा में रखने, और उससे सम्बद्ध सुख सुविधाओं का अनुरक्षण करने, और कुछ परिस्थितियों में न्यायालय में किराया जमा करने, से संबंधित उपबन्धों को रहने दिया गया है, और विभिन्न उपबन्धों की कमियों को दूर किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

बलदेव सिंह आर्य,
मंत्री,
खाद्य तथा रसद् विभाग।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६६ एल० ए०—१९७०—८४५।